मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2015 सत्र

बुधवार, दिनाँक 29 जुलाई 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

(वर्ग 3 : गृह, जेल, पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, पुनर्वास, महिला एवं बाल विकास)

कानून व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही

1. (क्र. 55) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 23 फरवरी 2015 के तां.प्रश्न संख्या 20 (क्र. 779) के संदर्भ में बताएं कि जिन 11 आरोपियों की पहचान की गई है उन पर क्या कार्यवाही की है तथा 8 आरोपियों के विरूद्ध धारा 173 (8) जा.फौ. के तहत विवेचना पूरी हो गई या नहीं व क्या स्थिति है? **(ख)** प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 103) दिनाँक 03.03.14 के प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में बताया था कि दिनाँक 08.12.2013 को मतगणना के दिन कानून व्यवस्था भंग करने वालों की सी.सी.टी.वी. कैमरा फुटेज के आधार पर शेष आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जायेगी तो बाकी आरोपियों की पहचान कर कब तक कार्यवाही करेंगे? जिन 40 लोगों के नाम दिये हैं उनकी पहचान कर ली है या नहीं खासतौर पर 32 नम्बर के अजयपाल की? **(ग)** परि.अता.प्रश्न संख्या 3 (क्र.93) दिनाँक 14 जुलाई 2014 के संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है इसका विवरण देवें? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के प्रश्न **(ग)** के उत्तर अनुसार एक आरोपी नाहर सिंह का शस्त्र लायसेंस निरस्त हो चुका है या नहीं व अन्य किस-किस आरोपी पर शस्त्र लायसेंस है विवरण देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रकरण विवेचना में है एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। **(ख)** सी.सी.टी.व्ही. कैमरा फुटेज में अन्य आरोपी की पहचान नहीं हुई है। पहचान होने पर शिनाख्त की कार्यवाही कर गिरफ्तार किये जायेगें। नामजद 40 आरोपियों में से 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 9 आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है एवं 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। नामजद सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है, 32 न. का आरोपी अजयपाल पुत्र श्री लालसिंह यादव की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा रूपये 500 का ईनाम घोषित किया गया है। **(ग)** जुलाई 2014 से अभी तक प्रकरण में पांच नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। **(घ)** आरोपी नाहर सिंह

पुत्र रतन सिंह यादव का शस्त्र लायसेंस जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्रं. आर्म्स/9-5/16/14/विविध, दि. 07.08.2014 द्वारा निलंबित किया गया है। अन्य किसी आरोपी के पास शस्त्र लायसेंस नहीं है।

गाँवों में खेल भूमि का आरक्षण

2. (क्र. 76) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के गाँवों में खेल के लिये भूमि आरक्षित करने हेतु शासन ने कब-कब सर्कुलर व आदेश जारी किये? **(ख)** प्रत्येक जिले में अब तक कितने गाँवों में खेल मैदान हेतु शासन का आदेश पालन कर भूमि आरक्षित कर दी गई है, तथा कितने गाँवों में खेल हेतु भूमि आरक्षित नहीं हो पाई है? वहां कब तक हो जायेगी? **(ग)** क्या शासन समय-सीमा में सभी बाकी गाँवों में खेल हेतु भूमि आरक्षित करने का निर्देश देगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

डीमेट परीक्षाओं में अनियमिततायें

3. (क्र. 79) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में डीमेट परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के बारे में श्री उपरीत व अन्य छात्रों पालकों या कर्मचारियों से किस-किस अनियमितताओं की जानकारी अब तक इस वर्ष या पूर्व में शासन को मिली हैं तथा उन जानकारियों के आधार पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं? **(ख)** शिकायतों का विवरण देते हुए शासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी देवे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति

4. (क्र. 106) श्री सचिन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पटवारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने रिक्त हैं? प्रश्नांश **(क)** में दर्शित रिक्त पदों पर पटवारियों को पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या कार्य की दृष्टि से स्वीकृत पद कम हैं, यदि हाँ, तो क्यों? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पटवारियों की कमी को दूर किये जाने हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण बतायें? **(ग)** उक्त क्षेत्रान्तर्गत पटवारियों की नियुक्ति की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कसरावद विधानसभा अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

5. (क्र. 114) श्री सचिन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला खरगोन की कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र कब से संचालित हो रहे हैं केन्द्रवार/स्थानवार जानकारी दें और ऐसे कितने स्थान हैं जहां आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना अनिवार्य है लेकिन खोले नहीं गये कारण सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित आंगनवाड़ी केन्द्र क्या शासकीय भवन में संचालित हैं यदि नहीं, तो क्या इनके भवन हेतु बजट उपलब्ध नहीं है भवन निर्माण कब तक कर दिये जायेगें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में दर्शित आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्या-क्या गतिविधियां अनिवार्य है तथा कितनी गतिविधियां संचालित की जा

रही हैं केन्द्रवार जानकारी दें और प्रत्येक केन्द्र को संचालित किये जाने में कुल कितना-कितना बजट किस-किस केन्द्र के लिए किस-किस कार्य हेतु खर्च किया गया, विगत पांच वर्ष की केन्द्रवार जानकारी दें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित केन्द्रों में किस नाम पदनाम के पद कब से रिक्त हैं और उनकी पूर्ति नहीं करने के क्या कारण हैं केन्द्रवार जानकारी दें? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित केन्द्रों में से कौन-कौन से केन्द्र बंद पड़े हैं और क्यों? किस-किस के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? स्थानवार केन्द्रवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जिला खरगोन की कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना कसरावद व भीकनगाँव में 275 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 33 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कुल 308 केन्द्र संचालित है। केन्द्रवार/स्थानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार** है। परियोजना कसरावद/भीकनगाँव में शासन के मापदण्ड अनुसार ऐसे स्थान जहां आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना है, की संख्या 106 है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार** है। आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत दी जाती है। प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है। **(ख)** जिला खरगोन की कसरावद एवं भीकनगाँव परियोजना अन्तर्गत कुल 308 केन्द्रों में से 222 शासकीय भवन में एवं 53 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 33 मिनी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है। वर्तमान में 07 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाते हैं। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। **(ग)** आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आई.सी.डी.एस. की छः सेवायें पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त मंगल दिवस, बाल चौपाल, किशोरी बालिका सप्ताह, पोषण आहार सप्ताह तथा विश्व स्तनपान सप्ताह अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन" अनुसार** है। **(घ)** खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा अन्तर्गत परियोजना कसरावद एवं भीकनगाँव परियोजना अन्तर्गत रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''चार'' अनुसार** है। कसरावद विधानसभा अन्तर्गत परियोजना कसरावद/भीकनगाँव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 3 पद, सहायिका के 02 एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 01 पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनन्तिम सूची जारी की जा चुकी है। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण जिला स्तरीय समिति की बैठक में किया जा कर अन्तिम सूची का प्रकाशन किया जावेगा। **(ड.)** खरगोन जिले की कसरावद/भीकनगाँव परियोजना अन्तर्गत कोई भी केन्द्र बंद नहीं है। संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के अन्तर्गत वर्तमान में प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''पाँच'' अनुसार** है।

<u>प्रकरणों का क्रियान्वयन</u>

6. (क्र. 133) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दिनाँक 01/04/2013 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात क्रियान्वयन नहीं किया गया है? सूची दें। **(ख)** प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्ति पश्चात क्रियान्वयन नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? कृपया प्रकरणवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त प्रकरणों का क्रियान्वयन किया जावेगा अथवा नहीं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) प्रश्नांश अवधि में जिन प्रकरणों में भी प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उस पर कार्यवाही की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>नागौद एवं उचेहरा तहसील की फसलों की क्षतिपूर्ति मुआवज़ा</u>

7. (क्र. 165) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले की नागौद-उचेहरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत अप्रैल माह में असामयिक अतिवृष्टि पानी वर्षा से रबी फसल गेहूँ एवं अन्य फसलें एवं फल सब्जी का भारी नुकसान हुआ है, शासन ने उक्त नुकसान को महसूस करते हुए क्षेत्र का सर्वे कराया गया था? सर्वे अनुसार किन-किन गाँवों में सर्वे से किस-किस कृषक की फसल का नुकसान का आंकलन किया जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी? सर्वे रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किस-किस कृषक को कितना-कितना क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, दिया गया तो कब तक दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>उद्यानिकी हब के अंतर्गत हार्टिकल्चर उद्योग की स्थापना</u>

8. (क्र. 241) श्री मेव राजकुमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या दिनाँक 29.06.2012 को खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना किये जाने हेतु घोषणा की गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो घोषणा के क्रियान्वयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को कब-कब, कितने पत्र लिखे गये? तत्संबंध में विभाग घोषणा के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या घोषणा के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन, सीमांकन, भूमि आधिपत्य इत्यादि कार्यवाही कर ली गई है? यदि हाँ, तो भूमि का सर्वे नं., रकबा, ग्राम का नाम, आदि बतावें? **(घ)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा रूचि नहीं ली जाकर घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में उदासीनता बरती जा रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा को कार्य रूप में कब तक परिणीत किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** प्रश्न कर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र दिनाँक 30.04.2015 विभाग को प्राप्त हुआ है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। खरगोन जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु मेगा फूडपार्क की स्थापना की जा रही है। **(ग)** घोषणा क्रियान्वयन के संबंध में जिला खरगोन के ग्राम लाडली, पटवारी हल्का नम्बर 10/24 खसरा नं. 8 में 25,000 हैक्टर रकबा हार्टीकल्चर हब हेतु चयन किया गया था। **(घ)** जी नहीं। जिला खरगोन मेगा फूडपार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

<u>परियोजना-अधिकारी की पदस्थापना</u>

9. (क्र. 242) श्री मेव राजकुमार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या महेश्वर विधान सभा क्षेत्र में परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला एवं बाल

विकास महेश्वर का पद विगत तीन वर्षों से रिक्त होकर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कार्य संचालित किये जा रहे है? **(ख)** क्या 13 मार्च 2015 में विधान सभा प्रश्न करने पर विभाग द्वारा डॉ. ज्योति दीक्षित की पदस्थापना परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना महेश्वर के पद पर की गई एवं पदस्थापना से आज तक स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवकाश पर है? **(ग)** यदि हाँ, तो श्रीमती दीक्षित कब तक अवकाश पर रहेगी? एवं अवकाश का कारण क्या है? एवं अवकाश किसके द्वारा स्वीकृति किया गया है? **(घ)** क्या इतने लम्बे समय तक अवकाश पर होने के कारण शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जा रहा है एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है? यदि हाँ, तो इनके अवकाश काल में प्रभारी अधिकारी कब-कब, कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्यों में उपस्थित रहे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। दिनाँक 12/03/2014 से श्रीमती ज्योति दीक्षित की पदस्थापना की गई है। **(ख)** जी नहीं। श्रीमती ज्योति की पदस्थापना दिनाँक 12/03/2014 को परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, महेश्वर की गई। श्रीमती दीक्षित दिनाँक 16/05/2014 से निरन्तर अनुपस्थित है। **(ग)** श्रीमती ज्योति दीक्षित, परियोजना अधिकारी द्वारा दिनाँक 22/08/2014 को प्रेषित अस्वस्थता प्रमाण पत्र में अवकाश समाप्ति अवधि का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में संचालनालय, एकीकृत बाल विकास सेवा के पत्र क्रमांक 5167 दिनाँक 31/07/2014, क्रमांक 2663 दिनाँक 29/12/2014 एवं क्रमांक 883 दिनाँक 05/06/2015 से जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र चाहा गया था किन्तु वर्तमान तक अप्राप्त है। श्रीमती ज्योति दीक्षित का अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है **(घ)** जी हाँ। प्रभारी अधिकारियों द्वारा शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जा रहा है एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। श्रीमती शांती चौहान, परियोजना अधिकारी दिनाँक 22/06/2014 तक एवं श्री अनिल जैन, परियोजना अधिकारी, बड़वाह दिनाँक 23/06/2014 से अद्यतन प्रभारी अधिकारी के रूप में विभागीय एवं महत्वपूर्ण कार्यों में उपस्थित रहे हैं।

<u>जंगली जानवरों (सुअरों) द्वारा किसानों की फसल को नुकसान</u>

10. (क्र. 245) श्री मेव राजकुमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वन क्षेत्र से लगे हुये ग्रामों में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है? **(ख)** महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में लगे हुये वन क्षेत्र के ग्रामों में जंगली जानवरों (सुअरों) द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में 01.04.2013 से आज दिनाँक तक कितने एवं किन-किन ग्रामों के किसानों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुये एवं कितने किसानों द्वारा किन-किन वन परिक्षेत्र कार्यालयों में उपस्थित होकर किसानों द्वारा फसल नुकसान किये जाने के संबंध में अवगत कराया? **(ग)** प्रश्न **(ख)** के संदर्भ में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं कितने किसानों के मुआवजा प्रकरण तैयार किये गये, कितने प्रकरणों में कितनी-कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत की गई एवं स्वीकृत राशि किसानों को कब भुगतान की गई? **(घ)** महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वन क्षेत्रों से लगे हुये ग्रामों में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान नहीं किये जाने के संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है? योजना का क्रियान्वयन कब किया जावेगा एवं इसके क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषकों के खेतो में इमारती वृक्षों की कटाई के संबंध में

11. (क्र. 293) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषक के भूमि में लगाये गये इमारती वृक्ष को काटने की अनुमति दिये जाने के प्रावधान शासन द्वारा किस प्रकार दिये गये है? **(ख)** क्या वन विभाग तथा अन्य विभाग से भी अनुमति या अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है? **(ग)** छिन्दवाड़ा जिले के कृषकों के ऐसे लकड़ी कटाई की अनुमति के कितने प्रकरण संबंधित विभाग में लंबित है? तथा इनमें अनुमति कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आराजी नं. 300 में काबिज भूमि स्वामी

12. (क्र. 444) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के तहसील रामपुर बाघेलान के पटवारी हल्का सिजहटा के ग्राम झाझर की आराजी नं. 300, कितने एकड़ की है व कितने भूमि स्वामी हैं? **(ख)** क्या आरजी नं.30/2 गंगा प्रसाद के नाम 28 डिसमिल जमीन के पट्टेदार भूमि स्वामी हैं? क्या 300 नंबर आराजी से वन विभाग की भूमि लगी है एवं वन भूमि का पट्टा श्री राममनोहर आत्मज छोटा चमार एवं भैयालाल यादव को दिया है? यदि हाँ, तो कितने एकड़ पट्टा दोनों व्यक्ति को दिया गया है? **(ग)** आराजी नं. 200 में कितने कब्जाधारी है एवं कितने वर्षों से अपना मकान बनाकर घरेलू निस्तार कर रहे है? क्या जिन लोगों ने विगत 50 वर्षो से ऊपर मकान बनाकर रह रहे है, क्या इन्हें पट्टा देने का काम करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पत्रों पर कार्यवाही

13. (क्र. 613) श्री संजय पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा तहसीलदार बरही जिला कटनी को पत्र क्र. 27 दिनाँक 12.09.2014 से पत्र क्र. 969 दिनाँक 20.06.2015 तक विभिन्न कार्यों से संबंधित कुल 16 लिखे गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार विवरण दें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्यानिक वितरण में अनियमितता

14. (क्र. 635) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सहायक संचालक, उद्यान विभाग, जिला इंदौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक विभिन्न मदों से प्राप्त आवंटन से जिले के उद्योगों, नर्सरियों में किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना व्यय किया गया, तथा कृषकों को फलोद्यान एवं बीज वितरण का कार्य कहाँ-कहाँ एवं कितने किसानों को वितरित किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में क्या उक्त विभाग द्वारा कराये गये कार्यों, बीज एवं सामग्री का वितरण क्षेत्रीय विधायकों के समक्ष कराया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** अवधि में शासन द्वारा कृषकों के हित में विभाग द्वारा जिला इंदौर व सांवेर विधानसभा की नर्सरियों

एवं उद्योगों में अधीक्षकों द्वारा मनमानी से कार्य किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में क्या विभाग द्वारा नियमों के विपरीत कार्य करते हुए शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है तो उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) इंदौर जिले के उद्योगों हेतु कोई व्यय नहीं किया गया। नर्सरियों में व्यय, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। जिले में फलोद्यान एवं बीज के वितरण कृषक संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। बीजों का वितरण सीधे संबंधित कृषक को किया जाता है। **(ख)** से **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

<u>फसल बीमा योजनान्तर्गत फसलों का वितरण</u>

15. (क्र. 717) श्री राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिले में कुल कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि का फसल बीजों का भुगतान किया जा चुका है? व कितनों को भुगतान किया जाना शेष है? जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या यह सही है कि इंदौर जिले व सांवेर विधान सभा क्षेत्र में कुछ किसानों को बहुत ही कम राशि का भुगतान (फसल बीमा राशि) भी संबंधित बैंक के खातों में जमा किया गया है? **(ग)** यदि हाँ तो न्यूनतम भुगतान अथवा फसल बीमा का भुगतान किये जाने का क्या मापदण्ड है? इस संबंध में किसानों को उचित बीमा राशि भुगतान किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** क्या सावेर विधान सभा की तहसीलों में प्रश्न दिनाँक तक फसल बीमा का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? किसानों को फसल बीमा राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? समय-सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जिला ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में खनित नलकूपों के प्लेटफार्म का निर्माण</u>

16. (क्र. 752) श्रीमती इमरती देवी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला ग्वालियर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विकास खण्डवार कितने नलकूप खनन कराकर हैंडपंप लगाए गये एवं उक्त वर्षो में खनित नलकूपों में से किस ग्राम/स्थान पर अभी तक हैंडपंप का सामान नहीं डालने से हैंडपंप चालू नहीं हो सके है? **(ख)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वि.ख., भितरवार, डबरा, मुरार, घाटीगाँव क्षेत्र में किस-किस ग्राम में किस मोहल्ला का पुराने हैडपंपों के प्लेट फार्म का निर्माण किस ठेकेदार/फर्म द्वारा कराया गया, जिन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है।

<u>मुरैना जिले में वर्ष 2008 में पटवारी चयन परीक्षाओं में हुई अनियमितता</u>

17. (क्र. 764) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले में वर्ष 2008 की पटवारी चयन परीक्षा में कितने उम्मीदवार चयनित हुए?

वर्तमान में कितने कार्यरत हैं कितने उम्मीदवार चयन के बाद अपात्र होने के कारण पद से पृथक किये गये? **(ख)** क्या अभी भी अनेक उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेज कम्प्यूटर डिप्लोमा जो छत्तीसगढ़ वि.वि. व अन्य संस्थाओं का प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हुआ है उनकी कब तक जाँच पूर्ण की जावेगी समय-सीमा बताई जावें? **(ग)** क्या चयन परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन करने में चयनकर्ताओं की अनदेखी के कारण संपूर्ण प्रक्रिया को डिफेक्टिव बनाया गया था तो उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की? **(घ)** क्या यह भी सही है कि कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख मुरैना द्वारा दिनाँक 11/07/2014 पत्र क्र.1274/भू.अभि/प.चप.2008/2014 प्रति श्री ए.वी.सिंह अपर कलेक्टर जबलपुर तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर मुरैना द्वारा कलेक्टर भू-अभिलेख मुरैना का पत्र क्र. पर च.2008/2012/2517 दिनाँक 30/08/2012 जो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा गया? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय</u>

18. (क्र. 824) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में समूहों को पूरक पोषण आहार कार्य प्रदाय करने हेतु वर्ष 2015-16 के लिये जिला स्तर पर क्या नियम बनाये गये हैं व स्थानीय शहरी समूहों को कब तक पूरक पोषण आहार वितरण करने का कार्य प्रदान कर दिया जायेगा ? समय-सीमा बतायें? **(ख)** क्या छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी, कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन बच्चों व हितग्राही की उपस्थिति-संख्या के आधार पर शासन के दिशा निर्देश अनुसार समूहों को देयक बिल का भुगतान किया गया है? **(ग)** छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों का पूरक पोषण आहार कार्य स्थानीय शहरी समूह को कब तक प्रदान कर दिया जायेगा व बाहरी समूह को शासन के बनाये स्थानीय नियमों के विपरीत कार्य प्रदान करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो कब तक की जायेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) वर्ष 2015-16 में छिन्दवाड़ा जिले के नगरीय आंगनवाड़ी केन्द्रों में समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु विभाग के पत्र दिनाँक 24 फरवरी, 2014 में उल्लेखित नियम लागू हैं। स्थानीय समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किये जाने हेतु कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** प्रश्नांकित बिन्दुओं के संबंध में जिला स्तर पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है।

<u>चौराई नगरीय क्षेत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी पर कार्यवाही</u>

19. (क्र. 825) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छिंदवाड़ा जिले के चौरई नगरीय क्षेत्र में मार्च 2014 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की लिखित बच्चों व हितग्राही की उपस्थिति तथा समूह को मार्च 2014 का देयक बिल भुगतान किया गया है, उसमें अंतर है। इस भुगतान प्रक्रिया में देयक बिल का सत्यापन करने वाले परियोजना अधिकारी व भुगतान करने वाली तात्कालिक जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा शासन को गुमराह कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? **(ख)** छिंदवाड़ा जिले की परासिया परियोजना एक ही परियोजना अधिकारी द्वारा पूरक पोषण आहार

कार्य अनुबंध के संबंध में गुमराह भ्रामक जानकारी देने पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** छिंदवाड़ा जिले के परासिया नगरीय क्षेत्रों के समूह को पूरक पोषण आहार कार्य प्रदान करने हेतु जिन समूह का जाँच परीक्षण किया गया है, उन समूह को कब तक कार्य प्रदान कर दिया जायेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। मार्च 2014 के देयक एवं परियोजना अधिकारी द्वारा दी गई हितग्राही की उपस्थिति में भिन्नता है। इस संबंध में परियोजना अधिकारी चौरई को स्पष्टीकरण/कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जबाब प्रतिवेदन उपरांत म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। **(ख)** परियोजना अधिकारी परासिया द्वारा प्राप्त जानकारी का परियोजना अधिकारी परासिया-1 को नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। **(ग)** छिंदवाडा जिले के परासिया के 05 नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत समूहों को पोषण आहार कार्य दिये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे। जिनका परीक्षण कराया जा रहा है तत्संबंध में जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। तद्नुसार समूहों को नियमानुसार कार्य प्रदाय किया जा सकेगा।

<u>हैण्डपम्पों के सुधार में निविदा का उपयोग</u>

20. (क्र. 954) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्तमान में हैण्डपम्प मरम्मत एवं सुधार कराने के लिये रीवा जिले में निविदा जारी की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि हाँ, तो इसके पीछे शासन की क्या मंशा है? **(ग)** क्या विभाग द्वारा कराए जा रहे मरम्मत एवं सुधार में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बिगड़े हुए हैण्डपम्पों का सुधार करा लिया जाता था किन्तु निविदा की कार्यवाही होने से एवं विभाग अधि./कर्म. का दखल न होने से बिगड़े हैंडपंपों का सुधार नहीं हो पा रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या इस निविदा की व्यवस्था को बंद किया जाएगा? एवं ठेकेदारों का भुगतान रोका जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** हैण्डपंप संधारण कार्य हेतु अमले की कमी के कारण। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** उत्तरांश -'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>नल जल योजना</u>

21. (क्र. 988) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** आलोट विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011 से अब तक कितनी एवं कौन-कौन सी नल जल योजना स्वीकृत की, तथा कितनी विचाराधीन है? तहसीलवार ब्यौरा दें? **(ख)** उपरोक्त अवधि में योजनांतर्गत कितनी योजनाएं संचालित हैं, कितनी टंकियों का निर्माण कहाँ-कहाँ करवाया गया? उनमें से कितनी चालू हैं? कितनी बंद हैं? **(ग)** बंद एवं अपूर्ण योजनाओं को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? व्यवधान का कारण क्या है? **(घ)** चालू वित्त वर्ष में आलोट तहसील में कितनी-कितनी एवं कौन-कौन सी नल जल योजना स्वीकृति की अपेक्षा में है/प्रस्तावित है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** चालू वित्त वर्ष मे आलोट तहसील में कोई नलजल योजना की स्वीकृति न तो अपेक्षित है तथा न ही प्रस्तावित।

<u>परिशिष्ट – "एक"</u>

<u>खनन माफियाओं को रोकने की कार्यवाही</u>

22. (क्र. 1184) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में अवैध रूप से खनन करने वाले माफियाओं द्वारा आये दिन पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों एवं इनके खिलाफ बोलने वालों की हत्या किये जाने के संदर्भ में शासन द्वारा विगत 2 वर्षों में कितने प्रकरण किन-किन खनन माफियाओं के खिलाफ पंजीबद्ध किये गये हैं? **(ख)** वर्तमान में बालाघाट में पत्रकार संदीप कोठारी की खनन माफियाओं द्वारा की गई हत्या के मामले में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ क्या प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है? आरोपियों के नाम एवं पुलिस की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट सहित जानकारी की छायाप्रति देवें? **(ग)** पत्रकार संदीप कोठारी पर कितने प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किये गये हैं। इन प्रकरणों में प्रतिवादियों के नाम, पुलिस द्वारा मा. न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मा. न्यायालय द्वारा संदीप कोठारी को कितने प्रकरणों में बरी किया गया है? **(घ)** इसी प्रकार पत्रकार संदीप कोठारी द्वारा विभिन्न पुलिस थानों में किन-किन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं? **(ड.)** प्रशासन द्वारा अवैध रूप से खनन करने वाले माफियाओं की गुण्डागर्दी एवं अवैध खनन को रोकने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं या क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार। (ड.) अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा शिकायत प्राप्त होते ही तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

<u>सामूहिक नलजल योजना बनाई जाना</u>

23. (क्र. 1237) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सामूहिक नल जल योजना बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? **(ख)** यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर सामूहिक नल जल योजना बनाया जाना है एवं उक्त सामूहिक नल जल योजना से कितने ग्राम लाभांवित होंगे प्रत्येक का विवरण पृथक-पृथक देवें? **(ग)** बैनगंगा नदी से सामूहिक नल जल योजना बनाने के प्रस्ताव में क्या-क्या कार्यवाही हो गयी एवं कितनी राशि का व्यय हो चुकी है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

<u>केवलारी विधानसभा में हैण्डपंप के संचालन एवं रिपेयरिंग</u>

24. (क्र. 1238) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिवनी जिले के अंतर्गत केवलारी विधानसभा क्षेत्र में कितने हैण्डपंप हैं, कितने संचालित है एवं कितने बंद हैं? **(ख)** हैण्डपंप खराब होने अथवा बंद होने के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या विभाग के

पास हैण्डपंप सुधारने के लिये पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्टस उपलब्ध है? **(घ)** यदि नहीं, तो क्यों यदि हाँ, तो हैण्डपंप अभी तक क्यों सुधारे नहीं गये हैं।

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2765 हैण्डपंप स्थापित है, जिसमें से 2686 हैण्डपंप चालू (संचालित) एवं 79 हैण्डपंप बंद है। **(ख)** 79 हैण्डपंप बंद है, जिसमें से 20 हैण्डपंप साधारण खराबी से एवं 59 हैण्डपंप असुधार योग्य होने से बंद हैं। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** 20 सुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार विभाग द्वारा सतत् संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा रहा है। 59 हैण्डपंप असुधार योग्य हैं।

<u>पेय जल एवं नल जल योजना के संबंध में</u>

25. (क्र. 1282) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेय जल नल योजना क्या संचालित हैं। यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ स्थापित है कितनी चालू है एवं कितनी योजनायें बंद हैं? कृपया बंद होने का कारण बताये जाने का कष्ट करें। **(ख)** प्रश्न **(क)** के ही संदर्भ में - पेयजल नल योजना अंतर्गत डभौरा, सितलहा, शाहपुर पटेहरा, चौखण्डी आदि बंद पड़ी पेय जल योजनाओं को चालू किये जाने की क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** प्रश्न **(क)** के ही संदर्भ में - लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम पल्हान मार्च 2015 में खनन किये गये हैण्डपंपों को आज दिनाँक तक क्या चालू किया गया? यदि नहीं, तो कब तक चालू किये जायेंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** पेयजल नलयोजना अंतर्गत डभौरा, सितलहा, शाहपुर पटेहरा, चौखण्डी वर्तमान में चालू है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 43 नलजल योजनाऐं स्थापित है, जिनमें से 37 योजनायें चालू एवं 06 योजनायें बंद है। उपरोक्त सभी योजनायें संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित है। जिनके संचालन-संधारण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों की है। **(ग)** ग्राम पल्हान में मार्च 2015 में खनित कराये गये नलकूप में हैण्डपंप स्थापना, प्लेटफार्म निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिनाँक 26.06.2015 को चालू करा दिया गया है।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

<u>संयुक्त संचालक उद्यान के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u>

26. (क्र. 1338) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दिनाँक 20 मार्च 2015 के परि.अता.प्र.स.90 (क्र.4908) के **(क)** एवं **(ख)** प्रश्न के उत्तर में संयुक्त संचालक उद्यान जबलपुर द्वारा बीमारी अवकाश के दौरान शासकीय राशि आहरण की दो शिकायतें प्राप्त होने तथा शिकायतों की जाँच संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से कराई गई बताया गया था? तो संयुक्त संचालक उद्यान नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद की जाँच परिणाम का ब्यौरा दें? जाँच से आरोपित प्रश्नांश **(क)** अधिकारी के विरूद्ध शासन ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की तो क्यों नहीं, कारण बतावें? **(ख)** क्या संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण चाहा गया था? यदि हाँ, तो संबंधित के दिये गये स्पष्टीकरण पर शासन के विधि समस्त नियमों के अंतर्गत क्या निर्णय लिये गये व क्या कार्यवाही की गई ब्यौरा दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। जाँच के निष्कर्ष में संबंधित अधिकारी द्वारा अवकाश अवधि में बिजली, पानी, दूरभाष, वेतन एवं सामान्य भविष्य निधि अस्थायी अग्रिम का आहरण किया जाना पाया गया है। संबंधित अधिकारी से दिनाँक 13.03.2015 के द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया था, संबंधित अधिकारी से दिनाँक 14.07.2015 को स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने के कारण स्पष्टीकरण परीक्षणाधीन है शेष उपस्थित नहीं होता है।

नल-जल योजना

27. (क्र. 1340) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधानसभा अता. प्रश्न क्रमांक 262 दिनाँक 10.12.2014 में **(क)** का उत्तर प्रश्नांकित अवधि में 375 ग्रामों की नल-जल योजनाएं शामिल 276 ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण 117 योजनाएं ग्राम पंचायतों की हस्तांतरित रूपये 2222.46 लाख नियोजित **(ख)** का उत्तर प्रश्नांकित अवधि में कुल निर्मित 302 नलजल योजनाएं में से 277 योजनाओं से ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है? 25 ग्रामों में नलजल योजनाएं बंद होने से पेयजल आपूर्ति बाधित? **(ग)** का उत्तर **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र (क) पुस्तकालय में रखे अनुसार** है? योजना बंद होने के मामलों में विभागीय अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि जी हाँ है तो उक्त योजना में 2222.46 लाख रूपया खर्च करने के पश्चात 25 ग्राम में नलजल योजनाएं बन्द होने से पेयजल आपूर्ति बाधित है? क्या योजना बंद होने के मामले में विभागीय अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में पेयजल आपूर्ति में जिनके कारण बाधा पहुंच रही है उस विभाग के दायित्वधीन अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करते हुए पेयजल आपूर्ति कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण बताएं? **(घ)** कुल निर्मित 302 नलजल योजनाओं में से 277 योजनाओं में जिन ग्रामों में पेयजल की पूर्ति हो रही है, उन ग्रामों के नाम की जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। 25 बन्द नलजल योजनाओं पर रूपये 198.70 लाख की राशि व्यय हुई है। सभी बंद योजनाएं स्रोत सूखने के कारण को छोड़कर अन्य कारणों से बंद होने से इन योजनाओं के संचालन एवं संधारण का दायित्व संबंधित ग्रामपंचायतों का है। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश-'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

जिला सिंगरौली में वन एवं राजस्व भूमियों के संबंध में

28. (क्र. 1377) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तहसील एवं जिला सिंगरौली के अंतर्गत पट्टेदारों की भूमि पर वन विभाग द्वारा मुडेर लगा देने से विवाद की स्थिति बनी थी और किसान परेशान है? **(ख)** क्या वन व राजस्व भूमि विवाद का निरीकरण हेतु उपखण्ड अधिकारी राजस्व को जिम्मेवारी दी गई थी? यदि हाँ, तो तह. सिंगरौली के किन-किन गाँवों के पट्टेदारों की भूमि से मुड़ारों को पृथक किया गया है? **(ग)** ग्राम निगाही तह. सिंगरौली भूमि नं. 7 एवं अन्य भूमियां आरक्षित या अनारक्षित वन में है? इनका पटवारी रकवा कितना है? उक्त गाँव की भूमियों को अनारक्षित करने हेतु क्या धारा 20 का नोटीफिकेशन हुआ है? यदि हाँ, तो आदेश, निर्देश की प्रतियां सहित संपूर्ण जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>थाना बैतूल में आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण पंजीबद्ध विषयक</u>

29. (क्र. 1398) श्री निशंक कुमार जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रिटर्निंग ऑफीसर श्री आदित्य रिछारिया बैतूल विधानसभा द्वारा बाबा रामदेव के विरूद्ध विधानसभा चुनाव वर्ष 2013 में आचार संहिता के उल्लघंन बाबत् लिखित जानकारी दिए जाने के बाद भी थाना बैतूल ने बाबा रामदेव के विरूद्ध प्रश्नांकित तिथि तक भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया? **(ख)** बाबा रामदेव के द्वारा दिलबहार चौक गंज पर आयोजित कार्यक्रम में किस-किस के विरूद्ध अभद्र भाषा का उपयोग किया जिसे लेकर समीर खान द्वारा किस दिनाँक को बाबा रामदेव के विरूद्ध आवेदन एवं कौन से प्रमाण प्रस्तुत कर प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का निवेदन किया गया था? **(ग)** थाना बैतूल को बाबा रामदेव के विरूद्ध आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में कलेक्टर बैतूल या अनुविभागीय अधिकारी बैतूल का किस दिनाँक को पत्र प्राप्त हुआ उस पत्र पर प्रश्नांकित दिनाँक तक भी प्रकरण पंजीबद्ध न किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है पद व नाम सहित बतावें? **(घ)** प्रकरण पंजीबद्ध न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कब तक बाबा रामदेव के विरूद्ध आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया जावेगा समय-सीमा सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 131, बैतूल के पत्र क्र/निर्वा/2013/1222-क्यू/बैतूल, दिनाँक 29.10.2013 जो कि थाना प्रभारी कोतवाली को संबोधित है, दिनाँक 31.10.13 को थाना में प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आयोजकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। **(ख)** समीर खान ने दिनाँक 21.10.2013 को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, उसी दिन सीडी प्रस्तुत की थी। रिटर्निंग अधिकारी बैतूल द्वारा दिनाँक 29.10.2013 को आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन का पत्र थाना प्रभारी कोतवाली को लेख किया था। जिस पर थाना कोतवाली में पत्र में दिये गये आदेशानुसार 1038/13 धारा 188 भादवि पंजीबद्ध किया गया था। **(ग)** जी नहीं। स्थिति प्रश्नांश ''क'' में स्पष्ट है। **(घ)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ग)** में दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

<u>राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकारों का अभिलेख</u>

30. (क्र. 1399) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल ने 10 अप्रैल 2015 को दो माह की समय-सीमा निर्धारित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के अधिकारों का अभिलेखन किए जाने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद भी बैतूल एवं विदिशा जिले में प्रश्नांकित दिनाँक तक भी अधिकारों का अभिलेखन कर वनमंडल को जानकारी नहीं दी गई? **(ख)** बैतूल एवं विदिशा जिले के कितने राजस्व ग्रामों के राजस्व अभिलेखों में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिये किन-किन मदों में दर्ज कितनी जमीनों को वन विभाग ने संरक्षित वन, नारंगी वन, असीमांकित वन भूमि एवं आरक्षित वन बनाए जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के रूप में कार्य आयोजना में सम्मिलित कर लिया है? **(ग)** 10 अप्रैल, 2015 से प्रश्नांकित दिनाँक तक कार्य आयोजना में सम्मिलित कर ली गई, कितने ग्रामों की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अधिकार, प्रयोजन एवं मदों की जानकारी किस दिनाँक को किस वनमंडल को उपलब्ध करवाई गई? यदि प्रश्नांकित दिनाँक तक भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो कारण बतावें? **(घ)** राजस्व अभिलेखों में दर्ज

किन-किन मदों की जमीनों को किस दिनाँक को संरक्षित वन अधिसूचित किया गया? किन-किन मदों की जमीनों को किस आदेश दिनाँक से नारंगी भूमि सर्वे में शामिल किया? किन मदों की जमीनों को याचिका क्रमांक 202/95 में 12 दिसंबर 1996 को वनभूमि परिभाषित किया?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ट्री पट्टे में दी गई जमीन का पक्का पट्टा बनाने के संबंध में</u>

31. (क्र. 1424) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिले की निवास नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत पूर्व में किन-किन हितग्राहियों को शासकीय जमीन का ट्री पट्टा दिया गया था? **(ख)** हितग्राहियों का नाम, खसरा, रकवा एवं किस वर्ष कितनी समय अवधि तक के लिया दिया गया था? **(ग)** क्या उक्त जमीन पर कृषि कार्य के अलावा पक्का निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई थी तथा लीज का समय अवधि समाप्ति के बाद उक्त जमीन सम्बन्धित कृषक की हो जाती है? **(घ)** क्या अगर नहीं तो जिन हितग्राहियों के पक्के पट्टों बना दिये गये है उन संबंधित अधिकारी एवं हितग्राही के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पुटका परमाणु विद्युत ग्रह हेतु अधिग्रहित जमीन के मुआवजा के संबंध में</u>

32. (क्र. 1425) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंडला जिला अंतर्गत प्रस्तावित पुटका परियोजना में कुल कितने किसानों की कितनी जमीन अधिग्रहीत की जायेगी? उक्त परियोजना में कितने परिवार तथा गाँव प्रभावित होगें? **(ख)** परियोजना में अधीग्रहित जमीन का मुआवजा किस दर पर निर्धारित किया जायेगा तथा विस्थापित किसानों को परिवार को कैसी सुविधाऐं दी जायेगी? **(ग)** क्या विस्थापित परिवारों को पुर्नवास हेतु जमीन दी जायेगी? **(घ)** तथा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है उनको जमीन के बदले जमीन दी जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पशुपालन योजना हेतु कृषकों को अनुदान</u>

33. (क्र. 1436) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या देवास जिले में पशुपालन, गाय पालने के लिये शासन द्वारा कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो योजना क्या है? **(ख)** इस योजना के अंतर्गत कृषक को अनुदान की कोई सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या? **(ग)** विगत 3 वर्षों में इस योजनांतर्गत विकासखण्ड एवं ग्रामवार कितने व्यक्तियों को लाभ दिया गया है? वर्षवार सूची उपलब्ध कराएं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "चार"</u>

<u>मूल नक्शे अनुसार भू-अभिलखों में रिकार्ड दुरूस्थी</u>

34. (क्र. 1464) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा जून-जुलाई 2014 सत्र की शून्यकाल सूचना क्र.69 के उत्तर अनुसार हरदा जिले के विकासखण्ड टिमरनी के ग्राम पोखरनी (शुक्ल) के मूल खसरा नं. 335, 336/2 बंदोबस्त नं.261 सन् 1915-16 के मूल नक्शे अनुसार स्थायी कच्ची सड़क को कम्प्यूट्रीकृत अभिलेख में/भू-अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है? **(ख)** यदि हाँ तो कब? नहीं तो, दर्ज नहीं किये जाने का क्या कारण है? क्या शासन रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्थी हेतु मूल नक्शा अनुसार स्थायी सड़क बनाई जाकर तत्पश्चात् बटान कार्य करेगा? **(ग)** क्या शासन मूल नक्शा सन् 1915-16 के अनुसार झाड़तलाई की आबादी में से मौजा बघबाड़ को गई कच्ची सड़क रिकार्ड में दर्ज कर उसकी चौड़ाई निश्चित करेगा कब तक? **(घ)** क्या शासन सड़क से लगे सभी किसानों के खसरा नम्बरों में कैफियत कालम नं.12 में रास्ता दर्ज करने की शीघ्र कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>चारा विकास, मक्का प्रदर्शन योजना, कुटी मशीन एवं यूरिया खाद वितरण में की गई अनियमितताएं</u>

35. (क्र. 1480) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या गुना जिले के पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक चारा विकास योजना के अंतर्गत मक्का बीज एवं वरसीम बीज के प्रदर्शन प्लाट किसानों को उपलब्ध कराये है? क्या उन किसानों को यूरिया खाद्य का भी वितरण किया है? योजना में शामिल किसानों की ब्लॉकवार, गाँववार सूची दें? **(ख)** क्या चारा विकास योजना में शामिल किसानों को कुट्टी मशीन वितरण की है? कुट्टी मशीन जिन किसानों को वितरण की है? उसकी वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक की सूची दें? **(ग)** क्या चारा विकास योजना में शामिल किसान, यूरिया जिन किसानों को वितरण किया है वो किसान एवं कुट्टी मशीन जिन किसानों को दी है वह किसान एक ही है या अलग-अलग वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक वर्षवार सूची, जाँच सहित पटल पर प्रस्तुत करें? **(घ)** क्या यदि चारा विकास योजना में वितरित बीज, यूरिया खाद एवं किसानों को दी गई कुट्टी मशीन वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक यदि अलग किसानों को दिये गये है तो क्या विभाग इस चारा घोटाले की जाँच करायेगा, क्या उन पर कार्यवाही करेगा, कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** योजनांतर्गत 1235 एकड़ का चारा उत्पादन क्लस्टर तैयार कर 2470 हितग्राहियों को चारा उत्पादन किट प्रदाय की गई है एवं चारा उत्पादन हितग्राहियों को समूह में 50 कुट्टी मशीन प्रदाय की गई है जिससे अधिक से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के चारा उत्पादन के कुल तीन क्लस्टर में कुल 161 हितग्राहियों को एवं वर्ष 2013-14 में 50 हितग्राहियों को कुटटी मशीन प्रदाय की गई है। कुटटी मशीन उन्हीं हितग्राहियों को प्रदाय की गई है जो चारा उत्पादन सूची में शामिल थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(घ)** चारा उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत चारा बीज, खाद, कुट्टी मशीन के हितग्राही अलग अलग नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त की जानकारी</u>

36. (क्र. 1489) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले की तहसील गुना ग्राम कुसमोदा प.ह.नं. 59 के भू-अभिलेख बन्दोबस्त नक्शा एवं वर्तमान में पटवारी ग्राम नक्शा में क्या-क्या अंतर है का प्रश्न गत विधानसभा सत्र 23 फरवरी 2015 में तारांकित प्रश्न क्र. 881 पर दर्ज होकर सुना गया जिसका जबाब एवं कार्यवाही नहीं हो सकी? **(ख)** क्या तत्कालीन कलेक्टर महोदय के आदेश से मूल नक्शा एवं पटवारी नक्शा का ग्राम कुसमोदा के हल्के का कराने का क्या आदेश हुआ था उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में मुझे 15 दिवस में एस.डी.एम. गुना से नक्शा सुधारने एवं कार्यवाही करने का आश्वासन मिला था? अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? इसके लिए कौन दोषी है एवं उस पर क्या कार्यवाही करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मंदसौर, रतलाम जिले में लंबित पड़े जाति प्रमाण पत्र</u>

37. (क्र. 1612) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 23 फरवरी 2015 के प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 829 के उत्तर में अवगत कराया गया कि 1 जनवरी 2014 के पश्चात मंदसौर रतलाम जिले में 27861 स्थाई जाति प्रमाण पत्र लंबित है, क्यों ये प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं? **(ख)** संदर्भित प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया गया है कि दो माह का समय प्रमाण पत्र को बनाने में नियत है, किंतु प्रश्न दिनाँक तक भी हजारों स्थाई जाति प्रमाण पत्र अभी तक पूर्ण नहीं हुए है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? **(ग)** क्या वर्तमान में स्थाई जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया काफी जटिल है, आमजन एवं कर्मचारी इस कार्य को पूर्ण करने में प्रशिक्षित नहीं है जिससे उन पर भी मानसिक दबाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो नागरिकों को जागरूक एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नल-जल योजनाओं का विस्तार एवं संधारण</u>

38. (क्र. 1618) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वि.स. क्षेत्र बड़वारा के किन ग्रामों में नल-जल योजनायें संचालित हैं? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनाँक 07.03.2013, 16.03.2013, 12.02.2014 व अन्य पत्रों के द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, कटनी को लेख कर कोई अपेक्षा की है और उनका निराकरण कब किस रूप में किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के किन ग्रामों में ओव्हरहेड टैंको का निर्माण हुआ है और उनमें से किनको ग्राम पंचायतों को हेण्डओव्हर कर दिया गया है और जिन्हे हेण्डओव्हर नहीं किया गया है, उनके कारण क्या हैं? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के किन ग्रामों में ओव्हरहेड टैंको में नलकूपों से संतोषजनक जलापूर्ति न होने से अतिरिक्त नलकूपों का खनन किया गया है? **(ड.)** प्रश्नांश **(ख)** में किन ग्रामों की नल-जल योजना के विस्तार हेतु किये गये लेख पर कहाँ, क्या कार्यवाही की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। **(ख)** पत्र दिनाँक 7.3.2013 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कटनी को अप्राप्त है। शेष पत्रों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(घ)**

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है।

पट्टा आवंटन में मत्स्यपालन नीति/अनियमितताएं

39. (क्र. 1619) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विभागीय मत्स्यपालन नीति 2008 के अनुसार जिला कटनी के किन विकासखण्डों के किन ग्रामों के किन रकबों के तालाब/जलाशय मत्स्य पालन नीति के प्रावधानों के अनुसार पट्टा आवंटन की दृष्टि से किस स्तर की पंचायत के अधीन हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रावधानों के अनुसार किन तालाबों-जलाशयों की पट्टा अवधि 30.6.2015 को समाप्त होने की स्थिति में किन जनपद व जिला स्तरीय तालाब-जलाशयों की पट्टा आवंटन हेतु विज्ञप्ति किस दिनाँक को किन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं और किस विभागीय अधिकारी ने समीक्षा कर प्राथमिकता निर्धारित कर अपना अभिमत किनके समक्ष प्रस्तुत किया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के प्रावधानों के अनुसार तालाब-जलाशय के पट्टों के आवंटन में किन जनपद पंचायत और जिला पंचायत की कृषि समिति ने सहायक संचालक के अभिमत के अनुकूल अनुमोदन किया है और किस-किस ने किन आधारों पर अभिमत को मान्य नहीं किया है? **(घ)** क्या कलेक्टर कटनी ने विभागीय मत्स्यपालन नीति के परिपालन में समयावधि के भीतर किन तालाब-जलाशयों का पट्टा आवंटित कर अनुबंध सम्पादित कराया है? **(ड.)** क्या विभाग द्वारा प्रश्नांश **(ख)** से **(घ)** अनियमितताओं पर पंचायत विभाग का ध्यान आकर्षित कर दोषियों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग की कार्यवाहियां करायी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मत्स्य पालन नीति 2008 के अनुसार जिला कटनी के विकासखण्डों के तालाब/जलाशय के आवंटन हेतु नीति में प्रावधान है। (1) 0-10 हैक्टेयर ग्राम पंयायत (2) 10-100 हैक्टेयर जनपद पंयायत (3) 100-1000 हैक्टेयर जिला पंचायत। तालाबों/जलाशयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** एक मात्र जनपद पंचायत कटनी के अधिन पिपरौध सिंचाई जलाशय की पटटा अवधि 30.06.2015 को समाप्त हो गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटनी ने विज्ञप्ति सूचना क्रमांक 366 दिनाँक 21.05.2015 द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये। जनपद पंचायत से आवेदनों पर प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के अभिमत हेतु प्राप्त नहीं हुए है। **(ग)** तालाबों/जलाशयों के आवंटन के लिये जनपद/जिला पंचायत की कृषि स्थाई समितियों के द्वारा सहायक संचालक मत्स्योद्योग के अभिमत के अनुरूप अनुमोदन किया जाता है। **(घ)** कलेक्टर कटनी के द्वारा अनुबन्ध संपादित नहीं किया जाता है। अपितु त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं हितग्राही के मध्य अनुबन्ध किया जाता है। **(ड.)** जी हाँ।

शासकीय भूमियों का रकबा

40. (क्र. 1636) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले के तहसील मझौली के अंतर्गत ग्राम मड़वास में वर्ष 1975-76 में शासकीय भूमि का रकवा कितना था? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में वर्ष 2014-15 में शासकीय भूमि का रकवा शेष कितना है? क्या शासकीय भूमि का रकवा वर्ष 1975-76 एवं 2014-15 के रकवा में अन्तर है? यदि हाँ, तो कितना रकवे का अंतर है? उक्त रकवा की जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** के संदर्भ में क्या वर्ष 1975-76 एवं 2014-15 के मध्य शासकीय भूमि का पट्टा क्या जारी किया गया है? यदि हाँ, तो किन-

किन व्यक्तियों को पट्टा जारी किया गया है? **(घ)** प्रश्नांक **(ग)** के संदर्भ में शासकीय भूमि का पट्टा जिन्हें दिया गया है, क्या वे वैधानिक हैं? यदि वैधानिक नहीं है, तो जाँच कराकर उन्हें निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बताये?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ओलावृष्टि घोषित किसानों को मुआवज़ा</u>

41. (क्र. 1642) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण के कितने ग्रामों को विगत माह वर्ष 2015 में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि घोषित किया गया? नाम सहित/वितरण राशि बताये? **(ख)** ऐसे कितने गाँव है, जिन्हें कम प्रतिशत के आधार पर मुआवज़े से वंचित किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार पुनः सर्वे कराकर नाम दिया जावेगा? **(घ)** पूर्णतः/आंशिक प्रभावित गाँवों को शासन/जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं एवं छूट प्रदान की गई एवं की जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मजरो टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने किया जाना</u>

42. (क्र. 1644) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले के विधानसभा क्षेत्र 14 के अंतर्गत कितने ग्राम राजस्व ग्राम के रूप में घोषित है? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार कितने मजरों को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर लंबित है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर ग्वालियर को 24 मजरों टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था? यदि हाँ, तो वर्तमान में क्या स्थिति है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नल-जल योजना अंतर्गत इंदौर जिले में किए गये कार्य</u>

43. (क्र. 1652) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत नल जल योजना अंतर्गत इंदौर जिले को शामिल किया गया हैं? विगत पांच वर्ष में इंदौर जिले के कितने गाँवों को इस योजना अंतर्गत जोड़ा जा चुका है व इन वर्षों में इस योजना अंतर्गत कितनी राशि का व्यय किया गया है? वर्षवार/ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार नल जल योजना का क्रियान्वयन इंदौर जिले में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? इंदौर जिले के निर्धारित लक्ष्य को कब तक हासिल किया जा सकेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। विगत 5 वर्षों में लक्ष्यांतर्गत स्वीकृती अनुसार 150 योजनाओं में से 139 योजनाएं पूर्ण की गई तथा 11 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। वर्तमान में प्रगतिरत 11 योजनाओं में से 8 योजनाऐं दिसम्बर 2015 तक एवं 3 योजनाऐं मार्च 2016 तक पूर्ण की जाना संभावित हैं। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्य सम्पादित किये जाने से कोई उत्तरदायी नहीं है।

इंदौर जिले के विभिन्न थानों में जप्त वाहनों की संख्या/नीलामी

44. (क्र. 1653) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र परिसरों में विगत 5 वर्षों से प्रश्न पूछे जाने तक चोरी, दुर्घटना ग्रस्त व अन्य कारणों से जप्त वाहनों की संख्या बतायें? **(ख)** क्या थाना क्षेत्रान्तर्गत जप्त वाहनों का निश्चित अवधि अथवा प्रकरण के निराकरण होने पर वाहनों की निलामी की जाती है? **(ग)** यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों में कब-कब नियमानुसार इन वाहनों की निलामी की गई व शेष वाहनों की निलामी हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) थानों में जप्ती वाहनों का व्ययन एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित न्यायालय के आदेश से किया जाता है। पुलिस एक्ट के अंतर्गत जप्त लावारिस सम्पत्ति (वाहन) को 6 माह की अवधि के पश्चात् नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जाती है। **बिंदु क्रमांक "क" अनुसार** जो वाहन पुलिस एक्ट में जप्ती किये गये है। उनकी नीलामी समय समय पर की गई है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट 'ब' अनुसार।** शेष बचे वाहनों के व्ययन की प्रक्रिया जारी है। निकट भविष्य में व्ययन योग्य वाहनों का निराकरण किया जावेगा।

गाडरवारा तहसील में मंजरे टोलो को मौजा में परिवर्तिन

45. (क्र. 1671) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन का कितनी आबादी के मजरे टोले को मौजा में परिवर्तित करने का प्रावधान है? **(ख)** गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने मजरे टोले हैं जो कि मौजा में बदलने की पात्रता रखते हैं? उन्हें कब तक मौजा में बदलने की कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** राजस्व विभाग द्वारा जमीनों के सीमांकन का आधार क्या है? मुनारे एवं चांदे अब समाप्त हो चुके है ऐसी स्थिति में सही सीमांकन कैसे होगा इस हेतु विभाग की क्या नीति है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगर पंचायत साईखेड़ा से अतिक्रमण हटाया जाना

46. (क्र. 1674) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत साईखेड़ा में विगत दिनों अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गई थी? **(ख)** क्या बगैर सूचना के एवं बगैर सीमांकन के पक्के निर्माण हटाये गये? यह कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई? **(ग)** क्या अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में कोई शिकायत की गई थी यदि हाँ, तो उसकी जाँच कराई गई यदि हाँ, तो उसमें कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुआवजा निर्धारण एवं मुआवज़ा राशि की प्राप्ति हेतु कार्यवाही

47. (क्र. 1698) श्री रामलाल रौतेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भू-अर्जन अधिकारी जिला शहडोल को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग शहडोल ने अपने पत्र क्रमांक 3445/तक/2009-10 शहडोल दिनाँक 28.08.2009 के माध्यम से निजी पट्टे की

भूमि का मुआवज़ा निर्धारण हेतु पत्र लिखा है? सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पत्र पर भू-अर्जन अधिकारी ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की तो क्यों? लोक निर्माण विभाग ने भू-अर्जन शाखा को अब तक कुल कितने पत्र लिखे? **(ग)** भू-अर्जन अधिकारी लोक निर्माण विभाग से भूमि की भू-अर्जन प्रतिकर राशि कब तक जमा करा लेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अशोकनगर जिले में शस्त्र लाइसेंस के लंबित प्रकरण

48. (क्र. 1708) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले में विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कितने-कितने आवेदन शस्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त हुये उनमें से किस-किस व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये एवं कितने-कितने आवेदन लंबित है, कितने निरस्त किये गये व क्यों? **(ख)** ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारी व्यक्ति जिनके विरूद्ध पुलिस रिपोर्ट एवं दण्डनीय अपराध के प्रकरण है, की सूची देते हुए बतावें करे कि ऐसे कितने लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये गये व कब? नाम, पतेवार/ग्रामवार विवरण देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) अशोकनगर जिले में विगत 05 वर्षों में शस्त्र लायसेंस हेतु 2355 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 242 व्यक्तियों को शस्त्र लायसेंस जारी किये गये, सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। 650 आवेदन पत्र लंबित हैं एवं शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 14 तथा शस्त्र नियम 1962 के नियमों के अंतर्गत आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करते हुए 1463 आवेदन पत्र निरस्त किये गये। **(ख)** अशोकनगर जिले में पुलिस रिपोर्ट एवं दण्डनीय अपराध के 02 प्रकरणों में निम्नानुसार लायसेंस निरस्त किये गये 1- श्री अभिषेक रघुवंशी पुत्र स्व. श्री हरीराम रघुवंशी निवासी चंदनबेहटा थाना ईसागढ़, जिला अशोकनगर आदेश दिनाँक 23.02.2013 को निरस्त किया गया, 2- श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह बैस निवासी माता मोहल्ला, मुंगावली, थाना मुंगावली का शस्त्र लायसेंस आदेश दिनाँक 08.04.2015 को निरस्त किया गया।

शासकीय भूमि पर कब्जेदारों का व्यवस्थापन

49. (क्र. 1734) श्री कल सिंह भाबर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** झाबुआ जिले में शासकीय भूमि पर कितने कब्जेदार काबिज है? क्या शासन द्वारा कब्जेदारों का व्यवस्थापन कर पट्टे देने का कोई प्रावधान है, तो कब तक दिये जावेंगे? **(ख)** राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में नीति बनाकर व्यवस्थापन करने की कोई योजना प्रस्तावित है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

धार जिले में चोरी, डकैती, जुए एवं सट्टे के पंजीबद्ध प्रकरण/कार्यवाही

50. (क्र. 1745) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछले तीन वर्षों में धार जिले में चोरी, डकैती, जुए एवं सट्टे के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं? **(ख)** उपरोक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एवं कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जाना शेष है? **(ग)** जिन प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने के कारण चालान प्रस्तुत नहीं हो पाये हैं, ऐसे प्रकरणों में क्या संबंधित अनुसंधान अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** अनुसंधानकर्ता अधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है तथा अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध समय-समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट – "पांच"

धार जिले में आरक्षित की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार की घटनाएं

51. (क्र. 1748) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार की घटनाएं हुई है? **(ख)** कितनी घटनाओं में एफ.आई.आर. दर्ज हुई एवं कितने घटनाओं में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई? कारण बतायें? **(ग)** उपरोक्त में से कितने प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें विवेचना पूर्ण होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये हैं एवं कितने प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें विवेचना पूर्ण हो चुकी है पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये? इसके लिये कौन दोषी है? अपूर्ण विवेचना का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** उक्त प्रश्नांश **(क)** के अनुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति की सभी घटनाओं में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश ''क'' ''ख'' में दर्शित 03 वर्षों में कुल 679 प्रकरणों में विवेचना पूर्ण कर 675 चालान न्यायालय प्रस्तुत किये गये तथा कुल 679 में से वर्ष 2014 में अजा. बलात्कार के 01 प्रकरण में खात्मा तथा 01 प्रकरण में खारजी कता की गई व वर्ष 2012 में अजजा बलात्कार के 01 प्रकरण में खात्मा कता किया गया एवं वर्ष 2013 में अजजा के छेड़छाड़ में 01 प्रकरण में खात्मा किया गया।

परिशिष्ट - "छ:"

जबलपुर स्थित कर्मशाला उपखण्ड के कर्मचारियों का स्थानांतरण

52. (क्र. 1777) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जबलपुर में मेकेनिकल डिवीजन के कर्मशाला उपखण्ड के सभी नियमित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने के बाद उपखण्ड में रखी मशीनें कौन संचालित करेगा? **(ख)** क्या उपरोक्त जबलपुर कर्मशाला उपखण्ड बंद कर दिया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कारण बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मैकेनिकल उपखण्ड, जबलपुर के कर्मचारियों द्वारा मशीनें संचालित की जावेंगी। **(ख)** जी नहीं **(ग)** शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में विभागीय मैकेनिकल उपखण्ड स्थापित होना चाहिये। नव निर्मित सिंगरौली जिले में मैकेनिकल उपखण्ड न होंने के कारण, जबलपुर में स्थापित 2 उपखण्डों में से एक उपखण्ड स्थानांतरित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही

53. (क्र. 1805) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील राहतगढ़ अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोताही बरतते हैं और शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं? **(ख)** यदि नहीं, तो राहतगढ़ में दिनाँक 17 फरवरी 2015 को घटित घटना के दौरान मुख्यालय पर उपस्थित न रहना, लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ केप्चरिंग होना, किसानों को समय पर खाद एवं बीज न मिलना, अवैध उत्खनन पर कार्यवाही न करना, राशन समय पर न बंटना, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण न करना एवं नियंत्रण न रखना आदि घटनायें स्वयं ही एस.डी.एम. के अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्य का स्पष्ट प्रमाण नहीं है? **(ग)** प्रश्नांश कंडिका **(क)** एवं **(ख)** में वर्णित लापरवाही एवं घटना की जाँच प्रशासन के द्वारा किस सक्षम अधिकारी से करायी गयी है अथवा नहीं? यदि जाँच करायी गयी है तो जाँच में क्या परिणाम प्राप्त हुये और परिणामों के आधार पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>विभाग द्वारा संचालित योजनाएं</u>

54. (क्र. 1823) श्रीमती संगीता चारेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के क्या मापदण्ड हैं? **(ख)** आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की जाती है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में गुणवत्ताहीन पोषण आहार वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न योजना संचालित की जा रही है। (1) आई सीडीएस योजना (2) मंगल दिवस (3) किशोरी शक्ति योजना (4) अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन (5) स्नीप कार्यक्रम (6) लाडली लक्ष्मी योजना (7) मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (8) स्वागतम लक्ष्मी योजना (9) समेकित बाल सरक्षण योजना (10) उषा किरण योजना। उक्त योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में समस्त दर्ज 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। योजनाओं के मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(ख)** आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किये जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों के माध्यम से नियमित रूप से भ्रमण कर प्रदायित पूरक पोषण आहार की जाँच की जाती है। प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार वितरण के समय पंचनामा बनाकर गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। गुणवत्ता युक्त पोषण आहार वितरित किये जाने की निगरानी हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित तदर्थ समिति एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसके द्वारा पोषण आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। **(ग)** गुणवत्ताहीन पोषण आहार वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर उनके देयक से राशि का कटौत्रा किया जाता है एवं गंभीर अनियमितता की स्थिति में समूह का अनुबंध निरस्त किया जाता है इसी क्रम में संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है।

आंगनवाड़ी की पोषण आहार का प्रदाय

55. (क्र. 1835) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** बड़वानी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभाग को कुल कितना पोषण आहार प्राप्त हुआ है? **(ख)** ये पोषण आहार विभाग द्वारा कहाँ से खरीदा गया? पोषण आहार किस फर्म से खरीदा गया? **(ग)** विभाग द्वारा खरीदा गया पोषण आहार कितनी आंगनवाड़ी को कितना प्रदाय किया गया? **(घ)** क्या दर्ज संख्या के हिसाब से पोषण आहार का वितरण नहीं होता है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बड़वानी जिले को विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3771.989 मैट्रिक टन एवं वर्ष 2014-15 में 3394.026 मैट्रिक टन (कुल 7166.015 मैट्रिक टन) पूरक पोषण आहार (टेकहोम राशन) एम.पी.एग्रो के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। **(ख)** टेकहोम राशन एम.पी.एग्रो इण्डस्ट्री भोपाल के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। **(ग)** बड़वानी जिलें अन्तर्गत संचालित 1502 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 135 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को वर्ष 2013-14 में 3771.989 मैट्रिक टन एवं वर्ष 2014-15 में 3394.026 मैट्रिक टन पूरक पोषण आहार का वितरण किया गया। **(घ)** जी नहीं। आंगनवाड़ी केन्द्र पर दर्ज हितग्राही के मान से ही पोषण आहार का वितरण किया जाता है।

परिशिष्ट - "सात"

आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

56. (क्र. 1836) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** बड़वानी जिले में कुल कितनी आंगनवाड़ियाँ संचालित हो रही हैं प्रत्येक आंगनवाड़ी में कुल कितने-कितने शिशु दर्ज हैं? **(ख)** बड़वानी जिले में संचालित कितनी आंगनवाड़ियों के भवन निर्मित है एवं कितनी भवनविहीन हैं? **(ग)** क्या शासन की कोई ऐसी योजना है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भवनविहीन आंगनवाड़ियों के भवन निर्मित हो सके? बड़वानी जिले के कितने भवनों के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं ? कब तक स्वीकृत होकर उनके भवन निर्माण होंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) बड़वानी जिले में 1502 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 135 मिनी आंगनवाड़ी सहित कुल 1637 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिले में संचालित 1637 आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुल 1,37,695 बच्चे दर्ज हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार** हैं। **(ख)** बड़वानी जिले में स्वीकृत 1637 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1300 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित है 337 आंगनवाड़ी केन्द्र जिनमें से 119 अन्य शासकीय भवन एवं 218 किराये के भवन में संचालित है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' अनुसार** हैं। **(ग)** आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिये बीआरजीएफ, पंचपरमेश्वर व मनरेगा के अभिसरण से एवं 13वां वित्त आयोग अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट की राशि से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के निर्देश दिये गये हैं। आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है, तदानुरूप आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जाती है। बड़वानी जिले के 15 भवनों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए है स्वीकृति हेतु, समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

झाबुआ जिले में आंगनवाड़ी का रख-रखाव एवं सामग्री पूर्ति

57. (क्र. 1849) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** झाबुआ जिले में वर्ष 2012 से मई 2015 तक आंगनवाड़ी के रख-रखाव एवं सामग्री पूर्ति हेतु कितना-कितना आवंटन विभाग द्वारा प्रदाय किया गया था? **(ख)** यदि विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया था तो कौन-कौन सी सामग्री किस फर्म से क्रय की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है (ख) संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है।

परिशिष्ट – "आठ"

तहसीलदार पिपरिया द्वारा अ.वि.अ. (राजस्व) के अधिकारों का उपयोग करना

58. (क्र. 1891) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 459/आर दिनाँक 08.06.2015 द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं पत्र क्र. 470/आर दिनाँक 08.06.2015 के द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद को लीज पर प्रदत्त भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** में वर्णित पत्रों के बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति के संबंध में

59. (क्र. 1892) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या तहसील पिपरिया एवं सोहागपुर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की पद की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी तथा कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक 16427 दिनाँक 30.10.2014 को जिला रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट होशंगाबाद को तहसील पिपरिया में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन पेनल तैयार कर चाहा गया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित विज्ञप्ति के परिपालन में चार-चार नामों का पेनल जिला कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा किस दिनाँक को पेनल तैयार कर किस सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रतिपूर्ति के साथ किस दिनाँक को प्रेषित की गई? प्रकरण किस दिनाँक से लम्बित हैं लम्बित रहने का क्या कारण हैं? विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी हैं? उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या वर्तमान में पदस्थ अति. शास. लो. अभिभाषक की कार्यशैली के विरूद्ध सक्षम दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्रस्तुत की गई हैं? यदि हाँ, तो प्रतिकूल टिप्पणी अंकित होने पर भी इनकी सेवायें समाप्त न होने के पीछे क्या कारण हैं? **(घ)** क्या वर्तमान में सहा. अति. लोक अभिभाषक के एक पद पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय पिपरिया में दो सहा. अति. लोक अभिभाषक कार्य सम्पादित कर रहे हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा एवं किन प्रदत्त अधिकारों एवं नियमों के तहत की गई हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** 18.03.2015, नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न

उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 के अनुसार राज्य शासन द्वारा की जाती है।

ताकायमी भूमि का दुरूपयोग

60. (क्र. 1931) श्री अनिल फिरोजिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कस्बा उज्जैन की भूमि सर्वे क्र. 2156/1/2 की 27500 वर्ग फीट भूमि राजस्व रिकार्ड में ताकायमी कारखाने के रूप में दर्ज है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त सर्वे क्रं. की भूमि वर्तमान में किस उपयोग में आ रही है एवं यहां कौन सा कारखाना संचालित हो रहा है? **(ग)** क्या उक्त सर्वे क्रं. की भूमि का विक्रय हो चुका है? या किया जा रहा है? **(घ)** क्या ताकायमी कारखाने की भूमि का विक्रय नियमानुसार हो सकता है? यदि नहीं, तो क्या उक्त भूमि का विक्रय पत्र निरस्त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? **(ड.)** क्या वर्तमान में उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण की प्रक्रिया चल रही है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत किसकी अनुमति से?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बैतूल जिले में स्वीकृत तहसील कार्यालय को प्रारंभ किए जाना

61. (क्र. 1938) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में विगत 5 वर्षों में कितनी ढप्पा को तहसील का दर्जा दिया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो ढप्पा के स्थान पर कितने जगहों पर तहसील कार्यालय प्रारंभ किए जा चुके है? **(ग)** यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ किए जावेंगे? **(घ)** नहीं किए जाने का कारण बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर हुई हत्याओं के संबंध में

62. (क्र. 1951) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक ग्वालियर चम्बल संभाग में रेत, पत्थर व अन्य खनिज के वैध अवैध उत्खनन को लेकर कितने शासकीय सेवकों पर जानलेवा हमले एवं कितनों की मृत्यु हुई है एवं इन प्रकरणों पर कितने आरोपी बनाये गये हैं? जिनमें से कितनों विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है? जिलेवार, थानेवार सूची दें। **(ख)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनाँक तक ग्वालियर चंबल संभाग में किन-किन शासकीय सेवकों पर कब-कब, किस-किस थाना क्षेत्र अंतर्गत जानलेवा हमले किये गये जिनमें किन-किन शासकीय सेवकों की मृत्यु हो गई है एवं कितने स्थाई रूप से विकलांग हो गये तथा किन-किन खनन कारोबारियों से जुड़े लोगों की मृत्यु हुई है ? प्रकरणवार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ग)** क्या प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते खनन कारोबारी बेलागम हो चुके हैं और आये दिन अवैध उत्खनन किये जाने को लेकर खूनी संघर्ष हो रहे है? यदि नहीं, तो इन खूनी संघर्ष की रोकथाम में शासन एवं पुलिस प्रशासन विफल क्यों है? क्या इसकी रोकथाम के कड़े कदम उठाये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>व्यापमं घोटाले में दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तारी</u>

63. (क्र. 1959) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माह जुलाई 2014 के पश्चात व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से कौन-कौन सी परीक्षाओं को जाँच में सम्मिलित किया गया है? माह जुलाई 2014 के पश्चात के व्यापमं परीक्षाओं में अनियमितताओं की जाँच उपरांत कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए? **(ख)** व्यापमं फर्जीवाड़े के संबंध में थाना झांसी रोड ग्वालियर में दर्ज प्रकरण क्रं. 285/2014 के आरोपीगणों में से किन-किन को गिरफ्तार किया जा चुका है? किन-किन को किस कारण से नहीं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) माह जुलाई 2014 के पश्चात् व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में अभी तक कोई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट – "नौ"</u>

<u>प्रदेश में प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि, अतिवृष्टि) से फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि</u>

64. (क्र. 1961) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जनवरी 2015 से प्रश्नांकित दिनाँक तक भीषण प्राकृतिक आपदा (आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तुषार आदि) से प्रदेश में हुई फसल हानि का सर्वे शासन द्वारा कराया गया? यदि हाँ, तो सर्वे अनुसार श्योपुर जिले में फसलों को हुए नुकसान के आंकलन की जानकारी भूमि के रकवे एवं किसानों की संख्या सहित बतावें? राज्य सरकार द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि की केन्द्र सरकार से मांग की गई व कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा कब-कब प्रदाय की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार हुई फसल हानि के आंकलन उपरांत कितनी-कितनी राहत कितने-कितने किसानों को वितरित की गई? कितने किसान ऐसे हैं जिनको राहत राशि वितरण किया जाना शेष है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार फसलों को हुई हानि में से कितने कृषकों की फसल का बीमा कराया गया था? इनमें से कितने कृषकों को कितनी-कितनी बीमा राशि प्रदाय की गई? कितनों को नहीं? **(घ)** क्या यह सही है कि आपदा के पश्चात मान. मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के कई जिलों में दौरा किया? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में व दौरों के समय कहाँ-कहाँ, क्या-क्या घोषणा की गई? इनमें से कितनों का शासन द्वारा क्रियान्वयन किया गया?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में नलकूप खनन के नियम शर्तों</u>

65. (क्र. 1974) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दिनाँक 28.02.2015 तक नलकूप खनन कार्य करने हेतु आमंत्रित निविदाओं में क्या-क्या शर्तें रखी जाती थीं? **(ख)** क्या 28.02.2015 के पश्चात इन शर्तों में

बदलाव किया गया है? यदि हाँ, तो क्या बदलाव किया है? नई शर्तें लगाने का क्या औचित्य है? **(ग)** क्या विभाग शर्तों में बदलाव लाकर पुराने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाकर, नए ठेकेदारों को काम लेने से रोकना चाहता है? लो.स्वा.यां.विभाग में सी श्रेणी के पंजीबद्ध ठेकेदारों को कितनी लागत से काम लेने का अधिकार है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) दिनाँक 28.02.2015 तक आमंत्रित नलकूप खनन कार्य हेतु सामान्यतया रखी जाने वाली निविदा की नियम एवं शर्तें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। नलकूप खनन हेतु म.प्र. के समस्त जिलों में आमंत्रित निविदाओं में एकरूपता बनी रहे इस हेतु निविदाओं की सामान्य शर्तों का निर्धारण किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ''सी'' श्रेणी के पंजीबद्ध ठेकेदारो को रूपये 2.00 करोड़ तक की लागत के काम लेने का अधिकार है।

गृह विभाग में रिक्त पदों की जानकारी

66. (क्र. 1989) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी और सिंगरोली जिले में डी.एस.पी./टी.आई./ए.एस.आई/प्रधान आरक्षक/आरक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेंगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** प्रदेश में बल की उपलब्धता के अनुसार ही पदस्थापना की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''दस''

राजस्व रिकार्ड गुम होने से किसानों की परेशानी विषयक

67. (क्र. 2012) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला खरागो, तहसील भगवानपुरा, ग्राम धुलकोट के कुछ क्षेत्र राजस्व रिकार्ड गुम हो गया? गुम हुए रिकार्ड की जानकारी देवें? क्या इस घटना की जाँच पूर्ण हो गई है? दोषियों के प्रति क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** उक्त रिकार्ड गुम होने के कारण किसानों को खसरा एवं बी 1 नकलें नहीं प्राप्त हो रही है? इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? **(ग)** रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण किसानों को खसरा नकलें प्राप्त नहीं हो रही है? इससे किसान शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे है? क्या इन किसानो के लिए शासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो करण बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भगवानपुरा में आंगनवाड़ी की स्थिति भर्ती एवं ऑडिट आपत्तियां

68. (क्र. 2017) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2015 भगवानपुरा में हुई आंगनवाड़ी भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है? इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर के माध्यम से कितनी शिकायत प्राप्त हुई? भगवानपुरा मे जनपद पंचायत अध्यक्ष तथा अन्य की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? **(ख)** हाई पावर कमेटी द्वारा खरगोन

जिले में विभाग के ऑडिट में कोई आपत्तियां दर्ज कराई गई है? इस संबंध में विधायक द्वारा कोई पत्र खरगोन कार्यालय में प्राप्त हुआ है? **(ग)** क्या भगवानपुरा कार्यालय में विभागीय प्रभारी अधिकारी के पास आंगनवाड़ी भर्ती संबंधी कोई जानकारी नहीं है? समस्त आवेदन एवं दस्तावेज अन्य ब्लॉक के अधिकारी के पास रहते है? जनपद पंचायत भगवानपुरा की बैठकों में इस वर्ष कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ? **(घ)** सुपोषण शिविर छोड़कर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील सोलंकी के समर्थन में कार्यालयीन समय में शासकीय वाहनों से आये जिला मुख्यालय पर उपस्थित परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की एक प्रति देवें। मिनका सुल्या और गंगा गोयल के निलंबन से उक्त प्रकरण भिन्न क्यों है, कारण बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) भगवानपुरा परियोजना अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की भर्ती प्रक्रिया खंड स्तरीय समिति के स्तर पर लम्बित है। जी हाँ। जनपद अध्यक्ष भगवानपुरा की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** जी नहीं। विधायक का पत्र कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। **(ग)** प्रभारी परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी भर्ती संबंधी (नियमों) की जानकारी है। खंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन है एवं परियोजना अधिकारी का पद रिक्त है अतः समस्त आवेदन एवं दस्तावेज बैठकों हेतु नोडल अधिकारी, सहायक संचालक जिला कार्यालय खरगोन में है। जनपद पंचायत की बैठकों में परियोजना के प्रशासनिक प्रभारी उपस्थित रहते है। **(घ)** सुपोषण शिविर से आवश्यक अवकाश/अनुमति लेकर परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक कलेक्टर कार्यालय आये थे अतः कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमती मिनका सूल्या द्वारा स्नेह शिविर की कोई तैयारी न करने एवं शिविर में अनुपस्थित रहने के अतिरिक्त अपने पद के दायित्वों के निवर्हन में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बन किया गया था। श्रीमती गंगा गोयल की सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत थी, जाँच उपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलम्बन किया। दोनों ही प्रकरण भिन्न है क्योंकि परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा कर्तव्यपालन में कोई अनियमितता नहीं की गई है अपितु वे केवल कुछ समय के लिये अपने नियंत्रक अधिकारी से अवकाश एवं अनुमति लेकर कलेक्टर कार्यालय आये थे। तत्पश्चात पुनः स्नेह शिविर में उपस्थित हो गये।

<u>छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र</u>

69. (क्र. 2033) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के घट्टिया विधान सभा क्षेत्र के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र हेतु कितने आवेदन पत्र 01.07.2013 से 30.06.2015 तक प्राप्त हुई? शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संकुलवार जातिवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये तथा कितने छात्रों को वितरित किये गये? **(ग)** कितने आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शेष बचे हैं तथा कब तक इनके जाति प्रमाण पत्र वितरित किये जाएंगे? शासन द्वारा तय समय-सीमा में जाति प्रमाण पत्र न बनाए जाने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? शासन इन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेगा? **(घ)** यदि हाँ, तो उज्जैन जिले में संविदाकर्मियों की कोई शिकायत नहीं थी एवं न ही किसी संविदाकर्मी द्वारा पारस्परिक (स्वेच्छा से) स्थानान्तरण चाहा था व संविदाकर्मियों को एक स्थान विशेष के लिये पदस्थ किया गया था, तो किन कारणों से नियम

विरूद्ध स्थानांतरण किये गये है? इनके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है एवं शासन इन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>शासकीय भूमि पर कब्जेदारों का व्यवस्थापन एवं शासन की स्थानान्तरण नीति</u>

70. (क्र. 2041) श्री कल सिंह भाबर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** झाबुआ जिले में शासकीय भूमि पर कितने कब्जेदार काबिज है? क्या शासन द्वारा कब्जेदारों का व्यवस्थापन कर पट्टे देने का कोई प्रावधान है तो कब तक दिये जावेंगे? राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में नीति बनाकर व्यवस्थापन करने की कोई योजना प्रस्तावित है? **(ख)** शासन द्वारा जारी शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण नीति 2015-16 के कंडिका क्र. 8.13 का पालन किये बिना भू-अभिलेख विभाग झाबुआ में स्थानान्तरण किये है। ऐसे शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण निरस्त किये जाने का क्या प्रावधान है? क्या ऐसे स्थानान्तरण शासन एवं जनता के हित में है? ऐसे कर्मचारियों के निरस्त किये गये आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पुलिस चौकी लखनवास का उन्नयन</u>

71. (क्र. 2054) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत पुलिस चौकी लखनवास पर लगभग 40-50 ग्राम में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है तथा उक्त पुलिस चौकी विकासखण्ड ब्यावरा एवं नरसिंहगढ़ के मध्य स्थित होकर दोनों ओर के ग्राम उक्त में सम्मिलित है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त पुलिस चौकी का उन्नयन कर पुलिस थाना स्थापित कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित दृष्टि-पत्र 2018 में उल्लेख कर मांग की गई थी? **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त पुलिस चौकी का उन्नयन कर पुलिस थाना स्थापित करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। लखनवास चौकी के अंतर्गत मात्र 26 ग्राम आते हैं। जो सभी विकास खण्ड ब्यावरा के अंतर्गत आते है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विगत पाँच वर्षों में चौकी लखनवास क्षेत्र में घटित अपराधों का प्रतिशत निर्धारित मापदण्डों से बहुत ही कम है।

<u>भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण</u>

72. (क्र. 2055) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2708 दिनाँक 2 मार्च 2015 के उत्तर की कंडिका **(घ)** में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में 276 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा परफारमेंस ग्रांट से आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये के संबंध में जिला प्रशासन/जिला पंचायत राजगढ़ को कोई निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** उपरोक्तानुसार यदि नहीं, तो विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की 276 भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण

हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या और कब तक भवन निर्माण करवा दिये जावेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रं पं.रा./प.ग्रान्ट-जी89 /2015/ 3165,भोपाल दिनाँक 27/03/2015 के माध्यम से प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को लिखें गये पत्र के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, द्वारा कलेक्टर्स को लिखे गये पत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट पर** है। **(ग)** आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है, तदानुरूप आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "ग्यारह"

लोक सेवा गारंटी के तहत राजस्व विभाग की सेवायें

73. (क्र. 2074) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवा क्र. 4.5 एवं 4.5 की सेवा प्राप्त करने के लिये कौन-कौन से दस्तावेज, आवेदन के साथ लगाना आवश्यक है एवं इन आवेदनों के निराकरण की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? **(ख)** क्या इन सेवाओं के आवेदनों में एफ.आई.आर. की प्रति, बैंकों की एन.ओ.सी. एवं सहखातेदारों की सहमति के दस्तावेज लगाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्यों, यदि नहीं, तो अक्टूबर 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कटनी जिले की सभी तहसीलों/वृत्तों में कितने आवेदनों को इन्हीं आधारों पर निरस्त/अमान्य किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में, स्वीकृत प्रकरणों के आवेदनों के निराकरण की नियत तिथि क्या-क्या थी? तैयार ऋण पुस्तिका, लोक सेवा केंद्रों को वितरण हेतु कब-कब भेजी गई? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** से **(घ)** तक के संदर्भ में अनियमित कार्यवाही नियम विपरीत आवेदनों के निरस्तीकरण समय-सीमा पश्चात, वास्तविक सेवा प्रदाय करने का कौन-कौन जिम्मेदार है? इन पर क्या कार्यवाही की जायेगी एवं सेवा प्राप्त करने से वंचित आवेदकों को क्या क्षतिपूर्ति प्रदाय की जायेगी, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कटनी नगर पदस्थ यातायात कर्मी

74. (क्र. 2075) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी नगर में यातायात व्यवस्था हेतु, वर्तमान में किस-किस स्तर के कौन-कौन से पुलिसकर्मी पदस्थ एवं कार्यरत हैं, यातायात थाना कटनी में क्या-क्या संसाधन, वाहन आदि उपलब्ध है, क्या पदस्थ अमला एवं उपलब्ध संसाधन, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो बतायें कि किस स्तर के कर्मियों के कितने पद रिक्त हैं एवं किन-किन संसाधनों की आवश्यकता है? **(ख)** कटनी नगर में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर, कौन-कौन से एवं कितने वाहनों का चालान किया गया, कितनी-कितनी राशि, किन-किन के द्वारा नगर के किन-किन स्थानों पर चालान शुल्क के तौर पर वसूली गई, माहवार बतायें? **(ग)** कटनी नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं शासन के प्रावधानों के अनुरूप, यातायात थाना कटनी में स्वीकृत

अमले के रिक्त पदों पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति करने एवं समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने की क्या योजना है एवं इसकी पूर्ति कब तक की जायेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। वर्तमान में थाना यातायात जिला कटनी की व्यवस्था हेतु पदस्थ बल एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

	निरी.	सूबेदार	उनि	सउनि	प्र.आर.	आर.	आर.चालक
स्वीकृत बल	1	2	3	4	16	30	0
उपलब्ध बल	1	0	3	4	15	14	0
कमी बल	0	2	0	0	1	16	0

उपलब्ध संसाधनों की जानकारी निम्नानुसार है-

ब्रीथ ऐनालाईजर	स्टापर	कम्प्यूटर	क्रेन	जिप्सी	मोटरसाइकिल
04	200	02	02	01	01

वाहन एवं मोटर सायकिल की आवश्यकता है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग)** वर्तमान में जिले के 69 आरक्षक विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षणरत है,जिनके प्रशिक्षणोपरांत बल की पूर्ति की जा सकेगी। उपलब्ध बजट अनुसार ही संसाधनों की व्यवस्था की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बारह"

ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन हैण्डपम्प खनन

75. (क्र. 2088) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मन्दसौर जिले में नवीन हैण्डपम्प खनन इस वर्ष कौन से माह से प्रारम्भ किये गये हैं? माहवार ग्राम का नाम बतावें? **(ख)** कितनी योजनाओं के तहत नवीन हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जाते हैं? **(ग)** पी.एच.ई. की सर्वे लिस्ट के अलावा जिन गाँवों में पानी उपलब्ध नहीं है, उन गाँवों में हैण्डपम्प लगाये जा सकते हैं या नहीं? **(घ)** ग्रामीण क्षेत्रों में रोड सड़क से दूर बस स्टेण्ड चौराहे बने रहते हैं, कई ग्रामीण यात्री उस बस स्टेण्ड के प्रतिक्षालय में आकर बस की प्रतिक्षा करते हैं। उस जगह हैण्डपम्प लगाये जाते हैं या नहीं? **(ड.)** ग्रामीण की मांग एवं प्रश्नकर्ता के पत्रों की मांग से कितनी जगहों पर हैण्डपम्प खनन किये गये हैं? नाम बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) माह अप्रैल, 2015 से। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक के अनुसार** है। **(ख)** आंशिकपूर्ण श्रेणी की ग्रामीण बसाहटों, पेयजल विहीन ग्रामीण शालाओं एवं पेयजल विहीन ग्रामीण आंगनवाडियों में। **(ग)** पेयजल व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की स्थिति में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकती है। **(घ)** जी हाँ। **(ड़) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो के अनुसार** है।

गौ-शालाओं को आवंटित भूमि के संबंध में

76. (क्र. 2089) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में गौ-शालाओं को भूमि आवंटन के कितने प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है? **(ख)** उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक उक्त प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा? **(ग)** विगत तीन वर्षों में किन-किन गौ-शालाओं को भूमि आवंटित की गई तथा किन-किन गौ-शालाओं के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों? **(घ)** उज्जैन संभाग में ऐसे कितने स्थान है जहां भूमि आवंटित होने के बाद भी गौशालाओं का कार्य आरंभ नहीं किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>दमोह जिले में वृक्ष पट्टा का वितरण</u>

77. (क्र. 2104) श्री प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले की तेन्दूखेड़ा तहसील में तहसीलदार द्वारा वर्ष 1992 से 1996 की अवधि के दौरान कितने वृक्ष पट्टे (ट्री पट्टा) जारी किये गये, प्रत्येक पट्टाग्रहीता का नाम, पता तथा भूमि खसरा नम्बर एवं रकबा तथा ग्राम का नाम बतलावें? क्या प्रश्नाधीन भूमि पर वृक्ष रोपित है अथवा कृषि कार्य किया जा रहा है? **(ख)** क्या राजस्व अभिलेख में वर्तमान में वंटित की गई भूमि पट्टा ग्रहीता के नाम से है अथवा अन्य के नाम से है? यदि भूमि अन्य के नाम से है, तो उसके द्वारा भूमि का स्वत्व कैसे अर्जित किया गया? अर्जित स्वत्व किस अधिकारी द्वारा किस दिनाँक को अभिप्रमाणित किया गया, नाम, पदनाम सहित सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या वृक्ष पट्टा शासन द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद भी राजस्व अधिकारी द्वारा ट्री पट्टे जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो उनकी सूची भी उपलब्ध करावें? शासनादेशों की अवमानना के फलस्वरूप संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध जिला स्तर पर क्या कार्यवाही संस्थित की गई थी? यदि हाँ, तो जाँच नस्ती/प्रकरण क्रमांक सहित जाँच परिणाम की जानकारी भी उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जल आवर्धन योजनाओं का संचालन</u>

78. (क्र. 2107) श्री प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दमोह जिले की जबेरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी नलजल प्रदाय योजनायें संचालित हैं कितनी असंचालित है? 1.4.2015 की स्थिति में असंचालित नलजल योजनाएं किन कारणों से बंद पड़ी है, इनके शीघ्र संचालन हेतु संबंधित विभाग द्वारा क्या कारगर कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो बंद योजनाएं कब तक प्रारंभ हो जावेगी? **(ख)** वर्ष 2014-15 एवं 15-16 के लिए आवर्धन नलजल योजनाएं एवं नवीन नल-जल योजनाएं कहाँ-कहाँ प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं? इनके जल स्रोत की स्थिति क्या है? प्रेषित प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं तथा उनके प्रारम्भ किये जाने हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? कार्य प्रारम्भ है अथवा अप्रारम्भ है? कार्य जहां प्रारम्भ है, वहां की ग्राम पंचायत तथा ग्राम का नाम बतलावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में दर्शाये गये वर्षों के लिए नवीन नलकूप खनन हेतु जिले को कितना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ है? लक्ष्य के अनुरूप कितने नवीन नलकूप खनन किये जा चुके है, कितने शेष है?

पुराने बंद पड़े हुए नलकूपों की शीघ्र मरम्मत एवं राइजर पाइप आदि संसाधन जुटाने के लिए शासन से कितने बजट की मांग की थी तथा उसके विरूद्ध कितना आवंटन प्राप्त हुआ है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार। (ख)** वर्ष 2014-15 एवं 15-16 में कोई भी जल आर्वधन योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं की गई है। शेष जानकारी निरंक है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार।**

<u>चैन स्कैंचिग प्रकरण की जानकारी विषयक</u>

79. (क्र. 2140) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन थानों में विगत एक वर्ष में कितने चैन स्कैंचिग के प्रकरण दर्ज किये गये? **(ख)** विभाग द्वारा कितने चैन स्कैचिंग प्रकरणों पर कार्यवाही उपरांत दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? **(ग)** लंबित प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उस पर कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) विगत एक वर्ष (01.07.2014 से 30.06.2015) में नरयावली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चैन स्नैचिंग की 03 घटनायें थाना पद्माकर अंतर्गत पंजीबद्ध की गई है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** लंबित प्रकरण में आरोपी की पतारसी, तथा गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही एवं विवेचना की जा रही है।

<u>परिशिष्ट - "तेरह"</u>

<u>अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की पदोन्नति</u>

80. (क्र. 2160) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के लोक सेवकों को वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है? यदि हाँ, तो मण्डला जिले में वर्ष 1984-85 से 2000 तक नियुक्त अनुसूचित जन जाति के लगभग 90 वरिष्ठ आरक्षकों को पदोन्नति से वंचित क्यों रखा गया जबकि वर्ष 1984-85 से 2000 तक के सामान्य जाति के सभी कनिष्ठ लगभग 70-75 आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान कर दी गयी? क्यों कारण सहित बताये? **(ख)** क्या आरक्षक से प्रधान आरक्षक पदोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियम के मार्गदर्शी निर्देश (क्र.-सी/3-7/2002/3/1 दिनाँक - 06 जुलाई 2002) के कण्डिका 8 (ब) का पालन किया जा रहा? यदि नहीं, तो कारण क्या है? **(ग)** क्या जी. ओ. पी. 138/12 दिनाँक 14.08.2012 में पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठता है, के लागू दिनाँक से अवैध पदोन्नतियां निरस्त किये जायेगें अथवा कनिष्ठ की ठीक पदोन्नति दिनाँक से वरिष्ठ आरक्षकों को पदोन्नति प्रदान की जावेगी? **(घ)** पुलिस मुख्यालय (कार्मिक) दिनाँक 09.02.2015 को पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा जारी योग्यता सूची 8/2013 को निरस्त करने हेतु आदेश दिया गया था, प्रश्न दिनाँक तक पालन नहीं किया गया कारण सहित बताये और कब तक पालन कर लिया जावेगा? समय-सीमा बताये?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। पुलिस विभाग में आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु जी.ओ.पी. 138/12 लागू है, जिसकी कंडिका-4 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण

नियमों का पालन किया जायेगा। जिला मण्डला में वर्ष 2013 की योग्यता सूची में विसंगति आरक्षण संबंधी नियमों का सही कार्यान्वयन न किये जाने के कारण निर्मित हुई। पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आने पर मण्डला जिले की योग्यता सूची वर्ष 2013 को निरस्त करने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। **(ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ)** जिला मण्डला की आरक्षक से प्रधान आरक्षक की प्रकाशित योग्यता सूची वर्ष 2013 को निरस्त करते हुए, नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

<u>विधानसभा क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों बाबत</u>

81. (क्र. 2184) डॉ. कैलाश जाटव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी आंगनवाडियों में भवन है एवं कितनी आंगनवाडियां भवन विहीन हैं? सूची प्रदान करें? **(ख)** क्या इन भवन विहीन आंगनवाडियों हेतु निर्माण की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो इनके भवन का निर्माण कब तक प्रारंभ हो सकेगा? **(ग)** गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी आंगनवाडियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्त हैं एवं कितनों में नहीं? सूची प्रदान करें? **(घ)** यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद रिक्त हैं तो विभाग द्वारा इनकी पदस्थापना की क्या प्रक्रिया की जा रही हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 295 आंगनवाड़ी केन्द्र है। जिसमे 74 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में, 151 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में, 70 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। सूची **पुस्तकालय में परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिये बीआरजीएफ, पंचपरमेश्वर व मनरेगा के अभिसरण से एवं 13 वां वित्त आयोग अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट की राशि से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के निर्देश दिये गये है। आगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है, तदानुरूप आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जाती है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जिले की गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 291 आंगनवाडियों में कार्यकर्ता एवं 283 आंगनवाडियों में सहायिका नियुक्त है, तथा 04 आंगनवाडियों में कार्यकर्ता एवं 12 आंगनवाडियों में सहायिका नियुक्त नहीं है, सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** जिले की विधानसभा क्षेत्र गोटेगाँव के अन्तर्गत 04 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एवं 12 पद सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परियोजना स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन जमा किये गये है। विकासखंड स्तर पर नियुक्ति की कार्यवाही जारी है।

<u>खंडवा में निमाड़ एज्यूकेशनल सोसायटी की भूमि बाबत्</u>

82. (क्र. 2193) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा जिला मुख्यालय पर निमाड़ एज्यूकेशन सोसायटी को कितनी भूमि किस दिनाँक से किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लीज पर दी गई है? **(ख)** वर्ष 1990 की स्थिति में भूमि पर कौन-कौन सी शैक्षणिक संस्थाएं भवनों में संचालित थी तथा कितने वर्गफीट में यह संस्थाएं संचालित थी? कितने वर्गमीटर खेल मैदान था? **(ग)** प्रश्न दिनाँक को कौन-कौन सी शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य व्यावसायिक कार्य संचालित हो रहे है? कुल कितनी भूमि पर निर्माण कार्य प्रथम एवं द्वितीय तल पर विगत वर्षों में हुआ है? **(घ)** सोसायटी के पास परिसर में वर्तमान में कितने वर्गमीटर खेल मैदान शेष

बचा है? भवनों में प्रथम तल में निर्माण की अनुमति क्या राजस्व/नगरपालिक निगम से प्राप्त की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** यदि नहीं, तो इसकी लीज की शर्तों के उल्लंघन के बाद भी नवीनीकरण करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत बंद पड़े हैण्डपंपों की जानकारी विषयक

83. (क्र. 2228) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र लांजी में ऐसे कितने हैण्डपंप है जो बंद पड़े है तथा जिनकी मरम्मत करना अब संभव नहीं है? कृपया ग्राम पंचायतवार जानकारी दें? **(ख)** ऐसे कितने हैण्डपंप है जिनमें से निकलने वाला पानी अब पीने योग्य नहीं है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 34 हैण्डपंप बंद एवं असुधार योग्य हैं, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** कुल 112 हैण्डपंप ऐसे हैं, जिनका पानी पीने योग्य नहीं हैं। **परिशिष्ट - ''चौदह''**

भूमि स्वामि की जमीन पर अवैध कब्जा/सीमांकन

84. (क्र. 2239) श्री प्रहलाद भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक नामांतरण, बटवारा, भूमिस्वामी की जमीन पर अवैध कब्जा (धारा 250) व सीमांकन हेतु किस-किस व्यक्ति के आवेदन कब-कब प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से किस-किस का निराकरण, कब-कब किया गया व कौन-कौन से प्रकरण किस कारण से लंबित है? **(ख)** नामांतरण, बटवारा व सीमांकन किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या समय अवधि निर्धारित की गयी है? प्रश्नांश **(क)** अनुसार प्राप्त आवेदनों में कितने निराकरण समय-सीमा में किया गया व कितने प्रकरण समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी लंबित है? इसके लिये कौन-कौन दोषी है व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या तहसील बैराढ़ में कम्प्यूटराईज्ड त्रुटि के कारण निजी भूमि से शासकीय भूमि में कितने खातेदारों के खातों में सुधार कार्य किया जा चुका है व कितने खातेदार शेष है व उनमें उक्त त्रुटि सुधार कब तक कर दिया जावेगा? **(घ)** क्या तहसील बैराढ़ में वर्तमान में प्रदाय की जा रही खसरा की नकल में सितम्बर 2014 की फसल की स्थिति प्रदर्शित हो रही है? यदि हाँ, तो वर्तमान फसल फीड की नकल प्रदाय किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है व किसानों को नवीन फसल फीड की नकल कब से प्रदाय की जा सकेगी? **(ड.)** क्या तहसील बैराढ़ के गठन से आज दिनाँक तक बैराढ़ में प्रभारी तहसीलदार एवं एकमात्र लिपिक के भरोसे तहसील का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तहसील बैराढ़ में सेटअप अनुसार कब तक अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना कर दी जावेगी एवं नवीन तहसील भवन स्वीकृत कर निर्माण प्रारंभ करा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वर्ष 1984 के सिक्ख दंगा पीडितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत्

85. (क्र. 2240) श्री प्रहलाद भारती : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी.न./2134/2001 के निर्णय में दिनाँक 24.01.2006 को पारित आदेश में वर्ष 1984 के सिक्ख दंगा पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये थे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या संबंधित को उक्त आदेशानुसार भुगतान न करने पर अवमानना प्रकरण क्रमांक 881/2007 दिनाँक 21.02.2013 में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा पीड़ितों को पुनः आर्थिक सहायता राशि को 40 प्रतिशत बढ़ाकर ब्याज सहित भुगतान के निर्देश दिये थे? **(ग)** क्या वर्ष 1984 के सिक्ख दंगा पीड़ित श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह सिक्ख को जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मुआवजा राशि 780000/- की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गयी है? **(घ)** क्या उक्त प्रकरण में कलेक्टर शिवपुरी के अर्द्धशासकीय पत्र क्र./2225/ आर.ए. दिनाँक 30.04.2015 द्वारा दंगा पीड़ित हितग्राही को राशि भुगतान किये जाने हेतु 80000/- रूपये स्वीकृत कर भुगतान हेतु राशि आवंटन की मांग की गयी है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त राशि की स्वीकृत प्रदाय कर आवंटित की जाकर संबंधित को न्यायालय के आदेशानुसार 40 प्रतिशत बढ़ाकर ब्याज सहित कब तक भुगतान कर दी जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : **(क)** मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 2134/2001 में पारित निर्णय दिनाँक 24.01.2006 में यह निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों में पीड़ित व्यक्तियों को यदि मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है तो पीड़ित व्यक्ति संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और संबंधित जिला कलेक्टर क्षति का आंकलन कर यदि पात्रता बनती है तो दावा प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर मुआवजा राशि का निर्धारण करेंगे। पीड़ित व्यक्ति को देय राशि का 40 प्रतिशत व्याज का भुगतान किया जाएगा यदि दिनाँक 30.04.2006 या कलेक्टर द्वारा राशि निर्धारण के दिनाँक से तीन माह के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देना होगा। **(ख)** मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 881/2007 में पारित आदेश दिनाँक 21.02.2013 में भी प्रश्नांश **(क)** में उल्लेख अनुसार निर्देश दिए गए हैं। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** यह सही है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक 2225/आर.ए. दिनाँक 30.04.2015 से मुआवजा राशि रू. 7,80,000/- का आवंटन चाहा गया है। जिला स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1984 मे हुए नुकसान का आंकलन किन आधारों पर किया गया है इसकी जानकारी जिले से प्राप्त की जा रही है, तद्पोरांत विभाग स्तर पर परीक्षण किया जाकर आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। भारत सरकार द्वारा दिनाँक 30.06.2012 को यह योजना बंद कर दी गयी है।

<u>जबलपुर जिले के शहपुरा में अनुभाग अधिकारी राजस्व की पदस्थापना बाबत्</u>

86. (क्र. 2250) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर जिले के तहसील मुख्यालय शहपुरा के अंतर्गत आने वाले लगभग 250 ग्रामों के लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों हेतु 40-50 कि.मी. दूर पाटन जाना होता है। क्षेत्रवासियों की वर्षों से शहपुरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की स्थापना की मांग शासन द्वारा कब तक पूर्ण की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रीय नल जल योजनाएं एवं बन्द हैण्डपम्प की जानकारी

87. (क्र. 2268) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** दमोह जिला की हटा विधान सभा अन्तर्गत वर्ष 2002 से आज दिनाँक तक कितनी नल जल योजनाएं किस मद से कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत की गई व किस कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य कराया गया? **(ख)** क्या हटा विधान सभा क्षेत्र की सभी नल जल योजनाएं एवं हैण्डपम्प चालू है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ की नल जल योजनाएं चालू हैं? नाम, पतावार सूची उपलब्ध करायें। क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा में प्रश्न किये जाने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी प्रदाय की जाती है कि समस्त नल जल योजनाएं चालू हैं? क्या जाँच करायी जाकर संबंधितों पर समय-सीमा में कार्यवाही के निर्देश एवं बंद नल जल योजनाएं चालू करायी जावेंगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। जी नहीं। 5 योजनाएं जो स्रोत असफल होने के कारण बंद है, उन योजनाओं में स्रोत निर्माण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। शेष योजनाएं जो अन्य कारणों से बंद हैं उनको चालू रखने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

शासन की राशि दुरूपयोग किये जाने बाबत्

88. (क्र. 2270) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2015-16 में दमोह जिले अन्तर्गत कितने हैण्डपम्प खनन व हैण्डपम्प सामग्री एवं अन्य सामग्री खरीदने का लक्ष्य रखा गया? सामग्रीवार, राशिवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें? **(ख)** क्या यह सही है कि 147 हैण्डपंप खनन का लक्ष्य दमोह जिले के लिये रखा गया था एवं 800 या 900 हैण्डपम्प खरीदे गये? यदि हाँ, तो लक्ष्य के विरूद्ध हैण्डपम्प क्यों खरीदे गये क्या शासन का राशि का नुकसान नहीं हुआ? यदि हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2015-16 में दमोह जिले में शेष 1182 आंशिक पूर्ण बसाहटों में से 130 आंशिक आच्छादित बसाहटों के आच्छादन का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हैण्डपंप सामग्री एवं अन्य सामग्री खरीदने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है। **(ख)** जी नहीं। उत्तरांश-'क' के परिप्रेक्ष्य में शासन का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

सागर नगर में आदर्श पशुपालन केन्द्र स्थापित किये जाने बाबत्

89. (क्र. 2291) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सागर जिला स्थित रतौना सीड फार्म पर पशु प्रजनन केन्द्र के अधिनस्त कितनी भूमि है एवं इस केन्द्र पर वर्तमान में कितने पशु है? प्रश्नांक दिनाँक तक विगत तीन वर्षो में इस केन्द्र पर क्या गतिविधियां हुई है? वर्षवार बताएं? **(ख)** क्या शासन पशुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु रतौना सीट फॉर्म केन्द्र पर एक आदर्श पशुपालन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, है, तो क्या शासन उक्त विषय पर विचार करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सागर जिला स्थित रतौना सीड फार्म नहीं हो कर, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना में कुल 696.17 एकड़ भूमि है एवं शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना जिला सागर में कुल 432 पशु संधारित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। वर्तमान में शासन स्तर पर उक्त विषय विचाराधीन नहीं है।

<u>जेल के बंदियों द्वारा निर्मित सामग्री के लिए विक्रय केन्द्र विषयक</u>

90. (क्र. 2292) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य की जेलों में बंद बंदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आम जनता की जानकारी के अभाव में एवं उचित विक्रय केन्द्र स्थापित न होने के कारण इन वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। इन वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राशि कैदियों के साथ पीड़ित परिवारों के लिए भी दी जाती है। व्यापक हित में शहरों के मध्य इन वस्तुओं के विक्रय केन्द्र खोले जाने के लिए शासन विचार करेगा? **(ख)** क्या राज्य के जेलों में बंदियों के द्वारा उक्त निर्माण कार्य व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर कराया जाता है तथा उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है? **(ग)** क्या शासन इन बंदियों को उनकी रूचि के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने पर विचार करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर प्रशिक्षण सह उत्पादन अंतर्गत औद्योगिक इकाईयाँ संचालित है, जिनमें निर्मित उत्पाद सामग्री का उपयोग अधिकांशतः बंदियों के लिये ही किया जाता है। जेल उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विक्रय हेतु केन्द्रीय जेल सागर, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा जिला जेल भोपाल (अरेरा हिल्स) में जेल परिसर में ही विक्रय केन्द्र स्थापित है। जेलों में निर्मित वस्तुएँ निर्धारित मूल्य के अनुरूप विक्रय की जाती है। आलोच्य जेलें लगभग शहर के मध्य में ही है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्रीय जेल उज्जैन द्वारा कार्तिक मेले, केन्द्रीय जेल ग्वालियर द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले, केन्द्रीय जेल भोपाल एवं केन्द्रीय जेल होशंगाबाद द्वारा भोपाल हाट/पंचमढ़ी उत्सव में अपने स्टाल लगाये जाते हैं। भोपाल हाट, अरेरा हिल्स में स्थाई स्टाल जेल विभाग के उत्पादित सामग्रियों के विक्रय हेतु स्थान आरक्षित किये जाने की पहल की जा रही है। जेल उत्पाद के विक्रय से प्राप्त राशि पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में भुगतान के लिये उपयोग नहीं की जाती है, अपितु जेल उत्पाद की वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राशि नियमानुसार शासकीय खजाने में जमा की जाती है। श्रम करने वाले बंदियों को पारिश्रमिक राशि भुगतान की जाती है, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवारों को भुगतान किये जाने के लिये निर्धारित किये गये पीडी एकाउन्ट में जमा की जाती है, इसी पीडी एकाउन्ट में जमा राशि से पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है तथा पारिश्रमिक की शेष 50 प्रतिशत राशि बंदी के बैंक खाते में जमा की जाती है। **(ख)** जी नहीं। केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षकों जैसे बढ़ई, बुनाई, सिलाई, पावरलूम आदि द्वारा सजायाफ्ता बंदियों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न जेल उद्योग अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल विकास के अंतर्गत एनजीओ के माध्यम से विभिन्न ट्रेड कारपेन्ट्री, हेन्डलूम, पावरलूम, प्रिटिंग, स्क्रीन प्रिटिंग, कुकिंग, साफ्ट टॉय मेकिंग, लेदर बैग एवं फैब्रीकेशन के प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त जिला जेल धार एवं बैतूल में बंदियों हेतु आईटीआई स्थापित है, जिनमें वायरमेन, कारपेन्टर एवं ट्रेक्टर मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आलोच्य प्रशिक्षण हेतु एनसीव्हीटी के मापदण्डानुसार

प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। **(ग)** प्रश्नांश-'ख' में वर्णित विभिन्न उद्योग एवं ट्रेडों के अतिरिक्त केन्द्रीय जेल भोपाल पर महिला बंदियों हेतु विभिन्न ट्रेड यथा ओल्ड ऐज केयर, हेयर एण्ड स्किन केयर, कटिंग एवं सिलाई तथा एम्ब्रॉयडरी एण्ड निडिल वर्क संबंधी महिला आईटीआई एवं केन्द्रीय जेल, उज्जैन में पुरूष बंदियों हेतु विभिन्न ट्रेड यथा वायरमेन, मैकेनिक (ट्रेक्टर), मेकेनिक (इलेक्ट्रानिक्स), मेकेनिक (रिपेयर एण्ड मेन्टेन, टू व्हीलर्स) संबंधी पुरूष आईटीआई की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है, जिससे बंदियों को उनके रूचि के अनुरूप एनसीव्हीटी मापदण्डानुरूप योग्य तकनीकी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

<u>तहसील हनुमना में व्यवहार न्यायालय की स्थापना</u>

91. (क्र. 2300) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या रीवा जिले के हनुमना तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के आदेश होने के पश्चात् न्यायालय भवन पूरी तरह से संपूर्ण आवश्यक सुविधाओं के साथ तीन वर्षों से बनकर तैयार है? **(ख)** क्या प्रदेश के कई स्थानों में माननीय न्यायाधीशों के निवास की व्यवस्था निजी तौर पर की जाकर न्यायालय संचालित है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में यदि हाँ, तो क्या न्यायिक सेवा में मुकदमों की अधिकता को कम करने हेतु व्यवहार न्यायालय को प्रदेश के अन्य स्थानों की भांति माननीय न्यायाधीशों के निवास की व्यवस्था निजी तौर पर की जाकर व्यवहार न्यायालय संचालित कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट बताएं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का सही आंकलन न होना</u>

92. (क्र. 2314) श्री विश्वास सारंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14 व 2014-15 में प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान होने पर भोपाल संभाग के किसानों को किस प्रकार/दर से प्रति एकड़ मुआवजा राशि को वितरित किया गया था? जिलावार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित संभाग व वर्ष में किसानों से फसल बीमा का प्रीमियम किस दर से जमा कराया गया था? जिलावार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत बीमा कंपनी ने फसलों के नुकसान का आंकलन किस पद्धति से किया है और प्रति एकड़ किस दर से राशि वितरित की है? जानकारी जिलावार दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>आबादी भूमि घोषित करने के संबंध में</u>

93. (क्र. 2328) श्री दुर्गालाल विजय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कौन-कौन से गाँव है जिनके बसाहट स्थल राजस्व अभिलेखों में आबादी की भूमि घोषित नहीं है? उनके नामों की सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ददुनी, चिमलका, चेनपुरा (ग्राम पंचायत दांतरदा कलां) एवं कोटरा सहित उक्त गाँव के बसाहट स्थलों को आबादी की भूमि घोषित करने हेतु शासन/विभाग द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर श्योपुर को लिखे गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई यह भी बतायें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>चकबन्दी के संबंध में</u>

94. (क्र. 2329) श्री दुर्गालाल विजय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या-71 (क्रमांक-3415) दिनाँक 16.07.14 के प्रश्नांश **(क)** से **(घ)** के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है अवगत कराते हुए इसी प्रश्न का प्रपत्र उपलब्ध करवाकर उसमें उल्लेखित श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेखड़ाहेड़ी, राजपुरा ऊर्फ झुनझुनीपुरा, ललितपुरा, बिचगावंड़ी, सारंगपुर सहित भिलवाड़िया मे सदन में दिये गये आश्वासन के संबंध में उसका रूप व शासन द्वारा की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया है? **(ख)** उक्त प्रपत्र में ये भी उल्लेख है कि उक्त ग्रामों में म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत चकबंदी की पुष्टि होने के पश्चात निरस्त करने का कोई प्रावधान न होने के तथ्य से भी अवगत कराया है? **(ग)** क्या लगभग पांच दशक पूर्व चकबंदी की व्यवस्था उक्त ग्रामों में लागू की गई थी तब से वर्तमान तक राजस्व अभिलेखो में तो चकबंदी अनुसार व्यवस्था को अंकित कर दिया गया था लेकिन अभिलेखों अनुसार सभी कृषक मौके पर वर्तमान तक काबिज नहीं हो पाये इस कारण उन्हें वर्तमान तक कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो कृषकों के हित में म.प्र.भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों में चकबंदी निरस्त करने हेतु संशोधन करने पर शासन गंभीरता से विचार करेगा व कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सिवनी जिले में पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही</u>

95. (क्र. 2346) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में संचालित सभी थानों में जनवरी, 2011 से वर्तमान तक हत्या/प्रयास, बलात्कार घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न, अपहरण, गुमशुदगी व लूट के कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? जानकारी थाना/वर्षवार बतावें। **(ख)** क्या जिले में पुलिस की निष्क्रियता के कारण गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष लूट, अपहरण व जंगलों में खुलेआम जुआ-सट्टे में पांच गुना वृद्धि हुई? यदि हाँ, तो इस हेतु उत्तरदायियों के विरूद्ध शासन क्य कार्यवाही करेगा? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित घटनाओं के शेष आरोपियों को खोजकर पकड़ने में पुलिस के अब तक असफल रहने के क्या कारण हैं? कब तक पकड़ लिये जावेंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** आरोपियों के घटना दिनाँक से फरार रहने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो सकी है आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>पेय जल योजनाओं के संबंध में</u>

96. (क्र. 2347) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिवनी विधान सभा क्षेत्र के 172 गाँवों में पेयजल योजना बनाई गई है या नहीं? **(ख)** यदि योजना बनाई गई है, तो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई की नहीं? कब तक प्रदान की जावेगी?

(ग) यदि वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तो यह कार्य कब तक प्रारंभ होगा एवं पूर्ण कब तक? **(घ)** यदि यह योजना नहीं बनाई गई, तो इन गाँवों में पेयजल समस्या कैसे दूर होगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** समूह जलप्रदाय योजना तैयार की जा रही है जिसमें सिवनी विधानसभा क्षेत्र के 168 ग्राम सम्मिलित हैं।

<u>टीकमगढ़ जिले जतारा थाना में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने बाबत्</u>

97. (क्र. 2370) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या टीकमगढ़ जिले के थाना जतारा के ग्राम हृदयनगर में कुछ अपराधियों के विरूद्ध दिनाँक 9/6/15 एवं 13/5/15 को प्रथम सूचना के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई? साथ 29/6/15 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई परन्तु थाना जतारा के इनके विरूद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई कि उक्त अपराधी आगे कोई अपराध न कर सके? इनके प्रति प्रतिबंधात्मक या वाउण्ड ओवर की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? उक्त अपराधी कौन-कौन है, जिनके विरूद्ध कई एफ.आई.आर. हो चुकी है? ग्राम के गरीब एवं नि:सहाय, तबके के व्यक्तियों के साथ हमेशा मारपीट होती रहती है, इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे क्या? यदि हाँ, तो कब तक? **(ख)** क्या उक्त ग्राम में अन्य किसी से झगड़े आदि क्यों नहीं होते, केवल एक ही परिवार के अपराधी झगड़ा कर रहे हैं? वह कौन-कौन हैं? उनकी सम्पूर्ण जानकारी दें। **(ग)** क्या थाना जतारा में उक्त आरोपियों का रिश्तेदार प्र.आ.पाण्डे है, जो हमेशा अपराधियों को पनाह देता है और उसी की शह पर विवाद होता क्या उक्त प्रधान आरक्षक के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जिला टीकमगढ़ के थाना जतारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हृदयनगर में दिनाँक 13.05.15, 09.05.15 एवं 29.06.15 को घटित घटनाओं के संबंध में प्राप्त पृथक-पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कुल 05 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि अनुरूप कार्यवाही की गई है। यह सही नहीं है, कि ग्राम के गरीब व निःसहाय तबके के व्यक्तियों के साथ मारपीट होती रहती है, बल्कि ग्राम में पंचायत चुनाव में रंजिश के कारण दो पक्षों के मध्य झगड़े की घटनायें हुई है। सभी प्रकरणों के आरोपियों के विरूद्ध विधि अनुरूप प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। विस्तृत विवरण **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। **(ख)** जी नहीं। ग्राम हृदयनगर में भिन्न भिन्न परिवारों के व्यक्तियों द्वारा आपराधिक घटनाएं घटित की गई है। जिनका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>थाना जतारा एवं पलेरा में जिला बदर एवं वाऊण्ड ओव्हर, प्रतिबंधात्मक प्रस्तावित कार्यवाही</u>

98. (क्र. 2375) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले के थाना जतारा एवं पलेरा में कितने अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर, वाऊण्ड ओवर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जिला कलेक्टर की ओर प्रस्तावित की गई हैं? **(ख)** क्या जतारा थानाएवं पलेरा थाने में ऐसे कितने अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध लगभग 8-10 रिपोर्ट होकर एफ.आई.आर. काटी गई है? क्या उन अपराधियों के विरूद्ध जिलाबदर एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो उक्त अपराधियों की सूची उपलब्ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? **(ग)** क्या थाना जतारा में एवं पलेरा समय पर ऐसे अपराधियों को

बुलाकर अपराध ना करने की समझाईश दी जाती है जिससे लॉ एण्ड ऑर्डर न बिगड़े? साथ ही जतारा थाना एवं पलेरा थाना में कितने-कितने वारंटियों को वर्ष 2014-15 में वारंट तामील कराये गये? साथ ही जिला बदर एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से जिन अपराधियों को पुलिस द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हैं, उन पर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे क्या? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। **(ख)** थाना जतारा एवं पलेरा के आपराधिक अभिलेख के अनुसार दि.-30.06.2015 की स्थिति में ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध 8-10 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनकी कुल संख्या 20 है, उनका विवरण व इनसे संबंधित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का विवरण **संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। अपराधियों को थाने बुलाकर समझाने के संबंध में कोई विधिक प्रावधान नहीं है। वर्ष 2014-15 में थाना जतारा एवं पलेरा में कुल 613 गिरफ्तारी एवं स्थाई वारंट तामिल कराए गये हैं। अपराधियों के विरूद्ध आपराधिक अभिलेख के परीक्षण व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की आवश्यकता का विधि सम्मत् परीक्षण कर उचित प्रतिबंधक कार्यवाही की जायेगी।

<u>परिशिष्ट - "पंद्रह"</u>

<u>मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को गैर विवादित नामांतरण बाबत्</u>

99. (क्र. 2417) कुंवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को गैर विवादित नामांतरण किये जाने के आदेश जारी किए गये थे? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के आदेश के परिपालन में कटनी जिले के बहोरीबंद एवं रीठी तहसील की ग्राम पंचायतों के गैर विवादित नामांतरण प्रश्न दिनाँक तक किन-किन के किए जाना शेष है और अभी तक क्यों नहीं किए गए इसके लिए कौन दोषी है? तहसीलदारों के कितने प्रकरण इस तरह के लंबित है? उनके द्वारा अभी तक नामांतरण क्यों नहीं किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** की तहसीलों की ग्राम पंचायतों बंदोबस्त दुरूस्त कराने हेतु कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदनों का निराकरण हुआ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सतना जिले में चोरों का आतंक</u>

100. (क्र. 2433) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विगत एक-दो वर्ष से सतना शहर में आये दिन दस-पन्द्रह चोरियां हो रही है? **(ख)** क्या सतना शहर चोरों का अड्डा बन गया है और वे दिन-दहाड़े चोरियां कर रहे हैं? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** का उत्तर हां, है तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, थानावार पकड़े गये चोरों या चोरी की दर्ज रिपोर्ट की जानकारी दी जाए। **(घ)** सतना शहर को चोरों के आतंक से मुक्त करने की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट अनुसार। (घ)** सतना शहर में चोरी की घटनाओं में नियंत्रण हेतु, बीट-व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है तथा नियमित गश्त एवं चैकिंग की व्यवस्था की गई है। चोरी की घटनाओं में

अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार प्रभावी विवेचना कर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नीलगायों से हुए नुकसान के मुआवजा के संबंध में

101. (क्र. 2438) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुविभाग लवकुशनगर जिला छतरपुर में सन् 2008 से 2013 तक नीलगायों से हुए नुकसान के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए? **(ख)** प्राप्त आवेदनों में किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन दिनांकों में जाचं की गई? जाँच में कृषकों का कितना-कितना नुकसान किया गया? क्या जाँच में मौके पर किसान की उपस्थिति में जाँच की गई? **(ग)** यदि हाँ, तो जिन कृषकों का नुकसान हुआ था, क्या उन्हें मुआवजा प्रदाय किया गया? यदि हाँ, तो कितने कृषकों को प्राप्त हुआ? **(घ)** यदि कृषकों के नुकसान का आंकलन मुआवजे की सीमा से कम नुकसान वाले कृषकों जिनके आवेदन निरस्त किये गये हैं? क्या नियमानुसार उन्हें सूचना देकर सूचित किया गया? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पोषण आहार का परिवहन/वितरण

102. (क्र. 2439) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छतरपुर जिले के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग छतरपुर में पोषण आहार परिवहन के क्या नियम हैं? नियमों का पालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक पोषण आहार परिवहन हेतु कब-कब विज्ञापन जारी किया गया तथा कब-कब निविदायें आमंत्रित की गयी? **(ग)** यदि निविदायें आमंत्रित नहीं की गई और न ही विज्ञापन जारी किया गया है, तो किस आधार पर परिवहन कराया जा रहा है? इसके लिये कौन दोषी है? निविदा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई और कब तक निविदायें बुलाई जायेगी? **(घ)** छतरपुर जिले की नगर पंचायत/नगर पालिका में पोषण आहार वितरण किन समूहों के द्वारा किया जा रहा हे? क्या इसके लिये भी निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि नहीं, तो किस आधार पर अनुबंध किये गये?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एम.पी. एग्रो से प्राप्‍त टेकहोम राशन का परिवहन परियोजना गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक निर्धारित दर राशि रू. 50/- प्रति क्विंटल प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के मान से किए जाने का प्रावधान है। जी हाँ। **(ख)** पूरक पोषण आहार परिवहन हेतु जिला स्तर पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 233,दिनाँक 11.6.2014 के द्वारा दिनाँक 20.6.2014 से 27.6.14 तक निविदायें आमंत्रित की गई थीं, जिसमें मात्र 5 बाल विकास परियोजनाओं के लिये 1-1 निविदा प्राप्‍त होने के कारण प्राप्‍त निविदायें निरस्त कर पुनः पत्र क्रमांक 813, दिनाँक 11.9.2014 के द्वारा दिनाँक 22.9.2014 से 29.9.2014 तक निविदायें आमंत्रित की गई, जिसमें प्राप्‍त निविदायें निविदा की शर्तो के अनुरूप न होने के कारण निविदायें निरस्त की गई। राज्य स्तर पर दिनाँक 7.4.2015 को विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें कोई भी निविदा प्राप्‍त नहीं हुई। जिला स्तर पर पुनः पत्र क्रमांक 556 दिनाँक 29.6.2015 के द्वारा विज्ञापन जारी कर निविदा दिनाँक 10.7.2015 से 15.7.2015 तक आमंत्रित की गई, जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में है। **(ग)** निविदा आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करने पर निविदा नियमानुसार प्राप्‍त न होने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण

आहार की निरन्तरता बाधित न हो इसे दृष्टिगत रखते हुये परियोजना अधिकारियों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित दर राशि रू. 50/ प्रति क्विंटल प्रतिमाह प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र के मान से स्थानीय स्तर परिवहनकर्ताओं से परिवहन का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में निविदा दिनाँक 10.7.2015 से 15.7.2015 तक आमंत्रित की गई है, जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में है। **(घ)** छतरपुर जिले की नगर पंचायत/नगर पालिकाओं में पूरक पोषण आहार प्रदायकर्ता समूहों की **संलग्न जानकारी परिशिष्ट पर** है। नगर पंचायत/नगर पालिकाओं में पोषण आहार प्रदाय करने हेतु निविदा आमंत्रित करने का प्रावधान नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 4-5/2014/50-2, दिनाँक 24.2.2014 के अनुसार नगर पंचायत/नगर पालिकाओं में समूहों से अनुबंध की कार्यवाही की गई है।

परिशिष्ट - "सोलह"

पुनर्वास की भूमि पर अवैध राइस मिल एवं दाल मिलों को हटाने बाबत्

103. (क्र. 2443) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी नगर नियम सीमा क्षेत्र में पुनर्वास की भूमि पर किस-किस राईस मिल एवं दाल मिलों के संचालक कब से अवैध मिलों का निर्माण कर प्रसंस्करण का कार्य कर रहे हैं? नाम पते सहित विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित मिलों में से किन-किन के नक्शे नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत हैं? कितनी मिलों के भवन बिना स्वीकृति/अनुज्ञा के निर्मित हैं? सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांक **(ख)** में उल्लेखित राइस मिलें एवं दाल मिलें, जो अतिक्रमण कर बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित की गई है, क्या उनके द्वारा अवैध तरीके से लिये गये विद्युत कनेक्शनों का संबंध विच्छेद करने एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मतियां निरस्त कर विभाग वैधानिक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है

पाटन विधानसभा अंतर्गत प्राकृतिक आपदा पीडितों को मुआवजा वितरण

104. (क्र. 2444) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्त वर्ष 2014-15 में पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ओला पाला एवं अतिवृष्टि से किन-किन ग्रामों के कौन-कौन से कितने कृषक प्रभावित हुये? सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में उल्लेखित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को किस-किस मान से कितनी-कितनी राशि का मुआवजा प्रकरण बनाया गया? सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि कितने कृषकों द्वारा जाँच दल सर्वे सूची में अपना नाम न होने की शिकायत दर्ज कराई एवं उसका क्या निराकरण किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के किन-किन ग्रामों के कितने प्रभावित कृषकों को कितनी राहत राशि का वितरण कब-कब कर दिया गया है? यह भी बतलावें कि किन-किन ग्रामों के किन प्रभावित कृषकों को किन कारणों से अभी तक राहत राशि वितरित नहीं की गई है? विवरण दें। एवं इन्हें कब तक राहत राशि वितरित कर दी जावेगी? **(घ)** क्या प्रश्नांक **(ग)** में उल्लेखित कृषकों प्रदत्त आन लाईन आहरण बैंकों द्वारा खाते में पैसा न होने के कारण नहीं किया जा रहा है? उत्तर में यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? शासन इनका भुगतान कब तक करा देगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्वालियर जिले में मजरों एवं टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत्

105. (क्र. 2452) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मजरों एवं टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? स्पष्ट करें। **(ख)** ग्वालियर जिले में कितने मजरा एवं टोला ऐसे हैं, जिनको शासन की नीति अनुसार राजस्व ग्राम बनाया जा सकता है? नाम स्पष्ट करें, उनको राजस्व ग्राम क्यों नहीं बनाया गया? **(ग)** कब तक उनको राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा? **(घ)** शेष मजरा टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में विभाग की क्या योजना है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>थाना जनकगंज में दिनाँक 18 जून 2015 को मृतक अजय जाटव की हत्या</u>

106. (क्र. 2453) श्री लाखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनाँक 23/06/2015 जनसुनवाई कार्यालय पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को लालसिंह पुत्र स्व. श्री विरखाराम जाटव द्वारा उनके बेटे की हत्या (मृतक अजय जाटव) के हत्यारे शिवा पण्डित पुत्र श्री सूरज व बेकरी मालिक भूपेन्द्र साहू पुत्र जीवनलाल निवासी नवग्रह कॉलोनी सेक्टर न. 2 गोल पहाडिया थाना जनकगंज के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दफा 302 एवं धारा अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु आवेदन दिया था? यदि हाँ, तो आवेदक मृतक के पिता के आवेदन पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** ग्वालियर जिले के अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक अनु. जाति, अनु.जनजाति के किस-किस व्यक्ति पर किस-किस व्यक्ति द्वारा क्या-क्या अपराध किये गये हैं? उनके नाम, पता, किस थाने में अपराध हुआ है, सम्पूर्ण जानकारी देवे। **(ग)** क्या अपराध क्रं. 155/12 दिनाँक 29/03/2012 पर थाना जनकगंज में दर्ज अपराध जिसमें 13 वर्षीय बालक सुमित किरार का अपहरण कर हत्या की गई थी, आज दिनाँक तक अपराधियों को पकड़ा गया? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** पुलिस थाना जनकगंज एवं भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों में कौन-कौन पुलिसकर्मी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना, दिनाँक स्पष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) आवेदक द्वारा जिन व्यक्तियों पर संदेह व्यक्त किया उनसे पूछताछ एवं जाँच में उक्त व्यक्तियों का घटना दिनाँक को अन्य स्थान पर होना पाया गया है। पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर आवेदक की मृत्यु पानी में डूबने से होना पाई गई है। मृतक का बिसरा एफ.एस.एल. ग्वालियर भेजा गया है इसकी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। अभी तक जाँच पर से हत्या के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुये है, मर्ग जाँच जारी है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग)** ग्वालियर जिले के थाना जनकगंज के अपराध क्रमांक 155/12 धारा 364, 302, 34 भादवि के तहत मृतक सुमित किरार के अपहरण एवं हत्या के संबंध में प्रकरण दिनाँक 01.04.2012 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज किया गया था जिसमें अज्ञात आरोपी की तलाश की गई किंतु पता नहीं चलने से खात्मा क्रमांक 112/12 दि. 22.12.12 को लेख किया गया था, प्रकरण में पुनः विवेचना दिनाँक 13.07.2013 से प्रारंभ की गई जिसमें अज्ञात आरोपी की पतारसी की गई किंतु कोई पता नहीं चला। प्रकरण में मृतक के परिजन एवं मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की गई किंतु आरोपी अज्ञात होने से कोई पता नहीं चला है। आरोपी अज्ञात होने से पतारसी हेतु प्रयास जारी है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार।**

<u>आदतन अपराधी को गिरफ्तार न करके खात्मा रिपोर्ट</u>

107. (क्र. 2473) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भिण्ड ग्राम पंचायत पुलावली श्री प्रहलाद पुत्र कमलसिंह पर थाना उमरी जिला भिण्ड के अंतर्गत कौन से कब से प्रकरण दर्ज है? प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में आरोपी पर एक हजार रू. का इनाम घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अपराध क्रमांक 27/15 धारा 307 के अंतर्गत पंजीबद्ध होने के पश्चात पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत आदतन अपराधी पर प्रकरण क्रं. 53/14 पर खात्मा रिपोर्ट किसके द्वारा कब क्यों काटी गई? क्या खात्मा रिपोर्ट विधि सम्मत काटी गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के आरोपी की चल अचल सम्पत्ति कुर्क की गई? यदि हाँ, तो फसल काटना और बोबनी का कार्य कौन कर रहा है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित आरोपी श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री कमल सिंह निवासी ग्राम पुलावली, जिला भिण्ड पर अपराध क्रमांक-27/15 धारा 307, 294, 34 भादवि में गिरफ्तारी हेतु कुल रूपये 2,000 का ईनाम पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा घोषित किया गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 82 जा.फौ. के तहत उद्घोषणा जारी किये जाने हेतु कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नांकित अपराध में आरोपी श्री प्रहलाद सिंह की गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। **(ग)** थाना उमरी, जिला भिण्ड के अपराध क्रमांक 53/14 धारा 307, 341, 294, 34 भादवि में खात्मा रिपोर्ट नहीं लगाई गई है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 4547/2014 में पारित आदेश दिनाँक 21.07.14 के माध्यम से आरोपी श्री प्रहलाद सिंह के विरूद्ध पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया गया है, जिसके तहत आरोपी श्री प्रहलाद सिंह को प्रकरण से विधि अनुरूप पृथक किया गया है। प्रकरण में शेष आरोपी श्री विजय सिंह तथा श्री राहुल उर्फ टायमपास के विरूद्ध चालान क्रमांक 132/2014 को दिनाँक 27.08.14 सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। **(घ)** तहसील भिण्ड एवं सचिव ग्राम पंचायत पुलावली जिला भिण्ड द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर अपराध क्रमांक -27/15 धारा 307,34,294 भादवि में आरोपी श्री प्रहलाद सिंह के नाम में चल अथवा अचल सम्पत्ति नहीं होने के कारण कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।

<u>परिशिष्ट – "सत्रह"</u>

<u>पुलिस विभाग की निष्क्रियता</u>

108. (क्र. 2474) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भिण्ड थाना उमरी के अंतर्गत 7 जून 2015 को श्री महेन्द्र सिंह हत्या हुई। मेडीकल रिपोर्ट पोष्ट मार्टम रिपोर्ट क्या दी गई? किसके द्वारा विवेचना की जा रही है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत भूपेन्द्र सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह के द्वारा थाना उमरी प्रथम सूचना रिपोर्ट शिशुपाल सिंह भागीरथ राजकुमार अनूप अरविन्द धर्मेन्द्र के विरूद्ध लिखवाई गई। यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या यह सही है कि पुलिस दबाव के कारण नियमानुसार समुचित कार्यवाही नहीं कर रही है? यदि हाँ, तो क्यों? **(घ)** क्या यह सही है भिण्ड जिले में अपराध और अपराधी पुलिस की निष्क्रियता के कारण बढ़ रह हैं? यदि हाँ, तो नियंत्रण के लिए क्या कार्यवाही कब तक करेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। जिला भिण्ड थाना ऊमरी के अंतर्गत 07.06.2015 को श्री महेन्द्र सिंह की हत्या नहीं, बल्कि अप्राकृतिक मृत्यु की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना ऊमरी में सूचनाकर्ता श्री मुकेश सिंह पिता श्री विश्वनाथ सिंह राजावत उम्र 35 साल निवासी सुल्तान सिंह का पुरा की सूचना पर मर्ग क्रमांक 27/15 धारा 174 जा.फौ. दिनाँक 07.06.2015 को मर्ग कायम कर नियमानुसार जाँच की जा रही है। शव-विच्छेदन प्रतिवेदन में श्री महेन्द्र सिंह की मृत्यु फांसी लगने से श्वांस अवरूद्ध होने के कारण होना बताया गया है। मर्ग की जाँच सउनि श्री दीनदयाल शर्मा, थाना ऊमरी के द्वारा की जा रही है। **(ख)** श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह द्वारा दिनाँक 07.06.15 को एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें श्री शिशुपाल सिंह, श्री भागीरथ, श्री राजकुमार, श्री अनूप श्री अरविंद एवं श्री धर्मेन्द्र पर श्री महेन्द्र सिंह की हत्या कारित करने के तथ्य बताये गये हैं। इन तथ्यों की जाँच भी मर्ग जाँच के साथ की जा रही है। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं।

<u>मुरैना जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू किया जाना</u>

109. (क्र. 2488) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में लागू हैं? **(ख)** क्या उक्त मिशन मुरैना जिले में लागू हैं अथवा नहीं? नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या मुरैना जिले में मिशन को लागू करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 40 जिलों में। **(ख)** जी नहीं। भारत सरकार के द्वारा चयनित नहीं किये जाने के कारण। **(ग)** जी हाँ। मिशन को शामिल करने हेतु प्रस्ताव पत्र भारत सरकार को दिनाँक 17.07.2014 द्वारा भेजा गया है। भारत सरकार के निर्णय उपरांत कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में</u>

110. (क्र. 2503) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र स्कूलों के माध्यम से बनाये जाने के निर्देश हैं। नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के कितने स्कूलों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों की फाईल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागदा एवं खाचरौद के कार्यालयों में जमा हो चुकी है एवं कितने स्कूलों की जमा होना शेष है? **(ख)** जिन स्कूलों की फाईलें जमा हो चुकी हैं, क्या उनके समय-सीमा में जाति प्रमाण, प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं, किये गये, तो कितनी फाईलें स्कूलवार लंबित पड़ी हैं और क्यों? **(ग)** शेष लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नवीन भवन स्वीकृति या पुराने भवन का जीर्णोद्धार बाबत्</u>

111. (क्र. 2509) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खाचरौद नगर में स्थित पशु चिकित्सालय भवन कितना पुराना है? **(ख)** क्या इसकी (म्याद) समय-सीमा खत्म हो चुकी है? यदि हाँ, तो नवीन भवन स्वीकृति की क्या योजना है? यदि म्याद खत्म नहीं हुई है, तो इसका जीर्णोद्धार कब तक किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) खाचरौद पशु चिकित्सालय भवन सन् 1956 में बना था। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।

घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में विस्थापन

112. (क्र. 2525) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घोड़ाडोंगरी आदिवासी क्षेत्र में (बैतूल) में प्रथम बार विस्थापन कहाँ के निवासियों का हुआ, संख्या देवें? **(ख)** क्या वर्मा (म्यामांर) के नागरिक भी विस्थापित हुये हैं? यदि हाँ, तो समय एवं संख्या देवें? **(ग)** गरीब आदिवासियों को घोड़ाडोंगरी में (क्षेत्र शाहपुर चिचोली) में आवास/कृषि के लिये शासन ने कभी वन भूमि दी है? यदि हाँ, तो गरीब नदी नालों के पास झोपड़ी/टप्पर में क्यों रहते हैं? **(घ)** जिला प्रशासन बैतूल में विस्थापन के लिये कोई ग्राम प्रस्ताव किया है, यदि हाँ, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है

म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धाराओं का उल्लंघन होना

113. (क्र. 2536) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में राज्य शासन को तहसीलदारों, अपर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की पदस्थापना प्रत्येक तहसील में करने के प्रावधान हैं? **(ख)** क्या राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीतियों में इस प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है? क्या राज्य शासन द्वारा इनकी पदस्थापना सीधे तहसीलों में न करते हुये सीधे जिलों में की जा रही है? जिलों में पदस्थापना के बाद किसके अनुमोदन से पदस्थापना तहसीलों में कलेक्टरों के द्वारा की जा रही है? **(ग)** क्या उक्त पदस्थापनायें नियमों के विपरीत हो रही हैं? क्या राज्य शासन इस त्रुटि को दूर करने के कोई आदेश जारी करेगा? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों? कारण दें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पटवारी की अवैध सम्पत्ति पर कार्यवाही

114. (क्र. 2553) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिला अंतर्गत अपूपपुर तहसील के हर्री-बर्री पटवारी हल्का में 15 जून 2015 तक की स्थिति में पदस्थ पटवारी का नाम, पिता का नाम व अनूपपुर जिले में पदस्थापना अवधि में किन-किन हल्का में पदस्थ रहे, अवधि सहित जानकारी देवें, तथा इनके विरूद्ध 15 जून 2015 तक प्राप्त जनशिकायत व विभागीय जाँच की जानकारी व प्रत्येक की कार्यवाही से अवगत करायें? **(ख)** उक्त पटवारी ने अपने पिता, पत्नी व ससुर के नाम प्रत्येक पदस्थापना पटवारी हल्का अंतर्गत क्रय भूमि का खसरा व रकवा तथा वर्तमान समय में शासकीय बाजारू मूल्य सहित जानकारी प्रत्येक हल्का अनुसार देवें? **(ग)** क्या अनूपपुर जिला मुख्यालय में अपने परिजन के नाम बहुमूल्य भूमि क्रय कर मकान निर्माण कराया है? यदि हाँ, तो भूमि व भवन की बाजारू कीमत 15 जून 2015 अनुसार अवगत कराएंगे? **(घ)** क्या उक्त पटवारी ने अपनी पत्नी के नाम पर अनूपपुर पटवारी हल्का के खसरा नम्बर 1080, 1081, 1082 की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हाँ, तो शासकीय सेवा संहिता के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कर बहुमूल्य भूमि से अतिक्रमण समय-सीमा में हटाया जायेगा? **(ड.)** अनूपपुर नगर में उक्त कर्मचारी एवं उनकी पत्नी के नाम पर कितनी भूमि का

स्वत्व है, तथा कितनी भूमि पर काबिज होकर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं? समस्त भूमि की पैमाइश अनुसार भूमि का रकवा, उसमें भवन तथा रिक्त खाली भूमि को पूर्ण जानकारी तथा नगरीय क्षेत्र में निर्मित भवन का मूल्यांकन व नगर पालिका कर की अदायगी की पूर्ण जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कलेक्टर न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय पर कार्यवाही

115. (क्र. 2554) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर कलेक्टर ने सचिव, म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल म.प्र. को पत्र क्रमांक 1018/शि/आयोग/11 दिनाँक 03 एवं 04.03.2011 से भूमि विवाद पर शिकायतकर्ता के आवेदन पर जाँच समिति से जाँच कराकर प्रतिवेदन भेजा है यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से अवगत कराते हुए जाँच प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? **(ख)** क्या न्यायालय कलेक्टर अनुपपुर के प्रकरण क्रं. 06/स्वमेव-निगरानी/10-11 में निर्णय किया है? यदि हाँ, तो न्यायालय के निर्णय पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है कलेक्टर के निर्णय पर पक्षकारों ने राजस्व न्यायालय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किया था? उस पर फरवरी 2015 में पारित ओदश पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या उक्त भूमि प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** जाचं प्रतिवेदन तथा कलेक्टर के निर्णय से विवादित भूमि शासकीय भूमि होना एवं अवैध नक्शा तरमीम की पुष्टि हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या जाँच समिति ने भूमि के सीमांकन में रमेश सिंह पटवारी की उपस्थिति व उनके हस्ताक्षर शिकायतकर्ता तथा अन्य भूमिस्वामी के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर कराया है? यदि हाँ, तो उक्त पटवारी ने बेलावती भूमि स्वामी के पति के रूप में उपस्थित रहकर अपनी पत्नी के नाम शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर सेवा संहिता का उल्लंघन किया है? **(ड.)** क्या जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग में शासकीय भूमि के संरक्षण हेतु अवैध कब्जाधारी पुलिस आरक्षक की पत्नी, पटवारी व उनकी पत्नी जो शिक्षिका पद पर हैं, उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण व अवैध कब्जा समय-सीमा में हटाया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नामान्तरण के संबंध में

116. (क्र. 2564) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजस्व मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मासोद, दुनावा, प्रभातपट्टन, मुलताई वृत्त के अंतर्गत कितने अविवादित नामांतरण बटवारे किये गये? **(ख)** मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु क्रं. 1 के अनुसार उल्लेखित वृत्तों के विवादित नामांतरण बटवारों में विगत दो वर्षों से कितने प्रकरण लंबित पड़े हुये हैं? वृत्तवार संख्या से अवगत कराने का कष्ट करें? **(ग)** किस कर्मचारी एवं अधिकारी के उत्तरदायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही परते जाने के कारण उपरोक्तानुसार प्रकरण लंबित है एवं लंबित प्रकरण कब तक निराकृत किये जावेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पौधा रोपण स्प्रिंकर थिम्बर के संबंध में

117. (क्र. 2565) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मुलताई विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में उद्यान विभाग द्वारा प्रजातिवार पौधा रोपण स्प्रिंकर थिम्बर का कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? प्रजातिवार संख्या दिये जाने का कष्ट करें। **(ख)** मुलताई विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्डवार कंडिका-1 के अनुसार दर्शाये गये पौधे रोपण स्प्रिंकर थिम्बर का कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है? प्रजातिवार पौधे रोपण की संख्या एवं स्प्रिंकर थिम्बर संख्या दर्शायी जावे? **(ग)** मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दिये गये पौधों की संख्या तथा विगत दो वर्षो के समयावधि पश्चात कितने पौधे जीवत हैं एवं कितने नष्ट हो चुके हैं? **(घ)** नष्ट पौधों पर किया गया व्यय किस जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी की उदासीनता के कारण अपव्यय में परिवर्तित हुआ है? शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** योजना के गाईड लाईन अनुसार प्रथम वर्ष रोपित बागानों पर नियमानुसार अनुदान दिया जाता है तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कम से कम 80 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर ही अनुदान दिया जाता है। पौधों के रखरखाव की जवाबदारी स्वयं हितग्राही की होती है।

<u>पांढुर्णा एवं चौरई में अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी कार्यालय में पदों की स्वीकृति</u>

118. (क्र. 2609) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा एवं चौरई में अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी का कार्यालय संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो कब से? **(ख)** क्या यह दोनों अनुभाग/कार्यालय शासन से स्वीकृत है? यदि हाँ, तो किस आदेश से कब स्वीकृत हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या उक्त दोनों कार्यालयों में स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त दोनों कार्यालय यह मानता है कि स्टाफ की स्वीकृति नहीं होने से इन दोनों कार्यालयों का कार्य तहसील कार्यालय के कर्मचारियों को संलग्न कर कराया जा रहा है जिससे दोनों कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है? **(घ)** क्या शासन छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा एवं चौरई में अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी का कार्यालय एवं पर्याप्त स्टाफ की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करेगा ताकि कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे इन कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सके तथा आम नागरिकों को उनकी सेवाओं का बेहतर लाभ प्राप्त हो सके? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राष्ट्रीय राजमार्ग के अर्जित भूमियों व परिसम्पत्तियों में अनियमितता</u>

119. (क्र. 2610) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण अथवा विस्तार के लिए भूमियों के अधिग्रहण एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किये जाने के संबंध में किन नियमों में क्या व्यवस्था प्रदान की गयी है? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई के ग्राम पलटवाड़ा की भूमि खसरा नं. 16/14 एवं 16/15 का भूमिस्वामी कौन है? इनका कुल रकबा क्या था? कुल रकबे में से कितनी भूमि किस लिए अधिग्रहण किया गया है? **(ग)** क्या उक्त खसरे के रकबे पर कोई परिसम्पत्तियां भी स्थित थी? यदि

हाँ, तो कौन-कौन सी परिसम्पत्तियां थी, परिसम्पत्तियों का प्रकार, उनका मूल्यांकन पत्रक सहित भुगतान किया गया मुआवजा राशि की जानकारी दें? **(घ)** क्या उक्त खसरे की भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर मुआवजा राशि संबंधित स्वामी को भुगतान कर दिया गया है? किंतु उसका आधिपत्य राष्ट्रीय राजमार्ग को न सौंपते हुए आज भी उस पर भूस्वामी के द्वारा ढ़ाबा का संचालन किया जा रहा है? **(ड.)** यदि हाँ, तो भूमियों व परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण का औचित्य क्या था? क्या शासन इसे वित्तीय अनियमितता मानता है? क्या यह अनैतिक तौर पर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाना नहीं है? **(च)** यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>उपकरण व टूल किट की राशि आहरण करवाना किंतु हितग्राहियों को उपलब्ध नहीं कराना</u>

120. (क्र. 2611) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5245 दिनाँक 20 मार्च, 2015 के उत्तर में बताया गया है कि उपकरण व टूल किट क्रय करने हेतु हितग्राहियों के खाते में जमा करायी गयी राशि चित्रांचल बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व कर्मचारियों के द्वारा हितग्राहियों के हस्ताक्षर करवाकर उनके बैंक खाते से राशि आहरण करने और उपकरण व टूल किट उन्हें उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना सौंसर में दिनाँक 21.11.2014 को अभिलेख प्रस्तुत किया गया है? **(ख)** क्या छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर थाने में संस्था के अध्यक्ष व कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये क्या थाना सौंसर को शासन दोषी मानता है अथवा संबंधित विभाग को जिसने एफ.आई.आर. दर्ज कराने में रूचि नहीं ली? स्पष्ट करें? **(ग)** एक लंबे समय से हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले उक्त संस्था के विरूद्ध अब तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं होने, हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं होने के लिए कौन लोग जिम्मेदार है? **(घ)** कब तक संस्था के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर उनके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश कर दिया जावेगा तथा उनके द्वारा धोखाधड़ी से उनके खाते से आहरण किये गये राशि वसूल कर उपकरण व टूल किट हितग्राहियों को उपलब्ध करा दिया जावेगा? समय-सीमा नियत करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते। **(ग)** एवं **(घ)** पुलिस थाना सौंसर द्वारा दि. 11.7.15 को चित्रांचल, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व उनके कर्मचारियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचनोपरान्त आगामी कार्यवाही की जावेगी। विभागीय अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

<u>खेल मैदान के संबंध में</u>

121. (क्र. 2663) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा गाँवों में खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने के निर्णय का ब्यौरा क्या है? **(ख)** क्या उपरोक्त योजनांतर्गत उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के गाँवों में भूमियां आरक्षित की गई? यदि हाँ, तो किन-किन गाँवों में और कहाँ-कहाँ? **(ग)** उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में खेल मैदान हेतु कब तक भूमियां आरक्षित हो जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पुलिस संख्या के संबंध में</u>

122. (क्र. 2665) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उज्जैन जिले में पुलिस थाने में पदस्थापना के विरूद्ध पुलिस संख्या आधे के बराबर भी नहीं है? यदि हाँ, तो किस कारण से? **(ख)** क्या आगामी वर्ष 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ होने के उपरांत भी वहां पुलिस सुविधाओं की आवश्यकता को शासन नजर अंदाज कर रहा है? **(ग)** यदि नहीं, तो उज्जैन जिले के समस्त पुलिस थानों में पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त वाहन, आधुनिक हथियार शासन कब तक प्रदाय कर देगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं। **(ग)** पर्याप्त पुलिस बल पदस्थ है। पर्याप्त वाहन एवं आधुनिक हथियार उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>किसानों की भूमि से अहस्तान्तरणीय हटाने बाबत</u>

123. (क्र. 2678) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले के घॉटी गाँव तहसील के अंतर्गत मानपुर, भर्करा, पाटई, करही, दमतोर खलसा, दमतोर माफी, पूछैरी, सेकरी उक्त ग्रामों में किसानों की 40 वर्ष पुरानी रजिस्ट्री शुदा भूमि को राजस्व अभिलेख में अहस्तान्तरणीय कर दिया गया है? क्या यह सच है कि उक्त भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाये गये, उसके बाद अहस्तान्तरणीय शब्द का उल्लेख कब किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो यह किसके आदेश से कब किया गया? जिसके कारण किसानों को खाद्य, बीज, सुलभ नहीं हो रहा है? जमीन विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है? अहस्तान्तरणीय शब्द कब तक हटाया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? नहीं स्पष्ट करें? क्या इस संबंध में राजस्व मंत्री महोदय को जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखे गये है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>केन्द्र सरकार की सुकन्या एवं प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में</u>

124. (क्र. 2695) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** केन्द्र सरकार द्वारा लागू सुकन्या योजना व म.प्र. सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना में क्या समानता है? एवं क्या-क्या अंतर है? ब्यौरा देवें। **(ख)** क्या म.प्र.सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों को केन्द्र की सुकन्या योजना का भी लाभ मिलेगा? यदि हाँ, तो सुकन्या योजना से क्या लाभ मिलेगा? **(ग)** क्या लाडली-लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली राशि उनके बैंक खातों में जमा कराई जाती है? यदि हाँ, तो कितनी राशि और कब-कब जमा कराई जाती है? यदि नहीं, तो कितनी राशि एवं कब जमा कराई जाएगी? **(घ)** क्या लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को भविष्य में दी जाने वाली राशि का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस प्रमाण पत्र वैधानिक मान्यता है? क्या यह हुण्डी के रूप में स्वीकार्य होगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सुकन्या योजना केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित है। अत: प्रथम बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है **(ख)** लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही सुकन्या योजना में लाभ लेने के लिये

बंधनकारी नहीं है। **(ग)** जी हाँ। पात्र हितग्राही बालिका के कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रूपये 4000/-, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- व कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- तथा 100000/- की राशि बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व न होने व कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की शर्त पर ई-पेमेन्ट के माध्यम से दी जावेगी। **(घ)** जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं।

भू-राजस्व पर पंचायत उपकर

125. (क्र. 2733) श्री अरूण भीमावद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भू-राजस्व पर पंचायत उपकर किस आदेश के अंतर्गत बढ़ाया गया है? नियम का उल्लेख करें? **(ख)** बढ़ाया गया उपकर अभी तक किसानों से कितना लिया गया है? **(ग)** क्या उपकर वसूली प्रदेश के सभी जिलों में एक समान लिया जाता है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ योजनायें

126. (क्र. 2756) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत रायसेन देवास जिलो के किन-किन ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत की गई? स्वीकृत राशि कार्य पूर्णता दिनाँक सहित पूर्ण विवरण दें? उक्त योजनायें ग्राम पंचायतों को कब हस्तांतरित की गई? **(ख)** किन-किन ग्रामों में कार्य अपूर्ण हैं तथा क्यों? कारण बतायें? उक्त अपूर्ण/अप्रारंभ योजनाओं पर कितना बिजली का बिल बकाया है तथा क्यों कारण बतायें? उक्त बिल, बकाया राशि समाप्त करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही विभाग के अधिकारियों ने की पूर्ण विवरण दें? **(ग)** समूह नल जल प्रदाय योजना में रायसेन एवं देवास जिलों में क्या-क्या कार्य कहाँ-कहाँ, किस-किस एजेंसी द्वारा करवाये जा रहे है? **(घ)** समूह नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत करने के संबंध में रायसेन एवं देवास जिलों में किन-किन माध्यमों से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

संचालित उद्यानिकी योजनाएं

127. (क्र. 2769) श्री अशोक रोहाणी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उपसंचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन उद्यानिकी योजनाओं में आवंटित कितनी राशि किन कार्यों पर व्यय हुई एवं किन-किन योजनाओं की कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यानिकी मेला, प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार व सामग्री आदि की खरीदी पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसकी जाँच एवं सत्यापन कब किसने किया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में आर्गेनिक फार्मिंग वर्मीकम्पोस्ट यूनिट स्थापना सामुदायिक जल स्त्रोत निर्माण, तालाब जल स्त्रोत निर्माण पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इनकी भौतिक प्रगति व लक्ष्यपूर्ति बतलावें? वर्तमान में इन जल स्त्रोतों की क्या स्थिति है? इसकी जाँच कब, किसने

की है? **(घ)** क्या शासन प्रश्नांकित योजनाओं में की गई वित्तीय अनियमितता राशि का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। क्रय समग्री एवं कार्यक्रमों का सत्यापन जिले में पदस्थ तत्कालीन सहायक/उप संचालक उद्यान द्वारा किया गया। **(ग)** वर्मीकम्पोस्ट यूनिट स्थापना संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। समुदायिक जल स्त्रोत, तालाब निर्माण में प्रश्नांश अवधि में किसी भी प्रकार की राशि का व्यय नहीं किया गया है। अतः वर्तमान स्थिति एवं जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में न आने से कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कुपोषण से बचाने हेतु व्यय राशि

128. (क्र. 2771) श्री अशोक रोहाणी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जबलपुर जिले में बच्चों/बच्चियों के कल्याण एवं कुपोषण से बचाने हेतु संचालित किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? पोषण आहार का क्रय, शिविरों का आयोजन व योजनाओं के प्रचार-प्रसार, सामग्री खरीदी आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में विगत 03 वर्षों में कितने बालक/बालिकाएं कुपोषित पाये गये हैं, इनका प्रतिशत क्या है? इनमें से कितने कम वजन/अति कम वजन के पाये गये हैं? कितने बालक/बालिकाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों से पोषण पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती कराया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में कितने गाँवों को कुपोषण की श्रेणी में रखा गया है एवं मंथली इंस्पेक्शन स्कीम के तहत सम्मिलित किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में कब-कब, कहाँ-कहाँ पर कितने दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया है? इन शिविरों में कितनी राशि व्यय हुई तथा कितने बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? क्या शासन प्रश्नांश **(क)** में राशि का दुरूपयोग/अपव्यय व भ्रष्टचारा की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** किसी गाँव को कुपोषण की श्रेणी में रखने का कोई मापदण्ड नहीं है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं। **(घ)** आयोजित शिविरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। प्रश्नांश "क" में राशि के दुरूपयोग अपव्यय व भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं।

कुशल श्रमिक (खण्डलेखको) के पारिश्रमिक का भुगतान

129. (क्र. 2795) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल जिले के जिला एवं तहसीलों में कुशल श्रमिक (खण्ड लेखकों) की कितनी संख्या है और उन्हें कब और किस आधार पर भर्ती दी गई है? खण्ड लेखकों के संबंध में प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र. शासन का पत्र दिनाँक 08.04.2013 एवं 05.02.2014 तथा कलेक्टर शहडोल का पत्र दिनाँक 14 नवम्बर 2014, एवं म.प्र. राजपत्र दिनाँक 30 मई 2013 प्रकाशित किया गया है? **(ख)** क्या म.प्र. के अन्य जिलों में जिला एवं तहसील में कुशल श्रमिक, खण्डलेखकों के पारिश्रमिक का भुगतान

उपरोक्त खण्ड **(क)** में प्रकाशित पत्रों व राजपत्र के अनुसार दिया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है? **(ग)** क्या शहडोल जिले के जिला एवं तहसीलों में कार्यरत कुशल श्रमिक (खण्डलेखकों) के पारिश्रमिक का भुगतान कटौती करके प्रत्येक माह दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो मानदेय का भुगतान कटौती करके क्यों और किस आधार पर दिया जा रहा है? **(घ)** क्या आगामी समय में शहडोल जिले के जिला एवं तहसीलों में कार्यरत कुशल श्रमिक (खण्डलेखकों) के पारिश्रमिक का भुगतान बिना कटौती के किया जावेगा और यदि कटौती की गई है तो की गई कटौती उपरोक्त श्रमिकों की भरपाई कर भुगतान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**सीहोर ग्रामीण अंचलों में खनित बोरवेल**</u>

130. (क्र. 2833) श्री सुदेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र क्र. 159 सीहोर के अंतर्गत विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में कितने बोरवेल खनन माह अप्रैल, 2015 से आज दिनांक तक किये गये हैं जानकारी स्थानवार बतावें? **(ख)** प्रश्न **(क)** के अंतर्गत कितने बोरवेल खनन ऐसे हुए है जिसमें पानी निकल आया तथा हैण्डपंप स्थापित किये गये है तथा कितने बोरवले खनन हुए जिनमें पानी नहीं निकला जानकारी स्थानवार बतावें? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन स्तर पर कितने बोरवेल खनन स्वीकृत किये गये है? इनमें से कितने लग चुके हैं तथा कितने और लगना शेष है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** वितीय वर्ष 2015-2016 में विधानसभा क्षेत्र क्र-159 सीहोर के अन्तर्गत 33 नलकूप (बोरवेल) का खनन कार्य स्वीकृत है, जिनमें से 26 नलकूपों का खनन हो चुका है। खनित सभी 26 नलकूप सफल पाये गये है, एवं इन 26 नलकूपों पर हैण्डपम्प स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। 07 नलकूप (बोरवेल) का खनन शेष है।

<u>**परिशिष्ट - "अठारह"**</u>

<u>**विभाग के अधिकारियों के नाम पदोन्नति हेतु भेजा जाना**</u>

131. (क्र. 2838) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिला एवं बाल विकास विभाग के किस नाम/पदनाम के अधिकारियों का नाम 01.04.2015 के पश्चात गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु भेजा गया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अधिकारियों के विरूद्ध उनके शासकीय सेवाकाल के दौरान शिकायतों के संदर्भ में शासन द्वारा कब व क्या कार्यवाही की? प्रकरणवार, बिन्दुवार दें? **(ग)** महिला एवं बाल विकास विभाग के किस नाम/पदनाम के अधिकारियों के नाम उनकी प्रतिनियुक्ति वाले विभाग ने सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे? प्रकरणवार जानकारी दें? **(घ)** क्या प्रतिनियुक्ति वाला विभाग मूल विभाग को जानकारी दिये बिना उक्त अधिकारियों के नाम जीएडी को सीधे भेज सकता है? अगर हां तो नियमों की एक प्रति दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) 1. डॉ सध्या व्यास 2. श्री विशाल नाडकर्णी 3. श्री अक्षय श्रीवास्तव 4. डॉ प्रज्ञा अवस्थी 5. डॉ अमिताभ अवस्थी **(ख)** भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु नाम भेजने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी को कभी

विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही के किसी मामले में दंडित नहीं होने के साथ ही उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक प्रकरण लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं होने तथा विजिलेंस की दृष्टि से कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य (यथा लोकायुक्त/ई.ओ. डब्ल्यु में जाँच) न होने की शर्त निर्धारित की गई है। विभाग द्वारा जिन अधिकारियों के नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए है उन अधिकारियों के विरूद्ध उनके सेवा काल में ऐसा कोई दण्ड नहीं दिया गया है और न ही उनके विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही प्रचलित/प्रस्तावित है। **(ग)** जी हाँ। डॉ. प्रज्ञा अवस्थी एवं अमिताभ अवस्थी। **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लंबित अपराधों पर कार्यवाही

132. (क्र. 2845) श्री सतीश मालवीय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के थाना कोलगंवा अंतर्गत मेसर्स बिडला कारपोरेशन लि. के सतना सीमेंट वर्क्स के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध 01.04.13 से प्रश्नतिथि तक किस-किस अपराध क्रमांको से किन-किन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित समयानुसार किस-किस नाम के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रश्नतिथि तक गिरफ्तार किया गया है? प्रकरणवार दें? अगर नहीं किया गया है तो क्यों? कारण दें? **(ग)** क्या थाना कोलगंवा पुलिस गंभीर किस्म के आरोपों में खात्मा लगा रही है? अगर नहीं तो थाना कोलगंवा में प्रश्नतिथि तक कितने अपराध क्रमांकों में पेंडेंसी लंबित है? कितने अपराध क्रमांक के अपराधी चिंहित नहीं है? जो चिहिंत है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक की गई है? टीआई की लापरवाही पर आईजी क्या कार्यवाही करेंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : **(क)** एवं **(ख)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट 'ब' अनुसार**। थाना प्रभारी कोलगवां के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वर्तमान में कोई आधार नहीं है।

कोतमा विधानसभा अंतर्गत थाने व चौकियां

133. (क्र. 2894) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिला अंतर्गत कोतमा विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा कितने थाने एवं कितने उपथाने/चौकी स्थापित है? क्या उक्त थानों में स्वीकृत बल के अनुरूप बल पदस्थ है? यदि नहीं, तो शासन कब तक रिक्त पड़े पदों पर पुलिस बल की पदस्थी कर देगा? **(ख)** मध्यप्रदेश शासन के नये थाने एवं उपथाने खोलने के क्या मापदंड है? मापदंडों की प्रति उपलब्ध करायें? **(ग)** कोतमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामनगर उपथाना/चौकी की वार्षिक अपराध संख्या कितनी है? क्या अपराध संख्या के अनुरूप रामनगर उपथाना/चौकी को पूर्ण थाने का दर्जा देना शासन के दिशा निर्देश अंतर्गत है? यदि हाँ, तो कब तक रामनगर उपथाना/चौकी को पूर्ण थाने का दर्जा दे दिया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : **(क)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। **(ख)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**। **(ग)** कोतमा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राम नगर उप थाना/चौकी का वार्षिक अपराध वर्ष 2013 में भा.द.वि. के 168 अपराध, लघु अधिनियम के 166 अपराध तथा वर्ष 2014 में भा.द.वि. के 158 एवं लघु अधिनियम के 123 अपराध है। शासन आदेश क्रमांक एफ.2 (क) 19/2012/बी-3/दो, दिनाँक 08.08.2013 द्वारा तीसरे चरण में स्वीकृत किये गये 5500 पदों में उनि-01, सउनि-01, प्रआ.-02, आर.-05, आर. (चालक)-01,

कुल 10 पदों की बल वृद्धि की गयी है। मापदण्ड अनुसार न होने से चौकी का उन्नयन अमान्य किया गया।

P.H.E.D में संचालित नलजल योजना

134. (क्र. 2904) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुरैना में कौन-कौन सी नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है, योजनावार जानकारी प्रदान की जावें? इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में पदस्थ मैदानी अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पदनाम की जानकारी देते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कराए गए कार्यों का संपूर्ण ब्यौरा दिया जावें? **(ख)** कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुरैना द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में नल जल योजना एवं हैंडपंप खनन का क्रियान्वयन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं मापदण्डों के अनुरूप नहीं कराया गया है के संबंध में कब तक योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जावेगा, निश्चित समय-सीमा बताई जावें? **(ग)** कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुरैना द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत हैंडपंप को छोड़कर विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में कितने हैंडपंपों का खनन किस-किस ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कराया गया? इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़, 04 जौरा, 05 सुमावली, 06 मुरैना एवं 08 अम्बाह में पृथक-पृथक विधायक निधि से स्वीकृत हैंडपंप को छोड़कर कितने हैंडपंपो का खनन ग्राम पंचायतों में कराया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रगतिरत नलजल योजनाओं का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'क' अनुसार**। विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी के कार्यक्षेत्र में पदस्थ मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ख' अनुसार।** वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कराऐ गये कार्यों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ग', 'घ' एवं 'ड.' अनुसार** है। **(ख)** नल जल योजना एवं हैंडपंप खनन का क्रियान्वयन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं मॉपदण्डों के अनुरुप ही कराया गया है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ग' एवं 'ड.' अनुसार।**

सीमांकन प्रकरण बाबत

135. (क्र. 2905) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अता. प्रश्न संख्या क्र. 94 (3528) तारांकित दिनाँक 04.03.2011 के उत्तर **(क)** में ग्राम बड़ोखर तह. व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 364, 365, 367 व 369 का सीमांकन का नक्शा जीर्ण शीर्ण होने से वर्ष 2007 से आज दिनाँक तक नहीं किया जा सका, ऐसा उत्तर दिया है **(ख)** ग्राम बड़ोखर में वर्ष 2007 से अब तक कितने सीमांकन किये गये हैं और कितने आवेदन अभी तक लंबित हैं? **(ग)** क्या वर्ष 2007 में ही ग्राम बड़ोखर में सर्वे क्र. 370-372 का सीमांकन किया गया है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि उपरोक्त सर्वे नंबरों के सीमा से लगे हुए सीमावर्ती प्रश्नांश **(क)** में वर्णित सर्वे नंबरों का सीमांकन अभी तक क्यों नहीं किया गया? **(घ)** यदि हाँ, तो संबंधित के खिलाफ अनुशासन हीनता की कार्यवाही करते हुए प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सर्वे नंबरों का सीमांकन कब तक कर दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजस्व विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति</u>

136. (क्र. 2950) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक के कितने पद स्वीकृत है? उनमें से कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी दें? **(ख)** सीधी एवं सिंगरौली जिले में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक के कितने पद कहाँ-कहाँ रिक्त है? **(ग)** सीधी एवं सिंगरौली जिले के रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेगी ।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शिवपुरी ग्रामीण को कार्य मुक्त किया जाना</u>

137. (क्र. 2966) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना शिवपुरी ग्रामीण की परियोजना अधिकारी श्रीमती सुधारानी शर्मा का स्थानांतरण जिला अशोकनगर में हो गया है? यदि हाँ, तो इन्हें अभी तक कार्य मुक्त क्यों नहीं किया गया? इन्हें कार्य मुक्त कब तक कर दिया जावेगा? निश्चित समयावधि बताए? **(ख)** क्या उक्त परियोजना अधिकारी अक्टूबर-नबम्वर 2014 से बदरवास की भी प्रभारी परियोजना अधिकारी है? यदि हाँ, तो बदरवास परियोजना अधिकारी पद पर रहते हुए इनके अक्टूबर-नबम्वर 2014 से 30 जून 2015 तक कौन-कौन सी शिकायतें जिला प्रशासन एवं शासन से की गई? उक्त शिकायतों पर इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उक्त परियोजना अधिकारी विगत 05 वर्षों में कहाँ-कहाँ पदस्थ रही? तथा इनके विरूद्ध उक्त स्थानों पर कौन-कौन सी शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या उक्त परियोजना अधिकारी के विरूद्ध पी.जी. सेल, 181 सी.एम. हेल्पलाईन, शासन-जिला प्रशासन से भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें की गई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायतें किसके द्वारा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। शिवपुरी जिले में परियोजना अधिकारियों के स्वीकृत 09 पदों में से 04 पद रिक्त हैं। यदि श्रीमती सुधा रानी शर्मा को भारमुक्त किया जाता है तो 05 पद रिक्त हो जावेंगे। अत: श्रीमती सुधा रानी शर्मा को भारमुक्त नहीं किया गया। एकीकृत बाल विकास परियोजना शिवपुरी ग्रामीण में परियोजना अधिकारी की पदस्थापना होते ही भारमुक्त किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न** है। **(ग)** विगत 5 वर्षों में पदस्थापना एवं उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का **परिशिष्ट पर संलग्न** है। **(घ)** जी हाँ। श्री शंकर लाल द्वारा। उक्त शिकायत निराधार होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विस्तृत **जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न** है।

<u>**परिशिष्ट – "उन्नीस"**</u>

<u>**शिवपुरी जिले के बदरवास नगर वार्ड नंबर 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति**</u>

138. (क्र. 2967) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक आई.सी.डी.एस./2014/2015 भोपाल दिनाँक 22.01.2015 के द्वारा शिवपुरी जिले के बदरवास नगर में वार्ड क्रमांक 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी शिवपुरी से प्रस्ताव मांगा गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या शिवपुरी जिले के बदरवास नगर के वार्ड नंबर 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** बदरवास नगर के वार्ड नंबर 14 में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी एवं आंगनवाड़ी केन्द्र कब से प्रारंभ हो जाएगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। बदरवास नगर के वार्ड क्रमांक 14 में केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** जी नहीं। भारत सरकार से 4305 नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति के लिये विभाग के पास प्रक्रियाधीन है। राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही केन्द्र खोलने/संचालन की कार्यवाही की जा सकेगी। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।।

<u>कोटवारों को दी गई भूमि की वापसी</u>

139. (क्र. 2973) श्री अजय सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में कोटवारों को शासन द्वारा दी गई भूमि वापिस लिये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? **(ख)** यदि हाँ, तो कोटवारों से उन्हें दी गई भूमि वापिस लेने का क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जिला भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर नगर निगम सीमा में आने वाले ग्रामों के कोटवारों की भूमि वापिस लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। **(ख)** शासकीय भूमि का बेहतर उपयोग किए जाने के लिए।

<u>मध्यप्रदेश में कोटवारों को दिये जाने वाला वेतनमान</u>

140. (क्र. 2974) श्री अजय सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में कोटवारों को वर्तमान में किस दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश के कोटवारों को कलेक्टर रेट के आधार पर पारिश्रमिक दिये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है? **(ग)** यदि हाँ, तो उपरोक्त पर कब तक निर्णय लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है - रू. 2000/- प्रतिमाह जिनके पास 3 एकड़ तक सेवा-भूमि है - रू. 1000/- प्रतिमाह जिनके पास 3 एकड़ से 7.5 एकड़ सेवा-भूमि है - रू. 600/- प्रतिमाह जिनके पास 10 एकड़ तक सेवा भूमि है - रू. 400/- प्रतिमाह **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्न उद्भूत नहीं होता

<u>स्वसहायता समूहों द्वारा पोषण आहार का वितरण</u>

141. (क्र. 2975) श्रीमती ललिता यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छतरपुर जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में पोषण आहार वितरण

का कार्य किन-किन स्वसहायता समूहों द्वारा किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में किस-किस स्वसहायता समूह को उक्त वर्षों में कितना-कितना भुगतान किया गया है? **(ग)** स्व सहायता समूहों का संचालन करने वाले का नाम, ग्राम का नाम, पता सहित बतायें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में पोषण आहार वितरण का कार्य एक समूह कितने स्थानों पर कर सकता है बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) प्रश्नांश 'क' की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'ख' की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश 'ग' की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** ग्रामीण क्षेत्रो में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्व-सहायता समूह जितने विद्यालय में भोजन प्रदाय करता है उसके अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदाय करने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम सीमा कम से कम 50 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्धारित है।

हितग्राहियों को योजना का लाभ

142. (क्र. 2976) श्रीमती ललिता यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छतरपुर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में कितने ड्रिप संयंत्र किसानों के यहां स्थापित किये गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में इस योजना के लिये शासन से कितना-कितना आवंटन दिया गया? वर्षवार बतायें और उसके ऐवज में कितना खर्च किया गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में इनका भुगतान किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? **(घ)** ड्रिप संयंत्र में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई तो क्या और उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) कुल 333 ड्रिप संयंत्र किसानों के यहाँ स्थापित किये गये वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार** है। **(घ)** कोई शिकायत सीधे कृषक द्वारा विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ट्रेवलिंग ऐजेंसियों बैंक गारंटी के समान सिक्युरिटी जमा कराई जाने संबंधी

143. (क्र. 2987) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक की स्थिति में यह अवगत करावें कि प्रदेश के किस-किस जिले में धार्मिक यात्रा हज-उमराह पर भेजने वाली किन-किन ट्रेवलिंग ऐजेंसियों के संचालकों द्वारा राशि वसूल कर फरार होने या राशि वापिस नहीं करने जैसी शिकायतें हुई है? यदि हाँ, तो ट्रेवलिंग ऐजेंसियों के संचालकों के नाम सहित यह अवगत करावें कि किस-किस धारा के तहत किन-किनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है जिलेवार वर्षवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में किस-किस ट्रेवलिंग एजेंसी के संचालकों द्वारा कितने-कितने लोगों से कुल कितनी-कितनी राशि की ठगी की गई और उसे वापिस दिलाने की प्रश्न दिनाँक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या हज-उमराह पर लोगों को भेजने का कार्य करन वाले भोपाल के ऐसे कौन-कौन लोग है जिन्हें सरकार द्वारा निगम, मण्डल व वक्फ कमेटियों में नामांकित/पदस्थ किया है और भोपाल की किन-किन एजेंसियों के संचालकों के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि की ठगी करने के आरोप में प्रकरण पंजीबद्ध किये है नाम सहित बतावें? **(घ)** प्रश्नांश (क-ग) को दृष्टिगत

रखते हुए क्या शासन उक्त प्रकार की ट्रेवलिंग ऐजेंसियों के बैंक गारंटी जैसी जमानत के तौर पर सिक्युरिटी शासन या किसी बैंक के पास जमा करायेगें ताकि ठगी होने पर सिक्युरिटी राजसात की जाकर लोगों को उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके? यदि हो तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(घ)** ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट – "बीस"

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश एवं डी.पी.सी. होने के पश्चात राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति

144. (क्र. 2988) श्री आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनाँक 20 जनवरी 2015 को राजस्व निरीक्षकों की विभागीय पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. हुई थी? यदि हाँ, तो डी.पी.सी. होने के पश्चात प्रश्न दिनाँक तक पदोन्नति आदेश क्यों जारी नहीं किए गए? **(ख)** क्या उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में रिटपीटीशन नंबर 1748 में शासन द्वारा शपथ पत्र एवं जवाबदावा प्रस्तुत किया था? यदि हाँ, तो 20 जनवरी 2015 को हुई डी.पी.सी. का उल्लेख किया गया है या नहीं? माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 18.06.2015 में उक्त डी.पी.सी. के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन शासन द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? **(ग)** क्या आयुक्त भू-अभिलेख बंदोबस्त ग्वालियर द्वारा राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची वर्ष 2015 में जारी नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों कारण सहित यह अवगत करावें कि कब तक जारी की जावेगी और वरिष्ठता सूची किस आधार पर तैयार की जाती है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति विषयक

145. (क्र. 3004) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उज्जैन संभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल की समस्या के स्थाई हल करने के लिये समूह जल प्रदाय योजना के कितने प्रस्ताव विगत दो वर्ष में प्राप्त हुये है? कौन-कौन से जिले से कौन सी योजना के प्रस्ताव आये है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित योजना के प्रस्तावों को क्या स्वीकृत किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या कालापीपल विकासखण्ड में पार्वती नदी आधारित समूह जल प्रदाय योजना को स्वीकृत किया जावेगा? यदि हाँ, तो योजना की डी.पी.आर कब तक तैयार करा ली जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विगत दो वर्षों में 2 समूह जल प्रदाय योजनाओं (मंदसौर जिले की गांधीसागर बांध एवं शाजापुर जिले की पार्वती नदी स्त्रोत आधारित योजनाओं) के स्टेज-1 योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए। **(ख)** योजना प्रस्ताव तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उचित पाये जाने पर स्वीकृति संबंधी निर्णय लिया जावेगा। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश-'ख' अनुसार।

कंपनी के भूमि की जाँच

146. (क्र. 3006) श्रीमती शीला त्यागी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परि. अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1062) उत्तर दिनाँक 23 फरवरी 2015 के **(क)**, **(ख)** एवं

(ग) का उत्तर नहीं में दिया गया है, तो फोरलाईन रोड निर्माण में कितनी भूमि शासकीय अधिग्रहित की गई है और कितनी निजी स्वामित्व की भूमि किन शर्तों के तहत और किस के द्वारा कितनी-कितनी राशि देकर अधिग्रहित की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के फोरलेन हेतु निर्माण में उपयोग होने वाली मिट्टी मोरम का उपयोग जो किया गया है क्या वह मलख तालाब मनगंवा, बनिया तालाब रघुनाथगंज के साथ-साथ अन्य शासकीय स्थलों से किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सामग्री की कितनी रायल्टी शासन कोष में जमा हुई है, तथा उक्त सामग्री के खनन हेतु किस अधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी गई है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के बिन्दु **(ग)** में रिलायन्स कंपनी द्वारा मिथेन गैस के पाइप लाइन जो शहडोल से फूलपुर (उ.प्र.) तक का कार्य रीवा जिला के रायपुर कचुर्लियान, गंगेव, नईगढ़ी, मऊगंज ब्लाक होते हुए जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन किसानों की भूमि किन-किन ब्लाकों की भूमि अधिगृहित की गई है? **(घ)** क्या बिन्दु **(ग)** का उत्तर नहीं में दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पाइप लाइन कहाँ से और किस भूमि से जा रही है? असत्य जानकारी देने में कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**पुलिस चौकी मौरा (बैतूल) का भवन निर्माण**</u>

147. (क्र. 3010) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम भौरा (बैतूल) में पुलिस चौकी किस-किस भवन में, कब से कार्यरत है? पुलिस बल की स्वीकृत संख्या बताइयें? **(ख)** क्या पुलिस चौकी का विभागीय भवन नहीं है यदि हाँ, तो उक्त भवन किस विभाग का है? क्या विभाग ने पुलिस चौकी हेतु भवन आवंटित किया है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जिले के भौरा क्षेत्र थाना शाहपुरा में कोई पुलिस चौकी स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**नल जल योजनाओं की जानकारी**</u>

148. (क्र. 3017) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रदेश में नल जल योजना का क्रियान्वयन कार्यक्रम वर्तमान में भी चालू है? यदि हाँ, तो जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ नल जल योजनायें प्रारंभ की गई हैं? सूची उपलब्ध करायें? पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल जल योजनायें वर्तमान में चालू हैं तथा कितनी बंद बड़ी हैं? जो योजनायें बंद हैं उन्हें प्रारंभ कराने हेतु शासन क्या प्रयास कर रहा है? **(ख)** जिला अनूपपुर अंतर्गत विकासखंड पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत किरगी में कितनी नल जल योजनायें संचालित हैं? क्या नल जल योजना का विस्तार प्रत्येक वार्ड में किये जाने की शासन की योजना है? यदि हाँ, तो उक्त विधानसभा क्षेत्र में किन-किन नल जल योजनाओं का विस्तार वार्ड तक किया गया है? **(ग)** तहसील मुख्यालय का ग्राम पंचायत किरगी के प्रत्येक वार्ड में पाईप लाईन के घरेलू कनेक्शन दिये जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाकर उक्त कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ में 51 योजनायें चालू एवं 8 योजनाएं स्रोत असफल होने के

अलावा अन्य कारणों से बंद हैं इन बंद योजनाओं को शीघ्र ही चालू करने हेतु ग्राम पंचायतों को समझाइश दी जा रही है। **(ख)** जिला अनूपपुर अन्तर्गत विकासखण्ड पुष्पराजगढ की ग्राम पंचायत किरगी में 1 नग नलजल योजना संचालित है। जी हाँ, पंचायत द्वारा तीन प्रतिशत/एक प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करने की सहमति एवं 75 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा आवर्धन जल प्रदाय योजना तैयार की जाती है परन्तु विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ के अंतर्गत संचालित ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं में से किसी भी योजना का विस्तारीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। **(ग)** जी नहीं। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनाँक 20 जनवरी 2015 में प्रकाशन एवं आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा./पंचा/2015/2164 भोपाल दिनाँक 05.03.2015 के अनुसार घरेलू नल कनेक्शन का कार्य ग्राम पंचायत/पेयजल उपसमिति के द्वारा कराया जाना है।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

पाइपों द्वारा जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन

149. (क्र. 3021) श्री संजय उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या बालाघाट जिले को पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना (41-2580) में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 1104.00 लाख और 1116.00 लाख की राशि एवं आबादी वाले टोलों और ग्रामों में हैण्ड पम्प खनन (41-0009) योजना में राशि 321.32 लाख और 248.04 लाख आवंटित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ तो किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश -'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

नितिन महिन्द्र की हार्डडिस्क से लाजिक फार्मूला निकाला जाना

150. (क्र. 3026) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पी.एम.टी 2013 प्रकरण क्रमांक 539/13 में 15 जुलाई 13 को जगदीश सागर से रोल नंबर सेटिंग की सूची प्राप्त होने के बाद लाजिक फार्मूला 13 अगस्त यानी 30 दिन बाद क्यों मांगा गया वह फार्मूला किस दिनाँक को प्राप्त हुआ क्या यह सही है कि 40 दिन बाद फार्मूला की जगह 30195 मिस मैच की सूची दिनाँक 21 सितंबर 2013 को मिली? **(ख)** 16 जुलाई 2013 को व्यापमं के तीन अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद क्या व्यापमं अध्यक्ष को पत्र लिख कर या दूरभाष से या मौखिक चर्चा में यह बताया या नहीं कि तात्कालीन परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी भी फर्जीवाड़े में संलिप्तता विवेचना में है यदि नहीं, तो क्यों नहीं बताया? **(ग)** व्यापमं द्वारा 21 सितंबर 2013 को 30195 मिस मैच की सूची प्राप्त होने पर क्या कार्यवाही की, 27 सितंबर 2013 को व्यापमं को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि देवें? **(घ)** एस.टी.एफ ने 2013 पी.एम.टी के रोल नं. आवंटन का लाजिक फार्मूला नितिन महिन्द्र की हार्ड डिस्क से क्यों नहीं निकलवाया, जब फार्मूला मांगा था तो मिस मैच नंबर प्राप्त होने पर आपत्ति क्यों नहीं की? 2008 से 2012 के मिसमैच रोल नंबर की व्यापमं से प्राप्त सूची का परीक्षण कैसे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जगदीश सागर से रोल नंबर सेटिंग की सूची लॉजिक फार्मूले से भिन्न प्रकार से आवंटित रोल नंबरों की जानकारी व्यापमं से मांगी गई थी। हाँ, व्यापमं द्वारा

बनाई गई विशेषज्ञों की समिति द्वारा मिसमैच रिपोर्ट दिनाँक 21.09.2013 को एस.टी.एफ. को प्राप्त हुई थी, जिसमें रोल नंबर मिसमैच की विभिन्न संभावित सूचियाँ शामिल थी। **(ख)** दिनाँक 16.07.2013 को व्यापमं के तीन अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद प्रकरण में तत्कालीन नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की फर्जीवाडे में संलिप्तता के विषय में दूरभाष या मौखिक चर्चा में इसलिये नहीं बताया गया क्योंकि, उस समय तक पंकज त्रिवेदी की प्रकरण में संलिप्तता स्पष्ट नहीं हुई थी। **(ग)** व्यापमं ने दिनाँक 21.09.2013 को मिसमैच संबंधी सूचियां प्रेषित की गई थी, इसके स्पष्टीकरण हेतु दिनाँक 27.09.2013 को व्यापमं को पत्र लेख किया गया था। दिनाँक 27.09.2013 को व्यापमं को लिखा गया पत्र **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** नितिन मोहिन्द्रा की हार्ड डिस्क जब्त किये जाने के पश्चात परीक्षण हेतु डी.एफ.एस. गांधीनगर गुजरात भेजी गई थी, अतः शीघ्र ही हार्ड डिस्क से लॉजिक फार्मूला प्राप्त किये जाने संबंधी प्रयास संभव नहीं था, इसलिये व्यापमं से फार्मूला प्राप्त किया गया था। बिना फार्मूला प्राप्त हुये व्यापमं द्वारा दी गई जानकारी सत्यापित नहीं हो सकती थी, इसलिये विवेचना एजेंसी द्वारा आपत्ति नहीं की थी। 2008 से 2011 के मिसमैच रोल नंबर की व्यापमं से प्राप्त सूची का परीक्षण एस.टी.एफ. द्वारा किया जा रहा था, तथा वर्ष 2012 के मिसमैच रोलनंबर पर अप.क्र.12/13 पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। दिनाँक 09.07.2015 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार व्यापमं संबंधी सभी प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानान्तरित किये गये हैं, अतएव वर्ष 2008 से 2011 के मिसमैच रोल नंबर की व्यापमं से प्राप्त सूची का परीक्षण एवं अप.क्र. 12/13 की अग्रिम विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जावेगी।

<u>**परिशिष्ट - "बाईस"**</u>

<u>नितिन महिन्द्रा की हार्ड डिस्क में छेड़छाड़</u>

151. (क्र. 3027) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने पुलिस महानिदेशक को पत्र क्रमांक एफ 5/ 178/2013/1/53 दिनाँक 31/07/2013 लिखकर 20.08.2013 तक फर्जी अभ्यर्थियों की सूची मांगी थी? यदि हाँ, तो बतावे कि पत्र का उत्तर कब दिया गया? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सूची के लिये दिनाँक 22.08.2013 तथा 05.09.2013 को स्मरण पत्र भेजे गये उसके बाद भी सूची नहीं भेजी गयी यदि हाँ, तो इस विलंब के लिये कौन जिम्मेदार है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित अभ्यर्थियों पर अभियोजन किस दिनाँक को किया गया तथा उसकी जानकारी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को कब भेजी गयी? **(घ)** पुलिस महानिदेशक ने अभ्यर्थियों पर अभियोजन के मामले में एस.टी.एफ से पूछताछ क्यों नहीं की उन्होंने क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पत्र उत्तर के लिए एस.टी.एफ को भेज दिया था? यदि हाँ, तो एस.टी.एफ द्वारा उत्तर देने में विलंब पर क्या कार्यवाही हुई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रं. एफ/5/178/2013/1-55, भोपाल दिनाँक 31.07.2013 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसके तथ्यों को प्राप्त कर विवेचना के उपरांत जानकारी सहित उत्तर दिनाँक 01.10.2013 को भेजा गया। **(ख)** दिनाँक 20.08.2013 तथा 05.09.2013 के स्मरण पत्र प्राप्त हुये थे। सूची भेजने में कोई विलम्ब नहीं किया गया क्योंकि व्यापमं द्वारा 876 विद्यार्थियों की सूची दि. 28.09.13 को एसटीएफ को उपलब्ध कराई थी जिसे दिनाँक 01.10.13 को ही प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा भोपाल को भेज दिया गया था। **(ग)** उल्लेखित अभ्यार्थियों पर व्यापमं से सूची मिलने पर उसे विवेचना में शामिल कर साक्ष्य

अनुसार समय -समय पर विभिन्न तिथियों में अभियोजन की कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् समय समय पर व्यापमं को भेजी गई। **(घ)** प्रश्नांश की अवधि (विवेचना हस्तगत करने के पश्चात 24 अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013) में एस.टी.एफ. द्वारा पुलिस महानिदेशक म.प्र.को विवेचना की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा था। विवेचना एस.टी.एफ द्वारा की जा रही थी इसलिये पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पत्र उत्तर के लिये एसटीएफ को भेजा गया था और एस.टी.एफ. द्वारा पत्र का उत्तर दिनाँक 01.10.13 को भेजा गया। उत्तर देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

प्रधान आरक्षक का स्थानांतरण

152. (क्र. 3030) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनोज गोस्वामी के आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने संबंधी पत्र पुलिस महानिदेशक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) को प्रेषित किये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या उक्त प्रधान आरक्षक काफी समय में गाडरवारा में पदस्थ रहा है एवं स्थानांतरण उपरांत मात्र 3 माह में ही पुन उसकी पदस्थ गाडरवारा में कर दी गई है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्यों, क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उनका स्थानांतरण अन्यत्र किए जाने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया है? **(ड.)** यदि हाँ, तो क्या उस पर कार्यवाही कर अन्यत्र स्थानांतरण कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **(ख)** पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्र.आर. मनोज गोस्वामी के अपराधिक कृत्यों में संलिप्तता संबंधी साक्ष्य नहीं पाए गए है। **(ग)** प्र.आर. मनोज गोस्वामी काफी समय से गाडरवारा में पदस्थ नहीं रहा है। इसे कर्तव्य निष्पादन हेतु कुछ माह के लिये गाडरवारा भेजा गया था, जिसे पुलिस लाईन नरसिंहपुर वापस किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। **(घ)** जी हाँ। **(ड.)** प्र.आर. मनोज गोस्वामी का स्थानांतरण थाना गाडरवारा नहीं किया गया था, उसे कुछ माह के लिये कर्तव्य निष्पादन हेतु थाना गाडरवारा भेजा गया था, जिसे पुलिस लाईन नरसिंहपुर वापस किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

गोटेगाँव स्थित आश्रम में हुई मृत्यु की जाँच

153. (क्र. 3031) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय सहायता प्राप्त आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति जगतगुरू शंकराचार्य स्वरूपानंद वृद्धाश्रम झोतैश्र्वर गोटेगांत में गौरी शंकर-रामचरण दुबे उम्र 85 वर्ष की दिनाँक 11.07.14 को संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु होने संबंधी प्रकरण की जाँच कराए जाने संबंधी पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनाँक 16.07.2014 एवं 21.10.2014 को पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को प्रेषित किए गए थे? **(ख)** यदि हाँ, तो इस संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है, पत्रवार, बिंदुवार जानकारी दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ, पत्र दि. 16.07.14 एवं दि. 02.10.14 प्राप्त हुये थे, पत्र दिनाँक 21.10.14 प्राप्त नहीं हुआ। **(ख)** माननीय विधायक द्वारा प्रेषित पत्र की जाँच अनुविभागीय

अधिकारी पुलिस नरसिंहपुर से करायी गई जिसकी जाँच में आये तथ्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। मृतक श्री गौरीशंकर दुबे की मृत्यु के संबंध में उनके भाई शलिगराम दुबे एवं अन्य रिश्तेदार गोविंद दुबे, राजेन्द्र दुबे, बद्री प्रसाद दुबे निवासी ग्राम कमोत की मृत्यु के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संदेह होना नहीं पाया गया है।

राजपुर एवं ठीकरी तहसीलों के लंबित प्रकरण

154. (क्र. 3033) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले के राजपुर एवं ठीकरी तहसीलों में नामांतरण फौती नामांतरण, बंटवारा से संबंधित कितने प्रकरण दि. 15.06.15 तक लंबित हैं? **(ख)** 3 माह से लंबित प्रकरण कितने है? **(ग)** उपरोक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक हो जाएगा, समय-सीमा बतावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दिलीप ट्रेडिंग कंपनी महिदपुर द्वारा संपत्ति क्रय

155. (क्र. 3035) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिलीप ट्रेडिंग कं. महिदपुर एवं नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के संचालकों/पार्टनरों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा दि. 01.01.04 से 30.06.15 तक क्रय-विक्रय की गई सभी प्रकरण का विवरण देवें? **(ख)** **(क)** अनुसार इनके क्रय-विक्रय की रजिस्ट्रियों के साथ कलेक्टर गाईड लाईन की जानकारी भी देवे? **(ग)** शासन इनके गैर आनुपातिक क्रय-विक्रय की जाँच कब तक करवाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

थाना महिदपुर में दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

156. (क्र. 3036) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील महिदपुर के अंतर्गत थाना महिदपुर में 37/2004, 3/7, ई.सी. एक्ट एवं धारा 420 में नवलखा बीज कं. पर दर्ज प्रकरण की अद्यतन स्थिति बतावे? **(ख)** क्या वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 तक का बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन का रिकार्ड उपरोक्त **(क)** अनुसार महिदपुर थाना में प्राप्त कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** रिकार्ड नहीं देने वाले बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों एवं एम.डी. के विरूद्ध किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा? यदि जाँचकर्ता अधिकारी ने इनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की है, तो शासन इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** क्या शासन जाँच को जान-बूझकर लंबित रखने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जिला उज्जैन थाना महिदपुर में अप.क्रं. 37/2004 नहीं बल्कि अपराध क्रं. 35/15 धारा 420 भादवि, 3/7 ई.सी.एक्ट नवलखा बीज कम्पनी के विरूद्ध पंजीबद्ध हैं, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है। **(ख)** बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन से दिनाँक 28.02.2015 को वर्ष 2011, 2012, 2013 का रिकार्ड एवं दिनाँक 10.07.2015 को वर्ष 2008, 2009, 2010 का रिकार्ड अपराध क्र. 35/15 के संबंध में जब्त किया गया है। शेष रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** प्रकरण में विवेचना की वर्तमान स्थिति में बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के विरूद्ध कार्यवाही का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। विवेचना के दौरान भविष्य

में यदि इस संबंध में तथ्य तथा साक्ष्य उपलब्ध होती है तो विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** प्रकरण में विधि अनुरूप विवेचना की जा रही है। अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का वर्तमान में कोई आधार नहीं है।

नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण

157. (क्र. 3040) श्री विजयपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** होशंगाबाद जिले के अंतर्गत विधानसभा सोहागपुर क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में कितनी नल जल योजना स्वीकृत हुई है और इनका काम कब से शुरू हुआ है दिनाँक सहित बतायें? **(ख)** नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकियों का काम कब से अपूर्ण है इन्हें पूर्ण क्यों नहीं किया है? **(ग)** वर्तमान में कितनी नल जल योजना बंद है इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** विधानसभा सोहागपुर के अंतर्गत बज्जरवाड़ा, शुक्करवाड़ा, बुधनी, सिरवाड़, महेन्द्रवाड़ी, आरी, गूजरखेड़ी, में निर्मित पानी की टंकी बनाई गई है जिनका कार्य अपूर्ण है? इनका कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? अवधि बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश-'क' के अंतर्गत उल्लेखित योजनाओं में टंकियों का प्रावधान नहीं था, अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** वर्तमान में बन्द चारों जलप्रदाय योजनाएं स्रोत सूख जाने के कारण को छोड़कर अन्य कारणों से बन्द है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। अतः विभागीय अधिकारी उत्तरदायी नहीं हैं। इस कारण विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विधानसभा सोहागपुर के अंतर्गत बज्जरवाड़ा, शुक्करवाड़ा, बुधनी, सिरवाड़, महेन्द्रवाड़ी, आरी, गूजरखेड़ी में पानी की टंकियों के कार्य पूर्ण हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेईस"

ग्राम खिरिया पुनावली तहसील करैरा की राजस्व भूमि के पट्टे

158. (क्र. 3050) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा राजस्व भूमि के पट्टे वितरण हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, की प्रति उपलब्ध करायें? **(ख)** क्या ग्राम खिरियापुनावली राजस्व निरीक्षक मण्डल दिनारा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में सर्वे नम्बर 879/1, 755/1, 478/1, 477/1, 476/1, 475/1, 600/4, 666/1, 594/1, की राजस्व भूमि के पट्टे वितरण किये गये हैं? यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा किस वर्ष में पट्टे वितरण किये गये? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में पट्टे वितरण किये गये राजस्व अधिकारी के द्वारा पट्टे देने के निर्देश/आदेश किस अधिकारी द्वारा दिये गये, अधिकारी का नाम, पद, बताएं? **(घ)** क्या यह सच है कि प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित जमीन के पट्टे अपात्र व्यक्तियों को दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त पट्टों को निरस्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण

159. (क्र. 3057) श्री मधु भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के अंतर्गत कौन से लोक सेवक कब से कहाँ पदस्थ हैं, इनके नाम पदनाम, कार्यालय बतायें? स्थान सहित बताये इनकी जिले में कुल पदांकन अवधि क्या है? **(ख)** उपरोक्त में से, कौन-कौन 3 वर्ष से अधिक पदस्थ है और उसका क्या कारण औचित्य है? इनके विरूद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई जो जाँच उपरांत नस्तीबद्ध कर दी गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**प्रदेश में भूमि क्रय करने संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन**</u>

160. (क्र. 3060) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा कृषि भूमि को क्रय करने के संबंध में क्या नीति निर्धारित है? नीति की प्रति उपलब्ध करावें साथ ही यह भी बतावें कि क्या क्रय हेतु भूमि की सीमा निर्धारित की गई है? क्या? **(ख)** क्या उक्त नीति, निदेर्शों में भूमि क्रय के पूर्व शासकीय अनुमति ली जाना आवश्यक है? विगत तीन वर्षो में सागर जिलान्तर्गत प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों,समूहों, कंपनियों द्वारा कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी भूमि क्रय की है? किन-किन के द्वारा शासन से अनुमति ली गई है और किन-किन के द्वारा नहीं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** वर्णित क्रेताओं द्वारा बिना अनुमति भूमि क्रय करने व प्रावधानों का उल्लघंन करने के मामलों में क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** वर्णित क्रेताओं द्वारा शासकीय पट्टे की भूमि किन नियमों प्रावधानों के तहत क्रय की है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**बिना क्रय किये उद्योग समूहों द्वारा किसानों की भूमि पर कब्जा**</u>

161. (क्र. 3064) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम मोहरवा तहसील मैहर की आराजी नं. 36/1 एवं 36/2 रकबा क्रमशः 2.634 हेक्टर एवं 2.634 हेक्टर शासकीय अभिलेखों में क्या किन्हीं सहेश सिंह, श्यामलाल व रामबाई के नाम दर्ज है? वर्तमान में उक्त भूमि किसके कब्जे में है और इस भूमि क उपयोग क्या किया जा रहा है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** वर्णित भूमि को उसके भू-स्वामियों की बिना सहमति, बिना किसी करार या विक्रय पत्र के मैहर सीमेंट द्वारा कब्जा कर उसे खोद दिया गया है और उसका खनिज उत्खनित किया गया है? जिससे भूमि में बड़े-बड़े गड्डे हो गये है? क्या विभाग दोषी उद्योग समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा और पीड़ित भू-स्वामिओं को बाजार दर से मुआवजा या मूल्य दिलाएगा? **(ग)** मैहर के मदनपुर माइंस क्षेत्र में रामदास ढीमर की भूमि पर बालात कब्जा कर उस पर माइंस कालोनी निर्मित किये जाने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी है? क्या पीड़ित कृषक के हित में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**बिना शासन की स्वीकृति के दर्ज की गई भूमि**</u>

162. (क्र. 3068) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्वालियर जिले के ग्राम पुरानी छाबनी तहसील ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र के सर्वे क्रमांक 783, 784, 785 एवं 786 की भूमि वर्ष 2012-13 के खसरा में शासकीय भूमि दर्ज थी?

(ख) यदि हाँ, तो कलेक्टर ग्वालियर के आदेश पर वर्ष 2013 में उक्त सर्वे नंबरों की भूमि इंडियन ट्रस्टीज चर्च ऑफ इंडिया सी.आई.पी.बी.सी डायसीस ऑफ नागपुर सी.आई.पी.बी.सी के नाम बिना शासन की स्वीकृति के दर्ज की गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमि चर्च ऑफ इंडिया के नाम नामान्तरण कराने की मांग संचिव क्राईस्ट मुरार (ग्वालियर) ने किस नियम/प्रावधानों के तहत कब की थी? क्या मांग नियमानुसार थी? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें? **(घ)** क्या उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमि वर्ष 1947 के पूर्व इंडियन चर्च एक्ट 1927 के तहत चर्च ऑफ इंग्लैण्ड के अंतर्गत थी? यदि हाँ, तो स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करें? **(ङ.)** क्या उपरोक्त सर्वे नंबरों की करोड़ों रूपये की शासकीय भूमि को इंडियन ट्रस्टीज चर्च ऑफ इंडिया सी.आई.पी.बी.सी डायसीस ऑफ नागपुर को नियम/प्रावधान दिये जाने की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ङ.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**हैण्डपंप का उत्खनन**</u>

163. (क्र. 3080) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र त्योंथर, जिला रीवा के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रीवा द्वारा विधायक निधी से कितने हैण्डपंप उत्खनन कराये जाने हेतु कुल कितनी राशि दी गई थी? जिन-जिन व्यक्तियों के लिए हैण्डपंप उत्खनन कराये जाने के लिए विधायक निधी राशि प्रदान की गई थी, उनका नाम एवं पता सहित बताएं? **(ख)** हैण्ड पंप उत्खनन कराये जाने की एजेन्सी का नाम बताएं? हैण्डपंप उत्खनन किये जाने की निर्धारित समयावधि क्या थी? क्या सारे हैण्डपंप उत्खनन कराये ज चुके हैं, यदि नहीं, तो क्यों? जहां हैण्डपंप उत्खनन कराया जाना शेष है, उनका नाम व पता सहित बताए? **(ग)** यदि निर्धारित समयावधि में एजेन्सी द्वारा हैण्डपंप उत्खनन नहीं कराया गया तो एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक, समयावधि सहित बताए? शेष बचे हैण्डपंप का उत्खनन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समययावधि नहीं बताई जा सकती है।

<u>**परिशिष्ट - ''चौबीस''**</u>

<u>**सेनेट्री नेपकिन का नि:शुल्क वितरण**</u>

164. (क्र. 3081) श्री चैतराम मानेकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को सेनेट्री नेपकिन नि:शुल्क वितरण करने संबंधी निर्णय लिया है? **(ख)** यदि हाँ, तो सेनेट्री नेपकिन नि:शुल्क वितरण की क्या गाइड लाइन बनायी है? **(ग)** विभाग इस का वितरण करने हेतु खरीदी किस माध्यम से एवं किस प्रकार से करेगा? एवं यह प्रक्रिया कब तक चालू होगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख)** एवं **(ग)** शेष के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

<u>पटवारियों की शिकायत पर कार्यवाही</u>

165. (क्र. 3082) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सीहोर की तहसील सीहोर में ऐसे कितने पटवारी पदस्थ हैं, जिनके खिलाफ लोक आयुक्त में प्रकरण दर्ज है? **(ख)** क्या उन पटवारियों के विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा चालान पेश कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई की गई, कार्यवाही से अवगत कराएं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आंगनवाडियों का उन्नयन एवं भवनों का निर्माण

1. (क्र. 59) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** प्रदेश में आंगनवाड़ियों के उन्नयन के लिये वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी धनराशि आई तथा प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित हुई व रतलाम व अशोकनगर जिले में आंगनवाड़ियों के उन्नयन में कितनी धनराशि किस-किस कार्य हेतु खर्च हुई? **(ख)** रतलाम एवं अशोकनगर जिले में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्वयं के विभागीय भवनों में, किराये के भवनों में एवं कितने स्कूल पंचायत आदि भवनों में संचालित है? विकासखण्डवार, ग्रामवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** विगत वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई है, कितने भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका, कितने अपूर्ण व कितने अप्रारंभ वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार विवरण देते हुए कार्य एजेंसियों के नाम, पते बताएं। अपूर्ण या अप्रारंभ रहने के क्या कारण थे? निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई व कब? जो भवन पूर्ण हो गये हैं, वे विभाग के किस-किस अधिकारी को हस्तांतरित किये गये? दिनाँक सहित पूर्ण विवरण दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) प्रदेश में आंगनवाडियों के उन्नयन के लिये वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त धन राशि एवं जिलों को आवंटित धन राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** रतलाम जिले में आंगनवाडियों के उन्नयन के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक धनराशि रूपये 2,44,25,000/- प्रदाय की गई उक्त धन राशि में से प्रश्न दिनाँक तक राशि रूपये 67,24,423/-का व्यय बाउंड्रीवाल, पेवर्स, छत मरम्मत, रंगाई, शौचालय निर्माण/रिपेयरिंग, जल प्रबंधन, भवन मरम्मत, झूला, फिसलपट्टी, बच्चों का रैम्प, पानी की टंकी, बाला पेंटिग, बाल चित्रकारी, फेंसिग एवं आं.वा.केन्द्र के सामने की दीवार पर आं.वा.केन्द्र का मुख्य नाम पट्टिका इत्यादि कार्यों पर व्यय की गई। अशोक नगर जिले को वर्ष 2012-13 से प्रश्नांश दिनाँक तक आंगनवाडियों के उन्नयन के लिये कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** रतलाम जिले में 1672 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है 259 केन्द्र विभागीय भवन में एवं 520 किराये के भवन में तथा 893 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित है। अशोकनगर जिले में कुल 876 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है 253 केन्द्र विभागीय भवन में एवं 206 किराये के भवन में तथा 417 अन्य भवनों में संचालित है। विकासखंडवार, ग्रामवार पृथक-पृथक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग)** विगत वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक रतलाम एवं अशोकनगर जिले में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति, पूर्ण भवनों की, अपूर्ण भवनों की, अप्रारंभ भवनों की विकासखंडवार, ग्रामवार एवं कार्य ऐजेंसी के नाम पतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** रतलाम एवं अशोकनगर जिले में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण अपूर्ण व अप्रारंभ रहने का मुख्य कारण क्रमशः निर्माण व्यय अधिक एवं कनवर्जेंस की राशि प्राप्त नहीं होना, भूमि विवाद, विधान सभा/लोक सभा/पंचायत निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता इत्यादी रहे है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य शीध्र पूर्ण करने के लिये कलेक्टर्स/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। रतलाम जिले में प्रश्नांश अवधि में

पूर्ण हुये आंगनवाड़ी भवनों को विभाग के परियोजना अधिकारियों को हस्तांतरित किया गया है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** अशोकनगर जिले में प्रश्नांश अवधि में कोई भी आंगनवाड़ी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है अतः भवन स्थानांतरण की कार्यवाही नहीं हुई है।

<u>उद्यानिकी विभाग की योजनाएं</u>

2. (क्र. 60) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उद्यानिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है एवं किन-किन योजनाओं में कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? अनुदान प्राप्त करने की पात्रता क्या है? योजनावार विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** अशोकनगर एवं रतलाम जिले में विगत तीन वर्षों में किस-किस योजना का कितना-कितना लक्ष्य था व लक्ष्य के विरूद्ध किस-किस योजना में कितने हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया गया विकासखण्डवार विवरण देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।

<u>अथाईखेड़ा की शिकायतों के संबंध में</u>

3. (क्र. 65) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जून-जुलाई सत्र 2014 के ता.प्रश्न संख्या 16 (क्रं. 3728) के संदर्भ में बताएं कि फर्जी रजिस्ट्री भूमि सर्वे 259/1 तथा 369 का अपर आयुक्त ग्वालियर ने प्रमाणित पाया है तो अब तक इस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है? **(ख)** पवन जैन, प्रमोद जैन, सगनचंद जैन आदि निवासी अथाई खेड़ा के शिकायती आवेदन पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रदेश में अभी तक जिनिंग फैक्ट्री को दी गई भूमियों की लीज समाप्ति के बाद भूमि का उपयोग</u>

4. (क्र. 81) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में उज्जैन, ताल, आलोट, जावरा, पिपलौदा, पिपल्यामंडी आदि किन-किन शहरों में जिनिंग फैक्ट्री के लिये भूमि लीज पर किस-किस को कब दी गई तथा कब लीज समाप्त हुई व उसके बाद उन भूमि का क्या उपयोग हुआ है? **(ख)** क्या यह सही है कि पुरानी जिनिंग फैक्ट्री की अधिकांश भूमि को भूमाफिया व कॉलोनाइजर्स ने विभिन्न नामों से राजस्व कर्मचारियों से मिल कर निजी स्वामित्व की भूमियों में परिवर्तित कर कॉलोनियां बना चुके हैं या बना रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी समय-सीमा दे कर जाँच का आदेश देकर दोषियों को दंडित करने का आदेश देगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>फर्जी मुआवजा वितरण</u>

5. (क्र. 170) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के तहसील नागौद के अंतर्गत किला निर्मित है, जो लगभग हजार वर्ष पुराना होगा जर्जर हालत में है और उसकी बाउण्ड्री चारों तरफ से टूटी फूटी है, जिसकी क्षति का फर्जी कारण दर्शाकर नगर पंचायत द्वारा किला मालिक को मुआवजा राशि दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी? **(ख)** प्रश्नांश

(क) की मुआवजा राशि किसके आदेश से दी गई है, स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन था, सक्षम स्वीकृति जारी आदेश की प्रति दें। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा शासन एवं प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद अभी तक प्रकरण की जाँच क्यों नहीं की गई? क्या जाँचकर फर्जी मुआवजा वितरण करने वाले अधिकारी द्वारा अपने परिवार को लाभ पहुचाँने एवं पद के दुरूपयोग करने का प्रकरण पुलिस थाना में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं, तो कारण बताएं।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**प्रदेश में इवनिंग कोर्ट खोलने की योजना**</u>

6. (क्र. 288) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** प्रदेश में इवनिंग कोर्ट खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार से 1 जनवरी 2010 के पश्चात् कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई तथा उक्त अवधि में कितनी इवनिंग कोर्ट खोली गई? **(ख)** क्या इवनिंग कोर्ट खोलने हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई, कार्यवाही से अवगत करावें? **(ग)** क्या विभाग द्वारा इवनिंग कोर्ट खोलने हेतु शहर का चयन कर लिया है? क्या मन्दसौर में भी इवनिंग कोर्ट खोलना प्रस्तावित है? किन-किन शहरों में विभाग इवनिंग कोर्ट खोलने का विचार कर रहा है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत प्रदेश में मार्निंग/इवनिंग कोर्ट खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार से 01 जनवरी 2010 के पश्चात् कुल 61.472 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। उक्त अवधि में कोई इवनिंग कोर्ट नहीं खोली गई। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश "ख" के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**उद्यान विभाग द्वारा कृषकों के खेतों में वृक्षारोपण**</u>

7. (क्र. 316) श्री जतन उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा संतरा रोपन, आम, केले रोपन तथा संतरा जीर्णोद्धार किये जाने की योजना बनाई जा रही है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** योजनान्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर पांढुर्णा क्षेत्र के वर्तमान तक कितने हेक्टेयर में रोपन की कार्यवाही की गई है? तथा कितना अनुदान कृषकों को दिया जा चुका है? **(ग)** कृषकों को कितने वर्षों तक सामग्री प्रदाय की जाती है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। प्रदेश में पूर्व से योजना संचालित है। **(ख)** योजना के प्रारंभ से वर्तमान तक 9780 हेक्टेयर में रोपण की कार्यवाही की गई है तथा राशि रू. 553.86 लाख रूपये का अनुदान कृषकों को दिया जा चुका है। **(ग)** कृषकों को आम, अमरूद, आवंला, अनार, नीबू, मौसम्बी तथा संतरा के फलपौध रोपण हेतु 3 वर्ष तक (80 प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित होने पर) अनुदान देय होता है। पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार योजना में एक वर्ष ही अनुदान देय होता है।

<u>**रतलाम में बच्चों पर शांति भंग का आरोप**</u>

8. (क्र. 376) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या तहसीलदार रतलाम द्वारा अप्रैल 2015 में 4 से 8 साल के विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों पर शांति भंग का आरोप लगाकर धारा 107 तथा 116 में प्रकरण दर्ज किया गया

है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दे? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कलेक्टर रतलाम को पत्र क्र. 205/2015 दिनाँक 19.05.2015 लिखकर प्रकरण का जाँच प्रतिवेदन मांगा है? यदि हाँ, तो भेजे गये जाँच प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करावे? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित प्रकरण कलेक्टर रतलाम के संज्ञान में था? यदि हाँ, तो उन्होंने अपने स्तर पर क्या कार्यवाही की? **(घ)** क्या शासन बाल अधिकार के संरक्षण के प्रति गंभीर है? यदि हाँ, तो बतावे कि मात्र 4 साल के बच्चे पर शांति भंग तथा अन्य धारा में प्रकरण कैसे दर्ज हुआ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) कलेक्टर जिला रतलाम से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** न्यायालय तहसीलदार रतलाम द्वारा बच्चों के खिलाफ शांति भंग का कोई प्रकरण धारा 107, 116, के तहत दर्ज नहीं किया गया है। **(ख)** जी हाँ, कार्यालय म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कलेक्टर रतलाम से जाँच प्रतिवेदन चाहा गया था जो आज दिनाँक तक अप्राप्त है। **(ग)** कलेक्टर जिला रतलाम से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**, चूकि बच्चों पर धारा 107 का प्रकरण प्रचलित नहीं हैं इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। **(घ)** जी हाँ। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**, 04 साल के किसी बच्चे के विरूद्ध शांति भंग करने की तथा अन्य धारा में कोई कार्यवाही जिला-रतलाम में प्रचलित नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''पच्चीस''</u>

प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही

9. (क्र. 619) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला कटनी को पत्र क्र. 851 दिनाँक 28.05.2015 को ग्राम कुठिया महगवां जनपद पंचायत बड़वारा में निर्मित पशु चिकित्सालय भवन में पशु चिकित्सक एवं कंपाउण्डर की पद स्थापना हेतु उल्लेख किया गया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार विवरण दें? **(ग)** यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के पालन में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला-कटनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 345/दिनाँक 3.7.2015 द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संचालक पशुपालन म.प्र. भोपाल को अनुरोध किया गया है। **(ग)** उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला-कटनी का पत्र दिनाँक 3.7.2015 स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में प्राप्त हुआ है। इस लिए पद पूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही

10. (क्र. 620) श्री संजय पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा तहसीलदार विजयराघवगढ़ जिला कटनी को पत्र क्रं. 20 दिनाँक 13.09.2014 से पत्र क्रं. 938 दिनाँक 17.06.2015 तक विभिन्न कार्यों से संबंधित कुल 24 लिखे गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों उसके लिये कौन दोषी हैं? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही

11. (क्र. 621) श्री संजय पाठक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को पत्र क्र. 497 दिनाँक 13.01.2015 लिखा गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है बतायें? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** माननीय विधायक द्वारा श्रीमती लक्ष्मी कोल को माननीय न्यायालय के निर्णय के पालन के संबंध में लेख किया गया था। श्रीमती लक्ष्मी को आंगनवाड़ी सहायिका को न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी के निर्णय के पालन में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा कटनी के आदेश क्र. 331 दिनाँक 26.05.2015 के द्वारा नियुक्ति दी गई है आवेदिका द्वारा दिनाँक 29.05.2015 को कार्य पर उपस्थिति दी गई है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की गई है अतः शेष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन व्यवस्था

12. (क्र. 646) श्री राजेश सोनकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में भोजन किन-किन सहायता समूहों के माध्यम से कराया जा रहा है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या शासन की नीति निर्धारण अनुरूप यह कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो स्थानीय स्व सहायता समूहों का नाम सूची सहित बतायें, क्या इसमें स्थानीय लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में यदि स्व सहायता समूह स्थानीय नहीं हैं, तो क्या इस समूह संचालक पर कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ,तो क्या और यदि नहीं, की गई तो इसके दोषी कौन हैं? **(घ)** सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं एवं कितने पंजीकृत हैं? सूची नंबर सहित संपूर्ण जानकारी वार्ड अनुसार बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में (1) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना अन्तर्गत 194 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 7 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिन पर 145 स्व सहायता समूह के द्वारा भोजन प्रदाय किया जाता है एवं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में ही (2) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना इन्दौर ग्रामीण -1 अन्तर्गत 102 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 4 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिन पर 79 स्व सहायता समूह द्वारा भोजन प्रदाय किया जाता है। इस प्रकार सांवेर विधानसभा अंतर्गत कुल 296 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 11 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिन पर 221 स्व सहायता समूहों द्वारा भोजन प्रदाय किया जाता है,जिनकी परियोजनावार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ। शासन की नीति निर्धारण के अनुरूप ही कार्य कराया जाता है। इस योजना से स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** प्र.क्र. **(ख)** के संदर्भ में परियोजना सांवेर अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र लोहागल में सांझा चूल्हा अंतर्गत समूह स्थानीय नहीं था। इसकी जनसुनवाई में शिकायत प्राप्त होने पर दिनाँक 6.7.2015 को जाँच कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर 1

अगस्त 2015 से कार्य हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं ग्राम लोहागल में स्थानीय समूह के विरूद्ध शिकायत आने पर स्वयं सहायता समूह को परिवर्तन किया गया। **(घ)** सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 221 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। कोई भी समूह रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी से पंजीकृत नहीं है।

हरजिन आदिवासी बस्तियों में हैण्डपंपों का खनन

13. (क्र. 647) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** इंदौर जिले में वर्ष 2012 से 2015 तक विभागीय मदों से कहाँ-कहाँ पर अनुसूचित जाति, आदिवासी बस्तियों में हैण्डपंपों का खनन एवं हैण्डपंपों के प्लेटफार्मों का निर्माण ठेकेदारों द्वारा किया गया? सूची सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बस्तियों के प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न दिनाँक तक कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं? उनमें से कितने स्थानों पर हैण्डपंपों का खनन व प्लेटफार्मों का निर्माण कराया गया व कहाँ-कहाँ पर बोरिंग खनन का विद्युत संयोजन कराकर जल वितरण प्रारंभ कराया गया? सूची उपलब्ध कराये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में सांवेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में निगम सीमा में शामिल किये गये ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग खनन के प्रकरण लंबित है? लंबित होने का क्या कारण है? निगम सीमा में शामिल क्षेत्रों में बोरिंग खनन किस विभाग के माध्यम से कराया जायेगा? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में क्या लंबित प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

गुना जिले के भूमि सर्वे नं. 27 एवं 27/1 एवं 27/1, 27/2 को शासकीय घोषित किया जाना

14. (क्र. 668) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गुना जिले की तहसील बमोरी के ग्राम चीतोड़ी (वर्धा पांडौन) की भूमि सर्वे नं. 27 रकवा 42.134 कदीम वर्ष 1999 से पूर्व शासकीय कदीम थी? यदि हाँ, तो जानकारी दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित भूमि को वर्ष 1999-2000 के खसरे के कॉलम नं. 16 में सर्वे न. 27 मिन का रकवा 27.670 हेक्टर राजा गंगा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह पांडौन के नाम पर नामांतरण पंजी क्र. 15/27-5-2000 से वटा स्वीकृत एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुना के प्र.क्र. 2 अ 90वी (3) के तहत अमल किया शेष भूमि का वटा स्वीकृत की प्रविष्टि राजस्व के कौन से कर्मचारी ने की? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित राजस्व आदेश अनुविभागीय अधिकारी गुना के प्र.क्र. 2 अ 90वी (3) का प्रकरण दायरा रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो क्या उक्त आदेश फर्जी है? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क)**, **(ख)** एवं **(ग)** में उल्लेखत प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में है या सही दर्ज नहीं है या फर्जी है तो क्या जाँच करायेंगे यदि शासकीय भूमि को षडयंत्र रचकर सर्वे नं. 27 ग्राम चीतोड़ी की भूमि हड़पी है, तो क्या उसे पुन: शासकीय घोषित करेंगे दोषियों पर कार्यवाही करेंगे कब और कैसे कारण सहित विवरण दें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषकों के राजस्व खसरों में बिना आदेश के विक्रय वर्जित दर्ज किया जाना

15. (क्र. 670) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गुना जिले की समस्त तहसीलों के भू-स्वामी कृषकों के कृषि खातों खसरों में वर्ष 1997 से 2003 तक या प्रश्न दिनाँक तक बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश बिना पटवारियों एवं कम्प्युटर आरपेटरों द्वारा विक्रय वर्जित दर्ज कर दिया? यदि हाँ, तो विवरण दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में से ऐसे कितने भू-स्वामी कृषक हैं जिनके खसरों में विक्रय वर्जित लिखा है यदि हाँ, तो विवरण दें? **(ग)** यदि बिना सक्षम अधिकारी के पटवारियों या कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा विक्रय निषेध खसरों के कॉलम नं.12 में दर्ज किया है तो उनको कैसे हटायेंगे? **(घ)** क्या गुना-बमोरी तहसील में ऐसे भूस्वामी कृषकों के खाते हैं जिनके पटवारी खसरों में विक्रय वर्जित नहीं है कम्प्यूटर खसरों में लिखा है कौन दोषी है कैसे सुधारेंगे पटवारी हल्कावार जाँच कर कारणों सहित विवरण दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अशोकनगर जिले में चारा विकास योजना एवं औषधि क्रय में अनियमितता</u>

16. (क्र. 671) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या गुना-अशोकनगर जिलों में पशुपालन विभाग के द्वारा वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक औषधि क्रय की है? यदि हाँ, तो क्या औषधि की गुणवत्ता का परीक्षण प्रयोगशाला में कराया है? यदि हाँ, तो क्या औषधि परीक्षण करने के बाद विभाग द्वारा भुगतान किया है? यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों की परीक्षण रिपोर्ट सहित भुगतान करने वाले दोषियों के नाम एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण दें? **(ख)** क्या गुना-अशोकनगर जिलों में पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014 तक चारा विकास योजना में मक्का, चरी, वर्षीय किन किसानों को कितने प्रदर्शन प्लांटों में उत्पादन हेतु चयन किया था यदि हाँ, तो क्या चारा उत्पादन करने वालों को ही कुट्टी मशीने दी थी कि योजना से अन्य कृषकों का सत्यापन कर सूची सहित विवरण दें? **(ग)** क्या चारा विकास योजना के प्रश्न **(ख)** में उल्लेखित कृषकों को ही यूरिया का वितरण किया है यदि हाँ, तो, चारा उत्पादन करने वाले कृषकों और यूरिया खाद्य देने वालो की सूची सत्यापन सहित दे यदि नहीं, तो क्या फर्जी हस्ताक्षर कर प्राप्ति सूची बनाकर यूरिया खाद्य का वितरण किया है कौन दोषी है कारण सहित बताये? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क) (ख) (ग)** में विभाग द्वारा क्रय की गई औषधि, चारा विकास योजना में दिये गये बीज, यूरिया, खाद्य एवं दी गई कुट्टी मशीन आदि के हितग्राही एवं कृषकों की सूचियों एवं औषधि परीक्षण रिपोर्ट तथा भुगतान आदि लेखों की क्या विभाग अन्य तकनीकी विभाग से जाँच करायेगा? सत्यापन और मूल्यांकन करायेगा क्या दोषियों पर कार्यवाही करेंगे कब और कैसे विवरण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। जी हाँ। विभागीय औषधि क्रय नीति 2012 की कंडिका 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 एवं 8.11 के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 से क्रय की गई औषधियों का रेण्डम सैम्पल के आधार पर प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ। जिला गुना में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में तथा जिला अशोकनगर द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में रेण्डम आधार पर औषधि परीक्षण किया गया। वर्ष 2014-15 में जिला अशोक नगर द्वारा औषधि परीक्षण नहीं कराया गया। वर्ष 2014-15 में औषधि परीक्षण नहीं करवाने वाले तत्कालीन अधिकारी डॉ; आर.पी.एस.भदौरिया उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अशोकनगर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। गुना जिले में एसीलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट

प्रोग्राम योजनांतर्गत चारा विकास कार्यक्रम में पशुपालक/कृषक/दुग्ध समिति सदस्य इत्यादि को चारा उत्पादन हेतु वर्ष 2011-12 में 2470 हितग्राहियों को, वर्ष 2012-13 में 4940 हितग्राहियों को तथा वर्ष 2013-14 में 2470 हितग्राहियों को चारा बीज किट प्रदाय किए जाने हेतु चयन किया गया था। इसी प्रकार अशोकनगर जिले में एसीलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम योजनांतर्गत चारा विकास कार्यक्रम में पशुपालक/कृषक/दुग्ध समिति सदस्य इत्यादि को चारा उत्पादन हेतु वर्ष 2011-12 में 2470 हितग्राहियों को, वर्ष 2012-13 में 2470 हितग्राहियों को तथा वर्ष 2013-14 में 2470 हितग्राहियों को चारा बीज किट प्रदाय किए जाने हेतु चयन किया गया था। जी हाँ, 2470 हितग्राहियों के क्लस्टर में से 50 हितग्राहियों को योजना अनुसार चारा कुट्टी मशीन प्रदाय की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ-1 एवं अ-2 अनुसार है।** **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब-1 एवं ब-2 अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्टापडेम/चेकडेम कार्य में वित्तीय अनियमितता

17. (क्र. 758) श्रीमती इमरती देवी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2011-12 से 2014-15 में ग्वालियर जिले के विकास खंड, डबरा, भितरवार, मुरार, घाटीगांव में किस स्थान/ग्राम, में कितनी राशि के स्टापडेम/चैकडेम, वर्षवार स्वीकृत किये गये तथा प्रश्न दिनाँक तक प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं किस उपयंत्री की देख-रेख में कार्य कराया गया कार्य की वर्तमान स्थिति बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार उक्त अवधि में बनवाये गये स्टाप डेम/चैकडेम, में से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने किस कारण से अपूर्ण हैं, जिन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा? उक्त कार्यों में से किस स्थान के कार्य का भौतिक सत्यापन किस एस.डी.ओ./ई.ई. ने किया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार।

जौरा तहसील के ग्राम-खाडौली में भूमि की गलत प्रविष्टि

18. (क्र. 763) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना तहसील जौरा के ग्राम खाडौली की भूमि सर्वे क्र. 2712, 2713, 2717, 2719 का भूमि स्वामी श्रीमती सुनेना पत्नी शिवराम सिकरवार एवं श्रीमती मंजेश पत्नी विनोद सिकरवार की जमीन खसरा, कम्प्यूटर, राजस्व पुस्तक में दर्ज होकर भूमि स्वामी एवं कृषक कार्य 2006 वर्ष से कर रहे हैं? **(ख)** क्या यह भी सही है पटवारी द्वारा उक्त सर्वे भूमि को मनमर्जी से श्रीमती बैजन्ती गुर्जर पत्नी बेबा रोशन सिंह के नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया है क्यों उक्त कृत्य के लिये पटवारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(ग)** क्या यह भी सही है कि इस त्रुटि के लिये आवेदिकाओं द्वारा अनेक बार तहसीलदार एस.डी.एम जौरा आवेदन देकर रिकार्ड ठीक कराने का निवेदन किया गया है लेकिन आवेदिकायें काफी समय से कार्यालय के चक्कर काट रहे है? **(घ)** क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के अनेक प्रकरणों में किसानों को परेशान कर उनका समय पैसा खर्च कराया जाता है क्या शासन ऐसी समस्याओं का स्थाई समाधान खोजेगा यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विदिशा पुलिस द्वारा मुरैना न्यायालय के वारन्ट की तामीली

19. (क्र. 767) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विदिशा पुलिस अधिकारियों द्वारा मुरैना विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के वर्ष 2006-07 के प्रकरण क्र.4613/06, 5679/06, 1735/06, 1220/07 से जारी वारन्ट श्रीमती कल्पना पत्नि विजय जैन निवासी मालरोड गंजबासौदा जिला-विदिशा को कई बार जारी होने के बाद भी आज तक तामील नहीं कराये गये हैं क्यों? **(ख)** क्या स्थानीय विधायक सुमावली (मुरैना) द्वारा प्रदेश व विदिशा के वरिष्ठ अधिकारियों को वारन्ट तामील नहीं होने का शिकायती पत्र भी भेजा गया था? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या विभाग न्यायालय कार्यवाही में कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या चैक बाउन्स जैसे आर्थिक अपराधों के वारन्ट तामील नहीं करने में स्थानीय (विदिशा) पुलिस रूचि नहीं ले रही है? वारन्टों को कब तक तामील करा दिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। सक्षम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 4613/06, 5679/06, 1735/06 एवं 1220/07 में श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री विनय जैन निवासी मील रोड गंजबासौदा, जिला विदिशा के विरूद्ध जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट दिनाँक 01.07.2008 को थाना गंजबासौदा में प्राप्त हुए थे। उक्त वारंट गुम हो जाने के कारण तामील नहीं किये जा सके। **(ख)** जी हाँ। माननीय विधायक (सुमावली) मुरैना द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गंजबासौदा के माध्यम से कराई गयी। जाँच में गंजबासौदा थाने मे पदस्थ तत्कालीन उप निरीक्षक श्री एम.पी.निरंजन एवं तत्का. प्रधान आरक्षक 558 श्री सुमेर सिंह को प्रश्नांकित स्थाई वारंटों के गुमने, एवं वारंट संबंधी अभिलेख के उचित संधारण में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया। जाँच में दोषी पाये गये दोनों पुलिस अधिकारियों की मृत्यु जाँच पूर्व हो जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकी है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्नांकित वारंट दिनाँक 06.07.2015 को पुनः संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर उनकी तामीली हेतु एक विशेष टीम को दायित्व सौंपा गया है जिनके द्वारा तामीली हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ऊषा किरण योजना में दर्ज प्रकरणों का निराकरण

20. (क्र. 798) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** म.प्र. में उषा किरण योजना का क्रियान्वयन किस दिनाँक से किया गया है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत सतना जिले में 31 जनवरी 2015 तक कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये हैं तथा इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण हो चुका है तथा कितने प्रकरण निराकरण के लिए शेष हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार दर्ज हुये प्रकरणों में से कितने प्रकरण सही एवं प्रमाणित पाये गये हैं? तथा उनमें से कितने प्रकरणों में सुलह करायी जाकर प्रकरण निराकृत किये गये हैं? **(ग)** पंजीयत कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं को संरक्षण दिया गया, कितनी महिलाओं को कानूनी सहायता दी गई, तथा कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं को पुर्नवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी? **(घ)** दिनाँक 31 जनवरी 2015 की स्थिति में दर्ज हुये प्रकरणों में से कितने प्रकरण लंबित हैं और क्यों? इन लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक करा दिया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) म.प्र. में उषा किरण योजना का क्रियान्वयन दिनाँक 31/03/2008 से किया गया है। योजना के मूल उद्धेश्य **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** सतना जिले में 31 जनवरी 2015 तक की प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है-दर्ज प्रकरण 65, निराकृत प्रकरण 42, शेष प्रकरण 23 **(ख)** दर्ज 65 प्रकरण सही एवं प्रमाणित पाये गयें, सुलह से 18 प्रकरण निराकृत किये गये। **(ग)** 05 प्रकरणों में 05 महिलाओं को संरक्षण दिया गया, 29 प्रकरणों में 29 महिलाओं को कानूनी सहायता दी गई। 03 प्रकरणों में 03 महिलाओं का पुर्नवास किया गया। **(घ)** कुल 23 प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं।

<u>अपराधियों पर कार्यवाही एवं पीडित परिवार को आर्थिक सहायता</u>

21. (क्र. 803) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन भोपाल को दिनाँक 17.05.2015 को सतना जिले के थाना कोलगंवा अन्तर्गत मलगॉव मचौहा बस्ती में लगभग 30 वर्षों से शासकीय आराजी में बसे दलित परिवारों को उजाड़ने एवं घर में घुसकर आग लगाने वाले दबंगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से दिनाँक 21.05.2015 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, म.प्र. भोपाल को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है? **(ग)** यदि हाँ,तो क्या दलित परिवार को कोई आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई जिससे वे पुन: अपने घरों की मरम्मत करा सकें? यदि नहीं, दी गई तो कब तक दी जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। **(ग)** श्री श्यामराज पुत्र श्री रामप्रताप चौधरी, निवासी मलगवां, मचौहा बस्ती, थाना कोलगवां जिला सतना द्वारा इस आश्य का आवेदन पत्र दिया गया था कि दबंगों द्वारा उसके अरहवासी मकान में आग लगाई गई है एवं विवाद किया है। आवेदन पत्र की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 05.05.15 को अनावेदक भारगेन्द्र बहादुर सिंह पिता हीरासिंह की जमीन नपती की कार्यवाही की जा रही थी। जमीन नपती के समय ही शासकीय भूमि को लेकर आवेदक श्यामराज के पिता रामप्रताप चौधरी का अनावेदक भारगेन्द्र बहादुर सिंह के साथ विवाद होने पर से आवेदक के पिता श्री रामप्रताप चौधरी द्वारा स्वयं के मकान में आग लगा दी, घटना घटित होते समय मौके पर हल्का पटवारी चौकीदार, सरपंच अन्य लोग उपस्थित थे। थाना कोलगवां जिला सतना में आवेदक श्यामराज की सूचना पर से आगजनी क्रमांक 13/15, अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध कायम की थी। संपूर्ण जाँच से अपराध का घटित होना नहीं पाये जाने एवं आवेदक को राहत राशि की पात्रता नहीं होने के कारण आर्थिक राहत राशि नहीं दी गई।

<u>जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागीय कार्यों के संबंध में</u>

22. (क्र. 880) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शासन / विभाग द्वारा केन्द्र / राज्य प्रवर्तित (1) औषधी पौध मिशन (2) प्रदर्शन,मिनी किट कार्यक्रम (3) राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (4) फल पौध रोपण कार्यक्रम (5) सब्जी मसाला क्षेत्र विस्तार योजना (6) माईक्रो इरीगेशन योजना, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन जावरा विधानसभा क्षेत्र में निरंतर रूप से किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग

द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये?कितनी योजनाओं के माध्यम से कितने स्थानों पर कार्य होकर कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हुए? **(ग)** साथ ही उक्त वर्षों में उपरोक्त स्थानों पर क्रियान्वित योजनाओं/कार्यों हेतु कितना बजट प्रश्नांश **(ख)** अवधि के वर्षों में स्वीकृत होकर कितना-कितना बजट किन-किन कार्यों पर व्यय हुआ? **(घ)** जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्रियान्वित समस्त विभागीय योजनाओं से किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन सहित स्पष्ट स्थिति से अवगत कराएं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (घ)** जावरा विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित विभागीय योजनाओं में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन उपरान्त लाभान्वित हितग्राहियों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया गया।

<u>परिशिष्ट – "छब्बीस"</u>

<u>दोषी के विरूद्ध कार्यवाही</u>

23. (क्र. 962) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले के थाना मऊगंज में अखण्ड प्रताप सिंह रामावतार साकेत एवं राकेश आरक्षक पद पर पदस्थ हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या इनके द्वारा क्षेत्र में निर्दोष, निरपराध लोगों को चोरी तथा अन्य अपराधों का आरोपी बनाकर सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, पैसे वसूल करना न मिलने पर धारा 151 की कार्यवाही करने से आमजन परेशान हैं एवं इनकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को क्या शपथ पत्र सहित की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में यदि हाँ, तो क्या इनको वहां से हटाकर इनकी सीआईडी या विभागीय जाँच कर दण्डित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **(ख)** यह सही नहीं है कि इनके द्वारा निर्दोष, निरपराध लोगो को चोरी तथा अन्य अपराधों का आरोपी बनाकर सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, पैसा वसूल करना, न मिलने पर धारा 151 की कार्यवाही करने से आमजन परेशान है, बल्कि सही यह है कि दिनाँक 06.06.2015 के 18.30 बजे संदीप बंसल पिता रामकरण बंसल उम्र 20 साल निवासी ग्राम पंडितपुर्वा थाना मऊगंज को बस स्टैण्ड के पास शांतिभंग करने के आरोप में प्रधान आरक्षक 883 रामअवतार रावत द्वारा गिरफ्तार किया जाकर इस इस्तगासा क्रमांक 58/15 धारा 151,107,116 (3) द.प्र.स. तैयार कर एस.डी.एम. न्यायालय मऊगंज में प्रस्तुत किया गया था जिसे एस.डी.एम. मऊगंज द्वारा जेल भेजा गया था। इसी संदर्भ में मान. विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना द्वारा अपने लेटर पेड में एक शिकायत पत्र आवेदक संदीप बंसल पिता रामकरण बंसल उम्र 20 साल निवासी ग्राम पंडीतपुर्वा के शपथ पत्र के साथ पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा को अन्य अधिकारी/कर्मचारी के साथ भी उक्त प्रश्न **(क)** में वर्णित कर्मचारियों के विरूद्ध दी गई थी जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है।** आवेदक संदीप बसंल पिता रामकरण बंसल द्वारा दिया गया शपथ पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"अनुसार है।** शिकायत पत्र की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस मऊगंज द्वारा की गई। जाँच पर शिकायत में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये। जाँच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (ग)** प्रशनांक 'क' एवं 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अवैध कब्जा एवं नामांतरण</u>

24. (क्र. 993) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसीलदार मंदसौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों की अव्हेलना कर आवेदिका कल्लोबाई आदि के प्रकरण (9अ/74/2008-2009) में अब तक अधिपत्य दिलाने, बटानंबर करने के आदेश में 37 वर्षों बाद भी पालन न करने की वास्तविकता क्या है? पूर्ण ब्यौरा दें? **(ख)** क्या माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश पश्चात स्थानीय पटवारियों ने तत्कालीन तहसीलदारों से मिलकर गरीब आवेदिका की भूमि पर अवैध कब्जे करवाकर गलत नामांतरण भी किये है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? **(ग)** शासन ने इस गरीब की भूमि पर न्यायालय की अवमानना कर अवैध कब्जे करवाने, अवैध नामांतरण के दोषी पटवारी तहसीलदारों पर अब तक क्या कार्यवाही? की नहीं की तो क्यों? **(घ)** कब तक न्यायालय आदेशों का पालन करवाया जाकर पीड़ित को अधिकार मिलेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रदेश में सजापूर्ण होने के बावजूद कैदियों की रिहाई</u>

25. (क्र. 1041) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश की जेलों में ऐसे कई कैदी हैं, जिनकी सजा पूर्ण होने के बावजूद रिहाई नहीं हो सकी है क्यों? कैदियों की संख्या संभागवार बताई जावे? **(ख)** उक्त कैदियों की रिहाई नहीं हो सकने के क्या कारण रहे हैं, शासन द्वारा उनकी रिहाई के क्या-क्या प्रयास किये हैं? **(ग)** शासन ऐसे कैदियों के बारे में सामूहिक निर्णय कर उनको कब तक रिहा किया जा सकेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नांश- 'क' के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शहरों के आस-पास अवैध निर्माण</u>

26. (क्र. 1132) श्री मधु भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भू-राजस्व संहित तथा शासन द्वारा जारी अन्य परिपत्रों के आधार पर डायवर्सन करने के क्या नियम, मापदण्ड, प्रक्रिया, प्राधिकार, समय-सीमा तथा उल्लंघन करने पर क्या सजा है? **(ख)** बालाघाट तथा भोपाल में नगरपालिका/नगर निगम/नगर पंचायत की परिधि के आस-पास, कृषि भूमि, किसानों से लेकर,कॉलोनाईजर के आधिपत्य में है तथा प्लाट काट कर बेचे जा रहे हैं क्या इसकी जानकारी विभाग को है? **(ग)** यदि हाँ, तो उक्त जिलों के अंतर्गत 01 जनवरी 2010 से 31.12.2014 की अवधि में कौन-कौन सी कालोनी, समितियों व्यक्तियों/समूह द्वारा कृषि भूमि पर निर्माण किया अथवा विकास कार्य किया गया? ग्रामवार, नाम बतायें? **(घ)** क्या शिकायत प्राप्त होने पर ही विभाग कार्यवाही या जाँच करता रहा है? विभाग को यदि शिकायत प्राप्त नहीं होती है तो क्या यह माना जाये कि जो कुछ अवैध निर्माण कार्य हुए है, वह विभाग की अप्रत्यक्ष सहमति, और अनुमति से हुए है और वे वैद्य है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मर्जर एग्रीमेंट की शासकीय भूमियों की अवैध रूप से रजिस्ट्री</u>

27. (क्र. 1148) श्री आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि वर्ष 2000 से अभी तक मर्जर एग्रीमेंट की शासकीय भूमियों के आवंटन, रजिस्ट्रीकरण, नामांतरण एवं एन.ओ.सी. दिये जाने पर प्रतिबंधित होने के बावजूद रसूखदार शासन के अधिकारी, बिल्डर एवं जनप्रतिनिधियों के व उनके परिवारजन के नाम से रजिस्ट्रीकरण के आदेश एवं एन.ओ.सी. प्रदान की गई है? **(ख)** यदि नहीं, तो क्या शासन जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें और यदि हाँ, तो यह अवगत करावें कि प्रदेश शासन के कौन-कौन अधिकारी, बिल्डर व जनप्रतिनिधि है, जिनके व उनके परिवारजन के नाम मर्जर एग्रीमेंट की शासकीय भूमियों की रजिस्ट्री हुई है? **(ग)** क्या यह सही है कि मर्जर एग्रीमेंट की शासकीय भूमियों के संबंध में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखे गये थे? यदि हाँ, तो किन-किन जनप्रतिनिधियों ने कब-कब किस-किस संबंध में पत्र लिखे थे और उन पत्रों के संबंध में की गई कार्यवाही से भोपाल कलेक्टर कार्यालय द्वारा नियमानुसार जनप्रतिनिधियों को प्रश्न दिनाँक की स्थिति में अवगत नहीं कराया गया? यदि हाँ, तो इस नियम विपरीत कार्यवाही के लिये कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों नाम सहित बतावे?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के संबंध में</u>

28. (क्र. 1288) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास योजना के तहत कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? इन योजनाओं के तहत किन-किन संवर्ग के लोगों को पात्र हितग्राही बनाया जाता है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के ही संदर्भ में -**(क)** में अंकित योजनाओं के तहत विगत 5 वर्षों में किन-किन हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ा गया? क्या इन योजनाओं के तहत सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? यदि हाँ, तो लाभान्वित हितग्राहियों की सूची से अवगत कराये जाने का कष्ट करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के तहत योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है।** इन योजनाओं में वंशानुगत मछुआरा/अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के मछलीपालन से संलग्न व्यक्तियों को पात्र हितग्राही बनाया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में विगत पांच वर्षों में पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया है। जी हाँ योजनाओं के तहत सिरमौर विधानसभा के पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।**

<u>शिवपुरी जिले में रिक्त पदों की पूर्ति</u>

29. (क्र. 1298) श्री प्रहलाद भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में शासकीय विभागों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं? सभी विभागों की पदवार, वर्गवार (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग/महिला/विकलांग /सामान्य व अन्य) जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या

सरकार द्वारा इन रिक्त पदों की भर्ती की कोई योजना है? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम कटरा को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में

30. (क्र. 1322) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सिहोरा के ग्राम कटरा को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 301 दिनाँक 03.06.2015 के द्वारा कलेक्टर जबलपुर को लिखा गया था? पत्र की प्रति उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** पत्रानुसार क्या कार्यवाही की गई? ग्राम कटरा का नाम राजस्व अभिलेख सम्मिलित हो गया हो तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, किया गया तो कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैण्ड पंप खनन पाइप लाईन विस्तार

31. (क्र. 1323) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में हैण्ड पंप खनन एवं पाईप लाईन विस्तार के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा 1/4/13 से प्रश्नांश दिनाँक तक कब-कब प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार कहाँ-कहाँ हैण्ड पंप खनन एवं पाईप लाईन विस्तार का कार्य कराया गया? कहाँ-कहाँ कराया जाना शेष है? अभी तक क्यों नहीं कराया गया? विलंब के लिये कौन-कौन दोषी है? कब तक कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

फौती, नामांतरण एवं मुख्यमंत्री आवास पट्टा के लंबित प्रकरण

32. (क्र. 1324) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील सिहोरा एवं कुण्डम में दिनाँक 30.05.2015 की स्थिति में फौती, नामांतरण एवं मुख्यमंत्री आवास के पट्टों के कितने-कितने प्रकरण कब से लंबित हैं और क्यों? हल्कावार व ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** प्रकरणों के निराकरण की शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने के लिये कौन-कौन दोषी है? इनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंचायतराज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम का उल्लंघन

33. (क्र. 1342) श्री मुकेश नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नोत्तरी दिनाँक 09.07.2014 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2546 के प्रश्नांश **(क)** का उत्तर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम, 1993 का उल्लंघन होता है? इसके लिए निर्माणकर्ता जिम्मेदार है? **(ख)** का उत्तर जी हाँ कुल 61 अवैध मकान निर्माणकर्ताओं में से 55 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत बेदखली के

आदेश पारित किये है? शेष 06, के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन है एवं **(ग)** का उत्तर जी नहीं अवैध निर्माण करने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है? अत: लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता, दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या जिन 55 अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं, वास्तव में उनके बेदखली आदेश का क्रियान्वयन (पालन) हुआ या नहीं मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई या नहीं? यदि नहीं, तो आदेश का पालन करने हेतु किसे आदेशित किया है? उस अधिकारी का नाम पद नाम तथा उसके आदेश की प्रति उपलब्ध करावें तथा शेष 6 विचाराधीन प्रकरण का विवरण दें तथा उन्हें अभी तक क्यों विचाराधीन रखा गया है? उनमें निर्णय क्यों नहीं किए, कब तक कर दिए जायेगें? **(ख)** क्या संबंधित दोषियों के विरूद्ध शासन उच्च स्तरीय जाँच कराकर दंडित करेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों कारण बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बंद नल जल योजना के संबंध में</u>

34. (क्र. 1368) श्री हरवंश राठौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बण्डा की 55 नल जल योजनाएं कार्यालय जिला पंचायत सागर ने अपने पत्र क्रमांक 2525 दिनाँक 17/3/2015 द्वारा बोर में पानी की कमी, विद्युत कनेक्शन, योजना पूर्ण नहीं एवं पाईप लाईन खराब होने के कारण बंद बताई गई हैं। **(ख)** क्या उक्त कमियों की पूर्ति के लिए विभाग जवाबदार नहीं है? यदि हाँ, तो अभी तक कमियों को दूर क्यों नहीं कराया गया? बंद नल जल योजनाएं कब तक चालू करा दी जावेगी? **(ग)** ग्राम पंचायत सेसईसाजी की नल जल योजना को विभाग ने चालू बतलाया है जबकि पंचायत के प्रतिवेदन के अनुसार योजना पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रारंभ से ही बंद है। अत: विभाग द्वारा गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। विभाग की इस लापरवाही के लिए कौन जवाबदार है, तथा कब तक नल जल योजना चालू करा दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** जलप्रदाय योजना के स्रोत समाप्त होने पर नवीन स्रोत निर्माण को छोड़कर अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं है। बंद योजनाओं को चालू करने हेतु किये गये प्रयासों एवं समयावधि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। (ग)** योजना में टंकी का निर्माण कार्य अपूर्ण है। योजना से सीधे पंपिंग के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा था। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>पहाड़ चट्टान मद में दर्ज जमीन</u>

35. (क्र. 1416) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में पहाड़ चट्टान, घांस, चरनोई, गोचर मद में दर्ज वृक्ष विहीन जमीनों को किस दिनाँक की अधिसूचना के तहत संरक्षित वन भूमि अधिसूचित किया गया? किस आदेश के अनुसार असीमांकित वन या नारंगी वन घोषित किया गया? **(ख)** बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में दर्ज पहाड़ चट्टान घांस, चरनोई, गोचर मद में दर्ज वृक्ष विहीन जमीनों को सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस दिनाँक के आदेश से परिभाषित वन भूमि माना गया? इन जमीनों को संरक्षित वन, असीमांकित वन एवं नारंगी वन माने जाने के क्या

न्यायालयीन आदेश हैं? **(ग)** बैतूल जिले के राजस्व अभिलेखों में दर्ज वृक्ष विहीन पहाड़ चट्टान, घास, चरनोई, गोचर मद की जमीनों को संरक्षित वन, असीमांकित वन, नारंगी वन या न्यायालय द्वारा परिभाषित वन माने जाने का अधिकार राज्य शासन ने किस-किस आदेश क्रमांक दिनाँक तक किस-किस अधिकारी को प्रदान किया हैं, प्रति सहित बतावें? **(घ)** वृक्ष विहीन पहाड़ा चट्टान, घांस, चरनोई, गोचर मद में दर्ज जमीनों को वन विभाग की कार्यआयोजना में सम्मिलित किस जाने का अधिकार या अनुमति कलेक्टर बैतूल ने किस आदेश क्रमांक दिनाँक से दी है? यदि नहीं, दी तो कारण बतावें कब तक कलेक्टर अनुमति देगें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जनवरी 2014 से लागू अर्जन व कानून</u>

36. (क्र. 1417) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2014 से लागू भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कानून एवं इस कानून के बाद राजपत्र में प्रकाशित किए गए अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार ने प्रश्नांकित तिथि तक किस दिनाँक को आदेश, निर्देश, अधिसूचना जारी की? **(ख)** किन-किन कार्यों के लिए या किन-किन परियोजनाओं के लिए अर्जित की जाने वाली निजी भूमि के प्रभावितों का पुनर्वास किए जाने उनकी पुनर्स्थापना किए जाने की छूट भूअर्जन अधिकारी या राज्य शासन को कानून या अध्यादेश की किस-किस धारा में दी गई है? **(ग)** किन-किन कार्यों का किन-किन परियोजनाओं के लिए अर्जित निजी भूमि को प्रभावितों को मुआवजा राशि के दो गुना या चार गुना मुआवजा भुगतान का राज्य में किस दिनाँक को प्रावधान किया गया किन-किन कार्यों का किन-किन परियोजनाओं के लिए अर्जित निजी भूमि के बदले दो गुना या चार गुना मुआवजा भुगतान का प्रावधान किन कारणों से नहीं किया गया?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बेराजगारों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में</u>

37. (क्र. 1430) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मंडला जिले में कुटीर एवं ग्राम उद्योग को बेरोजगारों के द्वारा अपने उद्योग स्थापना हेतु कितने आवेदन पिछले दो वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुए हैं? **(ख)** प्राप्त आवेदनों में कितने हितग्राहियों को किस-किस रोजगार से जोड़ा गया है? **(ग)** क्या प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति की प्रत्याशा में लोन हेतु संबंधित बैंक के पास प्रकरण जाता है परन्तु बैंकर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है? **(घ)** क्या ऐसे बैंको के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जो बैंक सरकार से अनुबंध एवं हितग्राहियों की गारंटी सरकार लेती है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विगत 2 वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक बैतूल जिले मे हाथकरघा संचालनालय को 57 आवेदन म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को 490 आवेदन एवं म.प्र. माटीकला बोर्ड को 26 कुल 573 आवेदन प्राप्त हुए है। **(ख)** प्राप्त आवेदन मे से हाथकरघा संचालनालय द्वारा 52 हितग्राहियों को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 164 हितग्राहियों को तथा म.प्र. माटीकला बोर्ड 14 हितग्राहियों को **संलग्न परिशिष्ट** में उल्लेखित उद्योग के माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया। **(ग)** स्वरोजगार हेतु प्राप्त आवेदन जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा उपरान्त

स्वीकृति हेतु बैंको को प्रेषित किये जाते है। बैंक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत का निर्णय करते है। **(घ)** बैंकों पर राज्य शासन का सीधा नियंत्रण नहीं होता है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राज्य शासन द्वारा विभिन्न फोरमों पर ऋण प्रकरणों मे अनुसरण की कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

भोपाल में नजूल की भूमियों को वक्फ ट्रिब्यूनल का भय दिखाकर कैफियत बदलना

38. (क्र. 1507) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 1959 के कई खसरों में म.प्र. राज्य वक्फ बोर्ड, औकाफ आम्मा तथा मुतवल्ली कमेटी द्वारा मनमाने ढंग से शासकीय भूमियों को अपना बताकर कैफियत बदली गई है? क्या इन मामलों में पूर्व से म.प्र. राज्य वक्फ बोर्ड औकाफ आम्मा तथा मुतवल्ली कमेटी सिविल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक कई बार हार चुकी है और बतौर मुआवजा माफी के संबंधितों को राशि भी आवंटित कर दी जा चुकी है? **(ख)** क्या राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय द्वारा वर्ष 1935 और 1940 में पट्‌टों पर आवंटित की गई शासकीय भूमियों को षड़यंत्र रचकर 1959 के खसरे को बदलकर कैफियत औकाफ किया गया और क्या भोपाल के लगभग 60 प्रतिशत रहवासी जिनकी भूमि शासकीय है और नजूल से प्राप्त है। इनमें से कई को शासन ने विभिन्न योजनाओं के तहत पट्‌टे पर भूमि प्रदान की है। क्या इन भूमियों के खसरे कैफियत औकाफ जबरिया दर्शाई गई है? **(ग)** क्या वक्फ ट्रिब्यूनल जिन प्रकरणों में औकाफ आम्मा म.प्र. राज्य वक्फ बोर्ड मुतवल्ली कमेटी स्पष्ट रूप से हार चुकी है, उनमें भी पैरवी कर रहे है और क्या कुछ ऐसे मामलों में भी वक्फ ट्रिब्यूनल पैरवी कर रहा है जो रहवासी हाईकोर्ट से जीते हुए हैं? क्या वक्फ ट्रिब्यूनल की पात्रता सिविल कोर्ट की बराबर की है, तो जानकारी उपलब्ध करायें कि सिविल कोर्ट की पात्रता वाला वक्फ ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट से जीते हुए प्रकरणों में कैसे सुनवाई कर सकता है? **(घ)** क्या गजट नोटिफिकेशन रेवेन्यू में यह स्पष्ट उल्लेख था कि जिन प्रकरणों में औकाफ म.प्र. वक्फ बोर्ड अथवा मुतवल्ली कमेटी एवं औकाफ आम्मा पूर्व से केस हार चुके हैं तथा हर्जाना दे चुके हैं, उन प्रकरणों में वक्फ ट्रिब्यूनल पुनः पैरवी नहीं करेगा? क्या यह सही है कि लगभग वक्फ ट्रिब्यूनल में एक हजार से अधिक मामले ऐसे ही चल रहे हैं जिनमें औकाफ पूर्व में दो से चार बार हार चुकी है? क्या प्रदेश के रहवासियों को औकाफ तथा वक्फ बोर्ड म.प्र. वक्फ ट्रिब्यूनल के माध्यम से इसी तरह परेशान करता रहेगा या म.प्र. शासन इन पर रोक लगाएगा? क्या इनकी मान्यता समाप्त करने या इनमें चल रहे प्रकरणों की वास्तविकता की जाचं की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फ्री होल्ड जमीन करने के नियम/प्रक्रिया

39. (क्र. 1522) श्री मधु भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कलेक्ट्रेट भोपाल में लीज फ्री होल्ड किस प्राधिकारी द्वारा, किन तथ्यों, दस्तावेजों, कितनी शुल्क लेकर, किसकी रिपोर्ट के आधार पर कितने दिन में की जायेगी? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम/निर्देश है? **(ख)** कलेक्ट्रेट भोपाल में लीज फ्री होल्ड करने के लिये कितने आवेदन, कब से लम्बित/विचाराधीन है, तिथि के क्रम में आवेदन कर्ता के नाम, भूमि का ब्यौरा तथा आवेदन दिनाँक से क्या-क्या कार्यवाही किस तिथि को किस अधिकारी/कर्मचारी ने की? **(ग)** क्या भोपाल नगर स्थित

सुरुचि नगर के प्लाट क्रमांक, 02,10,11,13,16 या सुरुचि नगर के निवासियों के आवेदन दिसम्बर 2014 में प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो फ्री होल्ड करने में क्या कठिनाई, और क्यों है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**मंदसौर जिले में स्पाईस पार्क का निर्माण**</u>

40. (क्र. 1613) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** रतलाम-मंदसौर जिले में क्या विभाग द्वारा स्पाईस पार्क स्थापित करने के लिये कोई योजना है यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण रूप दिया जावेगा? **(ख)** उक्त जिले में किसानों को मसाले की खेती को बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही है इनके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013 से अब तक कब-कब विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई, तिथिवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** से संदर्भित 1 जनवरी 2013 के बाद विभाग को मसाले की खेती प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी खर्च की गई, इससे कितने कृषकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? **(घ)** उक्त जिले में कितनी खाद्य प्रसंस्करण की इकाई 1 जनवरी 2012 के पश्चात स्थापित की गई? इसके लिये कितना अनुदान इकाईवार दिया गया, इन इकाई की स्थिति क्या है, इस संबंध में कितनी भ्रष्टाचार की शिकायत किस-किस अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ, कब-कब प्राप्त हुई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** रतलाम जिले में दो योजना संचालित है। 1. मिर्च, हल्दी, लहसुन के मिनिकिट वितरण। 2. मसाला क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत मिर्च, लहसुन का बीज वितरण किया जाता है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत पृथक से विभाग द्वारा बैठक आयोजित नहीं कि जाती है। अन्य आयोजित बैठकों की जानकारी निम्नानुसार हैः- रतलाम जिला दिनाँक 30.07.2014 एवं दिनाँक 04.07.2015 मन्दसौर जिला दिनाँक 04.10.2013, 14.07.2014 एवं 13.10.2014 **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। के संबंध में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

<u>**मछुआ-क्रेडिट कार्ड योजना/ऋण प्रावधान**</u>

41. (क्र. 1620) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना कब से लागू हुई है और विभाग द्वारा किन जिलों में कितने मछुआ क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं और उनमें से कितने पंजीयत सहकारी समितियों के सदस्य हैं? **(ख)** मछुआ क्रेडिट कार्ड के हितग्राहियों को किन बैंको से कितनी सीमा तक ऋण का प्रावधान किया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनाँक 20.08.2014 में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जबलपुर के पत्र को संलग्न कर किसी वित्तीय संस्था को लेख किया गया है और क्या उसे ऋण की सुविधा प्रदान कर दी गई है? **(घ)** क्या विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा मछुआ क्रेडिट कार्डधारियों के प्रकरणों के निराकरण हेतु वर्ष की किन अवधियों में वित्तीय संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक का प्रावधान किया गया है? **(ड.)** क्या राज्य स्तर पर वित्तीय संस्था के साथ चर्चा कर मछुआ क्रेडिट कार्डधारकों को लाभान्वित करने की दिशा में कोई प्रयत्न किये गये हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रदेश में मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2009-10 से लागू है विभाग द्वारा जिलों में कुल 42349 मछुआ क्रेडिट कार्ड जारी किये गये जिसमें 19336 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्य है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** मछुआ

क्रेडिट कार्ड के तहत हितग्राही को केन्द्रीय सहकारी बैंक से सिंचाई जलाशय हेतु राशि रूपये 2000 प्रति हेक्टेयर ग्रामीण तालाबों में मत्स्यपालन हेतु राशि रूपयें 18300 प्रति हेक्टेयर तथा मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन हेतु राशि रूपयें 23000 प्रति 0.25 हेक्टेयर सीमा तक ऋण का प्रावधान है। **(ग)** जी हाँ। मछली पालन समूह काकरखेडा विकासखण्ड पाटन के 14 सदस्यों के मछुआ क्रेडिट कार्ड हेतु जिला सहकारी बैंक जबलपुर को स्वीकृत हेतु प्रकरण प्रेषित किये गये जो कि आज दिनाँक तक बैंक में लंबित है। **(घ)** जिला स्तरीय समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठकों में समीक्षा का प्रावधान है। **(ड.)** जी हाँ।

<u>परिशिष्ट - "अट्ठाईस"</u>

<u>तहसीलदारों द्वारा जमीनों का गलत नामांतरण</u>

42. (क्र. 1654) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के तहसील कार्यालयों में कार्यरत तहसीलदारों द्वारा जमीनों का नामांतरण किया जाता है? **(ख)** क्या शासन अथवा विभाग के सामने तहसीलदारों द्वारा गलत नामांतरण के मामले सामने आये है? **(ग)** इंदौर जिले में पिछले पांच वर्षों में ऐसे कितने तहसीलदारों द्वारा जमीनों का गलत नामांतरण किया गया व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>म.प्र. में चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा धोखा दिए जाने की शिकायत</u>

43. (क्र. 1661) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में चिटफंड कम्पनियों द्वारा आम जनता के साथ धोखा व जालसाजी के प्रकरण बने हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में किन-किन कम्पनियों के नाम प्रकरण बने है? कम्पनियों द्वारा की गई लूट राशि सहित सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार चिटफंड कम्पनियों के प्रकरणों में प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। प्रश्नांकित अवधि (01.06.12 से 31.05.15) में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में चिटफंड कम्पनियों द्वारा आम जनता के साथ धोखा व जालसाजी से संबंधित पंजीबद्ध प्रकरण व उनसे संबंधित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** संबंधित थानों द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

<u>भू-अर्जन की कार्यवाही/प्रयोजित कार्य विवरण</u>

44. (क्र. 1699) श्री रामलाल रौतेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला शहडोल तहसील सोहागपुर ग्राम शहडोल के आराजी खसरा नं. 67 का अंश भाग 0.80 एकड़ भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस सन् में? उक्त भूमि का मुआवज़ा राशि कितना बना तथा भू-स्वामी ने कब प्राप्त किया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित भूमि को किस प्रयोजन हेतु भू-अर्जित किया गया है? भू-अर्जन के पश्चात् उक्त भूमि पर क्या प्रयोजित कार्य हुए है? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2009 से अब तक भू-अर्जन अधिकारी ने संबंधित विभाग में कुल कितने पत्राचार किए है? उसके अनुपालन में विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुआवज़ा राशि का भुगतान

45. (क्र. 1700) श्री रामलाल रौतेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भू-अर्जन अधिकारी शहडोल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1/अ-82/2014-15/2430 शहडोल दिनाँक 02-06-2015 के अनुपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर जिला शहडोल ने आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित भू-अर्जन की कार्यवाही में किन-किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाकर प्रतिकर की राशि 90% जमा करने का कितने दिवस का अवसर प्रदान किया गया है? निर्धारित कार्य दिवस के अंदर लोक निर्माण विभाग ने राशि जमा कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनपद क्षेत्रों में गुणवत्ता विहीन कार्यों की जाँच

46. (क्र. 1701) श्री रामलाल रौतेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 में जिला अनूपपुर के जनपद जैतहरी राजेन्द्रग्राम, अनूपपुर, कोतमा में विभिन्न कार्यादेशों, अनुबंधों के क्रमांक 52, 53, 69, 70, 71, 87, 118, 119, 120, 104,/2007-08 तथा 144, 139, 150, 178, 206, 207/2008-09 एवं 268, 17/2011-12 के साथ ही 22, 23, 31, 49, 63/2013-14 के तहत पंप हाउस, स्विच रूम, पाइप लाईन, डगबेल निर्माण एवं स्टापडेम का कार्य कुल कितनी लागत से तैयार हुए है? वर्षवार, ठेकेदार के नाम सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित कार्यों की शिकायत जैसे माप पुस्तिका में मनमानी तरीके से माप चढ़ाने, गुणवत्ता विहीन कार्य करने, कार्य के पी.ए.सी. से दुगना-तिगुना भुगतान प्राप्त करने की शिकायत विभाग को की गयी है? अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? **(ग)** मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 2898/CM/ MLA087/2014 भोपाल दिनाँक 21.11.2014 एवं विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 10360/261/22बी-13/ग्रा.यांसेवा/14 भोपाल दिनाँक 08.12.2014 तथा मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 8886 NR-3/मनरेगा/2014 भोपाल, दिनाँक 05.12.2014 के अनुपालन में विभाग ने क्या कार्यवाही की? कार्यवाही न करने का कारण क्या है? क्या विभाग भौतिक सत्यापन उच्च स्तर से करायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कार्यादेशों एवं अनुबंधों के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** अनुबन्ध क्रमांक 268/2011-12 खंड कार्यालय की अनुबंध पंजी में दर्ज नहीं है। **(ख)** जी हाँ। शिकायत की जाँच प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा गठित जाँच दल द्वारा की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

आदिवासियों की भूमि का विक्रय/ रजिस्ट्री

47. (क्र. 1709) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोक नगर जिले के विभिन्न तहसील स्तर के शहरों, कस्बों के 5 किलोमीटर के दायरे में पिछले 5 वर्षों में कितने-कितने आदिवासियों की भूमि का विक्रय होकर रजिस्ट्री हुई? **(ख)** क्या उक्त भूमियों के विक्रय की अनुमति किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा दी गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अनुसूचित जाति जनजाति के भूमि के पट्टे</u>

48. (क्र. 1710) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुंगावली तहसील, जिला अशोकनगर में मुंगावली के स्थानीय विधायक द्वारा इस माह में राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव, जिलाधीश अशोकनगर को की गई शिकायत में उल्लेख किया था कि कांग्रेस शासन में 1998 के बाद जो भूमि के पट्टे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को हुए थे उनमें अधिकांश में जहां बिना जिलाधीश की अनुमति के कुछ की रजिस्ट्री 2005 के बाद सवर्ण या पिछड़ी जाति के लोगों ने करा लिये है तथा खसरा, खतौनी पटवारी रिकार्ड में इन लोगों ने अपने नाम भी डलवा दिये हैं **(ख)** क्या शासन समय-सीमा में जाँच करवायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सार्वजनिक कुंआ/शासकीय भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण</u>

49. (क्र. 1738) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्रीमती किरण शर्मा शिक्षिका एवं विरेन्द्र शर्मा सहा. शिक्षक शास. प्राथमिक शाला ग्राम कन्हरगांव द्वारा ग्राम कन्हरगांव में पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक कुंआ एवं शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा करते हुए उस कुंए का पुराव कर मकान निर्मित किया जा रहा है। ग्रामीणों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा तहसीलदार परासिया एवं जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा को इसकी शिकायत की जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत के शासकीय कुंआ एवं भूमि पर कब्जा किये जाने पर शासन द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(ख)** श्रीमती किरण शर्मा शिक्षिका एवं विरेन्द्र शर्मा सहा. शिक्षिका द्वारा निर्मित मकान को कब तक शासन द्वारा तुड़वाया जावेगा तथा उपरोक्त दोषी शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>शिक्षित बेरोजगारों के साथ ग्रामोद्योग विभाग द्वारा अनियमितताएं</u>

50. (क्र. 1754) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 में अशोकनगर जिले के चंदेरी एवं ईसागढ़ विकासखण्ड में कितने बेराजगारों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किन-किन बैंकों के माध्यम से किस-किस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया है? **(ख)** स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कदवाया में कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित हैं? **(ग)** क्या कुछ बैंक इस योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने में आनाकानी करते हैं जिससे बेरोजगारों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है? **(घ)** ऐसे कितने प्रकरण किन-किन बैंकों में स्वीकृति हेतु लंबित हैं? क्या उन्हें स्वीकृत कराने हेतु विभाग अपनी ओर से कोई कार्यवाही कर रहा है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। अशोक नगर जिले मे चन्देरी व ईशागढ विकास खण्डों में दो व्यक्तियों को भारतीय स्टेट बैंक व दो व्यक्तियों को मध्यांचल ग्रामीण बैंक के माध्यम से मुख्य मंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना के तहत नाई सेलून, टेन्ट हाउस, मूर्ति निर्माण एवं

सायकल मरम्मत आदि कार्यों के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है। **(ख)** उल्लेखित बैंक शाखा में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। **(ग)** एवं **(घ)** वर्ष 2013-14 का कोई भी प्रकरण स्वीकृति हेतु बैंकों में लम्बित नहीं है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते।

<u>चंदेर/ईसागढ़ विकासखण्ड अंतर्गत गांवों में नल जल योजना</u>

51. (क्र. 1760) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** अशोकनगर जिला अंतर्गत चन्देरी विधानसभा अंतर्गत प्रश्न, दिनाँक तक कितनी नल जल योजनायें चन्देरी एवं ईसागढ़ विकास खण्ड के किन-किन गांवों हेतु स्वीकृत हैं? **(ख)** स्वीकृत नल जल योजनाओं में से कितने का कार्य पूर्ण होकर पंचायतों को सौंप दिया गया हैं, कितनी योजनाएं अपूर्ण हैं तथा कब तक पूर्ण हो जावेंगी? जो योजनाएं अपूर्ण हैं उनके लिये दोषी कौन है एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** क्या ग्राम पंचायत कदवाया में वर्ष 2012-13 में 6 इंच मोटी पाइप लाईन वाली नल जल योजना स्वीकृत हुई थी, वह अभी तक किन कारणों से लंबित है? क्या ग्राम पंचायत कदवाया में वर्ष 1984 से स्वीकृत नल जल योजना की पाईप लाईन, चेम्बर व पानी की टंकी इत्यादि खराब हालत में है? **(घ)** क्या कदवाया ग्राम पंचायत विकासखण्ड ईसागढ़ की सबसे बड़ी पंचायत है एवं माँ बीजासन माता का विशाल मंदिर है जहाँ पूरे वर्षभर दर्शनार्थियों का आना-जाना लगा रहता है एवं पुरातत्व नगरी है? अतः योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है? **(ड.)** ग्राम पंचायतों को सौंपी गई जल योजनाओं में से कितनी संचालित हैं एवं कितनी किन-किन कारणों से बंद हैं एवं उन्हें कब तक चालू कर दिया जायेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जी नहीं। **(घ)** ग्राम कदवाया की जल प्रदाय योजना के आवर्धन की मांग संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। योजना के आवर्धन बनाने की मांग प्राप्त होने पर नवीन दिशा-निर्देशानुसार योजना लागत की नियमानुसार जनभागीदारी की राशी एवं 75 प्रतिशत् घरेलू नल कनेक्शनों की सहमति ग्राम पंचायत से प्राप्त होने पर आवर्धन योजना स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है।** शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>नरसिंहगढ़ क्षेत्र के अविवादित नामांतरण/बंटवारे</u>

52. (क्र. 1770) श्री गिरीश भंडारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजस्व के अविवादित नामांतरण/बंटवारे का निराकरण करने की कोई समय-सीमा है? यदि हाँ, तो क्या? नरसिंहगढ़ क्षेत्र के तहसील एवं टप्पो, नरसिंहगढ़/ बोड़ा/तलेन/ कुरावर/पचोर में कितने प्रकरण दर्ज हुये? **(ख)** प्रश्न की कंडिका **(क)** की उपलब्ध जानकारी अनुसार उक्त तहसीलों/टप्पो में दर्ज कितने प्रकरणों को समय-सीमा में पूरा किया गया तथा कितने प्रकरण विचाराधीन है? अगर प्रकरणों को समय-सीमा में पूरा नहीं किया गया है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ, क्या कार्यवाही? कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्लाटून कमाण्डर की वरिष्ठता सूची में संशोधन</u>

53. (क्र. 1773) श्री अनिल जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक (जिला बल) बेंच वर्ष 1999 एवं 2000 की आपसी सहवरिष्ठता सूची तत्समय उपनिरीक्षक के रूप में चयन सूची के प्राप्तांक के आधार पर बनाई गई थी? **(ख)** क्या पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक (वि.शा.) संवर्ग बेंच के 1999 एवं 2000 की वरिष्ठता सूची जो कि बेसिक प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई थी, को वर्ष 2014 में संशोधित कर चयन परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक (वि.शा.) संवर्ग बेंच के 1999 एवं 2000 की वरिष्ठता सूची वर्ष 2014 में जब संशोधित की गई, उक्त उपनिरीक्षक पदोन्नत होकर निरीक्षक हो चुके थे? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या सीधी भर्ती के प्लांटून कमाण्डर बेंच 1999 एवं 2000 जो वर्तमान में कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं, की वरिष्ठता सूची सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक (वि.शा.) बेंच 1999 एवं 2000 के समान ही परिवर्तित कर चयन परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** वर्तमान में वर्ष 1999 एवं 2000 बैच के सीधी भर्ती के प्लाटून कमांडर जो कंपनी कमांडर के पद पर पदोन्नत हो चुके है, के द्वारा चयन प्राप्तांकों के आधार पर पारस्परिक सह-वरीयता निर्धारित करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका परीक्षण कर कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

<u>सदाचारी कैदियों को प्रदान सुविधाएं</u>

54. (क्र. 1780) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दीर्घ सजायाप्ता कैदियों में से सदाचारी अथवा जिन कैदियों का आचरण सुधर जाता है, उन्हें पैरोल पर छोड़ने एवं सजा में कटौती के क्या मापदण्ड है? **(ख)** 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पर किस श्रेणी के सजायाप्ता कैदियों को किन कारणों से सजा में छूट प्रदान कर रिहा किया जाता है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

<u>अजाक्स थानों में दर्ज प्रकरण/कार्यवाही</u>

55. (क्र. 1796) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले के अजाक्स थाने में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के कितने अजा/अजजा वर्ग के फरियादियों द्वारा अपने साथ हुई घटनाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन दिये गये, कितने प्रकरणों की जाँच का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने आवेदन पत्रों की जाँच शेष है? वर्षवार/प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धमरपुरी विधानसभा क्षेत्र के प्राप्त कितने प्रकरणों में शिकायत सही पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्षवार/प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कुल 74 शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनमें से 68 आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत अपराध का घटित होना नहीं पाया गया जिससे आवेदन 68 पत्र

नस्तीबद्ध किये गये एवं 06 आवेदन पत्रों की जाँच पर से अनावेदकों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

विभागीय योजनाओं में किसानों का लाभ/पंजीयन

56. (क्र. 1810) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु किसान को पंजीयन कराना होता है तथा योजनाओं का लाभ लाटरी द्वारा ड्रा निकाल कर दिया जाता है? क्या प्रक्रिया है, इसकी विस्तारपूर्वक बतावें? **(ख)** सागर जिले में वर्ष 2014-15 में कितने किसानों ने विभाग की किन-किन योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु पंजीयन कराया तथा पंजीकृत किसानों को लाटरी द्वारा ड्रा निकाले जाने की सूचना किस प्रकार/किस दिनाँक को दी गयी? **(ग)** क्या सागर जिले के उद्यानिकी विभाग में वर्ष 2014-15 में विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को दिये जाने के लिये ड्रा नहीं निकाला गया? जिन किसानों को लाभ देना था उनके प्रकरण तैयार कर उन्हें मनमर्जी से लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो, ड्रा किस दिनाँक को निकाला गया? जब ड्रा निकाला गया, तब कौन-कौन से किसान, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी उस दौरान मौजूद थे? शासकीय अधिकारियों के मामले में उनके नाम, पद एवं कार्यरत स्थान तथा किसानों के मामले में उनके नाम एवं ग्राम का पूरा पता बतावें? **(घ)** क्या सागर जिले के उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में शासन से प्राप्त आवंटन राशि का पूरा उपयोग करते हुये बहुत से मदों की राशि समर्पित की है अथवा लेप्स हो गयी है, किस-किस मद की कितनी-कितनी राशि समर्पित की गई लेप्स हुई है तथा कार्यालय प्रमुख की इस कार्यप्रणाली से किसानों को हितकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, इसके लिये जिम्मेवार तथा प्रश्नांश कंडिका **(ग)** के अनुसार जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी है? कार्यवाही नहीं की गयी है तो कारण बतावें तथा प्रकरण में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। ऑन लाईन पंजीयन की प्रक्रिया का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** सागर जिले मे वर्ष 2014-15 मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऑन लाईन पंजीयन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। लक्ष्य से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण लाटरी की प्रक्रिया अपनाई गई। **(ग)** जी हाँ। वर्ष 2014-15 में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक पंजीयन नहीं होने के कारण लाटरी का ड्रा नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। कोषालय द्वारा बिलों का अग्रिम आहरण न करने एवं शासन द्वारा बिलों के आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण समर्पित की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।** किसी के दोषी नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन

57. (क्र. 1811) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत असहाय, अबोध एवं विधि विवादित बालकों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु बाल संरक्षण योजना संचालित है? यदि हाँ, तो इस योजना के मूल उद्देश्य क्या है और किस आयु के और कौन-कौन से बच्चों को इस योजना के तहत लाभांवित किया जाता है? **(ख)** सागर जिले में बाल संरक्षण योजना के तहत कौन-कौन सी शासकीय एवं अशासकीय

संस्थायें इस क्षेत्र में कहाँ-कहाँ कार्य कर रही है? इनमें कितनी और कौन-कौन सी संस्थाएं आवासीय है? इन संस्थाओं को वर्ष 2014-15 में अनुदान एवं सहायता के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गयी? **(ग)** प्रश्नांश कंडिका **(ख)** में वर्णित बाल संरक्षण योजना के तहत संचालित इन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कितने-कितने बच्चे हैं तथा उनकी देखरेख तथा अध्यापन हेतु किस-किस संस्था में कितना-कितना स्टाफ है? स्टाफ की जानकारी नाम, पद एवं मूल निवास स्थान के पते सहित संस्थावार उपलब्ध करायी जाये?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ, योजना का मूल उद्धेश्य 18 वर्ष तक की आयु के निराश्रित अनाथ, उपेक्षित बेसहारा एवं परित्यक्त बच्चों (कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चे) एवं विधि विवादित किशोरो के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास है। **(ख)** सागर जिले मे, सागर महिला एवं बाल समिति द्वारा संचालित संजीवनी बाल आश्रम (अशासकीय संस्था) मकरोनिया सागर में, एवं बाल संप्रेक्षण ग़ह (शासकीय संस्था) राजखेडी सागर में संचालित है। उक्त दोनों संस्थाएं आवासीय है। संप्रेक्षण ग़ह सागर शासकीय संस्था हैं एवं सागर महिला एवं बाल समिति द्वारा संचालित संजीवनी बाल आश्रम (अशासकीय) को वर्ष 2014-15 का आज दिनाँक तक कोई अनुदान प्रदान नहीं किया गया हैं। **(ग)** सागर महिला एवं बाल समिति द्वारा संचालित संजीवनी बाल आश्रम (अशासकीय) में कुल 38 बच्चें (15 बालक, 23 बालिका) हैं। बाल संप्रेक्षण गृह सागर (अशासकीय) में जून माह तक 16 बालक निवासरत है। संस्थाओं के स्टाफ की जानकारी नाम, पद एवं मूल निवास स्थान के सहित संस्थावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट – "तीस"</u>

नामान्तरण एवं बंटवारे के प्रकरण

58. (क्र. 1827) श्रीमती संगीता चारेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सैलाना विधान सभा अंतर्गत 2013-14 से आज दिनाँक तक कितने-कितने नामान्तरण एवं बंटवारे संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए? **(ख)** क्या प्राप्त सभी प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया? यदि नहीं, तो प्रकरण लंबित रहने का क्या कारण है? **(ग)** उक्त प्रकरण निराकरण की क्या समय-सीमा है? निर्धारित समय-सीमा में नामान्तरण तथा बंटवारे संबंधी प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैण्ड पंप का खनन

59. (क्र. 1868) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** हैण्डपम्प खनन कराये जाने हेतु विभाग के क्या मापदण्ड हैं एवं आवश्यकतानुसार मांग आने पर खनन कराये जाने की क्या प्रकिया है? **(ख)** पेयजल की समस्या को देखते हुए वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक गाडरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा कितने हैण्डपम्प खनन किये जाने की मांग की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार क्षेत्र में बंद पड़े हुए हैण्डपम्प की कितनी संख्या है और उनके सुधारे जाने हेतु विभाग की क्या व्यवस्था है एवं कब तक सुधारे जायेंगे? **(घ)** क्या यह सही है

कि ऐसे हैण्डपम्प जिनके बोर खराब हैं, उनकी जगह दूसरे स्थान पर नलकूप खनन किये जाने की शासन की नीति है? यदि हाँ, तो यह कब तक कर दिये जाऐंगे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मापदण्ड **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मापदण्ड अनुसार पेयजल व्यवस्था नहीं होने पर हैण्डपंप खनन की कार्यवाही की जाती है। **(ख)** 135 ग्रामों में 135 हैण्डपंप खनन किये जाने की मांग की है। **(ग)** विधानसभा गाडरवारा के अंतर्गत कुल 3304 हैण्डपंप स्थापित है। उनमें से कुल 3252 चालू है तथा 24 असुधार योग्य (भरे-पटे) हैं तथा 28 सुधार योग्य हैं। विभागीय हैण्डपंप तकनीशियनों द्वारा नियमित रूप से हैण्डपंपों का सुधार कार्य किया जा रहा है। **(घ)** उत्तरांश -'क' के अनुसार। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

परिशिष्ट - "इकतीस"

नवीन पुलिस चौकी की स्थापना

60. (क्र. 1875) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चैनपुर थाना स्थल अपरवेदा बांध निर्मित होने से डूब प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित है? **(ख)** क्या तहसील मुख्यालय झिरन्या में नवीन थाना खोलने हेतु शासन स्तर पर कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो थाना भवन निर्माण हेतु कार्यवाही कब प्रारंभ की जावेगी? **(ग)** क्या विधानसभा भीकनगांव क्षेत्रान्तर्गत भीकनगांव जनपद क्षेत्र में एक मात्र भीकनगांव थाना संचालित है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होने के कारण तथा इंदौर-इच्छापुर तथा बडोदा-खण्डवा राष्ट्रीय राजमार्ग इस क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित है आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है क्या सुरक्षा एवं सुविधा कि दृष्टि से दौडवा एवं बमनाला में नवीन पुलिस चौकियों कि स्थापना हेतु शासन स्तर पर कोई योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो पुलिस चौकी स्थापित होने कि समयावधि क्या होगी? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** का उत्तर नहीं होने पर भविष्य में पुलिस चौकी दौडवा एवं बमनाला स्थापित करने हेतु कोई कार्य योजना में सम्मिलित किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी नहीं। चैनपुर थाने के नवीन भवन का निर्माण आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के प्रथम चरण में किया जा रहा है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नजूल की भूमि के पट्टों का वितरण एवं नामांतरण

61. (क्र. 1895) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत **(क)** प्रश्न दिनाँक तक नजूल भूमि के पट्टे किन-किन को दिये? पट्टेधारी का नाम, निवास स्थान, नजूल शीट क्र. खसरा नं., पट्टा प्रदान करने का आदेश एवं दिनाँक, लीज की अवधि एवं पट्टा किस उद्देश्य हेतु दिया गया हैं कि सम्पूर्ण जानकारी विवरण के साथ सूची देवें? **(ख)** क्या पट्टेधारियों द्वारा नजूल भूमि अन्य व्यक्तियों को किराये पर दी गई हैं तथा कतिपय, पट्टेधारियों द्वारा इसका विक्रय कर दिया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या ऐसे पट्टेधारियों के पट्टे निरस्त किये जावेंगे नहीं तो क्यों? **(ग)** नजूल पट्टेधारियों की भूमि का नामांतरण किये जाने का क्या प्रावधान हैं, प्रश्न दिनाँक तक पट्टे की भूमि का नामांतरण किस-किस प्लाट नं. का किस-किस व्यक्ति के नाम पर दिया गया? नामांतरण किये जाने का क्या कारण हैं? **(घ)** नजूल भूमि के पट्टे दिये जाने हेतु शासन के क्या नियम हैं नियम एवं आदेशों की प्रमाणित प्रति देवें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में बंगलादेशी घुसपैठियों के संबंध में

62. (क्र. 1914) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिये निवास कर रहे हैं जिन्होंने राशन कार्ड तथा वोटर आई.डी. कार्ड भी बनवा लिये हैं? इसकी रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है? **(ख)** यदि हाँ, तो अभी तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई व कितने घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रदेश के सिवनी जिले में 2 एवं रायसेन जिले में 1 इस तरह कुल 3 बंगलादेशी नागरिक निवासरत हैं, जिन्होनें राशनकार्ड तथा वोटर आई.डी. कार्ड भी बनवा लिए है। कार्यवाही का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** प्रदेश में अभी तक 3 बंगलादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर, उनके विरूद्ध नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध कर, कार्यवाही की गई है। विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर में संचालित आंगनवाडियों के संबंध में

63. (क्र. 1915) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर के अंतर्गत कितनी आंगवाडि़याँ स्वीकृत हैं? इनमें से कितनी आदिवासी क्षेत्रों में एवं कितनी अन्य क्षेत्रों में संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में कितनी आंगनवाडि़यां शासकीय भवनों में संचालित हैं एवं कितनी भवनविहीन हैं? आंगनवाड़ीवार पृथक-पृथक जानकारी दें? **(ग)** विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर के अंतर्गत वर्ष 2013-14 वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा कितने आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया गया है? क्या इन निर्मित भवनों का सत्यापन किसी अधिकारी द्वारा किया गया है? **(घ)** क्या उक्त भवनों को निर्माण तकनीकी मापदण्डों के अनुसार नहीं किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर के अन्तर्गत 421 आंगनवाडियां स्वीकृत हैं। इनमें से 390 आदिवासी क्षेत्रों में तथा 31 अन्य क्षेत्रों में संचालित हैं। **(ख)** विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर अन्तर्गत संचालित आंगनवाडियों में से 186 विभागीय भवन, 116 अन्य शासकीय भवनों में तथा 119 किराये के भवनों में संचालित हैं। आंगनवाड़ी वार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आंगनवाड़ी भवन निर्माण नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्योपुर जिले में मजरों/टोलों का राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

64. (क्र. 1969) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले में कितने ग्रामों में कुल कितने हेक्टेयर रकबा चरनोई भूमि दर्ज है? उक्त भूमि में से कितने ग्रामों की कितनी भूमि पर आबादी/बसाहट हो गई है? इसमें से कहाँ-कहाँ पर कितनी भूमि को आबादी भूमि घोषित कर दिया है एवं कितनी की कार्यवाही प्रचलन में है? विचाराधीन प्रकरणों में

कब तक आबादी भूमि घोषित कर दिया जावेगा? **(ख)** श्योपुर जिले में ऐसे कितने मजरे/टोले एवं बसाहटें हैं, जो राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के मापदण्डों को पूर्ण करते हैं? तहसीलवार जानकारी दें। प्रश्नकर्ता द्वारा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न बसाहटों को आबादी भूमि घोषित किए जाने तथा मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने हेतु कलेक्टर श्योपुर को भेजे गए पत्र क्रं. 1966 दि. 12.09.13, क्रं. 3137 दि. 19.07.14, क्रं. 3037 दि. 29.07.14, क्र.3273 दि. 09.05.15 एवं क्रं. 3302 दि. 29.05.15 पर क्या कार्यवाही की गई है? कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को अवगत न कराने के लिए क्या संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जावेगी? जिले के किन-किन मजरों टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की कार्यवाही किस स्तर पर कब से लंबित हैं एवं क्यों? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार बसाहट भूमि पर आबाद एवं मजरों/टोलों में निवासरत लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या शासन व्यापक स्तर से जिला श्योपुर की समस्त आबादी/बसाहटों का सर्वेक्षण कराकर आबादी क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही कब तक करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>भोपाल जिले की नलकूप खनन सफल व असफल के संबंध में</u>

65. (क्र. 1976) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2012 से जून 2015 तक कितने नलकूप खनित किये गए? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में से कितने नलकूप सफल एवं कितने असफल रहे? **(ग)** क्या सभी सफल नलकूपों पर खनन के तत्काल बाद हैण्डपंप स्थापित किये है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? इसमें दोषी अधिकारी व ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माह जनवरी 2012 से जून 2015 तक 844 नलकूप खनित किए गए हैं। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में से 661 नलकूप सफल एवं 183 नलकूप असफल रहे। **(ग)** सभी सफल नलकूपों में से 565 हैण्डपंप एवं 96 पावर पंप स्थापित किए गए हैं। नलकूप के सफल होने के उपरांत जल गुणवत्ता परीक्षण कर जल की पीने के लिये उपयुक्तता सुनिश्चित की जाती है तदुपरांत हैण्डपंप/पावर पंप स्थापित किये जाते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में लगने वाले समय हेतु किसी अधिकारी व ठेकेदार को दोषी मानकर उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर की नल जल योजनाएं</u>

66. (क्र. 1984) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खिलचीपुर विधान सभा के विगत पाँच वर्षों में किन-किन गांवों में नल जल योजना स्वीकृत की गई थी व किस सन् में योजना का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया था? कितने साल तक योजना को विभाग द्वारा चलाई गई थी व पंचायत को कब हस्तांतरित कर दी गई थी? **(ख)** वर्तमान में किन-किन गांवों की नल जल योजनाएँ चालू है और किन-किन गांवों की नल जल योजना बंद है? **(ग)** अगर बन्द है तो किस कारण से बंद है? उक्त बंद योजनाओं को चालू करने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है व योजनाएँ कब तक चालू करा दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ख'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ख'' अनुसार है।

<u>आंगनवाडी केन्द्रों में भवनों के संबंध में</u>

67. (क्र. 1986) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खिलचीपुर विधान सभा में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? किन-किन गांवों में कितने-कितने केन्द्र संचालित हैं? **(ख)** किन-किन गांवों में विभाग के आंगनवाड़ी भवन बने हैं व किन-किन गांवों में अभी तक भवन स्वीकृत नहीं किये गये? **(ग)** अगर भवन स्वीकृत नहीं किये गये है तो कब तक भवन स्वीकृत कर निर्माण करा दिया जावेगा? **(घ)** अभी सारे आंगनवाड़ी कहाँ व किस-किस भवन में लगाये जा रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) खिलचीपुर विधान सभा अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना खिलचीपुर परियोजना में 155 एवं एकीकृत बाल विकास जीरापुर परियोजना में 256 इस प्रकार कुल 411 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। ग्रामवार संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार है। (ख)** विधान सभा खिलचीपुर में कुल स्वीकृत 411 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 120 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये विभागीय भवन बने हुए हैं सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' अनुसार है**, तथा 291 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ग' अनुसार है। (ग)** आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है, तद्रूप आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। **(घ)** खिलचीपुर विधान सभा अन्तर्गत स्वीकृत 411 आंगनवाड़ी केन्द्र जिन भवनों में संचालित हैं उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' अनुसार है।**

<u>मादक पदार्थो की तस्करी एवं अपराध</u>

68. (क्र. 2005) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रतलाम जिला अंतर्गत विगत वर्षों में लगातार हत्याएं एवं मादक पदार्थो के तस्करी के अपराध बढ़ते जा रहे है? **(ख)** जिला अंतर्गत अनेक चिन्हित स्थान एवं ग्राम ऐसे भी हैं जहां लगातार उपरोक्त अपराध एवं घटनाएं लगातार घटित होती रहती है? **(ग)** वर्ष 2012-13 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक रतलाम जिला अंतर्गत मादक पदार्थों संबंधी कितने अपराध पंजीबद्ध हुए? कितनी हत्याएं होकर अपराध पंजीबद्ध किये गये? **(घ)** कृपया उपरोक्त वर्षों में घटित संपूर्ण घटनाओं एवं की गई विभागीय कार्यवाही से अवगत कराए?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) रतलाम जिले के अंतर्गत विगत वर्षों में हत्या एवं मादक पदार्थो की तस्करी के संबंध में अपराधों की स्थिति निम्नानुसार है। हत्या के प्रकरण-2012 में 37, 2013 में 39, 2014 में 36 एवं 2015 में प्रश्न दिनाँक तक 18 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण-2012 में 22, 2013 में 12, 2014 में 11 एवं 2015 में प्रश्न दि. तक 07 इस प्रकार रतलाम जिलें में हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध हुए तथा अपराधों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। **(ख)** जिले के अंतर्गत चिन्हित स्थान एवं ग्रामों में पुलिस द्वारा लगातार पट्रोलिंग गश्त की जाकर सघनता से

चेकिंग की जा रही है जिसमें अपराध एवं घटनाओं पर अंकुश लगाया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा रतलाम जिले के जावरा, आलोट, पिपलोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को अफीम कास्त हेतु प्रतिवर्ष पट्टे वितरित किये जाते है। इन क्षेत्रों में विशेष निगाह रखी जा रही है। **(ग)** एन.डी.पी.एस. एक्ट के पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या वर्ष 2012 में 22, 2013 में 12, 2014 में 11, 2015 से प्रश्न दिनाँक तक 07, एन.डी.पी.एस. एक्ट के पंजीबद्ध प्रकरणों में हत्या का एक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। **(घ)** जिले में मादक पदार्थो की तस्करी को रोकने के लिये विधिवत् दबिश देकर प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते है। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण की जाकर विवेचना के दौरान चालानी कार्यवाही न्यायालय में पेश की जाती है। विस्तृत विवरण दिया जाना संभव नहीं है अन्यथा प्रकरणों की जाँच प्रभावित होगी।

रतलाम जिला अंतर्गत प्राप्त बजट एवं विभागीय कार्य

69. (क्र. 2006) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा संपूर्ण जिले भर में किया जाता है? **(ख)** रतलाम जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितना-कितना बजट प्राप्त होकर कितने कार्य किये गये? किन-किन योजनाओं में कितना-कितना अनुदान दिया गया? **(ग)** साथ ही क्या विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुदान इत्यादि कार्यों के साथ ही एनजीओ अथवा अनुबंधों के माध्यम से कार्य किया जाता है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग)** जी नहीं।

परिशिष्ट – ''तैंतीस''

पुलिसकर्मियों की गृह जिले में पदस्थापना

70. (क्र. 2018) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में कुल कितने निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक क्रमशः अपने गृह जोन, गृह रेंज, गृह जिला, गृह अनुविभाग एवं गृह थाना में कितने समय से पदस्थ है? श्रेणीवार पदस्थ समयावधि की सूची देवें? **(ख)** कितने पुलिसकर्मी पदोन्नति के बाद पुनः अपने पूर्व पदस्थापना स्थान पर ही वर्तमान में पदस्थ है? नाम, पद समय सहित सूची देवे? **(ग)** गृह झोन, गृह रेंज, गृह जिला, गृह अनुविभाग एवं गृह थाना में पदस्थापना संबंधी नियम की एक प्रति देवें? **(घ)** खरगोन जिले में कुल स्वीकृत पद भरे पद तथा रिक्त पदों की संख्या श्रेणीवार देवे। जिले में कितने थानों के उन्नयन की प्रक्रिया विचाराधीन है तथा नये थाने के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) खरगोन जिले में निरीक्षक से आरक्षक तक के गृह जोन गृहरेंज, गृह जिला एवं गृह अनुभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ए'' अनुसार** तथा उक्त अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थ समयावधि की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''बी'',''सी'', ''डी'' एवं ''ई'' अनुसार। (ख)** खरगोन जिले में 72 पुलिसकर्मी पदोन्नति के बाद पुनः अपने पूर्व पदस्थापना स्थान पर ही वर्तमान में पदस्थ है।

नाम पद सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एफ" अनुसार।** **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" "दो" एवं "तीन" अनुसार।** **(घ)** खरगोन जिले में स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों की संख्या एवं श्रेणीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "जी" अनुसार।** खरगोन जिले में केवल पुलिस चौकी बिस्टान का थाने में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव इकाई से प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा नवीन पुलिस थाने की स्थापना हेतु निर्धारण मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से अमान्य किया गया है। नये थाने का काई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

<u>कृषि विभाग के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन</u>

71. (क्र. 2026) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भगवानपुरा, सेगांव, गोगावा एवं खरगोन तहसीलदार कार्यालय द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के हितग्राहियों मूलक कार्यों का भौतिक सत्यापन पत्रक पूर्ण कराया गया? **(ख)** उक्त चारों तहसील कार्यालयों में नामांतरण के कुल कितने प्रकरण कब से लंबित है, अधिक समय से लंबित प्रकरणों का कारण बताये? तहसील कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों की संख्या बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रदेश के पुलिस थानों में आधुनिक वाहन उपलब्ध कराना</u>

72. (क्र. 2064) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के पुलिस थानों में वर्तमान में जो वाहन उपयोग में लिये जा रहे उनमें पॉवर स्टेरिंग/पॉवर ब्रेक की सुविधा उपलब्ध है? यदि हाँ, तो बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या यह सही है कि प्रदेश के पुलिस थानों में अत्यंत पुराने वाहनों का उपयोग किया जा रहा है जिनमें पॉवर स्टेरिंग/पॉवर ब्रेक जैसी आधुनिक सुविधा नहीं होने से सकरी गलियों/अचानक टर्न आदि स्थिति में अपराधी बच निकलते है तथा पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों निर्वहन सही समय पर नहीं कर पाता है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा प्रदेश के पुलिस थानों में आधुनिक वाहन उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या शासन निकट भविष्य ऐसी कोई योजना बनाएगा अथवा नहीं?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। आवश्यकता नहीं है। **(ख)** जी नहीं। थानों में समय समय पर उपलब्ध जो वाहन प्रदाय किये गये उससे पुलिस बल अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर रहा है। **(ग)** पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से आधुनिक वाहनों का क्रय विभाग की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शीत गृह स्थापित करना</u>

73. (क्र. 2065) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या राजगढ़ जिला फलोद्यान की दृष्टि से काफी समृद्ध होता जा रहा है तथा हजारो हेक्टेयर भूमि पर फलों की खेती की जा रही है? क्या विशेषकर संतरा, मौसम्बी, आम, नींबू, जामफल, पपीता, सीताफल, विशेष रूप से लगाए जा रहे हैं? **(ख)** क्या उपरोक्त सभी फल राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किये जाते है तथा फल उतारने व बाहर भेजने के दौरान विलंब हो जाने पर उत्पादक किसानों को फलों के खराब हो जाने के कारण बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है? **(ग)** क्या राजगढ़ जिले में शासकीय व

अशासकीय कोई भी बड़े शीत गृह स्थापित नहीं है? इस कारण फसल सीजन के दौरान किसानों को सड़ने, गलने व भावों में भारी उतार-चढ़ाव का भी नुकसान उठाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या शासन फलों के बम्पर उत्पादन को ध्यान में रखते हुये शासकीय शीत गृह स्थापित करेगा एवं क्या अनुदान पर किसानों को शीत गृह स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। शासकीय क्षेत्र में कोई बड़े शीतगृह स्थापित नहीं है। केवल अशासकीय क्षेत्र (निजी) में 5895 मी. टन का एक शीतगृह स्थापित है। शासकीय क्षेत्र में शीतगृह स्थापना की कोई योजना क्रियान्वित नहीं है। निजी क्षेत्र में प्राप्त प्रस्ताव पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पात्रता अनुसार अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शासकीय पट्टे की भूमियों का मद परिवर्तन</u>

74. (क्र. 2077) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय पट्टे की भूमि का मद परिवर्तन करने एवं भूमि स्वामी हक में दर्ज करने के संबंध में क्या नियम है तथा मद परिवर्तन करने का आदेश करने का, किन राजस्व अधिकारी को अधिकार प्राप्त है, एवं प्रावधानों एवं नियमों की प्रतियां उपलब्ध कराये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत कटनी अनुविभाग की तहसीलों में शासकीय पट्टे की भूमियों के मद परिवर्तन कर भूमि स्वामी हक में अवैधानिक तौर पर दर्ज करने की कब-कब और क्या-क्या शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है, प्राप्त शिकायतों की कब-कब, किन-किन के द्वारा क्या जाँच की गई, जाँच में क्या पाया गया, क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में शासकीय पट्टे की भूमि को मिली भगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अवैधानिक हेराफेरी करने का कौन-कौन दोषी है, इन पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी एवं क्या इन भूमियों को पुन: शासकीय मद में दर्ज किया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में</u>

75. (क्र. 2098) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुवासरा नगर में जिन व्यक्तियों द्वारा भूमि अतिक्रमण किया हुआ है? **(ख)** किन-किन व्यक्तियों पर अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर पुलिस कार्यवाही हेतु आवेदन दिये गये हैं? **(ग)** किन व्यक्तियों के अतिक्रमण प्रकरण बनाकर कितने वर्षों से पुलिस कार्यवाही लंबित पड़ी है? उसका कारण स्पष्ट करें? **(घ)** ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके नाम पर एक से अधिक स्थानों पर भूमि अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज हैं? नाम सहित बतावे।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कुटीर ग्रामीण उद्योग हेतु स्वरोजगार ऋण</u>

76. (क्र. 2099) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिये कितने लाख का ऋण स्वीकृत किया जाता है? **(ख)** इस योजना का लाभ लेने हेतु क्या नियम एवं शर्तें लागू की गई है?

(ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के तहत कितने हितग्राहियों को लाभ मिला है? लाभान्वितों की जानकारी उपलब्ध करावे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत रू. 20,000/- से रू. 10.00 लाख तक के ऋण प्रकरण स्वीकृत कराये जाते है। **(ख)** नियम शर्तो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग)** सुवासरा विधान सभा अन्तर्गत लाभान्वितों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।**

<u>मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में अतिक्रमण हटाने हेतु नियम-नीति का प्रावधान</u>

77. (क्र. 2119) श्री प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता में अतिक्रमण हटाने के लिए क्या नियम/नीति का प्रावधान है? यदि प्रावधान है, तो संबंधित राजस्व अधिकारी एवं पटवारी द्वारा दमोह जिले की तहसील तेन्दूखेड़ा की ग्राम पंचायत बम्हौरी के ग्राम अमवाही में राजस्व भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु नियम/नीति का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो अतिक्रमणकर्ताओं पर प्रथमबार प्रकरण पंजीबद्ध कर किस दिनाँक को बेदखली का अंतिम आदेश पारित किया गया था? आदेश के पालन में यथा समय अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल क्यों नहीं किया गया तथा अभी तक न किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वर्ष 2014 में संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन न कर अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर न्याय के मापदण्ड की अनदेखी की गई है, यदि हाँ, तो कारण बतावें? **(ख)** दमोह जिले की तहसील तेन्दूखेड़ा की ग्राम पंचायत बम्हौरी के ग्राम अमवाही सहित अन्य ग्रामों में राजस्व भूमि पर कितने व्यक्तियों द्वारा कब से कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था? अतिक्रमित भूमि के संबंध में कब-कब भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत पटवारी द्वारा तहसील में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे तथा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर क्या निर्णय लिये गये थे, बतलावें? अतिक्रमणकर्ताओं से कितना जुर्माना वसूल किया गया? **(ग)** अतिक्रमणकर्ता किस वर्ग के हैं? उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? भूमिहीन है अथवा नहीं? क्या उनके पास अपने परिवार के पालन-पोषण करने हेतु अतिक्रमित कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई साधन है अथवा नहीं? क्या ऐसे भूमिहीनों को शासन द्वारा समय-समय पर भूमि के पट्टे वितरित कर उनका व्यवस्थापन प्रचलित नियमों के तहत किया गया है? यदि हाँ, तो उल्लेखित अतिक्रमणकर्ताओं का भी व्यवस्थापन शासन द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत किये जाने हेतु प्रशासन समुचित कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रदेश में चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों में स्वीकृत पद</u>

78. (क्र. 2120) श्री प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों में कितने-कितने पद चिकित्सकों सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य वर्ग के स्वीकृत हैं तथा उनके विरूद्ध कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति अभी तक न किये जाने का क्या कारण रहा है? **(ख)** जबेरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील तेन्दूखेड़ा एवं जबेरा में कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र संचालित हैं तथा इन

केन्द्रों में चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु शासनस्तर पर क्या कार्यवाही की गई, कब तक पद पूर्ति कर दी जावेगी? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्रों में से कितने केन्द्र भवनविहीन है? भवनविहीन केन्द्रों में कब तक भवन नवनिर्माण करा लिये जावेगें? शासनस्तर से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नवीन केन्द्र प्रारम्भ किये जाने हेतु आदेश हुए हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? कितने पूर्व निर्मित भवन जीर्ण-क्षीर्ण हो चुके हैं, क्या उनके पुनः निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये है? यदि हाँ, तो कब?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रदेश में संचालित पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्रों में निम्नानुसार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त है-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	1184	768	416
2	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	3820	2384	1436
3	अन्य वर्ग	3354	2664	690

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 467 पदों की पूर्ति हेतु नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को मांगपत्र प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** जबेरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील तेन्दूखेडा एवं जबेरा में 08 पशु चिकित्सालय एवं 10 उपकेन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी/अन्य वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	08	02	06
2	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	20	14	06
3	अन्य वर्ग	21	19	02

पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जबेरा विधानसभा क्षेत्र में केवल कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र माला भवन विहीन है। भवन निर्माण उपलब्ध बजट प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नवीन केन्द्र प्रारंभ नहीं किए गए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पूर्व निर्मित भवनों में कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र सड़क हरदुआ जीर्ण-शीर्ण है। जी नहीं।

<u>नलकूप खनन की जानकारी विषयक</u>

79. (क्र. 2141) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभागीय मशीन से कितने खनन कार्य किये? **(ख)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित अवधि में विभागीय मशीन से खनन किये गये नलकूप की गहराई, प्रत्येक नलकूप पर होने वाले व्यय एवं मैकेनिकल खण्ड सागर में पदस्थ अमले एवं कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी देवें? **(ग)** उपरोक्त

अवधि में विभागीय मशीनों द्वारा कितने नलकूप खनन में लक्ष्य प्राप्त हुआ एवं कितने नलकूप आज दिनाँक तक लंबित है? **(घ)** उपरोक्त अवधि में विभागीय मशीनों द्वारा कितनी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में नलकूप खनन कार्य किया गया? व्यय सहित विस्तृत जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः 10, 30 एवं 50-नलकूपों का खनन विभागीय मशीनों से किया गया। **(ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** एवं मैकेनिकल खंड सागर में पदस्थ अमले एवं कर्मचारियों/अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग)** लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किये जाते हैं। मैकेनिकल खण्ड सागर को सागर जिले के लिये वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः 190, 216 एवं 143 नलकूपों के खनन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध क्रमशः 197, 209 एवं 159 नलकूपों का खनन किया गया। कोई भी नलकूप खनन लंबित नहीं है। **(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में नरयावली विधान सभा क्षेत्र में खनित नलकूपों में से 19-प्राथमिक एवं 05-माध्यमिक शालाओं में नलकूप खनन कार्य किया गया है, व्यय सहित **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।**

<u>इंदिरा सागर जलाशय में मत्स्यपालन</u>

80. (क्र. 2196) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खंडवा जिले में इंदिरा सागर जलाशय में किस ठेकेदार/संस्था को मछली पालन का ठेका दिया गया हैं? इस वित्तीय वर्ष यह ठेका कितनी राशि में दिया गया है? **(ख)** क्या बाहरी व्यक्ति/संस्था को ठेका दिये जाने से जिले के मछुवारे बेरोजगार हो गये हैं एवं स्थानीय समितियां कार्यविहीन हो गई है? क्या यह प्रदेश की मत्स्य नीति के अनुरूप है? **(ग)** क्या विगत दिनों ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा मत्स्य बाजार में व्यापारियों के साथ मारपीट की गई थी? यदि हाँ, तो ठेकेदार के लोगों पर किन-किन धाराओं मे प्रकरण दर्ज किये गये? **(घ)** क्या इंदिरा सागर जलाशय के मत्स्य पालन में मांझी समाज अथवा उनकी समिति को प्राथमिकता से ठेका देने पर विचार किया जाएगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जलाशय में मत्स्य पालन का कार्य महासंघ दवारा एवं मत्स्याखेट कार्य महासंघ के नियंत्रण में एवं विस्थापित/प्रभावित परंपरागत मछुआरों की सहकारी समिंतियों के माध्यम से कराया जाता है। आखेटित मत्स्य के विपणन का ठेका विक्रय ई-टेंडर से नियुक्त आउटसोर्स से कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 मत्स्य विक्रय से रू. 12.44 करोड़ राशि प्राप्त होना संभावित है। **(ख)** जी नहीं। बाहरी व्यक्ति/संस्था को मत्स्याखेट का ठेका नहीं दिया गया। प्राथमिकता के आधार पर मत्स्याखेट कार्य महासंघ द्वारा विस्थापित/प्रभावित एवं परंपरागत मछुआरों की सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है, जो शासन की मत्स्य नीति के अनुरूप है। **(ग)** विगत दिनों में मार पीट के सम्बन्ध में दिनाँक 24.06.2015 को कोतवाली खंडवा में 6 आरोपियों के विरूद्ध धारा क्र. 147, 294, 427, 506 भा.द.वि. एवं दिनाँक 26.06.2015 को मोघट रोड थाने में पांच आरोपियों के विरूद्ध धारा क्र. 147, 294, 323, 506 भा.द.वि. अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुए। दोनों प्रकरण विवेचनाधीन है। **(घ)** मत्स्य पालन का ठेका नहीं दिया जाता है अपितु आखेटित मत्स्य का विपणन आउट सोर्सिंग के माध्यम से किया जाता है। मत्स्य महासंघ में प्रचलित आखेटित मत्स्य विक्रय नीति में ई-टेडर से आउटसोर्स नियुक्त करने हेतु आमंत्रित निविदाओं में समान दरें प्राप्त होने की दशा में मत्स्य समितियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

इंदौर इच्छापुर मार्ग को फोरलेन बनाया जाना

81. (क्र. 2199) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर इच्छापुर मार्ग पर खंडवा इंदौर के बीच विगत तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई हैं? **(ख)** क्या अत्यधिक मौतों के कारण इसे किलर हाई वे कहाँ जाने लगा है? इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या-क्या है? क्या गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण एंव हाईवे के निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं होने से ऐसा हो रहा है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? **(ग)** क्या दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुआवजा एवं आर्थिक सहायता राज्य सरकार के खजाने के बजाय संबंधित सड़क निर्माण एजेंसी से दिये जाने का प्रावधान किया जाएगा? **(घ)** इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इंदौर-इच्छापुर मार्ग को फोरलेन बनाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खंडवा जिले में मत्स्यपालन विभाग में लापरवाही

82. (क्र. 2205) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खंडवा जिले में मत्स्यपालन विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कितने हितग्राहियों/मछुआरों को किन-किन योजनाओं में लाभान्वित किया गया? **(ख)** क्या जिले के भगवंतसागर एवं नागचून तालाब की क्षमता का पूर्ण दोहन/उपयोग नहीं होने से शासन को राजस्व की हानि हो रही है एवं मछुआरों को काम से वंचित किया जा रहा है? **(ग)** खंडवा नगर में पेयजल के अन्य नए स्त्रोत होने के बाद भगवंत सागर एवं नागचून तालाबो से शासन की आय दोगुनी करने के लिए विभाग की क्या कार्ययोजना है? इसे कब लागू किया जाएगा? **(घ)** विगत तीन वर्षों में मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी वर्षवार बतायें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) खण्डवा जिले में मत्स्य पालन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 3249 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार है। (ख)** जी नहीं वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राजस्व में कमी असामान्य वर्षो के कारण परिलक्षित हुई परन्तु नागचून तालाब में राजस्व की हानि नहीं हुई। मछुआरों को काम से वंचित नहीं किया जा रहा है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट दो अनुसार है। (ग)** खण्डवा नगर में पेयजल के अन्य स्त्रोत होने के बाद शासन की आय दुगुनी करने की इस विभाग की कोई योजना नहीं है। **(घ)** विगत तीन वर्षों में मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट तीन अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "चौंतीस"</u>

खंडवा जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग से रोजगार

83. (क्र. 2206) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** खंडवा जिले में विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कुटीर एवं ग्रामोद्योग से रोजगार के कितने प्रकरण कितनी राशि के स्वीकृत किये गये है? **(ख)** क्या यह सही है कि विभाग की विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के अभाव में अधिकांश हितग्राही इसके लाभ से वंचित हो रहे है? जिससे शासन की मंशापूर्ण नहीं हो पा रही है? **(ग)** राज्य सरकार की योजनाओं में लापरवाही बरतने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? विभाग की योजनाओं से ग्रामीणजन अवगत हो इसके

लिए विभाग की क्या कार्ययोजना है? **(घ)** जिले में विगत तीन वर्षों में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लक्ष्य एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी वर्षवार बतायें? उनमें से कितने कुटीर ग्रामोद्योग लाभ से संचालित हो रहे हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नहीं होता। योजनाओं का प्रचार प्रसार, जागृति शिविर, अन्त्योदय मेला, लोक कल्याण शिविर] ब्रोशर, पेम्पलेट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से किया जाता है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''पैंतीस''</u>

<u>बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय लांजी में सिविल कोर्ट प्रारंभ करने विषयक</u>

84. (क्र. 2213) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय लांजी में सिविल कोर्ट प्रारंभ करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? **(ख)** क्या सिविल न्यायालय हेतु भवन निर्माण करने हेतु कोई जमीन प्रस्तावित की गयी है? यदि हाँ, तो कहाँ प्रस्तावित की गयी है? **(ग)** भवन निर्माण हेतु राशि के प्रावधान हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? **(घ)** क्या भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लांजी में सिविल न्यायालय खोला जाएगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) बालाघाट जिले की तहसील लांजी में सिविल कोर्ट प्रारंभ करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसार आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत न्यायालय भवन, आवासगृह एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय भवन एवं आवासगृह उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर, बालाघाट को लिखा गया। कलेक्टर, बालाघाट ने न्यायालय भवन हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, लांजी का भवन उपयुक्त बताया है। कलेक्टर के उक्त प्रतिवेदन पर अभिमत प्रदान करने का अनुरोध उच्च न्यायालय से किया गया है। उच्च न्यायालय का अभिमत अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर, बालाघाट को लांजी में न्यायालय हेतु नवीन भवन एवं आवासगृह निर्माण हेतु समुचित एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। कलेक्टर, बालाघाट से उक्त जानकारी अभी अप्राप्त है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** भवन निर्माण हेतु अभी समुचित एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण हेतु राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। **(घ)** जी नहीं।

<u>जबलपुर जिले के बेलखेड़ा में उप-तहसील की स्थापना</u>

85. (क्र. 2257) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर जिले के ग्राम बेलखेड़ा क्षेत्र में लगभग 65-70 ग्रामवासियों को राजस्व संबंधी कार्यों हेतु 30-40 कि.मी. चलकर शहपुरा आना होता है। ग्रामवासियों एवं क्षेत्रीय किसानों द्वारा बेलखेड़ा में उप-तहसील कार्यालय की स्थापना की मांग वर्षो से की जा रही है शासन जबलपुर जिला के बेलखेड़ा में उप-तहसील कार्यालय की स्थापना कब तक करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मछुआरों के उत्थान हेतु योजनाओं का लाभ देने</u>

86. (क्र. 2258) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश के मछुआरों के उत्थान हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मछुआरों को विगत 5 वर्षों में किन-किन मछुआरों की वर्षवार क्या-क्या लाभ प्रदान किये गये? **(ख)** क्या शासन द्वारा मछुआरों की शासन द्वारा आवास/आवास अनुदान देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो बरगी विधान सभा क्षेत्र के मछुआरों को विगत 5 वर्षों में कितने आवास/आवास अनुदान किन-किन मछुआरों को प्रदान किया गया? नाम, पता सहित विवरण दें? राशि सहित।

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : **(क)** शासन द्वारा प्रदेश में मछुआरों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी तथा बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्षों में योजनाओं से वर्षवार लाभांवित मछुओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक एवं दो अनुसार है। (ख)** जी हाँ, बरगी विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 27 मछुआरों को मछुआ आवास हेतु अनुदान से लाभांवित किया गया। लाभांवित मछुओं का नाम, पता एवं राशि विवरण की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट तीन अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''छत्तीस''

भूमि का सीमांकन समय पर नहीं किया जाना

87. (क्र. 2259) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जबलपुर नगर के तहसील कोतवाली अंतर्गत आने वाली शासकीय शिक्षक/कर्मचारी गृह निर्माण समिति के प्रभारी अधिकारी सहकारिता विभाग के आवेदन पर समि. के स्वामित्व की ख.नं.225/2, 223/1k भूमि के सीमांकन के आवेदन पर तहसीलदार कोतवाली द्वारा अल्प आय वर्ग हेतु आरक्षित 19200 वर्ग फीट भूमि का सीमांकन करने आदेश क्र.46 दिनाँक 15.05.2015 पारित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त सीमांकन कार्य निर्धारित अवधि में क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार है? उक्त सीमांकन कार्य कब तक किया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वर्ष 2015-16 में पी.एच.ई. विभाग द्वारा सोलर पम्प खरीदी

88. (क्र. 2273) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** वर्ष 2015-16 में P.H.E. विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में कितने सोलर पम्प, कितनी-कितनी राशि से, किस फर्म द्वारा खरीदे गये? जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **(ख)** क्या प्रमुख अभियंता P.H.E. भोपाल द्वारा सोलर पम्प खरीदे जाने के पूर्व ही फर्म को भुगतान किया गया जो कि न्यायसंगत नहीं है। अभी कितने सोलर पम्प प्राप्त करना शेष है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : **(क)** वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा सोलर पम्प क्रय नहीं किये गये। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मछुआ संघ के सदस्यों/मछुआरों को आवास सुविधा

89. (क्र. 2283) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या सागर जिले के मछुआ संघ के आवासहीन सदस्यों/मछुआरों को कोई शासन द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? **(ख)** यदि हाँ, तो सागर जिले में कितने आवास इन मछुआ संघ के सदस्यों/मछुआरों को उपलब्ध कराये गये है? यदि नहीं, तो क्या शासन इन सदस्यों को आवास उपलब्ध कराने हेतु विचार करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। अब तक कोई आवास उपलब्ध नहीं कराये गये है। जिले में मछुआ संघ को शासकीय भूमि या स्वयं की भूमि उपलब्ध होने पर क्लस्टर में मछुआ आवास हेतु राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

<u>सागर संभागीय मुख्यालय पर शासन द्वारा शासकीय भवन निर्माण</u>

90. (क्र. 2284) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सागर संभागीय मुख्यालय पर शासन द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय आवासीय भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है? प्रश्नांक दिनाँक तक उनकी प्रगति क्या है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के परिप्रेक्ष्य में नवीन भवन संबंधी कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस संबंध में विचार करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। निर्माण कार्य प्रगति पर है। आवासों की छत ढलाई, ईट, जुडाई, प्लास्टर कार्य एवं पेंटिंग कार्य प्रगति पर है। **(ख)** हुडको योजना मे आगामी 5 वर्षों में 25000 आवास बनाये जाने संबंधी योजना विचाराधीन है। जिसमें जिला सागर में भी आवश्यकतानुसार आवास बनाये जाना प्रस्तावित है।

<u>किसानों के फर्जी मुआवजा वितरण की जाँच कर दोषी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही</u>

91. (क्र. 2301) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रीवा जिले के जवा तहसील अन्तर्गत पटवारी हल्का जोन्हा के ग्राम कसियाटी, मनीपुर, हरदहन के काश्तकारों को बनाए गए मुआवजा (क्षति पत्रक) सूची में अतिवृष्टि से नष्ट हुई रवी फसल (वर्ष 2014) के मुआवजा बनाने में पटवारी द्वारा एक ही नाम के व्यक्ति को उन्हीं आराजी और उतने ही क्षेत्रफल के लिए क्षतिधन दो-दो बार प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और कैसे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि हाँ, तो क्या दोषी संबंधित पटवारी एवं इस कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के संदर्भ में क्या इसी प्रकार समूचे जवा तहसील में बनाए गए मुआवजा एवं वितरण के कार्य भी सघन जाँच करवाकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें एवं यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जिला-श्योपुर में कुपोषण एवं कुपोषित बच्चों की स्थिति</u>

92. (क्र. 2338) श्री दुर्गालाल विजय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** श्योपुर जिले में कुपोषण को समाप्त करने व कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजना संचालित

हैं? **(ख)** जिले में वर्ष 2014-2015 से वर्तमान तक कितने कुपोषित बच्चे कहाँ-कहाँ चिन्हित किये गये? इनमें से कितने बच्चों को सुपोषित किया गया? कितने कुपोषित बच्चे जिला चिकित्सालय की एन.आर.सी. में भर्ती होकर लाभान्वित हुए? जानकारी वर्ष/माहवार बतावें। **(ग)** क्या शासन द्वारा उक्त योजनाओं के तहत भारी भरकम राशि व सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद संबंधित विभाग के अमले की उदासीनता के कारण जिले से कुपोषण व कुपोषित बच्चों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं? वर्तमान में भी जिले में लगभग 2 हजार से भी अधिक अतिकुपोषित व 20 हजार से अधिक कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है, इस हेतु कौन उत्तरदायी है, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? **(घ)** यदि नहीं, तो क्या शासन सर्वे करायेगा? यदि हाँ, तो उक्त स्थिति में सुधार हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये जावेंगे? कब तक श्योपुर जिले को कुपोषण से मुक्त करा लिया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) श्योपुर जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत निम्न योजनाएं संचालित है -1. आई.सी.डी.एस. योजना 2. अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन 3. स्नेह शिविर 4. स्नेह सरोकार शिविर 5. स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की भर्ती एवं फॉलोअप 6. डे-केयर सेन्टर **(ख)** जिले में वर्ष 2014-15 से वर्तमान तक चिन्हित तथा सुपोषित बच्चों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।** जिला चिकित्सालय के पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती होकर लाभांवित बच्चों की जानकारी वर्षवार/माहवार **संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है। (ग)** जी नहीं। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राशि जारी की जाती है, जिसका समुचित उपयोग हेतु विभागीय अमले द्वारा कार्य किया जाता है। बच्चों को कुपोषण के चक्र से निकालने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न अभियान/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। अतिकम वजन के चिन्हित बच्चों को पोषण पुनर्वास में भर्ती करवाया जा रहा है। **(घ)** प्रश्नांश "क" एवं "ग" में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता है। कुपोषण में कमी लाने के प्रयासों के परिणाम शनैः शनैः परिलक्षित होते हैं, अतः समय-सीमा दिया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

श्योपुर जिले में अपराधों की स्थिति

93. (क्र. 2339) श्री दुर्गालाल विजय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले में संचालित सभी थानों में वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न, अपहरण व लूट के कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? **(ख)** ढोढर बैंक डकैती सहित उक्त घटनाओं में से किन-किन घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है? किन-किन घटनाओं के आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं? **(ग)** क्या जिले में पुलिस की निष्क्रियता के कारण गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष लूट, अपहरण व अन्य अपराधों में चौगुनी वृद्धि हुई अन्य घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ा है? इस हेतु उत्तरदायियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? **(घ)** क्या उक्त घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार करने में विलम्ब के कारण नागरिकों में दशहत का वातावरण व्याप्त रहता है? इस स्थिति में सुधार हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित घटनाओं में शेष आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं, प्रश्नांकित घटनाओं में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। **(ड.)** प्रश्नांकित घटनाओं में शेष कुल 61 आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विधि अनुसार प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नवीन सामूहिक नल-जल योजना

94. (क्र. 2355) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** विभाग के अंतर्गत सिवनी जिले में सिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी नवीन सामूहिक नल-जल योजना स्वीकृत हैं? ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** यदि प्रस्तावित नहीं हैं, तो आगे भविष्य में योजना संचालित करने हेतु कार्यवाही कब तक की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** स्वीकृत योजना कब से प्रारंभ कर दी जावेगी? निश्चित समय-सीमा बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कोई भी सामूहिक नलजल योजना स्वीकृत नहीं है। **(ख)** सिवनी विधानसभा क्षेत्र के 140 एवं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के 28 ग्रामों को सम्मिलित कर भीमगढ़ बांध स्रोत से 168 ग्रामों हेतु समूह योजना प्रस्तावित की गई है। समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है। **(ग)** निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

जिला सिवनी के अंतर्गत किसानों के फसल नुकसानों की क्षतिपूर्ति

95. (क्र. 2356) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सिवनी जिला सिवनी के अंतर्गत किसानों के फसलों का नुकसान ओला, पाला एवं अतिवृष्टि से कितने प्रकरण वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक बनाये गये? जानकारी ग्रामवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को, कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में जिन किसानों की फसल नुकसानी का क्षतिपूर्ति/राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में किसानों को फसलों की नुकसानी का क्षतिपूर्ति राहत राशि का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 383 ग्रामवार प्रकरण बनाये गये हैं। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख)** जी हाँ। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश "क" के सभी किसानों को फसल नुकसानी का भुगतान कर दिया गया है। **(घ)** प्रश्नांश "ग" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उदभूत नहीं होता।

सिवनी जिले में संचालित मत्स्य विकास गतिविधियां

96. (क्र. 2357) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** सिवनी जिले में कितनी सहकारी संस्थाएं पंजीकृत हैं एवं कितनी कार्यरत हैं? इन संस्थाओं के नाम, सदस्यों के नाम एवं पते की सूची दें। **(ख)** क्या सिवनी जिले में कितने तालाबों/नदियों/घाटों पर मत्स्य पालन एवं संवर्धन किया जा रहा है? चिन्हित ऐसे कितने स्थान हैं, जहां पर संचालन नहीं हो रहा है? संचालन हेतु इन स्थानों पर क्या कदम उठाए गए? **(ग)** क्या

मत्स्य पालन हेतु अनुदान या प्रोत्साहन राशि दी जाती है? यदि हाँ, तो गत 5 वर्षों में कितनी राशि किन-किन संस्थाओं की कब-कब दी गई? **(घ)** कितनी समितियां पिछले 5 वर्षों में पंजीकृत हुईं? नाम, सदस्य का नाम, पता सूची देवें।

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जिले में कुल 82 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है जिसमें से 70 मछुआ सहकारी समिति कार्यरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख)** सिवनी जिले में वर्तमान में कुल 763 तालाब 2 नदियों के 10 घाटों में मत्स्य पालन एवं संवर्धन किया जा रहा है। संचालन नहीं होने वाले चिन्हित स्थानों की जानकारी निरंक। संचालन हेतु कदम उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं। **(ग)** जी हाँ। गत पांच वर्षों में संस्थाओं को दी गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश अवधि में 06 मछुआ सहकारी समितियां पंजीकृत हुई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है।**

<u>टीकमगढ़ जिले में पी.एच.ई. विभाग द्वारा आदेश का पालन</u>

97. (क्र. 2384) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या टीकमगढ जिले में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने एवं हैण्डपम्पों तथा नलकूपों में 9 मीटर से कम क्रेसिंग पाईप डाले जाने एवं पी.एच.ई. विभाग का सामान ठेकेदारों द्वारा करोड़ो रूपये में बेचे जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर की गई थी? **(ख)** क्या जनहित याचिका क्र. W/P.N 14860 में दिनाँक 13.2.14 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश में पी.एच.ई. विभाग ढीकमगढ़ को वैकल्पिक व्यवस्था, पेयजल हेतु नवीन हैण्डपम्प खनन तथा 9 मीटर से कम क्रेसिंग पाईप डाले जाने वाले ठेकेदारों द्वारा करोड़ो का सामान बेचने वालो के विरूद्ध एफ.आई.आर. का प्रावधान किया गया था? जिसके पालन में पी.एच.ई. विभाग टीकमगढ़ द्वारा पेयजल की वैकल्पिक कौन सी व्यवस्था की थी तथा कौन-कौन ठेकेदारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. की है? पी.एच.ई. विभाग टीकमगढ़ के अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की स्वच्छ पेयजल की कौन-कौन सी व्यवस्थायें की है? **(ग)** क्या यह भी सच है कि ठेकेदारों के विरूद्ध लोकधन गबन के इस अपराध पर अभी तक कोई एफ.आई.आर. क्यों नहीं की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पी.एच.ई. टीकमगढ़ के अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु दिनाँक 13.2.14 से 06 सप्ताह का समय दिया था परंतु आज दिनाँक तक कोई कार्यवाही न्यायालय के आदेश के बाद नहीं की गई? क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगें यदि हाँ, तो समयावधि बतायें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें कि इतने लंबे समय तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ। **(ख)** वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नाधीन ग्रामों में पेयजल व्यवस्था पर्याप्त होने की सूचना याचिकाकर्ताओं को दी गई थी। ग्रामों में अतिरिक्त पेयजल स्रोतों की आवश्यकता नहीं है। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय ने एफ.आई.आर. दर्ज कराने अथवा ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश नहीं दिये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

<u>विधान सभा खरगापुर में हैण्डपंपों की जानकारी</u>

98. (क्र. 2387) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या खरगापुर विधानसभा के अंतर्गत हैण्डपंपों के बारे में मेरे द्वारा पूर्व में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 85 दिनाँक 10 दिसम्बर, 2014 की जानकारी में उत्तर में पी.एच.ई के अधिकारी द्वारा 209 ग्रामों की जानकारी दी गई थी जिसमें ग्राम भिलौनी में 15 हैण्डपंप चालू एवं जिनागढ़ खास में 16 हैण्डपंप चालू गनेशपुरा में 13 हैण्डपंप चालू एवं फरका पठराई में 10 हैण्डपंप चालू बताये गये? प्रश्नकर्ता द्वारा इन ग्रामों का भ्रमण करके जानकारी ली तो मात्र 4-5 हैण्डपंप सभी ग्रामों में है और 2-3 चालू है? क्या उक्त हैण्डपंप के ग्रामों की जाँच करायेगें, यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? **(ख)** क्य ऐसी गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : **(क)** जी हाँ। अतारांकित प्रश्न क्रमांक 85, 10 दिसंबर 2014 में दी गई जानकारी सही है। इन ग्रामों में 4-5 हैण्डपंप स्थापना एवं 2-3 चालू होने की जानकारी सही नहीं है। इन ग्रामों में स्थापित हैण्डपंपों की ग्रामवार एवं स्थलवार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है**। जाँच की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश-''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>ग्राम छैवलाई की गौचर भूमि के संबंध में</u>

99. (क्र. 2397) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छैवलाई, तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के बारे में किस-किस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्ष में शिकायत की है उसका नाम व शिकायत का संक्षिप्त विवरण देते हुए बतायें कि शासन ने क्या कार्यवाही की?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से हुई क्षति में आर्थिक सहायता/सर्वेक्षण में अनियमितता की जाँच</u>

100. (क्र. 2424) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम खजुरा के ग्रामवासियों द्वारा फरवरी 2014 में हुए असामयिक अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति होने से दी गई आर्थिक सहायता हेतु किये गये सर्वेक्षण में की गई अनियमितता की जाँच तथा आर्थिक सहायता देने हेतु आवेदन पत्र दिनाँक 30.12.2014 को कलेक्टर जिला कटनी एवं मुख्य सचिव म.प्र. शासन को 12 मार्च 2015 को दिया। **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** हां, तो क्या उक्त की जाँच की गई? जाँच किसके द्वारा की गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति देते हुये बताएं, यदि जाँच नहीं की गई क्यों? जाँच कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नायब तहसीलदारों की पदोन्नति</u>

101. (क्र. 2445) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में कितने पद तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के सृजित हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में उल्लेखित सृजित पदों में से कितने पदों पर पद स्थापना है एवं कितने पद रिक्त हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या शासन

क्रमशः नायब तहसीलदारों एवं राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति देने पर विचार करेगा? **(घ)** प्रश्नांक **(ग)** के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें की किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>उद्यानिकी विभाग की योजनायें</u>

102. (क्र. 2446) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को लाभान्वित करने हेतु वर्तमान समय में कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान समय में प्रचलित हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित योजनाओं के अंतर्गत पाटन विधान सभा क्षेत्र के कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से कृषकों को वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? **(ग)** क्या उक्त योजनाओं का लक्ष्य पात्र कृषकों को न देकर विभाग के अधिकारियों ने आर्थिक भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(घ)** प्रश्नांक **(ग)** के उत्तर में यदि हाँ, तो इन पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश **''ग''** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला रीवा के विकासखण्ड हनुमना में खादी ग्रामोद्योग, रीवा द्वारा ऋण वितरण</u>

103. (क्र. 2467) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना में खादी ग्रामोद्योग रीवा द्वारा वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने हितग्राहियों को रोजगार के लिये लोन (कर्ज) दिया गया? **(ख)** क्या हितग्राहियों द्वारा जो जाति/निवास प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों लगाये गये हैं? वो पूर्ण रूप से फर्जी हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो कितने लोगो के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रीवा द्वारा वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक विकासखण्ड हनुमना में एक हितग्राही को रोजगार हेतु लोन (कर्ज) दिया गया है। **(ख)** दस्तावेज फर्जी होने संबंधी कोई प्रमाण नहीं है। **(ग)** उत्तरांश **(ख)** के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पट्टा पर उद्देश्यविहीन कार्य करना</u>

104. (क्र. 2482) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अंतर्गत शासकीय भूमि फलदार वृक्ष लगाने के लिए पट्टा देने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? **(ख)** फलदार वृक्ष लगाने हेतु कितने समय के लिए कितने कृषकों को भूमि पट्टा पर दी गई है? ग्रामवार सर्वे क्रमांक सहित जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के अंतर्गत कितने फलदान वृक्ष लगाये गये कितनी पैदावार हुई? पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? **(घ)** शासकीय भूमि पर फलदार वृक्ष न लगाकर कृषि भूमि के लिए उपयोग किया गया। यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी हैं? प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कारीगर परिवारों की आजीविका के संबंध में

105. (क्र. 2521) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या पिछले पाँच वर्षों में सीधी एवं सिंगरौली जिलों में ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं? यदि हाँ, तो कितने कारीगर परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है? **(ख)** क्या इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 78 सीधी एवं सिंगरौली के उन्नयन हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण

106. (क्र. 2522) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीधी सिंगरौली राजमार्ग 78 ई के उन्नयन के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? यदि हाँ, तो क्या नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? **(ख)** कितने प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है? कितनों की क्षतिपूर्ति बकाया है? क्या नये अधिनियम के अंतर्गत राशि दी जायेगी? **(ग)** क्या बिना मुआवजा राशि दिए किसानों/भू-स्वामियों से जोर जबरदस्ती कर भूमि अधिग्रहण किया गया है? ऐसे भू-स्वामियों को मुआवजा राशि कब तक और किस भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत मिलेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तहसीलदारों/नायब तह. पर दर्ज नियम विरूद्ध प्राथमिकी

107. (क्र. 2541) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राज्य में समस्त राजस्व अधिकारियों को न्यायालयीन कार्य सम्पादन के दौरान न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? अगर हां, तो नियम की एक प्रति दें। **(ख)** प्रदेश में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के विरूद्ध बिना राज्य की सक्षम अनुमति के प्राथमिकताएं (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई है? **(ग)** क्या ये प्राथमिकियां अधिकारिताविहीन हैं? यदि हाँ, तो इन्हें समाप्त करने शासन स्तर से कब व क्या कार्यवाहीयां की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण दें। यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या राज्य शासन समस्त राजस्व अधिकारियों को न्यायालयीन संरक्षण प्रदान करने के लिये किसी वैकल्पिक पर विचार कर रही है? अगर हां, तो क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय भूमि पर शासकीय कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण पर कार्यवाही

108. (क्र. 2555) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर जिला मुख्यालय स्थिति नगर पालिका अनुपपुर अंतर्गत खसरा नं. 1082 एवं अन्य भूमि पर तत्कालीन पटवारी हर्री-बर्री ने अपनी पत्नी बेलावती के नाम पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें। **(ख)** क्या न्यायालय कलेक्टर अनुपपुर ने प्रकरण क्रं. 06/स्वमेव निगरानी/10-11 म.प्र. शासन में कोई आदेश पारित किया है? यदि हाँ, तो निर्णय की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताएं कि तत्कालीन पटवारी को अपनी पत्नी की भूमि नक्शा

तरमीम में दोषी पाया गया है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में दोषी पटवारी व उसकी पत्नी जो स्वयं शासकीय सेवक है, कलेक्टर न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर में अपील की गई थी? यदि हाँ, तो उसके निर्णय की प्रति उपलब्ध कराते हुए स्पष्ट करें कि कलेक्टर न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या पटवारी जो राजस्व विभाग का जिम्मेदार कर्मचारी स्वयं व उसकी पत्नी जिला मुख्यालय की बहुमूल्य भूमि पर अवैध निर्माण किया है? यदि हाँ, तो जिला प्रशासन कब तक अतिक्रमण हटाकर कलेक्टर न्यायालय के निर्णय सचिव आदिवासी आयोग को भेजें, प्रतिवेदन पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**मत्स्य समितियों के गठन एवं कार्य संचालन के संबंध में**</u>

109. (क्र. 2566) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला बैतूल में कितनी मत्स्य समितियों का गठन हुआ है? जिला बैतूल में किस-किस मत्स्य को कौन-कौन से जलाशय प्रदान किये गये हैं? जलाशय प्रदान किये जाने का शासन द्वारा क्या प्रावधान हैं? **(ख)** जिला बैतूल में कितनी मत्स्य समितियों के पास दो-दो जलाशय आवंटित हैं एवं नियमानुसार सभी समितियों को जलाशय प्रदान किये गये हैं? यदि नहीं, किये गये तो क्यों? **(ग)** जलाशय आवंटन एवं प्रावधान के विपरीत समितियों को प्रदान किये गये जलाशयों में शासन की मंशा की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या जवाबदेही निश्चित की गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) बैतूल जिले में 52 मत्स्य सहकारी समितियों का गठन हुआ है। जिले में 35 मत्स्य सहकारी समितियों को 50 जलाशय प्रदाय किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है।** मत्स्य पालन नीति 2008 के तहत जलाशय प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ख)** बैतूल जिले में 07 मत्स्य समितियों को दो-दो जलाशय आवंटित है शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जलाशय आवंटित किये गये। **(ग)** प्रावधान के विपरित जलाशय आवंटन न होने के कारण जवाब देही का प्रश्न ही नहीं।

<u>**कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के संबंध में**</u>

110. (क्र. 2567) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला बैतूल में कुटीर एवं ग्रामोद्योग का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? **(ख)** विगत दो वर्षों में बैतूल में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? **(ग)** हितग्राहियों का चयन शासन द्वारा तय नीति के तहत पात्रतानुसार किया गया है? विस्तृत विवरण दिये जाने का कष्ट करें।

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) हितग्राहियों का चयन शासन द्वारा तय पात्रता मापदण्ड अनुसार किया गया है। मापदण्डों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।**

<u>**जनसहयोग एवं शासकीय राशि से छिन्दवाड़ा जिले में नल जल योजनाओं की स्वीकृति में विलंब**</u>

111. (क्र. 2620) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जनसहयोग राशि एवं शासकीय राशि को मिलाकर नलजल योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के

संबंध में शासन के क्या नियम निर्देश है? आदेश निर्देश की प्रति सहित जानकारी दें? **(ख)** छिन्दवाड़ा जिले के किन-किन ग्रामों में जन सहयोग एवं शासकीय राशि को मिलाकर नल जल योजनाओं के स्वीकृति के प्रस्ताव कब से किस स्तर पर लंबित है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता ने अपने विधान सभा क्षेत्र चौरई के दोनों विकासखण्डों के कुछ ग्रामों में कुल लागत की 3 प्रतिशत राशि जनसहयोग व शासकीय राशि से नल जल योजनाओं के स्वीकृति के लिये कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा एवं मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जबलपुर को समय-समय पर पत्र प्रेषित किया है? **(घ)** यदि हाँ, तो कब-कब, पत्र क्रमांक व दिनाँक सहित प्रस्तावित नलजल योजनाओं के नाम सहित जानकारी देते हुए यह बतावे कि एक लम्बा समय व्यतीत होने के उपरांत भी नलजल योजनाओं के अभी तक स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण है? कब से किस स्तर पर लंबित है? कब तक स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं का क्रियान्वयन करा दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार।** योजनाएं स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। आवंटन की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति दी जा सकेगी। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस"</u>

<u>छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई में फसलों के नुकसान पर बीमा क्लेमों में भिन्नता</u>

112. (क्र. 2621) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसानों की फसलों की बीमा करने/कराने नुकसान पर बीमा क्लेम करने, फसल बीमा क्लेम हेतु किन नियमों में क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये है? फसल बीमा क्लेम के आधार क्या है? **(ख)** क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में अतिवृष्टि से छिन्दवाड़ा जिले के तहसील चौरई के ग्राम खिरखीरी, माचीवाड़ा, थावरी, हथनी, लिखड़ी, गुरैया, चन्दनवाड़ा, कामती व कपुर्दा के किसानों की सोयाबीन फसलों को 100 प्रतिशत क्षतिग्रस्त मानकर राजस्व विभाग द्वारा किसानों को मुआवजा स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो इन ग्रामों की फसलवार अनावारी क्या थी? **(ग)** क्या उक्त ग्रामों की वर्ष 2014 में सोयाबीन की अनावारी एक समान होते हुए भी बीमा क्लेम भिन्न-भिन्न दिया गया है? यदि हाँ, तो किन ग्रामों को किस अनावारी दर से क्या बीमा क्लेम दिया गया है? जानकारी ग्रामवार अनावारी एवं उन्हें दिया गया बीमा क्लेक के प्रतिशत की जानकारी दें? **(घ)** क्या उक्त ग्रामों की वर्ष 2014 में सोयाबीन की अनावारी एक समान होते हुए भी ग्राम खिरखिरी, माचीवाड़ा, थावरी, हथनी, लिखड़ी की तुलना में ग्राम गुरैया, चन्दनवाड़ा, कामती व कपुर्दा के किसानों को बहुत कम बीमा क्लेम की राशि प्रदान करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्रमांक 1966 एवं 1949 दिनाँक 19.09.2014 प्रस्तुत किया था? यदि हाँ, तो इस पत्र पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इसका परीक्षण कराकर प्रभावित किसानों को अन्य ग्रामों के समान बीमा क्लेम दिलाने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जबलपुर संभाग में किसानों की आत्महत्या के संबंध में</u>

113. (क्र. 2639) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग में 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है?

(ख) प्रशासन ने पीड़ित किसान के परिवार को कितनी राहत राशि प्रदान की है? **(ग)** क्या किसानों की आत्महत्या के लिए क्या किसी अधिकारी या किसी अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है? **(घ)** यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**गौशाला के संबंध में**</u>

114. (क्र. 2664) डॉ. मोहन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में कितनी एवं कौन-कौन सी गौशालाएं संचालित हैं? **(ख)** उपरोक्त गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक मेंटीनेंस, पशु आहार, दवाइयां, रखरखाव व अन्य मदों में शासन द्वारा आवंटित राशि का मदवार ब्यौरा क्या है? **(ग)** किन-किन गौशालाओं के कितने एवं कौन-कौन से प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है और कब-कब से? व किस कारण उन्हें स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में कुल 6 गौशालायें पंजीकृत है, जिनमें से निम्न 4 गौशालाएं क्रियाशील होकर वर्तमान में संचालित है :1. स्वामी नृत्यगोपालदास गौशाला, ग्राम आलमपुर, उडाना पंथपिपलई। 2. चारधाम मंदिर गौशाला समिति, अखण्ड आश्रम, जयसिंहपुर मार्ग,। 3. श्री दण्डीसेवाश्रम समिति, गुरूकुल शिक्षण समिति! 4. रामानुज गौशाला टस्ट, रामानुज कोट, रामघाट। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग)** श्री चारधाम मंदिर गौशाला समिति अखंड आश्रम का एक प्रस्ताव पक्का शेड निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था। गौशाला की भूमि सिंहस्थ मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित होने से कलेक्टर उज्जैन का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था जो अप्राप्त होने से प्रकरण में स्वीकृति की कार्यवाही संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - "उनतालीस"**</u>

<u>**F.I.R. दर्ज कर धोखाधड़ी का प्रकरण कायम करने संबंधी निर्देश**</u>

115. (क्र. 2668) श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नगर निरीक्षक कोतवाली पन्ना को श्री रमेश तनय दीनदयाल कुशवाहा के विरूद्ध जाँच करने के निर्देश के बिना एफ.आई.आर. दर्ज कर धोखाधड़ी का प्रकरण कायम करने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार के निर्देश जारी करने के अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाये? **(ख)** क्या यह ज्ञात था कि भूमि विक्रय तहसील से जारी खसरा के नकल के आधार रजिस्ट्रार द्वारा पंजीबद्ध किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या डायमंड सिटी के प्रधान संपादक के विरूद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? **(ग)** डायमंड सिटी के प्रधान संपादक द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, पुलिस महानिदेशक, संभागायुक्त सागर, पुलिस महानिरीक्षक सागर एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना, नगर निरीक्षक थाना कोतवाली पन्ना को आवेदन दिनाँक 26.11.2014, 29.11.2014, 16.12.14 एवं 08.11.2014 को आवेदन प्रेषित कर द्वारा राजनैतिक द्वेषभावना से प्रताड़ित करने का उल्लेख कर कार्यवाही का अनुरोध किया गया था? **(घ)** राजनैतिक द्वेषभावना से ही बिना जाँच कराये भूमि क्रय के संबंध में एफ.आई.आर. एवं

धोखाधड़ी का प्रकरण कायम कराकर पद का दुरूपयोग किया गया है? उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** आवेदक कमल कुशवाहा के आवेदन पत्र की जाँच के आधार पर कोतवाली पन्ना में अपराध क्रं. 207/15 धारा 420,34 भादवि का अपराध रमेश कुशवाहा, क्रांति बाई, गुमना बाई, प्यारी बाई एवं क्रेता श्रीकांत दीक्षित प्रधान संपादक डायमंड सिंटी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है। **(ग)** श्रीकांत दीक्षित उर्फ पप्पू प्रधान संपादक डायमंड सिटी टिकुरिया पन्ना द्वारा दिनाँक 26.11.2014 को दिया गया आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना में दि. 27.11.14 को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रधान संपादक डायमंड सिटी का आवेदन पत्र दिनाँक 29.11.14 मुख्य सचिव, म.प्र.शासन भोपाल को संबोधित होकर अति.पुलिस महानिदेशक शिकायत/मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीएफ 10471/2015 दिनाँक 11.03.15 द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना को प्राप्त हुआ। दोनों आवेदन पत्रों को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पन्ना को जाँच हेतु भेजा गया। उक्त दोनों पत्रों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पन्ना द्वारा की जाकर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जाँच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा सिद्धि विनायक स्टोन चलाया जाता है तथा ग्राम जमुनहाई में खनिज पत्थर फरसी का उत्खनन् कराया जाता है। जिसे कलेक्टर पन्ना खनिज शाखा से पट्टे की शर्तो का उल्लघंन करने के कारण दि. 29.09.14 को निरस्त किया गया था। यह संपूर्ण मामला कलेक्टर पन्ना खनिज शाखा की कार्यवाही से संबंधित है। आवेदन पत्र की जाँच पर आरोप निराधार पाये गये है। प्रधान संपादक डायमंड सिटी का आवेदन पत्र दिनाँक 08.11.14, 26.11.14, 29.11.14 एवं 16.12.14 थाना कोतवाली पन्ना में प्राप्त होना नहीं पाये गये है। **(घ)** प्रश्नांश क, ख, ग, के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>मकान का नामांतरण कराया जाना</u>

116. (क्र. 2669) श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व पार्षद क्रमांक 04 नगर पालिका पन्ना द्वारा आवेदन दिनाँक 15.06.2015 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक जिला पन्ना को शिकायत प्रस्तुत की थी कि श्री कमल कुशवाहा ने उनके फर्जी हस्ताक्षर एवं सील से मकान का नामान्तरण कराया है? **(ख)** यदि हाँ, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा जाँच कराई गई है? जाँच के क्या परिणाम रहे एवं दोषी कौन है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? **(ग)** क्या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा शिकायतों की जाँच नहीं कराई गई है? यदि हाँ, तो इन अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं। किसी गुमनाम व्यक्ति द्वारा उसके नाम से शिकायत की है जो जाँच उपरांत गलत पायी गयी है। शिकायत पत्र की छायप्रति **संलग्न परिशिष्ट 'अ'** कथन की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है** एवं श्रीमती पार्वती जाटव द्वारा थाना प्रभारी को दिया लेख पत्र **संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ख)** उत्तरांश 'क' अनुसार। **(ग)** जी नहीं। जाँच में पार्वती जाटव के नाम से गुमनाम आवेदन पत्र देना पाया गया। जाँच में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाये गया है।

<u>परिशिष्ट - ''चालीस''</u>

जैन इरिगेशन जलगांव द्वारा पोली हाउस निर्माण में धोखाधड़ी

117. (क्र. 2676) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या रतलाम में कृषक श्रीमती रामकन्याबाई शर्मा ने जैन इरिगेशन, जलगांव द्वारा निर्मित पोली हाउस में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत की है? यदि हाँ, तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित शिकायत पर विभाग के किस अधिकारी ने किस दिनाँक को पोली हाउस का निरीक्षण किया? किस-किस बिन्दु पर पंचनामा बनाया, तथा कृषक की मंहगी फसल जो पूरी खराब हो गई थी, कन्सर्ड केस्सिकम को बचाने हेतु क्या सुझाव दिये, क्या सुविधा मुहैया करवाई? **(ग)** क्या इस बारे में समाचार पत्रों में निरन्तर समाचार प्रकाशित हुये? यदि हाँ, तो समाचार की प्रति देवे तथा बतावे कि विभाग द्वारा इन समाचारों पर संज्ञान लेकर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पोली हाउस के निर्माण के दो भिन्न-भिन्न बिल विभाग तथा बैंक में दिये गये है, तो क्या शासन कम्पनी के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराकर कम्पनी को Black listed करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : **(क)** जी हाँ। सचिव, उद्यानिकी मिशन समिति रतलाम के पत्र दिनाँक 08.07.2015 से समिति गठित कर जाँच के निर्देश दिये। **(ख)** डॉ. मोहम्मद मुस्तफा, उद्यानिकी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालुखेड़ा, डॉ. कामिनी कुमारी मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालुखेड़ा, श्री आर. एस. कटारा, उप संचालक उद्यान, जिला रतलाम श्री वी. आर.एस चन्द्रातव, कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड रतलाम द्वारा दिनाँक 10.07.2015 को निरीक्षण किया गया। पॉली हाउस के क्षतिग्रस्त होने तथा फसल के रोगस्त होने बाबत पंचनामा तैयार किया गया। जैन इरीगेशन के एग्रोमिस्ट द्वारा फसल को बचाने हेतु सुझाव निरीक्षण रिपोर्ट दिनाँक 26.062015 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। **(घ)** कम्पनी द्वारा विभाग को पॉली हाउस निर्माण पर एक ही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया। बैंक में प्रस्तुत बिल की जानकारी विभाग को नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पाटई मोगियापुरा नवीन हैंडपंप के संबंध में

118. (क्र. 2681) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि ग्वालियर जिले के घाटीगॉव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पाटई के मोगियापुरा में नवीन हैण्डपंप लगाये जाने हेतु अपर सचिव, केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री महोदय द्वारा 04.06.2015 को लिखे गये पत्र एवं प्रभारी मंत्री, ग्वालियर द्वारा लिखे गये पत्रों एवं ग्राम पंचायत पाटई की मांग पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या हैण्डपंप स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों नहीं, कब तक स्वीकृत किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : जी हाँ, ग्राम पाटई मोगियापुरा में माह जुलाई 2015 में हैण्डपंप स्वीकृत किया गया है।

राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति

119. (क्र. 2705) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजस्व मंत्री ने अता. प्रश्न क्र. 3956 दिनाँक 13 मार्च, 2015 के उत्तर में विधानसभा में

राजस्व निरीक्षकों के 186 पदों के पदोन्नति की जानकारी दी थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक विभाग ने क्या कार्यवाही की? **(ख)** सामान्य प्रशासन के आदेश क्र. स.प्र.वि.क्र.सी. 3-4/97/31 एक, भोपाल दि. 09.04.97 में पदोन्नति के आदेश के संबंद्ध में क्या उल्लेख किया हैं? उल्लेखित आदेश का क्या विभाग ने पालन किया हैं? **(ग)** विभाग की डी.पी.सी की बैठक दि. 20.01.2015 की कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराएं, डी.पी.सी. की बैठक के दौरान कौन-कौन से अधिकारी/सदस्य मौजूद थे? बैठक उपरांत किन-किन अधिकारियों/सदस्यों ने कार्यवाही विवरण पर अपने हस्ताक्षर किये थे? **(घ)** क्या हाल ही में डी.पी.सी. की दि. 20.01.2015 की बैठक में सम्मिलित किसी अधिकारी/सदस्य ने कार्यवाही विवरण पर किए गए स्वयं के हस्ताक्षर पर सफेदा (फ्लूड) लगाकर हस्ताक्षर मिटा दिया? क्या कार्यवाही विवरण पर बैठक पश्चात हस्ताक्षर पर सफेदा लगाना उचित हैं, अगर नहीं तो दोषी अधिकारी पर विभाग क्या कार्यवाही एवं कब तक करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मिट्टी में धसने से मृत व्यक्तियों की आर्थिक सहायता

120. (क्र. 2738) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मिट्टी की खदान खिसकने के कारण मृत व्यक्तियों को शासन द्वारा कितनी सहायता देने का प्रावधान है? **(ख)** क्या यह सही है कि सबलगढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम अटार में वन्दना पुत्री शिवचरन, रामलली पुत्री नेपलाल एवं विन्तेश पुत्री रामस्वरूप की मिट्टी की खदान धसने से मृत्यु हो जाने के कारण कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो कितनी आर्थिक सहायता प्रदाय की है? क्या मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आर्थिक सहायता प्रदाय की जाएगी और कितनी? समयावधि बताएं। **(घ)** क्या इस खदान मे धंसने से घायल महिलाओं एवं पुरूषों जिनका इलाज चल रहा है उनकों भी आर्थिक सहायता दी जाएगी और कितनी? कब तक समयावधि बतावें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय गोचर भूमि पर अतिक्रमण

121. (क्र. 2742) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम पंचायत खातेगांव तह. नलखेड़ा, जिला आगर (मालवा) स्थित में कितनी शासकीय गोचर भूमि है? **(ख)** क्या इस भूमि पर शासन का आधिपत्य है यदि नहीं, तो किसका इस भूमि पर आधिपत्य है? **(ग)** क्या ग्राम खेलागांव, बिजनाखेडी, देहरी देव गुराडिया देव तथा लक्ष्मीखेडा के असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है और शासकीय भूमि का ये लोग निजी भूमि जैसा उपयोग कर रहे है? यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों का नाम सहित विवरण देवें? **(घ)** ऐसे अतिक्रमणधारियों से शासकीय भूमि को कब तक शासन मुक्त करवायेगी ऐसे लोगों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्यानिकी संचालित योजनायें

122. (क्र. 2748) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** उद्यानिकी विभाग द्वारा रायसेन एवं देवास जिले में कौन-कौन सी योजनायें संचालित है?

मापदण्ड-शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें? **(ख)** रायसेन एवं देवास जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक किस-किस योजना में कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** उक्त जिलों में कहाँ-कहाँ पर नर्सरी, उद्यान एवं निकुंज संचालित है? विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई तथा आय क्या रही? **(घ)** उक्त योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु विभाग द्वारा कृषकों को नर्सरी स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, एवं मेला एवं सेमिनार आयोजित कर कृषकों को उद्यानिकी की उच्च तकनीकी की जानकारी उद्यानिकी वैज्ञानिकों एवं विभागीय अमले द्वारा प्रदाय कर योजनाओं के पम्पलेट्स वितरण किये जाते है। कृषकों को उद्यानिकी की उच्च तकनीकी का अवलोकन एवं जानकारी प्राप्त करने राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर भ्रमण करवाया जाता है।

घोषित राजस्व ग्राम

123. (क्र. 2749) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जुलाई, 2015 की स्थिति में रायसेन एवं देवास जिले के किन-किन ग्रामों के नक्शा फट गये है, उपलब्ध नहीं है तथा क्यों, कारण बतायें कब तक उपलब्ध करायेंगे? **(ख)** जुलाई, 2015 की स्थिति में उक्त जिलों में ऐसे कौन-कौन मजरा टोला तथा वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया तथा क्यों कारण बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के ग्रामों में नक्शा तथा प्रश्नांश **(ख)** के ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में अभी तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के ग्रामों में नक्शा तथा प्रश्नांश **(ख)** के ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कुपोषण से बचाने हेतु संचालित योजनाएं

124. (क्र. 2772) श्री अशोक रोहाणी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जबलपुर जिले में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कल्याण एवं कुपोषण से बचाने हेतु राज्य एवं केन्द्रीय शासन की संचालित किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? योजनाओं का प्रचार-प्रसार शिविरों का आयोजन, पोषण आहार व सामग्री आदि की खरीदी पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई बतलावें? वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में आयोजित शिविरों में कितने बालक/बालिकाएं गर्भवती महिला, कुपोषित पाये गये? इनमें से कितने बालक/बालिकाओं को घोषण पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती कराया गया? कितनी गर्भवती महिलाओं/बच्चों की मृत्यु हुई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में तहसीलवार कितने गांवों को कुपोषण की श्रेणी में चिंहित किया गया है और इन गांवों में कुपोषण की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गये हैं? किन-किन गांवों का किन-किन अधिकारियों ने भ्रमण किया है तथा कहाँ-कहाँ पर कितने दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया? इन शिविरों में कितने बालक/बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और कितने कुपोषित पाये गये? **(घ)** क्या शासन प्रश्नांश **(क)** में राशि

का दुरूपयोग वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत 0-5 वर्ष तक के बच्चों के लिए गए वजन के आधार पर उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। महिलाओं के पोषण स्तर का निर्धारण नहीं किया जाता है। आयोजित शिविरों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।** कोई मृत्यु प्रतिवेदित नहीं है। **(ग)** गाँवों को कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित नहीं किया जाता है। स्नेह शिविर में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (घ)** प्रश्नाशं "क" में उल्लेखित राशि के दुरूपयोग, वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त न होने से शेष का प्रश्न ही नहीं।

जबलपुर जिलान्तर्गत संचालित नर्सरीयां

125. (क्र. 2773) श्री अशोक रोहाणी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जबलपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के तहत कौन-कौन सी योजनायें व नर्सरीयां कहाँ पर संचालित है? इनका क्षेत्रफल कितना-कितना है तथा इनके प्रभार में कब से कौन-कौन किस पद पर पदस्थ हैं? सूची दें? **(ख)** प्रश्नांकित किन-किन नर्सरियां में किन-किन योजनान्तर्गत किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्यक्रम किसने किस एजेंसी से कराये हैं? बतलावें? किन-किन नर्सरियों को कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की आदान सामग्री, बीज पौधे आदि प्रदाय किये गये है? वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांकित नर्सरियों में कितने किसान लाभांवित हुये हैं? किन-किन योजनान्तर्गत कितने किसानों को कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि की आदान सामग्री बीज पौधे नि:शुल्क प्रदाय किये गये हैं? इसकी जाँच/सत्यापन कब, किसने किया है? अनुदान की कितनी राशि दी गई? **(घ)** क्या शासन इसमें की गई वित्तीय अनियमितता राशि का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रशनांकित अवधि में नर्सरी में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन अन्तर्गत कोई भी कार्य संपादित नहीं किया गया है और न ही आदान सामग्री बीज, पौधे आदि प्रदाय किये गये। राज्य योजना अन्तर्गत तेवर रोपणी को रखरखाव मद में प्रदाय आदान सामग्री बीज, पौधे, खाद् दवा की जानकारी वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2014-15 तक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग)** 304 किसान लाभांवित हुये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।** निः शुल्क पौध प्रदाय करने की कोई योजना संचालित नहीं है। विकास खण्ड शहपुरा एवं पाटन विकास खण्ड में पदस्थ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन का कार्य किया गया। नये उद्यानों की स्थापनान्तर्गत 11 कृषकों को 53950 रूपये की राशि चेक द्वारा प्रदाय की गयी। **(घ)** प्रश्नांकित नर्सरी की अवधि में वित्तीय अनियमियतता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होने से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रेडी टू ईट पोषण आहार की आपूर्ति

126. (क्र. 2794) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** कुपोषण को दूर करने के लिये प्रदेश की ऑगनवाड़ियों में रेडी टू ईट पोषण आहार की आपूर्ति क्या एम.पी. एग्रो द्वारा की जाती है? यदि हाँ, तो क्या इसे एम.पी. एग्रो स्वयं बनाता है? **(ख)** यदि रेडि टू ईट पोषण आहार को एम.पी. एग्रो स्वयं नहीं बनाता है तो वह इसे अपने द्वारा आपूर्ति करने के लिये किस-किस शासकीय या निजी उपक्रम से तैयार करवाता है? कृपया सूची उपलब्ध करायें? **(ग)** यदि उक्त पोषण आहार निजी उपक्रम से तैयार करवाया जाता है तो कृपया निजी उपक्रम का नाम, उसका पंजीयन क्रमांक, उसके प्रमुख का नाम एवं पूर्ण पता उपलब्ध करायें? विगत 5 वर्षों में किस संस्था ने पोषण आहार की कितनी मात्रा की आपूर्ति महिला एवं बाल विकास विभाग को की गई? **(घ)** निजी उपक्रम को उसके द्वारा तैयार किये गये पोषण आहार के लिये विगत 5 वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? कृपया वर्षवार जानकारी दें? **(ड.)** रेडी टू ईट मील की गुणवत्ता की जाँच कब-कब की जाती है और यह जाँच किस संस्था द्वारा की जाती है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। एम.पी.एग्रो स्वयं के बाडी संयंत्र व संयुक्त क्षेत्र में स्थापित संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार (टेकहोम राशन) बनाता है। **(ख)** ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। एम.पी.एग्रो के तीन संयुक्त उपक्रमों की जानकारी निम्नानुसार है -1. मध्यप्रदेश एग्रो फूड इण्ड. लिमि. मंडीदीप 2. एम पी एग्रो टॉनिक्स लिमि. मंडीदीप 3. एम पी एग्रो न्यूट्री फूडस लिमि. इंदौर **(ग)** एम.पी.एग्रो द्वारा निजी उपक्रम से तैयार नहीं कराया जाता वरन संयुक्त उपक्रमों से पोषण आहार तैयार करवाया जाता है। संयुक्त क्षेत्र उपक्रम का नाम, पंजीयन क्रमांक उसके प्रमुख का नाम एवं पूर्ण पते की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-01 पर है**। एम.पी.एग्रो द्वारा विभाग को आपूर्ति की गई पोषण आहार की मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-02 पर है। (घ)** एम.पी.एग्रो द्वारा निजी उपक्रम नहीं वरन संयुक्त उपक्रमों को भुगतान किया गया है, संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों को भुगतान की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-03 पर है। (ड.)** एम.पी.एग्रो द्वारा प्रदायित पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता की नियमित जाँच प्रत्येक 100 मै. टन पर एक सेम्पल के आधार पर भारत सरकार महिला एवं बाल विकास खाद्य एवं पोषाआहार बोर्ड नई दिल्ली की प्रयोगशाला से करवाई जाती है।

<u>**परिशिष्ट - "इकतालीस"**</u>

<u>भूमि अधिग्रहण का मुआवजा</u>

127. (क्र. 2800) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शहडोल जिले के सोहागपुर तहसील अंतर्गत ग्राम शहडोल की आराजी खसरा नंबर 67 रकवा 1.46 एकड़, नर्वदा प्रसाद पिता श्री आर.बी. यादव, निवासी दुर्गा मंदिर वार्ड नं. 09 के पट्टे की भूमि है जिसके अंश रकवा 0.080 एकड में लोक निर्माण विभाग का स्टोर बिल्डिंग एवं बाउण्ड्रीवाल निर्मित है? **(ख)** उपरोक्त खण्ड में दर्शित भूमि जिसमें लोक निर्माण विभाग का भवन व बाउण्ड्रीवाल बना हुआ है, उसके भूमि के अर्जन हेतु कलेक्टर जिला शहडोल एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा 30 जनवरी 2015 का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र दिनाँक 27 फरवरी 2015 में किया गया है? **(ग)** क्या उपरोक्त खण्ड **(क)** व **(ख)** अनुसार अभिलिखित भूमि स्वामी द्वारा उपरोक्त भूमि के मुआवजे की मांग की गई है और उपरोक्त संबंध में कलेक्टर शहडोल, अनुविभागीय अधिकारी

लोक निर्माण विभाग उप संभाग शहडोल, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, शहडोल संभाग शहडोल, म.प्र. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सोहागपुर द्वारा विभिन्न पत्राचार किये गये हैं? **(घ)** क्या उपरोक्त खण्ड **(क)** में दर्शित भूमि का मुआवजा भूमि स्वामी को दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दी जायेंगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ओवर हेड टैंक की व्यवस्था

128. (क्र. 2807) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या शहडोल जिले में पेयजल प्रदाय हेतु ओवर हेड टैंक की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो शहडोल जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में जनपद पंचायतवार कितने ओवर हेड टैंक स्थापित है? **(ख)** क्या शहडोल जिले में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित ओवर हेड टैंक सभी चालू हैं? यदि हाँ, तो कितने यदि नहीं, तो कितने और कब से बंद हैं? **(ग)** यदि ओवर हेड टैंक बंद हैं तो क्या उनके चालू करने की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो बंद ओवर हेड टैंकों को चालू करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है और उपरोक्त संबंध में विभाग को कितनी राशि मुहैया करायी गई है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, जनपद पंचायत सोहागपुर में 19, गोहपारू में 14, बुढार में 16, ब्योहारी में 15 एवं जयसिंहनगर में 11 ओवर हेड टैंक स्थापित है। **(ख)** जी नहीं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** बंद 4 नलजल योजनाओं के बंद ओवर हेड टंकी को चालू करने के लिए ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन दिया गया है। 3 नल जल योजनाओं के स्त्रोत समाप्त हो जाने के कारण नवीन स्त्रोतों का निर्माण कर विभाग द्वारा चालू करने की कार्यवाही की जा रही है एवं 5 नलजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं, इन्हें वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। बंद टंकियों को चालू करने हेतु पृथक से राशी विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

नगरपालिका शहडोल के कार्यालयों की भूमि

129. (क्र. 2816) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शहडोल नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत आयुष विभाग, विक्रय कर विभाग, आबकारी विभाग की स्वयं की भूमि है? **(ख)** यदि हाँ, तो उसका खसरा नंबर तथा रकबा कितना-कितना है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारियों को जल्दी-जल्दी बदला जाना

130. (क्र. 2841) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानुसार उपखण्डों में उपखण्ड अधिकारी की पदस्थापना करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है? चंबल संभाग के विभिन्न उपखण्डों में एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 के दौरान कुल कितने उपखण्ड अधिकारी कहाँ से कहाँ तक पदस्थ किये गये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित समयानुसार पदस्थ किये गये उपखण्ड अधिकारियों में से छह माह से कम अवधि से कम/छह माह से 1 वर्ष तक की अवधि के लिये/एक वर्ष से दो वर्ष तक की अवधि के लिये/ 2 साल से ज्यादा अवधि के लिये उपखण्ड अधिकारी पदस्थ रहे? जिलेवार जानकारी

दें?   **(ग)** क्या जिला कलेक्टरों के द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को जल्दी-जल्दी बदला जाता है? **(घ)** क्या राज्य शासन उपखण्ड अधिकारियों की पदस्थापना का अधिकार अपने कार्यक्षेत्र में लेने पर विचार करेगा? अगर हां तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों? कारण एवं नियम दें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**नियम विरूद्ध नाम भेजा जाना**</u>

131. (क्र. 2843) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** गैर राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किस-किस अधिकारी के नाम सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये हैं? **(ख)** क्या यह सही है कि कुछ अन्य विभागों द्वारा भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के नाम भेज दिये हैं? यदि हाँ, तो अधिकारियों के नाम दें? **(ग)** क्या प्रतिनियुक्ति वाले विभाग नाम भेज सकते हैं? यदि हाँ, तो नियम बतायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) 1. डॉ संध्या व्यास 2. श्री विशाल नाडकर्णी 3. श्री अक्षय श्रीवास्तव 4. डॉ प्रज्ञा अवस्थी 5. डॉ अमिताभ अवस्थी। (ख्) जी हाँ। 1. डॉ प्रज्ञा अवस्थी 2. डॉ अमिताभ अवस्थी **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**हमीदिया रोड पर नर्मदा बेली को नियम विरूद्ध फायदा दिया जाना**</u>

132. (क्र. 2846) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल के हमीदिया रोड स्थित नर्मदा बेली फूड स्टफ कंपनी के द्वारा व्यवसायिक उपयोग हेतु पट्टे की मांग की जाने पर कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2007-08 के अनुसार व्यवसायिक बाजार मूल्य तीस करोड़ इकतालीस लाख दस हजार दो सौ चालीस रूपये मात्र जमा कराये जाने के ओदश जिला कलेक्टर/राज्य शासन ने दिये थे? **(ख)** क्या उक्त राशि कंपनी के द्वारा जमा कराई गई? अगर हां तो कब? कितनी? अगर नहीं तो वर्ष 2014-2015 की गाईड लाईन के अनुसार उक्त भूमि को कितनी राशि प्रश्नतिथि तक जमा करना नियमानुसार हैं? **(ग)** राज्य शासन/जिला कलेक्टर शासकीय नियमों के विपरीत उक्त राशि को कम कर सकते हैं? अगर हां तो नियम दें? अगर नहीं तो कितनी राशि जिला कलेक्टर भोपाल के द्वारा जमा कराई जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**अवैध लायसेंसो के बाद भी काम चालू रहना**</u>

133. (क्र. 2847) श्री सतीश मालवीय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निशा सिक्युरिटी सर्विस भोपाल का लायसेंस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य औद्योगिक सुरक्षा एजेंसी ने दिनाँक 29.05.2014 को निरस्त किया है? अगर हाँ तो जारी आदेशों की एक प्रति दें? अगर नहीं तो वैध लायसेंस की एक प्रति दें? दिलीप सोलूशन्स सर्विसेस का लायसेंस न होने के बावजूद भी रिलायंस जीओ, रिलांयस फ्रेश, रिलांयस सी बी एम प्रोजेक्ट्स शहडोल में किस आधार पर काम कर रही है? अभी तक अपराधिक मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया है? कब तक अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा? **(ख)** सिक्युरिटी एण्ड इंटेलिजेंस सर्विस इण्डिया लिमिटेड, 154 रचना नगर, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, भोपाल लायसेंस 23.08.2014 को क्या अतिरिक्त पुलिस

महानिदेशक राज्य औद्योगिक सुरक्षा एजेंसीस ने निरस्त किया था? अगर हां तो जारी आदेशों की एक प्रति दें? अगर नहीं तो वैध लायसेंस की एक प्रति दें? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** में उल्लेखित कंपनियों के द्वारा धार जिले के पीथमपुर के उद्योगों सहित अन्य जिलों में लायसेंस ना होने के बाद सिक्युरिटी सर्विसेस का कार्य नियमों के विपरित असंवैधानिक रूप से किया जा रहा है? **(घ)** क्या कार्यवाही धार पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य औद्योगिक सुरक्षा एजेंन्सीस के द्वारा उक्त कंपनियों के विरूद्ध प्रकरणवार आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये कब तक की जायेगी? अगर नहीं तो क्यों कारण दें? नियम की एक प्रति दें?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। आदेश दिनाँक 29.05.2014 की प्रति **संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। दिलीप सॉल्यूशन के नाम से कोई सुरक्षा एजेंसी पंजीकृत नहीं है अपितु बिलीव सॉल्यूशन सर्विसेस (बीएसएस) के नाम से सुरक्षा एजेंसी पंजीकृत है जिसके द्वारा सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं। **(ख)** पूर्व में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं म.प्र. निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण एजेंसी का लायसेंस निरस्त किया गया था। बाद में उक्त एजेंसी द्वारा नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनाँक 28.04.2015 को लायसेंस जारी किया जा चुका है जिसकी वैधता दिनाँक 27.04.2020 तक है जिसकी प्रतिलिपि **संलग्न परिशिष्ट ''ब''अनुसार है। (ग)** जी नहीं। निशा सिक्यूरिटी सर्विस भोपाल के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन प्राप्त होने एवं सिक्यूरिटी एण्ड इंटेलीजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड भोपाल के पास वैध लायसेंस होने से कारोबार किया जा रहा है। **(घ)** निशा सिक्यूरिटी सर्विस भोपाल एवं सिक्यूरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विस, भोपाल को लायसेंस वैध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''तैंतालीस</u>''

<u>फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण</u>

134. (क्र. 2850) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वि.खं. छपारा में food processing unit के निर्माण करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है? **(ख)** क्या विभाग के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण के लिये कोई योजना विचाराधीन है? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक इस पर कार्य किया जायेगा? कृपया समयावधि बतावें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं। माननीय विधायक जी का कोई पत्र उद्यानिकी संचालनालय में प्राप्त नहीं है। **(ख)** जी नहीं। Food Processing इकाईया निजी क्षेत्र में स्थापित होती है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्नांश **''ख''** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>महिला बाल विकास द्वारा संचालित गतिविधियां</u>

135. (क्र. 2910) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शासन द्वारा किस योजनान्तर्गत कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया? योजनावार जानकारी दी जावें? **(ख)** महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना द्वारा विगत 5 वर्षों से मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु किस

फर्मों/एजेंसियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किस दर पर अनुबंधित किया गया है? क्या विगत 5 वर्षों से शहरी क्षेत्र में एक ही फर्म/संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु अनुबंधित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड/दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है? मापदण्ड/दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने के साथ-साथ संबंधित फर्म/संस्था की विगत 5 वर्ष की संपूर्ण जानकारी मय टेंडर प्रक्रिया के उपलब्ध कराई जावें? **(ग)** शहरी क्षेत्र मुरैना में कितने आंगनबाडी केन्द्र स्थापित हैं एवं प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन कितने बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है, माह मई 2015 का संपूर्ण ब्यौरा देवें तथा फर्म/संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना द्वारा निम्नानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैः- (1) .पूरक पोषण आहार (2) सुपोषण अभियान (3) स्निप अन्तर्गत अन्नप्राशन (4) मंगल दिवस (5) अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शासन द्वारा उपरोक्त योजनाओं हेतु जारी आवंटन की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शासन निर्देशानुसार सांझा चूल्हा कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन प्रदायकर्ता स्व सहायता समूहों द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चयनित स्व सहायता समूहों द्वारा पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 तक राशि रू.4/- प्रति हितग्राही एवं वर्ष 2014-15 व वर्ष 2015-16 में राशि रू.6/- प्रति हितग्राही की दर से पूरक पोषण आहार वितरण हेतु अनुबंध किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के प्रति वर्ष अनुमोदन उपरान्त चयनित स्व सहायता समूहों द्वारा विगत 5 वर्षों से बाल विकास परियोजना बानमोर एवं पोरसा के शहरी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों के चयन हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड/दिशा निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार** है। जिले की बाल विकास परियोजना मुरैना शहरी,बानमोर, अम्बाह, पोरसा,जौरा-2, कैलारस एवं सबलगढ़ के कुल 07 नगरीय क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विगत 5 वर्षों से पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व सहायता समूहों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।** संबंधित फर्म/संस्थाओं की विगत 5 वर्ष की जानकारी टेण्डर प्रक्रिया सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। (घ)** शहरी क्षेत्र मुरैना में 256 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन औसतन 46 (मंगल दिवस के हितग्राहियों सहित) हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया गया है। माह मई 2015 में शहरी क्षेत्र मुरैना के समस्त 256 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया है। पूरक पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व सहायता समूह को राशि रू.8,81,574/ का भुगतान किया गया है।

मुरैना में संचालित योजना

136. (क्र. 2914) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मत्स्य विभाग मुरैना द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शासन द्वारा किस योजनान्तर्गत कितना

आवंटन उपलब्ध कराया गया? योजनावार जानकारी दी जावें? **(ख)** मत्स्य विभाग मुरैना द्वारा विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना क्षेत्रान्तर्गत विगत 2 वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत में कितने मछली पालन केन्द्र कितनी राशि के स्थापित कराये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संबंध में विगत 2 वर्षों से स्थापित कराये गये मछली पालन केन्द्रों में से वर्तमान में किस ग्राम पंचायत में कितने मछली पालन केन्द्र चालू हैं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) मुरैना जिले में मत्स्य विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार** तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में योजनान्तर्गत आवंटन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट दो अनुसार है। (ख)** विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी के क्षेत्रान्तर्गत विगत दो वर्षों में ग्राम पंचायत विरहरूआ एवं ग्राम पंचायत नावली में दो हितग्राहियों को मछली पालन हेतु राशि रूपये 73968 का अनुदान दिया गया। **(ग)** प्रश्नांश ख के संबंध में मछली पालन के दोनों केन्द्र चालू है।

<u>परिशिष्ट - ''चौवालीस''</u>

<u>स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण</u>

137. (क्र. 2927) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** ग्रामीण ग्रामोद्योग हेतु रतलाम-उज्जैन-मंदसौर जिलो में वर्ष 2011 से 2014 तक तहसीलवार दिये गये प्रशिक्षणों का ब्योरा क्या है? एवं प्रशिक्षणार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों का ब्योरा क्या है? **(ख)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षणार्थियों का (आलोट-रतलाम-सैलाना के) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को लाभ मिला ब्यौरा क्या है?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट ''अ'' प्रपत्र एक, दो, तीन एवं चार अनुसार है।**

<u>जलजीव डाल्फिन की रक्षा एवं विस्तार</u>

138. (क्र. 2933) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** प्रदेश में राष्ट्रीय जलीय जीव रिवर डाल्फिन की प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका प्रजाति किन-किन नदियों से विलुप्त हो गई है? **(ख)** क्या केवल चंबल ही डाल्फिन का एकमात्र घर बचा है? **(ग)** डाल्फिन प्रजाति की रक्षा एवं उनके विस्तार हेतु सरकार ने विगत तीन वर्षों में क्या-क्या योजना बनाई व उन पर अमल किया? **(घ)** प्रदेश में जलजीवों की विलुप्त जीवों में कौन-कौन से जलजीव सम्मिलित है? ब्यौरा दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रदेश में राष्ट्रीय जलीय जीव रिवर डालफीन मध्यप्रदेश की केवल चंबल नदी में पाई जाती है प्रदेश की अन्य किसी नदी में डालफीन नहीं पाई जाती है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** डालफीन प्रजाति की रक्षा एवं विस्तार हेतु मछली पालन विभाग द्वारा कोई योजना क्रियान्वित नहीं है। **(घ)** प्रदेश में मछलियों की 17 प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में है **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - ''पैंतालीस''</u>

<u>कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

139. (क्र. 2971) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनाँक की स्थिति में पशु चिकित्सकों एवं पशु चिकित्सा कर्मचारियों के समस्त संवर्गों के कौन-कौन से पद कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत है? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन, कहाँ-कहाँ पर कार्यरत है तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? **(ख)** उक्त रिक्त पद कब तक भरे जाएगें? निश्चित समयावधि बताएं?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''छियालीस''</u>

<u>संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा भोपाल द्वारा कार्यवाही</u>

140. (क्र. 2972) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** क्या संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश के कार्यालय के पत्र क्रमांक/एबाविसे/स्था-4/2015/246 भोपाल दिनाँक 19.01.2015 के क्रम में दिनाँक 27.01.2015 को आयुक्त कार्यालय में जबाव प्राप्त हुआ है? **(ख)** उक्त प्राप्त जबाव आरोप क्रमांक 01 एवं आधार पत्र अनुसार तथा जबाव आरोप क्रमांक 02 के कुल 05 पृष्ठों में वर्णित विषय वस्तु पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 569 दिनाँक 19.02.2015 के क्रम में कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपना क्या अभिमत दिया? **(ग)** संचालनालय के पत्र क्र. 569 दिनाँक 19.02.2015 के क्रम में कलेक्टर जिला शिवपुरी से प्राप्त अभिमत, अभिलेख एवं साक्ष्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** संचालनालय के पत्र क्र./एबाविसे/स्था-4/2015/246 भोपाल दिनाँक 19.01.2015 किन-किन दस्तावेजों के आधार पर तथा किनकी अनुशंसा पर किनके आदेशानुसार जारी किया गया? क्या मुख्य आरोप क्रमांक 01 असत्य एवं निराधार लगाया गया था?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** कलेक्टर जिला-शिवपुरी द्वारा यह अभिमत दिया गया कि श्रीमती रमिता जावडा तत्कालीन परियोजना अधिकारी बदरवास द्वारा उनसे बार-बार रिकार्ड मांगे जाने पर यह कभी भी नहीं बताया गया कि समस्त अभिलेख कलेक्टर न्यायालय शिवपुरी में आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 13+14+15 बदरवास की प्रचलित अपील में मांगे जाने पर प्रस्तुत किया गया है। विभागीय कार्यवाही एवं कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रचलित होना दोनों पृथक-पृथक कार्यवाहियां है। श्रीमती रमिता जावडा द्वारा जब अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई। **(ग)** कलेक्टर जिला-शिवपुरी से प्राप्त अभिमत के आधार पर श्रीमती रमिता जावडा के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित किए जाने का निर्णय लिया गया। **(घ)** संचालनालय के पत्र क्र. एबाविसे/स्था-4/2015/246 दिनाँक 19/01/2015 कलेक्टर जिल- शिवपुरी से प्राप्त पत्र क्रमांक 2933 दिनाँक 04/12/2014 में की गई अनुशंसा के आधार पर श्रीमती रमिता जावडा को निलंबित कर नियमानुसार आरोप पत्र आदि जारी किए गए। आरोप क्रमांक-1 कलेक्टर शिवपुरी से प्राप्त आरोप पत्र तथा आधार पत्र के आधार पर अधिरोपित किया गया है।

<u>छतरपुर जिले में योजनाओं का लाभ</u>

141. (क्र. 2977) श्रीमती ललिता यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** छतरपुर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितना-कितना बजट किस-किस कार्य के लिये दिया गया? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें? **(ख)**

प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में प्राप्त आवंटन राशि से क्या-क्या कार्य किये गये उस पर कितना-कितना खर्च किया गया? वर्षवार कार्य का नाम, खर्च की गई राशि सहित बतायें? **(ग)** उक्त वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा किस-किस योजना के तहत कितने हितग्राही को लाभ दिया गया?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजनांतर्गत दुधारू पशु क्रय करने हेतु राशि रू. 5.95 का सहायक अनुदान दिया गया एवं शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख)** वर्ष 2013-14 में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजनांतर्गत दुधारू पशु क्रय करने हेतु राशि रू. 5.95 का व्यय किया गया एवं शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग)** वर्ष 2013-14 में आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजनांतर्गत 20 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "स" अनुसार है।**

परिशिष्ट – "सैंतालीस"

शासकीय जमीन से अतिक्रमण न हटाया जाना

142. (क्र. 2978) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर तहसीलान्तर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में शासकीय भूमि पर कितने अतिक्रमण के प्रकरण बनाये गये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में कितने अतिक्रमण किस प्रकार हटाये गये उनके नाम दिनाँक सहित बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में कितने अतिक्रमणों पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई? सिर्फ नोटिस दिया गया? अतिक्रमणकारी का नाम, नोटिस दिनाँक सहित बतायें? **(घ)** शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही में क्या अधिकारियों द्वारा हीलाहवाली की जा रही है? अगर हां तो किनके द्वारा और विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उन पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गर्इ है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संघ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण

143. (क्र. 2992) श्री आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ 5-11/ 2015/सात/4बी आदेश दिनाँक 18.05.2015 को स्थानांतरण आदेश जारी किए है? यदि हाँ, तो स्थानांतरण नीति 2015-16 की कंडिका 8.20 का पालन किया गया है? **(ख)** यदि नहीं, तो क्या यह भी सही है कि मध्यप्रदेश राजस्व संघ के पत्र क्रमांक 127 दिनाँक 29 अप्रैल 2014 को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन व राजस्व विभाग, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त एवं माननीय राजस्व मंत्री महोदय को स्थानांतरण नीति की कण्डिका 8.20 के विरूद्ध जाकर स्थानांतरण किये जाने संबंधी अवगत कराया था? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शासन स्थानांतरण नीति के विरूद्ध किये गये स्थानांतरण को निरस्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवर्जित बोर पिस्टल/रिवाल्वर के नवीन शस्त्र लाइसेंस के प्रस्ताव

144. (क्र. 3005) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अवर्जित बोर पिस्टल/रिवाल्वर के नवीन शस्त्र लाइसेंस के जनवरी 2014 से 30 मई 2015 तक

कितने प्रस्ताव भोपाल, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन जिले से गृह विभाग को प्राप्त हुये? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित शस्त्र लाइसेंस के प्रस्तावों में से कितने मान्य किये गये?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जनवरी, 2014 से 30 मई 2015 तक भोपाल जिले से 180, शाजापुर से 15, इन्दौर से 72 एवं उज्जैन से 34 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में से क्रमशः भोपाल जिले के 126, शाजापुर जिले के 06, इन्दौर जिले के 38 एवं उज्जैन जिले के 17 प्रस्ताव मान्य किये गये।

<u>पुलिस थाना भिण्ड देहात में पंजीबद्ध अपराध पर कार्यवाही</u>

145. (क्र. 3007) श्रीमती शीला त्यागी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 07.01.2015 को पुलिस थाना भिण्ड देहात में अपराध क्र. (प्रथम सूचना रिपोर्ट-11) धारा 342, 506 वी/504/34 पंजीबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त अपराध में कौन-कौन आरोपी है तथा कौन फरियादी है? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** हाँ तो किन-किन आरोपियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है यदि उचित कार्यवाही समय से नहीं की गई तो क्यों? इसमें कौन पुलिस अधिकारी दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेगें? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** का फरियादी बाबूराम जामौर दिनाँक 31.02.2015 को पुलिस निदेशक क भोपाल एवं दिनाँक 29.01.2015 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को निष्पक्ष कार्यवाही के लिए आवेदन दिया? यदि हाँ, तो उक्त आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क)**, **(ख)**, **(ग)** हां तो उक्त प्रकरण में क्या समुचित कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो कार्यवाही न करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेंगे तथा कब तक उक्त प्रकरण में समुचित कार्यवाही करा देंगे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। फरियादी श्री बाबूराव पुत्र श्री धनीराम जामोर की रिपोर्ट पर आरोपी 1. श्री नरेन्द्र कुशवाह विधायक, भिण्ड, 2. श्री केशव सिंह देसाई नि. हुकुमसिंह का पुरा मेहगांव, 3. श्री रामलखन सिंह बघेल, नि. बबेडी थाना देहात भिण्ड, 4. श्री वीरेन्द्र कौशल नि.भीमनगर भिण्ड, के विरूद्ध दिनाँक 07.01.2015 को पंजीबद्ध किया गया है। **(ख)** प्रकरण की विवेचना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) 10 दिनाँक 22.06.15 को बढ़ाई गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाते हुये जिम्मेदारी निर्धारण के लिये नगर पुलिस अधीक्षक, भिण्ड से रिपोर्ट मांगी है। तदोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** प्रश्नांकित आवेदन पत्रों की नियमानुसार जाँच पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा राजपत्रित अधिकारियों से कराई गई। जाँच पर पाया गया कि पूर्व से ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) 10 का इजाफा दिनाँक 22.06.2015 को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शिकायत पत्र के तथ्यों का संज्ञान लेते हुये ऊमरी थाना क्षेत्र में चुनाव के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर निष्पक्ष शान्ति पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराये गये। **(घ)** जानकारी प्रश्नांश ''ख'' अनुसार है। प्रकरण की विवेचना शीघ्र पूर्ण करने के यथा संभव प्रयास किये जा रहे है।

<u>नल जल योजना की जाँच बाबत</u>

146. (क्र. 3008) श्रीमती शीला त्यागी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा कौन-कौन सी योजना संचालित है? योजनावार व राज्य/केन्द्रवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य से रीवा जिले के लिए 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया है एवं किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है, क्षेत्रवार एवं योजनावार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में रीवा जिले में कितनी नलजल योजनाएं संचालित है विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा वर्तमान में कितनी नलजल योजनाएं चालू एवं कितनी बंद है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में बंद पडी नलजल योजनाएं कब तक चालू कर दी जावेगी?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) रीवा जिले के ग्रामीण पेयजल समस्या के निराकरण हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :- (1) ग्रामीण नल जल योजना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था। (2) आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में पेयजल व्यवस्था। (3) शालाओं में पेयजल व्यवस्था। (4) ऑगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था। (5) भू-जल संवर्धन कार्यक्रम। उक्त योजनाओं में से ग्रामीण नलजल योजना, आंशिक पूर्ण बसाहटों, शालाओं एवं आंगनवाड़ी की योजना केन्द्र/राज्य शासन की योजना है तथा भू-जल संवर्धन योजना केन्द्र शासन की है। **(ख)** रीवा जिले के लिए वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक केन्द्र शासन से रू. 2202.41 लाख एवं राज्य शासन से रू. 1847.41 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। विधानसभा क्षेत्र वार एवं योजनावार व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-1 **अनुसार है। (ग)** रीवा जिले में 357 नलजल/स्थल नलजल/मुख्य मंत्री पेयजल योजनायें संचालित है। विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** वर्तमान में 341 नलजल योजनाए चालू एवं 16 नलजल योजनाए बंद है। **(घ)** नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायत से समन्वय करके चालू कराने की कार्यावाही की जा रही है, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

स्व. सहायता समूहों की जाँच

147. (क्र. 3009) श्रीमती शीला त्यागी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिला बाल विकास जिला परियोजना रीवा द्वारा वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र रीवा नगर पालिका, गोविन्दगढ़, त्योथर, मनगंवा, बैकण्ठपुर सिरमौर सेमरिया में पौष्टिक आहार वितरण का कार्य किन-किन समूहों को किस अवधि से किस अवधि तक दिया गया है, की जानकारी समूहवार समूह पदाधिकारी सदस्यों का नाम पिता/पति का नाम स्थानीय पता अंकित कर देवे? **(ख)** समूहों को दिये गये कार्य के राशि भुगतान की क्या प्रक्रिया है तथा प्राप्त राशि के लाभांश का उपयोग समूह द्वारा कैसे किया जावेगा, की नियम आदेश की प्रति देवे? **(ग)** क्या माना स्व. सहायता समूह बरहुआ परियोजना कार्या. जवा में कब तक कार्य किया है तथा उसे कब अन्तिम बार कितनी राशि का भुगतान किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के समूह द्वारा अन्तिम भुगतान राशि को प्राप्त करने हेतु क्या समूह में प्रस्ताव पारित किया गया तथा लाभांश राशि का उपयोग उक्त समूह द्वारा कब और कैसे किया गया है, की जानकारी देवे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एकीकृत बाल विकास सेवा जिला- रीवा के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र रीवा, गोविन्दगढ़, त्यौथर, मनगवाँ, बैकुण्ठपुर, सिरमौर,

सेमरिया में पूरक पोषण आहार वितरण का कार्य कलेक्टर रीवा के आदेश क्र. 238 दिनाँक 17.2.10 से स्थानीय महिला मण्डल एवं स्व सहायता समूहों को दिया गया है, तद्समय से निरन्तर इन समूहों द्वारा पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्य किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्य में संलग्न स्व सहायता समूहों के समूहवार सदस्यों का नाम पिता/पति का नाम,स्थानीय पता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख)** पूरक पोषण आहार प्रदाय कार्य में संलग्न स्व सहायता समूह द्वारा प्रतिमाह परियोजना कार्यालय के द्वारा आवंटित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय के पश्चात देयक प्रस्तुत करते है। देयकों का परीक्षण, सत्यापन एवं अनुंशसा की कार्यवाही परियोजना अधिकारी द्वारा की जाकर, देयकों की इन्ट्री स्टॉक पंजी में करते हुए देयक जिला कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित किए जाते है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इन देयकों को जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त जिला कोषालय से राशि आहरित कर सीधे ई-पेमेन्ट के माध्यम से स्व सहायता समूह के खाते में स्थानांतरित की जाती है। स्व सहायता समूह के लाभांश वितरण, स्व सहायता समूह की आन्तरिक प्रक्रिया है,इस संबंध में विभाग के पृथक से कोई निर्देश नहीं है। पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्र.4-5/2014/50-2, दिनाँक 24.2.14 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग)** मीना स्व सहायता समूह बरहुला के द्वारा दिसम्बर 2006 तक कार्य किया गया है संबंधित समूह बरहुला को अंतिम भुगतान जिला कलेक्टर, रीवा के अनुमोदन से दिनाँक 10.11.2009 को राशि रूपये 1,09,741/- (रू.एक लाख नौ हजार सात सौ इकतालिस) का भुगतान किया गया। **(घ)** स्व सहायता समूह के लाभांश वितरण, स्व सहायता समूह की आन्तरिक प्रक्रिया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चौपाना राजस्व मंडल अंतर्गत राजस्व भूमि

148. (क्र. 3012) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चौपना राजस्व मंडल (घोड़ाडोंगरी) में कितने ग्राम राजस्व विभाग के है? भूमि का रकबा देवें? **(ख)** चौपना में कितने ग्राम विस्थापित है? संख्या एवं भूमि का रकबा देवें? विस्थापितों को प्रति परिवार कितनी भूमि दी गई है? **(ग)** क्या आज भी विस्थापित कृषक, पट्टे से वंचित है? यदि हाँ, तो कितने? क्या राजस्व भूमि हेतु बड़े/छोटे झाड़ की भूमि की कार्यवाही लंबित है? **(घ)** क्या विस्थापित ग्राम शांतिपुर-02, सालीवाड़ा-02 को राजस्व दर्जा नहीं मिला? यदि हाँ, तो राजस्व विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शाहपुरा जिला बैतूल में न्यायालय की स्थापना

149. (क्र. 3013) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के राजस्व अनुभाग (अनुभाग) शाहपुर को पूर्ण दर्जा प्राप्त है? यदि हाँ, कब से? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त होगा? **(ख)** शाहपुर अनुभाग में वर्ष 2010 से वर्ष 2014-15 तक कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ संख्या देवें? **(ग)** क्या शाहपुर में न्यायालय प्रस्तावित है? **(घ)** क्या न्यायालय राजस्व अनुभाग शाहपुर में जनहित में स्वीकृति किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विकासखंडों में संचालित नल जल योजनाएं

150. (क्र. 3019) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकासखंडों में कितने हैंड पंप एवं कितनी नल जल योजनायें शासन द्वारा स्वीकृति पश्चात् संचालित हैं? प्रश्न दिनाँक की स्थिति में कितने हैंड पंप बिगड़े हैं तथा कितनी नल जल योजना अवरूद्ध हैं? **(ख)** उक्त विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-2015 बिगड़े हैंड पंप/नल जल योजना के सुधार कार्य हेतु विभाग द्वारा कितना वित्तीय खर्चा किया गया? सुधार कार्य किस निर्माण एजेंसी के माध्यम से कराया गया? उक्त कार्य क्या ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था? उक्त कार्य में व्यय की गई राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया था? राशि तथा भुगतान का विवरण दें? **(ग)** उक्त अवधि में विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा किन-किन फर्मों/ठेकेदारों को बिगड़े हैंड पंप एवं नल जल योजनाओं का सुधार कार्य कराये जाने हेतु ठेका दिया गया? फर्म एवं ठेकेदार का नाम पता उसके लाईसेंस की वैधता का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित जानकारी दें? फर्म/ठेकेदार को भुगतान की गई राशि एवं कार्य के स्वरूप का विवरण दें?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 **अनुसार है। (ख)** विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ के विकासखण्ड पुष्पराजगढ में वर्ष 2013-14 में हैण्डपम्प संधारण में रू. 31.90 लाख व्यय किया गया एवं ग्रामीण नलजल योजनाओं के संधारण/संचालन में रू. 11.12 लाख व्यय किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में हैण्डपम्प संधारण में रू. 28.29 लाख व्यय किया गया एवं ग्रामीण नलजल योजनाओं के संधारण/संचालन में रू. 6.80लाख व्यय किया गया है। हैण्डपम्पों का सुधार कार्य हैण्डपम्प तकनीशियनों द्वारा माह दिसम्बर 2014 तक किया गया ततपश्चात हैण्डपम्प संधारण का कार्य मेसर्स हरिनाथ पटेल, मेसर्स अनिल प्रजापति, मेसर्स मधुसूदन पाण्डेय एवं मेसर्स अब्दुल गफूर खान, निर्माण एजेन्सियों द्वारा कराया गया। इसका भुगतान, ई-भुगतान पद्धित से किया गया है। राशि तथा भुगतान का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।** फर्म/ठकेदार को भुगतान की गई राशि एवं कार्य का स्वरूप **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार।**

<u>पोषण सामग्री का क्रय</u>

151. (क्र. 3023) श्री संजय उइके : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक पूरक पोषण के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या-क्या सामग्री प्रदाय की जा रही है? **(ख)** बालाघाट जिलान्तर्गत प्रदाय की जा रही सामग्री किस एजेंसी/संस्था से किस दर पर खरीदी जा रही है? **(ग)** क्या सामग्री खरीदी हेतु निविदा कब-कब बुलाई गई? सकल निविदाकारों एवं उनकी दरों की जानकारी उपलब्ध कराएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक पूरक पोषण आहार के अंतर्गत प्रदाय की जा रही सामग्री की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख)** बालाघाट जिले में स्व सहायता समूहों के माध्यम से सांझा चूल्हा व्यवस्था अन्तर्गत पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है, दरों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है।** एम.पी.एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पो.लि.के माध्यम से टेकहोम राशन का

प्रदाय किया जा रहा है, दरों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''स'' पर है।** **(ग)** उक्तानुसार सामग्री खरीदी हेतु निविदा का प्रावधान नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं।

परिशिष्ट – "अड़तालीस"

बालाघाट जिलान्तर्गत भूमि विक्रय

152. (क्र. 3024) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बालाघाट जिले की कंटगी तहसील के ग्राम चोखड़ी, चिकमार, पौनिया, शंकर पिपरिया, सीता पठौर, में वित्तीय वर्ष 2007-2008 से 2013-14 तक विक्रय की गई भूमि का विक्रय कर्ता का नाम पता सहित, रकबा खसरा नं. एवं विक्रय का दिनाँक बतायें?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पदोन्नति हेतु की गई डी.पी.सी.

153. (क्र. 3025) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जनवरी 2015 को राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्ष भू-अभिलेख, नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु डी.पी.सी की गई? जनवरी 2015 को जो डी.पी.सी. की गई थी वह क्या पूर्व वर्षों की पेडिंग डी.पी.सी थी? यदि हाँ, तो किस वर्ष की उक्त डी.पी.सी थी? **(ख)** कुल कितने पदों के लिये डी.पी.सी की गई है और किन-किन पदों के लिये पदवार बतायें? **(ग)** उक्त डी.पी.सी किस वर्ष के राजस्व निरीक्षकों की पदक्रम सूची के आधार पर की गई है? क्या जिस पदक्रम सूची से डी.पी.सी की गई है, वह त्रुटिपूर्ण है जिसको अद्यतन नहीं किया गया है एवं कई पात्र कर्मचारी पदक्रम सूची में शामिल नहीं है? ऐसे कितने पात्र राजस्व निरीक्षक है जिनके नाम पदक्रम सूची में नहीं है? **(घ)** क्या राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त पटवारियों के नाम पदोन्नति आदेश से पहले ही राजस्व निरीक्षक की पदक्रम सूची में शामिल कर दिये गये है? जबकि वह राजस्व निरीक्षक की पदक्रम सूची में शामिल होने के दिनाँक पर पटवारी के पद पर कार्य कर रहा था? वर्तमान में ऐसे कितने पटवारी है जिन्होंने राजस्व निरीक्षक की ट्रेनिंग पास कर ली है और उनके नाम राजस्व निरीक्षक की पदक्रम सूची में शामिल हैं और वे पटवारी के पद पर कार्य कर रहे हैं? राजस्व निरीक्षको की पदक्रम सूची में पटवारियों के नाम जोड़ने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है, कृपया पद सहित नाम बतायें? **(ड.)** क्या राजस्व निरीक्षकों द्वारा भू-अभिलेख शाखा में प्रस्तुत गोपनीय प्रतिवेदन विभाग द्वारा गुमा दिये गये हैं? जिसके कारण उक्त राजस्व निरीक्षक पदोन्नति से वंचित रह गये है? ऐसे कितने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति से वंचित रह गये है? एवं उसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? कृपया पद सहित नाम बतायें? **(च)** क्या शासन त्रुटिपूर्ण पदक्रम सूची के आधार पर की गई विभागीय पदोन्नति में सुधार करते हुये संशोधित पदोन्नति सूची जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्यापमं के केस दर्ज होने से पहले और बाद में हुई मौत

154. (क्र. 3028) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 7 जुलाई 2013 S.T.F. के व्यापमं के केस दर्ज से पहले कितने आरोपियों की मौत हुई? **(ख)** 7 जुलाई 2013 से S.T.F. के व्यापमं के केस दर्ज के बाद व्यापमं के कितने आरोपियों की मौत

हुई? **(ग)** **(क)** **(ख)** के प्रथम की मौतों का कारण स्पष्ट करें? **(घ)** मौत हुई आरोपी पर केस किन धाराओं में था?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) 16 आरोपियों की। **(ख)** 18 आरोपियों की। **(ग)** एवं **(घ)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार।**

गाडियों का रजिस्ट्रेशन अन्य लोगों को दिया जाना

155. (क्र. 3029) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिलान्तर्गत 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक परिवहन विभाग द्वारा गाड़ियों का स्थाई या अस्थाई रजिस्ट्रेशन दस्तावेज गाड़ी मालिक के अलावा अन्य व्यक्तियों को दिए जाने की कितनी शिकायतें किन-किन थानों में दी गई है? **(ख)** इनमें से कितनी गाड़ी मालिकों ने फरियादी बनकर अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग द्वारा अन्य व्यक्तियों को दिए जाने की सीधी पुलिस को शिकायत किन-किन थानों में की है? किन-किन ने शिकायत की और शिकायत की वर्तमान समय में क्या स्थित है? **(ग)** परिवहन विभाग द्वारा गाड़ी मालिक के अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देना I.P.C. कि किन धाराओं में अपराध माना जाता है? **(घ)** इस तरह के कितने प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके है? कितनों में जाँच चल रही है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रकरण विशेष में उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर ही भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में अपराध होने के संबंध में निर्धारण किया जा सकता है। **(घ)** जानकारी निरंक है।

एस.टी.एफ. पदासीन अधिकारी

156. (क्र. 3034) श्री बाला बच्चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एस.टी.एफ. में 01.04.2014 से 31.12.14 तक पदासीन ए.आई.जी. की पूरी सूची देवें? कितने ए.आई.जी. पर पदस्थापना के पूर्व कौन सी जाँच लंबित थी/है या जाँच पूर्ण हो चुकी है, नाम, जाँच संबंधी पूरी जानकारी देवे? **(ख)** इन जाँच में क्या पाया गया व उस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** S.T.F. में पदस्थ सहायक पुलिस महानिदेशकों के पास किन-किन प्रकरणों के अन्वेषण के सुपर विजन की जिम्मेदारी है? प्रकरण वार पूरी जानकारी देवे? **(घ)** 01.04.2014 से 30.12.14 तक कौन-कौन सहायक पुलिस महानिदेशक किस-किस कार्य से मा. उच्च न्यायालय जबलपुर गये तिथिवार, प्रकरणवार जानकारी देवे?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं **(ख)** विवरण निम्नानुसार है - (1) श्री संजय तिवारी, भापुसे दि. 01.03.14 से (2) श्री कमल मौर्य, रापुसे दि. 20.05.13 से (3) श्री आशीष खरे, रापुसे दि. 09.10.13 से (4) श्री राजेश सिंह चंदेल, रापुसे दि. 11.01.14 से पदस्थ अधिकारियों के विरूद्ध पूर्व से कोई विभागीय जाँच प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एस.टी.एफ में सहायक पुलिस महानिदेशक के पद नहीं है, सहायक पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा किये जा रहे पर्यवेक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।**

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के स्वीकृत ऋण

157. (क्र. 3037) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिदपुर वि.स. क्षेत्र में दि. 01.01.13 से 30.06.15 तक कितने ऋण प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने विभाग द्वारा स्वीकृत हुए, कितने बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए वर्षवार बतावें? **(ख)** इसकी चयन प्रक्रिया एवं बैंकों द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने के कारणों की जानकारी देवे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नाकित अवधि मे विभाग को 83 ऋण आवेदन प्राप्त हुए, विभाग द्वारा सभी 83 आवेदन बैंक की स्‍ीकृति हेतु अनुसंशित किये गये, बैंक द्वारा 35 प्रकरण स्वीकृत किये गये। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख)** चयन प्रक्रिया संबंधी निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। बैंक द्वारा प्रकरण प्रस्तावित इकाई की आर्थिक सक्षमता व ऋण वापसी का क्षमता के परीक्ष्‍ाण के आधार पर स्वीकार-अस्वीकार किये जाते हैं।

<u>महिदपुर विधान सक्षा क्षेत्र में अनुदान का वितरण</u>

158. (क्र. 3038) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में दि.: 01.01.13 से 30.06.15 तक कितनी अनुदान राशि हितग्राहियों को वितरित की गयी? वर्षवार बतावे? **(ख)** जिन हितग्राहियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, इन्हें अनुदान राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावे?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	वितरित अनुदान राशि (लाख में)
1	2012-13 (दिनाँक 01.01.2013 से 31.03.2013)	55.86
2	2013-14	52.46
3	2014-15	35.10
4	2015-16 (दिनाँक 30.06.2015 तक)	–

(ख) समस्त हितग्राहियों को पूर्ण अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>भूमि का उपयोग</u>

159. (क्र. 3049) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला भोपाल तहसील हुजूर स्थित अरेरा कॉलोनी शक्ति नगर, भरत नगर (ग्राम शाहपुरा) वैशाली नगर, सुरुचि नगर (ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद) का जुलाई 2014 में भूमि उपयोग क्या है? **(ख)** भोपाल जिले में कितने प्रकरण लीज होल्ड भूमि को फ्री-होल्ड अधिकारी के संपरिवर्तन हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय में दिनाँक 11.07.2014 से वर्तमान तक दर्ज हुये हैं एवं उसमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है नजूल कार्यालयवार बतावें? **(ग)** क्या नजूल टी.टी. नगर वृत्त अंतर्गत अरेरा कॉलोनी, शक्ति नगर, भरत नगर, वैशाली नगर, सुरुचि नगर लीज होल्ड भूमि जिनका भू-उपयोग पूर्णतया: आवासिक या वाणिज्यिक है को फ्री-होल्ड करने हेतु भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण हेतु गणना कृषि भूमि मानते हुये की गई है? **(घ)** क्या शहरी क्षेत्र में कृषि/नजूल भूमि का सभी प्रयोजन हेतु

मूल्यांकन जब भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर अथवा इससे कम हो विकसित भूखण्डों आवासीय भूखण्ड की दर से गणना करने का प्रावधान है? **(ड.)** क्या भोपाल जिले में आवासीय उपयोग की भूमि जो निवास गृह हेतु उपयोग की जा रही है कि गणना कृषि भूमि मानते हुये भू-राजस्व की गणना की गई है जिससे शासन को करोड़ों की आर्थिक क्षति हुई है जिसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं बतावें एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाकर बकाया राशि शासन पक्ष में कब तक वसूल की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सुरखी में पुलिस थाना नवीन भवन में स्थानांतरित न किया जाना</u>

160. (क्र. 3061) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सागर जिले के पुलिस थाना सुरखी हेतु नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है? इस भवन को कब किसके द्वारा कितनी लागत से बनया गया है और कब इसका कार्य पूर्ण कर लिया गया? **(ख)** भवन हेतु स्थल का चयन किसके द्वारा किय गया था तथा नवनिर्मित भवन की वर्तमान भौतिक स्थिति व गुणवत्ता कैसी है? इस भवन में कब तक पुलिस थानों को शिफ्ट किया जावेगा? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या भवन का निर्माण त्रुटिपूर्ण और अमानक स्तर का है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ। गृह निर्माण मण्डल सागर द्वारा। लागत 12 लाख 68 हजार रूपयें। वर्ष 2005-06 की अवधि में। **(ख)** जिला पुलिस द्वारा वर्तमान भौतिक स्थिति व गुणवत्ता अच्छी है। नवनिर्मित भवन में दिनाँक 15.03.2007 से थाना शिफ्ट है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्राकृतिक आपदाओं में आर्थिक सहायता</u>

161. (क्र. 3062) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सर्पदंश, आसमानी बिजली, करंट आदि दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु हो जाने, घायल होने और सड़क दुर्घटनाओं आदि में पीड़ितों, उनके परिजनों का सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या नीति, नियम, निर्देश, प्रावधान प्रदेश में लागू है? किस प्रकरण में कितनी राशि, किस अवधि में उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं बतवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** वर्णित प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो किस प्रकरण के निराकरण की क्या समय-सीमा हैं? **(ग)** सागर जिलान्तर्गत प्रश्नांश **(क)** वर्णित सहायता/मुआवजा के कितने प्रकरण छः माह से अधिक अवधि से लंबित हैं? प्रकरण के निराकरण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? निराकरण न हो पाने के क्या कारण है? **(घ)** लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं? नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण</u>

162. (क्र. 3065) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में राजस्व प्रकरणों को पंजीबद्ध करने और उनके निराकरण हेतु क्या नीति, प्रक्रिया, नियम व निर्देश प्रचलित है? किस-किस प्रकार के प्रकरणों में निराकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित है?

(ख) प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में सतना व रायसेन जिलों में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक भू-राजस्व संहित के अधीन कुल कितने अवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये? इन आवेदनों में प्रकरण किस दिनाँक को आरंभ किया गया और किस तिथि को प्रकरण का निराकरण किया गया? **(ग)** क्या प्रकरण के प्रारंभ की तिथि दर्ज न की जाकर निराकरण के समय तिथि फर्जी रूप से अंकित की जाकर समय-सीमा में निराकरण होना दिखाया जाता है? क्या इस मामलें में इन जिलों में जाँच कराई जाकर दोषी पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवनों का निर्माण</u>

163. (क्र. 3066) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि **(क)** मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किस-किस ग्राम में आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन संचालित है? इन ग्रामों की जनसंख्या क्या है? भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये जाने हेतु मापदण्डों के अनुसार मैहर क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण इलाकों में कहाँ-कहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र खाले जाने और भवन निर्माण की आवश्यकता है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित मादण्डों के अनुसार नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने और नवीन भवन निर्माण हेतु कब-कब कहाँ-कहाँ के प्रस्ताव किस-किस के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये? इनकी स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार प्रस्ताव न भेजने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित 231 भवन विहीन (किराये पर संचालित) आंगनवाड़ी केन्द्रो एवं इनकी जनसंख्या संबंधी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।** भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीक़ृति के मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है**, तदानुरूप मैहर विधानसभा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 17 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट "स"** पर तथा 231 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता संबंधी जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख)** नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिले से प्राप्त कर भारत सरकार को उक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 1099/12-13 दिनाँक 19.03.2013 एवं पत्र क्रमांक 698-ए/ 28.02.2013 द्वारा प्रेषित किये गये है। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रो की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को स्मरण पत्र क्रमांक 5403 दिनाँक 19.02.2014 के माध्यम से प्रेषित प्रस्तावों पर स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। वार्षिक कार्ययोजना में आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया जाता है, स्वीकृति उपरांत आवश्यकता अनुसार जिलों को आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।पृथक से ग्रामवार प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित नहीं किया जाता है। **(ग)** शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>व्यापम प्रकरण में आरोपी छात्र/छात्राओं एवं अन्य लोगो द्वारा की जा रही आत्महत्या</u>

164. (क्र. 3070) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार व्यापम घाटाले में लिप्त किन-किन आरोपियों की कब-कब, कहाँ-कहाँ पर किन-किन कारणों से प्रश्न दिनाँक तक मृत्यु हुई है? मृतकों के नाम पते

सहित सूची दें? **(ख)** क्या व्यापम प्रकरण में एस.टी.एफ द्वारा निर्दोष छात्र-छात्राओं एवं अन्य को आरोपी बनाये जाने एवं प्रताड़ित किये जाने से वे आत्महत्या करने जैसे कदम उठा रहे हैं एवं उनका भविष्य खराब हो रहा है? **(ग)** यदि नहीं, तो क्या व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हेराफेरी कर निर्दोष छात्र/छात्राओं की अवैध रूप से उत्तीर्ण कराने के एवज में धन वसूली करने वाले शेष कितने आरोपियों की गिरफ्तारी किन-किन कारणों से नहीं की जा सकी है?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (एस) (सिविल) 372/2015 दिनाँक 09.07.2015 के निर्णय अनुसार व्यापम संबंधित समस्त मामले सी.बी.आई. को हस्तांतरित किये गये हैं। प्रश्नांश की विषयवस्तु अनुसंधान से सबंधित है। अतः प्रश्नांश का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

<u>नजूल/शासकीय भूमि का आवंटन</u>

165. (क्र. 3071) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माह दिसंबर 2013 से प्रश्न दिनाँक तक भोपाल एवं ग्वालियर जिले में किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों को किस-किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी अवधि के लिए किस-किस दर पर किस-किस सर्वे क्रमांक की कितनी-कितनी नजूल/शासकीय भूमि कब-कब, किन-किन नियमों/शर्तों के साथ आवंटित की गई है? **(ख)** जिस प्रयोजन/शर्त के साथ भूमि आवंटित की गई क्या उसके अनुरूप भू-उपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या निर्धारित समयावधि तक आवंटन की शर्त/प्रावधान के अनुसार भूमि का उपयोग नहीं किए जाने पर, भूमि का आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कावेरी गृह निर्माण समिति का सीमाकंन</u>

166. (क्र. 3072) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कावेरी गृह निर्माण समिति मर्यादित भोपाल का सीमांकन संबंधी प्रकरण लंबित है? यदि हाँ,तो किन कारणों से कब से लंबित है? **(ख)** कब तक सीमांकन कर वास्तविक भूमि का आधिपत्य समिति को सौंप दिया जाएगा, निश्चित समयावधि बताएं? **(ग)** क्या उक्त समिति की भूमि संबंधी कोई प्रकरण न्यायालय में भी लंबित है, यदि हाँ, तो उसमें अद्यतन स्थिति क्या है?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।